Drishti IAS

एडिटोरियल

(संग्रह)

जनवरी 2024

Drishti, 641, First Floor,
Dr. Mukharjee Nagar,
Delhi-110009
Inquiry (English): 8010440440,
Inquiry (Hindi): 8750187501
Email: help@groupdrishti.in

अनुक्रम

- भारत-रूस संबंध: कूटनीतिक क्षमता 3
- बैंकिंग क्षेत्र: अवसर और चुनौतियाँ 6
- राज्य की वित्तीय चुनौतियों के समाधान में वित्त आयोग की भूमिका 9
- सुर्खियों में राज्यपाल: भारत में सुधार का आह्वान 11
- भारत के आर्थिक विकास को दिशा देना 13
- सार्वजनिक ऋण दुविधाएँ: भारत के राजकोषीय परिदृश्य को दिशा देना 17
- शहरी विकास का पुनर्नवीनीकरण : केरल पहल 20
- दिव्यांगजन अधिकार संबंधी मुद्दों को हल करने में संरचित विमर्श 25
- यूरोपीय संघ का कार्बन सीमा कर प्रभाव 28
- विधिक सफलता और परिहार संबंधी चुनौतियाँ 32
- भारत-मालदीव संबंध: कूटनीतिक संघर्ष की कहानी 35
- भारत के लॉजिस्टिक्स परिदृश्य का आकलन 39
- दूरसंचार अधिनियम, 2023 के परिवर्तनकारी प्रभाव 43
- भारत के ऑनलाइन गेमिंग उद्योग के विनियमन की तत्काल आवश्यकता 46
- सर्वाइकल कैंसर रोकथाम पहल का विस्तार 49
- मुख्य सचिव के कार्यकाल पर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला 52
- लाल सागर में बढ़ता संकट 55
- भारत-ब्रिटेन संबंधों के बीच अंतराल को कम करना 58
- ASER 2023: बुनियादी बातों से परे शिक्षा स्थिति का अवलोकन 62
- डाकघर अधिनियम, 2023: औपनिवेशिक विधि का प्रतिस्थापन 66
- एक राष्ट्र-एक चुनाव का अवलोकन 69
- भारत की सेमीकंडक्टर डिज़ाइन योजना को नया रूप देना 72
- ICJ कार्यवाही: दक्षिण अफ्रीका बनाम इज़राइल 77
- राम मंदिर: रामराज्य का संकल्प 82
- भारत में कुपोषण 85
- दृष्टि एडिटोरियल अभ्यास प्रश्न 90

नोट :

भारत-रूस संबंध: कूटनीतिक क्षमता

भारत के विदेश मंत्री की हालिया मास्को यात्रा भारत-रूस संबंधों के ढाँचे में व्यापक रूप से महत्त्वपूर्ण है, जो दोनों देशों के बीच पहले से स्थापित विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त भागीदारी को और आगे ले जाती है। उभरते वैश्विक भू-राजनीतिक परिदृश्य में दोनों देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों और द्विपक्षीय मामलों पर उच्च स्तर की राजनीतिक भागीदारी अपेक्षित है।

भारत-रूस संबंध रणनीतिक रूप से महत्त्वपूर्ण क्यों हैं?

- **समय की कसौटी पर खरी उतरी भागीदारी:**
  - शीत युद्ध के समय से संबंध: शीत युद्ध (Cold War) के दौरान एक महाशक्ति के रूप में सोवियत संघ ने इस भागीदारी में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका रखी, जबकि भारत ने 'विकासशील' देशों के एक अंग और गुटनिरपेक्ष आंदोलन (Non-Aligned Movement) के एक नेता के रूप में निकटता से सहयोग किया।
  - वर्ष 1971 की भारत-सोवियत मैत्री संधि (Indo-Soviet Friendship Treaty): भारत-पाक युद्ध (1971) की पृष्ठभूमि में रूस ने भारत का समर्थन किया जबकि अमेरिका और चीन तब पाकिस्तान का साथ दे रहे थे।
  - भारत-रूस रणनीतिक साझेदारी पर घोषणा (Declaration on the India-Russia Strategic Partnership): अक्टूबर 2000 में भारत-रूस संबंधों ने द्विपक्षीय संबंधों के लगभग सभी क्षेत्रों में सहयोग के उन्नत स्तर के साथ गुणात्मक रूप से नया चरित्र प्राप्त कर लिया।
  - विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी (Special and Privileged Strategic Partnership): दिसंबर 2010 में रूसी राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी को 'विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी' के स्तर तक बढ़ाया गया।
- **ऊर्जा सुरक्षा:**
  - रूस के पास दुनिया के सबसे बड़े प्राकृतिक गैस भंडारों में से एक है, जबकि भारत ने प्राकृतिक गैस पर निर्भरता बढ़ाने की दिशा में एक संक्रमण शुरू किया है।
    - भारत सक्रिय रूप से रूसी सुदूर-पूर्व (Russian Far East) से हाइड्रोकार्बन के आयात से संलग्न है।
  - परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग के क्षेत्र में रूस भारत का एक महत्त्वपूर्ण भागीदार है।
  - रूस की तकनीकी सहायता से तमिलनाडु में कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र (KKNPP) का निर्माण किया जा रहा है।
- **आर्थिक अभिसरण:**
  - रूस भारत का सातवाँ सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है।
  - दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2025 तक 30 बिलियन अमेरिकी डॉलर के लक्ष्य को पार करता हुए पहले ही 45 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया है।
  - दोनों देश वर्ष 2025 तक द्विपक्षीय निवेश को 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाने का लक्ष्य रखते हैं।
- **भू-राजनीति को संतुलित करना:**
  - चीन की आक्रामकता का प्रति-संतुलन: पूर्वी लद्दाख के सीमावर्ती क्षेत्रों में चीन की आक्रामकता ने भारत-चीन संबंधों को एक गतिरोध पर ला दिया है, लेकिन यह भी प्रकट हुआ है कि रूस चीन के साथ भारत के तनाव को कम करने में योगदान दे सकता है।
  - बहुध्रुवीयता के पक्ष-समर्थक: रूस और भारत दोनों ही बहुध्रुवीय विश्व की अवधारणा का समर्थन करते हैं। यह उभरते रूस के लिये उपयुक्त है जो 'महान शक्ति का दर्जा' हासिल करने की आकांक्षा रखता है, जबकि यह उभरते भारत के लिये भी अनुकूल है जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता और वैश्विक परिदृश्य में अपने क़द की वृद्धि की आकांक्षा रखता है।
    - मॉस्को लंबे समय से सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यता के दायरे का विस्तार करने और परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह में प्रवेश पाने की भारत की इच्छा (जिसे बीजिंग की ओर से अवरुद्ध किया जाता रहा है) का समर्थन करता रहा है।
- **दीर्घकालिक रक्षा संबंध:**
  - यह दोनों देशों के बीच हस्ताक्षरित सैन्य तकनीकी सहयोग कार्यक्रम समझौते (Agreement on the Programme for Military Technical Cooperation) द्वारा निर्देशित है। रूस वर्तमान में भारत के कुल हथियार आयात में लगभग 47% हिस्सेदारी रखता है।
    - हालाँकि, ऐतिहासिक रूप से भारत द्वारा आयातित हथियारों में उसकी हिस्सेदारी 65% तक रही थी।

नोट :

- भारत की थल सेना में T-72 एवं T-90 जैसे रूसी टैंकों और इसके ज़मीनी हमलावर विमान बेड़े में MiG-21, Su-30 और MiG-29 विमानों के विभिन्न वेरिएंट महत्त्वपूर्ण भूमिका रखते हैं।
- भारत का ब्रह्मोस मिसाइल रूस के साथ संयुक्त रूप से विकसित किया गया है।
- अक्टूबर 2018 में भारत ने S-400 ट्रायम्फ मिसाइल प्रणाली के लिये रूस के साथ 5.43 बिलियन अमेरिकी डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किये।
- भारत की आधी से अधिक पारंपरिक पनडुब्बियाँ सोवियत डिज़ाइन की हैं।

Indian Arms Imports by Country, 1992–2021

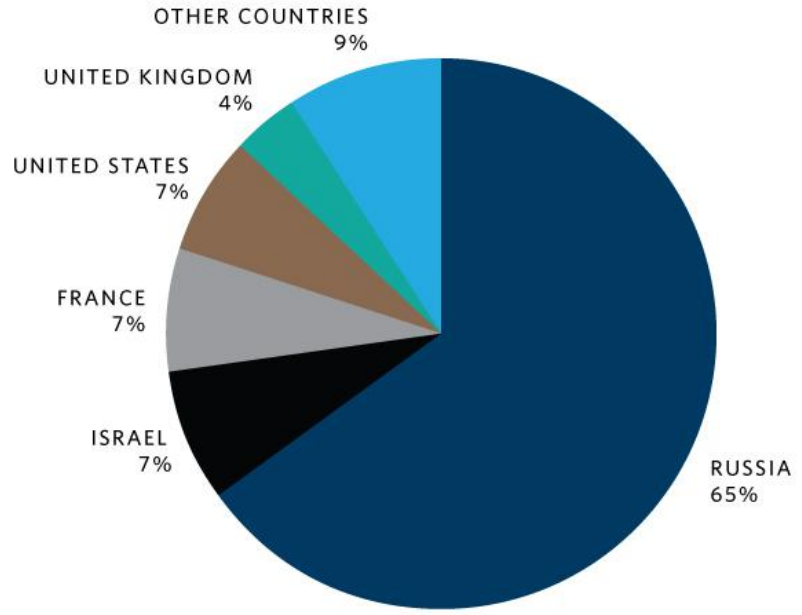

भारत-रूस संबंधों में विद्यमान प्रमुख मुद्दे कौन-से हैं?

- **रूस के लिये रणनीतिक चौराहा:**
  - चीन के साथ रूस के घनिष्ठ संबंध:
    - रूस के लिये, चीन के साथ उसकी लंबी सीमा-रेखा और पश्चिम के साथ प्रतिकूल संबंधों के कारण, दो मोर्चों पर टकराव से बचना एक महत्त्वपूर्ण अनिवार्यता है।
    - चूँकि रूस और चीन अपने सैन्य सहयोग को बढ़ा रहे हैं, संयुक्त आर्थिक पहलों में संलग्न हो रहे हैं तथा विभिन्न राजनयिक मोर्चों पर एकजुट हो रहे हैं, यह एक भू-राजनीतिक गतिशीलता का परिचय देता है जो भारत के पारंपरिक रणनीतिक विचार पहलुओं को प्रभावित कर सकता है।
  - पाकिस्तान से बढ़ती निकटता:
    - हाल के वर्षों में रूस ने पाकिस्तान के साथ अपने संबंध में सुधार के प्रयास किये हैं। यह बढ़ते अमेरिका-भारत संबंधों की प्रतिक्रिया भी हो सकती है।
- **भारत के लिये कूटनीतिक दुविधा:**
  - संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ सुरक्षा संलग्नता:
    - भारत ने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ सभी चार मूलभूत समझौते (foundational agreements) संपन्न कर लिये हैं। भारत ने अमेरिका से पिछले दो दशकों में 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर के हथियार भी खरीदे हैं

नोट :

- भारत का महान शक्ति समीकरण एक ओर अमेरिका के साथ 'व्यापक वैश्विक रणनीतिक भागीदारी' तो दूसरी ओर रूस के साथ 'विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त भागीदारी' के बीच चयन करने की दुविधा उत्पन्न करता है।

- यूक्रेन संकट:
  - रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण की प्रतिक्रिया में उस पर वैश्विक प्रतिबंध लगाए गए हैं क्योंकि रूस के कृत्यों को व्यापक रूप से एक संप्रभु राष्ट्र की क्षेत्रीय अखंडता के उल्लंघन एवं अंतर्राष्ट्रीय कानून की अवमानना के रूप में देखा गया है।
  - यूक्रेन पर रूसी आक्रमण की निंदा करने से परहेज करने और मॉस्को के साथ ऊर्जा एवं आर्थिक सहयोग का निरंतर विस्तार करने के लिये भारत को पश्चिम में उल्लेखनीय आलोचना का सामना करना पड़ा।

- **घटती आर्थिक संलग्नता:**
  - रक्षा आयात में गिरावट: अपने रक्षा आयात में विविधता लाने की इच्छा के कारण रूस से भारत के ऑर्डर में धीरे-धीरे गिरावट आई है और अन्य आपूर्तिकर्ताओं के साथ रूस के लिये प्रतिस्पर्द्धा बढ़ गई है।
  - बदतर पोस्ट-सेल सेवाएँ: रूस द्वारा प्रदत्त बिक्री बाद की सेवाओं और रखरखाव को लेकर भारत में असंतोष पाया जाता है।

आगे की राह:

- **रक्षा गतिशीलता को संतुलित करना:**
  - रक्षा सहयोग बढ़ाना: रक्षा सहयोग के आधुनिकीकरण और विविधता लाने पर ध्यान देने के साथ रणनीतिक रक्षा साझेदारी जारी रखी जाए।
  - संयुक्त सैन्य उत्पादन: दोनों देश इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि वे अन्य देशों को रूसी मूल के उपकरण एवं सेवाओं के निर्यात के लिये उत्पादन आधार के रूप में भारत का उपयोग करने में किस प्रकार सहयोग कर सकते हैं।
    - उदाहरण के लिये, भारत और रूस ने ब्रह्मोस मिसाइलों के उत्पादन के लिये एक संयुक्त उद्यम का निर्माण किया है।

- **आर्थिक संलग्नता को सुगम बनाना:**
  - आर्थिक संबंधों का विविधिकरण: दोनों देशों को अपने आर्थिक संबंधों में विविधता लाने और इनका विस्तार करने पर ध्यान देना चाहिये। इसमें सहयोग के लिये नए क्षेत्रों की खोज करना, व्यापार की मात्रा बढ़ाना और निवेश को प्रोत्साहित करना शामिल है।
  - व्यापार सुविधा: दोनों देशों को व्यापार बाधाओं को कम करने और व्यापार प्रक्रियाओं को सरल बनाने की दिशा में कार्य करना चाहिये। दोनों देशों के व्यवसायों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिये अनुकूल वातावरण बनाकर आर्थिक सहयोग बेहतर बनाना चाहिये।
  - रुपया-रूबल तंत्र: द्विपक्षीय व्यापार को पश्चिमी प्रतिबंधों के प्रभाव से बचाने के लिये दोनों पक्षों को रुपया-रूबल तंत्र (Rupee-Ruble Mechanism) का सहारा लेने की आवश्यकता है।

- **वैश्विक गतिशीलता को संतुलित करना:**
  - बहुपक्षीय संलग्नता: BRICS और SCO जैसे बहुपक्षीय मंचों पर निकटता से समन्वय किया जाए। वैश्विक मुद्दों पर सहयोग करें, साझा मूल्यों एवं सिद्धांतों की वकालत करें और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर साझा चुनौतियों का समाधान करने के लिये मिलकर कार्य करें।
  - संस्थागत तंत्र: नियमित संवाद और सहयोग के लिये संस्थागत तंत्र को सुदृढ़ किया जाए। इसमें मौजूदा समझौतों की प्रभावशीलता को बढ़ाना और सरकारी अधिकारियों से लेकर व्यापारिक नेताओं तक विभिन्न स्तरों पर संलग्नता के लिये नए मंच का निर्माण करना शामिल है।

- **तकनीकी सहयोग स्थापित करना:**
  - नवाचार और प्रौद्योगिकी सहयोग: कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), अंतरिक्ष अन्वेषण, साइबर सुरक्षा और नवीकरणीय ऊर्जा सहित विभिन्न उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग को बढ़ावा दिया जाए। संयुक्त अनुसंधान और विकास पहलों से दोनों देशों के लिये लाभकारी तकनीकी प्रगति प्राप्त हो सकती है।
  - ऊर्जा सुरक्षा: ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग के अवसरों की तलाश करें, जिसमें तेल एवं गैस अन्वेषण, नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना और ऊर्जा अवसंरचना के विकास में संयुक्त उद्यम स्थापित करना शामिल है। ऊर्जा सुरक्षा चिंताओं को संबोधित करना पारस्परिक रूप से लाभप्रद सिद्ध हो सकता है।

- **सांस्कृतिक संपर्क को बढ़ावा देना:**
  - योग और सांस्कृतिक कूटनीति: सांस्कृतिक कूटनीति को बढ़ावा देने के लिये रूस में योग (Yoga) की लोकप्रियता का लाभ उठाएँ। एक-दूसरे की संस्कृतियों के बारे में समझ को गहरा करने के लिये सांस्कृतिक कार्यक्रमों, भाषा शिक्षा और आदान-प्रदान को बढ़ावा दिया जाए।
  - सार्वजनिक कूटनीति: दोनों देशों के नागरिकों के बीच द्विपक्षीय संबंधों के बारे में जागरूकता और समझ पैदा करने के लिये

नोट :

सार्वजनिक कूटनीति प्रयासों में संलग्न हुआ जाए। सकारात्मक आख्यानों को बढ़ावा देने के लिये मीडिया, सामाजिक मंचों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का उपयोग किया जाए।

निष्कर्ष

वैश्विक बदलावों के बीच भारत-रूस संबंध प्रत्यास्थी बना रहा है जो भरोसे और साझा हितों पर आधारित है। इन गतिशीलताओं के बीच प्रत्यास्थता का संपोषण, खुला संचार और वैश्विक शांति के लिये साझा प्रतिबद्धता को बढ़ावा देना आने वाले वर्षों में भारत-रूस संबंधों की सफलता को निर्धारित करेगा। भारतीय विदेश मंत्री ने उपयुक्त ही कहा है कि "भू-राजनीति और रणनीतिक अभिसरण भारत-रूस संबंधों को सदैव सकारात्मक पथ पर बनाए रखेगा।"

बैंकिंग क्षेत्र: अवसर और चुनौतियाँ

लगभग एक दशक तक 'बैड लोन' (bad loan) की बढ़ती चुनौतियों से जूझने के बाद हाल के समय में भारत की बैंकिंग प्रणाली में उल्लेखनीय पुनरुत्थान नज़र आया है। नीतिनिर्माताओं के ठोस प्रयासों और बैंकों द्वारा उठाये गए सक्रिय क़दमों की बदौलत बैंकिंग क्षेत्र वर्तमान में अधिक सुरक्षित स्थिति में है।

हालाँकि ऐतिहासिक पैटर्न को ध्यान में रखें तो भारतीय बैंकों के लिये सकारात्मक प्रक्षेपवक्र मौद्रिक नीतियों और भू-राजनीतिक जोखिमों जैसी बाहरी अनिश्चितताओं के प्रभाव के प्रति अभी भी संवेदनशील बना हुआ है।

समय के साथ भारतीय बैंकों का विकास किस प्रकार हुआ?

- **पहली पीढ़ी की बैंकिंग (आरंभ से वर्ष 1947 तक):**
  - स्वतंत्रता से पहले की अवधि में स्वदेशी आंदोलन के कारण कई छोटे एवं स्थानीय बैंकों की स्थापना हुई, जिनमें से अधिकांश को मुख्य रूप से आंतरिक धोखाधड़ी, परस्पर-संबद्ध उधारी और व्यापार एवं बैंकिंग गतिविधियों के एकीकरण के कारण विफलता का सामना करना पड़ा।
- **दूसरी पीढ़ी की बैंकिंग (1947-1967):**
  - भारतीय बैंकों ने संसाधनों के समेकन को सक्षम किया, जो सीमित संख्या में व्यावसायिक परिवारों या समूहों के लिये खुदरा जमा के माध्यम से जुटाए गए और जिसके परिणामस्वरूप कृषि क्षेत्र की ओर ऋण के प्रवाह की अनदेखी हुई।
- **तीसरी पीढ़ी की बैंकिंग (1967-1991):**
  - सरकार ने दो चरणों (वर्ष 1969 और वर्ष 1980) में 20 प्रमुख निजी बैंकों के राष्ट्रीयकरण और वर्ष 1972 में प्राथमिकता क्षेत्रक ऋण की शुरुआत कर उद्योग एवं बैंकों के बीच के संबंध को सफलतापूर्वक भंग कर दिया।
  - इन उपायों से 'क्लास बैंकिंग' से 'मास बैंकिंग' की ओर संक्रमण की राह खुली और ग्रामीण भारत में शाखा नेटवर्क के व्यापक विस्तार, सार्वजनिक जमा की पर्याप्त गतिशीलता और कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में ऋण प्रवाह की वृद्धि पर अनुकूल प्रभाव पड़ा।
- **चौथी पीढ़ी की बैंकिंग (वर्ष 1991-2014):**
  - इस अवधि के दौरान प्रतिस्पर्द्धा शुरू करने, उत्पादकता में सुधार लाने और दक्षता बढ़ाने के लिये निजी एवं विदेशी बैंकों को नए लाइसेंस जारी करने सहित कई महत्त्वपूर्ण सुधार लागू किये गए।
  - इन परिवर्तनों में प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना, विवेकपूर्ण मानदंडों को लागू करना, कार्यात्मक स्वायत्तता के साथ परिचालनात्मक लचीलेपन की पेशकश करना, सर्वोत्तम कॉर्पोरेट प्रशासन अभ्यासों के कार्यान्वयन को प्राथमिकता देना और बेसल मानदंडों (Basel norms) के अनुसार पूंजी आधार को सुदृढ़ करना शामिल रहा।
- **वर्तमान मॉडल:**
  - वर्ष 2014 के बाद से बैंकिंग क्षेत्र ने JAM ट्रिनिटी (जन-धन, आधार और मोबाइल) को अपनाया है और वित्तीय समावेशन की खोज में अंतिम-मील कनेक्टिविटी प्राप्त करने के लिये भुगतान बैंकों (Payments Banks) एवं लघु वित्त बैंकों (SFB) को लाइसेंस प्रदान किया है।

भारतीय बैंकिंग व्यवस्था की वर्तमान स्थिति क्या है?

- **पृष्ठभूमि:**
  - निकट अतीत में भारतीय ऋणदाताओं को 'बैड लोन' की गंभीर स्थिति का सामना करना पड़ा था, जिसके कारण तनावग्रस्त परिसंपत्तियों (stressed assets) में वृद्धि हुई थी। इससे सरकारी स्वामित्व वाले बैंक विशेष रूप से प्रभावित हुए, जिनका सकल NPAs 14.6% तक पहुँच गया था।
  - इन चुनौतियों का मुक़ाबला करने के लिये सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक ने 4R रणनीति लागू की: NPAs को पारदर्शी रूप से चिह्नित करना (Recognize NPAs transparently), समाधान एवं वसूली (Resolution and recovery), सार्वजनिक बैंकों का पुनर्पूंजीकरण (Recapitalization of PSBs) और वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार (Reforms in the financial ecosystem)।

नोट :

- लगभग एक दशक तक सरकार की कमज़ोर हालत और बैड लोन के मुद्दों से जूझने के बाद, भारतीय बैंकिंग प्रणाली ने वर्ष 2023 में एक उल्लेखनीय बदलाव का अनुभव किया है।

- **लाभप्रदता और परिसंपत्ति गुणवत्ता में सुधार:**
  - वित्त वर्ष 2013 में भारत में बैंकों का सकल NPA अनुपात गिरकर 4.41% हो गया जो मार्च 2015 के बाद से निम्नतम स्तर है। संचयी रूप से, PSBs ने लाभ में 1 लाख करोड़ रुपए का आँकड़ा पार कर लिया।
  - RBI की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के अनुसार पूंजी-जोखिम-भारित संपत्ति अनुपात (CRAR) 16.8% के सुदृढ़ स्तर पर है, जो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिये एक मज़बूत वित्तीय स्थिति का संकेत देता है।
  - यह भारतीय बैंकों के अच्छे वित्तीय स्वास्थ्य को रेखांकित करता है, जो संभावित जोखिमों को अवशोषित करने और वित्तीय प्रणाली में स्थिरता बनाए रखने की उनकी क्षमता को सकारात्मक रूप से प्रतिबिंबित करता है।
- **नीति सुधार और वित्तीय अनुशासन:**
  - पिछले आठ वर्षों में शुरू किये गए विभिन्न सुधार उपाय ऋण अनुशासन, उत्तरदायी उधारी या ऋणदेयता, बेहतर प्रशासन और प्रौद्योगिकी को अपनाने पर केंद्रित हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का आपसी विलय भी NPA को कम करने में सहायक रहा।
- **मज़बूत वित्तीय संकेतक:**
  - बैंक मज़बूत तरलता स्तर प्रदर्शित कर रहे हैं, जिसे ऋण देने के लिये उपलब्ध निधियों के आधार पर मापा जाता है। RBI द्वारा हाल में 'withdrawal of accommodation' का मौद्रिक रुख अपनाये जाने के बावजूद भारतीय बैंकों ने न्यूनतम आवश्यकता से कम से कम 20% अधिक तरलता कवरेज अनुपात बनाए रखा है।
  - इसके अतिरिक्त, SBI, PNB और यूनियन बैंक सहित विभिन्न प्रमुख बैंकों ने 72% से कम क्रेडिट-डिपॉजिट अनुपात (Credit-Deposit ratios) के साथ 'higher for longer' ऋणदेयता की क्षमता प्रदर्शित की है।

भारतीय बैंकिंग क्षेत्र के लिये आगे कौन-सी बाधाएँ मौजूद हैं?

- **अवसंरचना और पूंजी निवेश जोखिम:**
  - आगामी अवसंरचना और पूंजी निवेश के लिये बैंक ऋण, विशेष रूप से राज्य सरकार के निकायों से जुड़े ऋण, राज्य के वित्त में खिंचाव के कारण 'डिफ़ॉल्ट' का जोखिम पैदा करते हैं।
  - बैंकों को सलाह दी जाती है कि वे अलग-अलग राज्यों के राजकोषीय/वित्तीय आकलन के आधार पर आंतरिक एक्सपोज़र सीमाएँ (internal exposure limits) निर्धारित करें।
- **शेयर बाज़ार और खुदरा एक्सपोज़र जोखिम:**
  - तेज़ी से बदलता शेयर बाज़ार, जो धन सृजन का भ्रम पैदा करता है, खुदरा एक्सपोज़र (retail exposures) के लिये जोखिम प्रस्तुत करता है। सभी क्षेत्रों में बढ़े हुए 'डीमैट' खाते और उच्च PE अनुपात इस जोखिम के संकेतक हैं।
  - इस उभरते जोखिम से निपटने के लिये खुदरा पोर्टफोलियो पर एकीकृत पर्यवेक्षण और कठोर तनाव परीक्षणों (stress tests) की अनुशंसा की जाती है।
- **परस्पर-संबद्ध ऋण और शासन संबंधी चुनौतियाँ:**
  - परस्पर-संबद्ध ऋण (Interconnected Lending) और ढीले शासन मानदंडों के कारण डिफ़ॉल्ट के संक्रामक हो जाने की संभावना एक प्रमुख चुनौती है।
  - केंद्रित जोखिम निगरानी आवश्यक है, इस बात पर बल देते हुए कि विनियमन सुशासन का स्थान नहीं ले सकता।
- **पुन:वैश्वीकृत विश्व में SMEs की चुनौतियाँ:**
  - दुनिया का पुन:वैश्वीकरण (re-globalization) और भू-राजनीतिक बदलाव लघु एवं मध्यम उद्यमों (SMEs) को विशेष रूप से मुक्त व्यापार समझौतों (FTAs) और क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं के परिदृश्य में चुनौती दे सकते हैं।
  - नकदी प्रवाह में संभावित व्यवधानों को ध्यान में रखते हुए, बैंकों को SMEs के लिये संभावित जोखिमों का सावधानीपूर्वक आकलन करने और इस दिशा में तैयारी करने की आवश्यकता है।
- **देनदारियों का बदलता परिदृश्य:**
  - डिजिटलीकरण और उभरती उपभोग प्रवृत्तियों के साथ देनदारियों (liabilities) का चरित्र बदल रहा है, जिसका असर खुदरा जमा पर पड़ रहा है। उच्च क्रेडिट-डिपॉजिट अनुपात रखने वाले बैंकों को तरलता कवरेज में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।
  - भारतीय बचत में संरचनात्मक बदलाव के लिये बैंकरों की ओर से सतर्कता एवं विवेक की आवश्यकता है, जहाँ अनुकूल परिस्थितियों के बीच सावधानीपूर्वक निगरानी आवश्यक है।

नोट :

आगे बढ़ते भारतीय बैंकिंग क्षेत्र को किस प्रकार सुदृढ़ किया जा सकता है?

- **बड़े बैंकों का निर्माण:**
  - नरसिंहम समिति रिपोर्ट (1991) ने भारत के लिये विदेशी बैंकों के अलावा घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति रखने वाले तीन-चार प्रमुख वाणिज्यिक बैंकों के होने के महत्त्व को रेखांकित किया।
    - दूसरे स्तर में अर्थव्यवस्था में व्यापक उपस्थिति वाले विशिष्ट संस्थानों सहित कई मध्यम आकार के बैंक शामिल हो सकते हैं।
  - इन सुझावों के अनुरूप, सरकार ने पहले ही कुछ PSBs को समेकित कर दिया है और विकास वित्त संस्थान (DFI) एवं 'बैड बैंक' (Bad Bank) जैसी संस्थाओं की स्थापना के लिये उपाय किये हैं।
- **विभेदित बैंकों के लिये आवश्यकताएँ:**
  - जबकि सार्वभौमिक बैंकिंग दृष्टिकोण को आमतौर पर पसंद किया गया है, विविध ग्राहकों और उधारकर्ताओं की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये अलग-अलग बैंकिंग संस्थाओं की मांग मौजूद है।
    - ये विशिष्ट बैंक खुदरा, कृषि और MSMEs जैसे विशिष्ट क्षेत्रों में वित्तीय पहुँच की सुविधा प्रदान करेंगे।
  - इसके अतिरिक्त, प्रस्तावित DFIs या विशिष्ट बैंकों (niche banks) को विशेष संस्थाओं के रूप में स्थापित करने से उन्हें निम्न लागत वाली सार्वजनिक जमा तक पहुँच मिलेगी और बेहतर परिसंपत्ति-देयता प्रबंधन सक्षम होगा।
- **ब्लॉकचेन बैंकिंग:**
  - इसकी मदद से उन्नत जोखिम प्रबंधन हासिल किया जा सकता है और नियो-बैंक (neo-banks) के पास डिजिटल वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाने और महत्वाकांक्षी एवं उभरते भारत की बढ़ती वृद्धि का समर्थन करने के लिये इस तकनीक का उपयोग करने का अवसर है।
  - भारतीय बैंकिंग के क्षेत्र में ब्लॉकचेन जैसी प्रौद्योगिकियों के कार्यान्वयन में विवेकपूर्ण पर्यवेक्षण को सुगम बनाने और बैंकों पर निगरानी एवं नियंत्रण को अधिक सुव्यवस्थित बनाने की क्षमता है।
- **नैतिक खतरे को संबोधित करना:**
  - अभी तक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के विफल होने की घटनाएँ कम होती रही हैं, मुख्य रूप से इनमें निहित संप्रभु गारंटी के कारण, जिससे आम लोगों में वृहत भरोसा पैदा होता है। लेकिन PSBs के निजीकरण की जारी प्रकिया इस आश्वासन को चुनौती देती है।
  - बैंकिंग सुधारों की आगामी लहर में व्यक्तिगत जमा बीमा में वृद्धि और कुशल व्यवस्थित समाधान तंत्र की आवश्यकता पर बल दिया जाना चाहिये। इसका उद्देश्य नैतिक खतरे एवं प्रणालीगत जोखिमों को कम करना और सार्वजनिक खजाने पर वित्तीय बोझ को कम करना होना चाहिये।
- **ESG एकीकरण:**
  - विशिष्ट बैंकों के लिये एक प्रतिष्ठित स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध होना और ESG (पर्यावरण, सामाजिक उत्तरदायित्व और शासन) ढाँचे को अपनाना लाभप्रद सिद्ध हो सकता है। इस दृष्टिकोण का लक्ष्य दीर्घावधि में हितधारकों के लिये मूल्य को संवृद्ध करना है।
- **बैंकिंग संस्थानों को उन्नत बनाना:**
  - भेद्यताओं को दूर करने के लिये, सरकार को विनियामक उपायों को परिष्कृत करना चाहिये, बैंकों को विविध ऋण पोर्टफोलियो विकसित कर सकने में सक्षम बनाना चाहिये, विशिष्ट क्षेत्रों के लिये नियामकों की स्थापना करनी चाहिये और जानबूझकर किये गए डिफ़ॉल्ट से प्रभावी ढंग से निपटने के लिये अधिक अधिकार प्रदान करना चाहिये।
- **कॉर्पोरेट बॉण्ड बाज़ार विकास को सुगम बनाना:**
  - एक गतिशील वास्तविक अर्थव्यवस्था में एक उत्तरदायी बैंकिंग प्रणाली स्थापित करने के लिये कॉर्पोरेट बॉण्ड बाज़ार के विकास को बढ़ावा देने की आवश्यकता है, ताकि बैंक-केंद्रित आर्थिक मॉडल से परे आगे बढ़ा जा सके।
- **जोखिम प्रबंधन मॉडल को उन्नत बनाना:**
  - राज्य सरकार के निकायों और अवसंरचना परियोजनाओं को ऋण देने से जुड़े संभावित जोखिमों का आकलन करने के लिये राज्य विशेष के अनुरूप आंतरिक जोखिम मॉडल (बैंक एक्सपोज़र जोखिम सूचकांक के समान) का विकास एवं कार्यान्वयन करें।
- **देनदारियों में परिवर्तन को संबोधित करना:**
  - डिजिटलीकरण और उभरते उपभोग रुझानों से प्रभावित देनदारियों की बदलती प्रकृति को चिह्नित करें। खुदरा जमा में बदलाव के अनुकूल रणनीति विकसित करें (विशेष रूप से टियर 1 और 2 केंद्रों में)।

नोट :

निष्कर्ष:

बैंकिंग क्षेत्र की वर्तमान सफलता का भले ही हम जश्न मनाएँ, लेकिन जिस समय में हम रह रहे हैं उसकी जटिलताओं एवं अनिश्चितताओं से निपटने के लिये सक्रिय एवं सतर्क रुख अपनाना भी अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।

राज्य की वित्तीय चुनौतियों के समाधान में वित्त आयोग की भूमिका

राज्यों को केंद्रीय करों के हस्तांतरण और अनुदानों के संबंध में अनुशंसाएँ करने के लिये 16वें वित्त आयोग (Finance Commission- FC) का गठन किया जा रहा है। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा हाल ही में प्रकाशित "राज्य वित्त: बजट का एक अध्ययन" (State Finances: A study of Budgets) शीर्षक रिपोर्ट ने उन मुद्दों को रेखांकित किया है जिन पर वित्त आयोग से निश्चित रूप से ध्यान देने के लिये कहा जाएगा, जैसे कि राज्यों की वित्तीय स्थिति पर विचार किये बिना राज्यों का पूर्ववर्ती पेंशन योजना (Old Pension Scheme- OPS) की ओर वापस लौटना या चुनावों के समय वादा की गई गारंटी या फ्रीबीज़ की पूर्ति के लिये असंवहनीय सब्सिडी प्रदान करना।

वित्त आयोग का गठन:

- वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है जिसका गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है।
- इसमें एक अध्यक्ष और चार अन्य सदस्य शामिल होते हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
- आयोग केंद्र और राज्यों के बीच कर राजस्व के वितरण के साथ-साथ राज्यों की सहायता अनुदान से संबंधित विभिन्न मामलों पर राष्ट्रपति को अनुशंसाएँ प्रस्तुत करने के लिये उत्तरदायी है।
- आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक पाँच वर्ष पर या उससे पूर्वतर समय पर, जैसा वह आवश्यक समझे, किया जाता है।

भारत में लोकलुभावनवाद (Populism) पर अंकुश लगाने की आवश्यकता क्यों है?

- **राजकोषीय असंतुलन:**
  - बढ़ता ऋण: वर्ष 2014 से 2022 के बीच भारतीय राज्यों का औसत ऋण-जीडीपी अनुपात (debt-to-GDP ratio) 22.2% से बढ़कर 34.5% हो गया, जहाँ आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे लोकलुभावनवादी राज्यों में इसके स्तर में तेज़ वृद्धि देखी गई।
  - उच्च घाटा: राज्यों का संयुक्त राजकोषीय घाटा वर्ष 2021-22 में सकल घरेलू उत्पाद के 4.1% तक पहुँच गया, जो मुफ्त बिजली, ऋण माफी और सामाजिक कल्याण योजनाओं पर लोकलुभावन व्यय से प्रेरित रहा।
  - राजस्व में कमी: कर राजस्व का लोकलुभावन खर्चों के साथ तालमेल नहीं रह सका जहाँ कई राज्य अंतराल को भरने के लिये केंद्र सरकार के 'बेलआउट' या उससे उधार लेने पर अत्यधिक निर्भर हुए।
- **आर्थिक विकृतियाँ:**
  - निवेश में गिरावट: भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) प्रवाह में वर्ष 2022 में 10% की गिरावट आई, जिसे कुछ विश्लेषकों द्वारा मूल्य नियंत्रण एवं संरक्षणवादी उपायों जैसी लोकलुभावन नीतियों द्वारा उत्पन्न अनिश्चितता का परिणाम बताया गया।
  - रोज़गार वृद्धि में गतिहीनता: सरकारी व्यय में वृद्धि के बावजूद भारत की बेरोज़गारी दर वर्ष 2023 में 7% से ऊपर रही, जो दर्शाता है कि लोकलुभावन नीतियों से कोई उल्लेखनीय रोज़गार सृजन नहीं हुआ।
  - बाज़ार की अक्षमता: कृषि जैसे क्षेत्रों में मूल्य नियंत्रण उत्पादन को हतोत्साहित करता है और कमी उत्पन्न करता है, जो फिर आपूर्ति शृंखलाओं को बाधित करता है और उपभोक्ता कल्याण को प्रभावित करता है।
- **शासन का क्षरण:**
  - भ्रष्टाचार में वृद्धि: 'ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल' के भ्रष्टाचार बोध सूचकांक (Corruption Perception Index) में भारत की रैंकिंग वर्ष 2014 में 80 से गिरकर वर्ष 2022 में 85 हो गई, जो संस्थागत नियंत्रण एवं संतुलन को कमज़ोर करने वाले लोकलुभावनवादी शब्दाडंबर की वृद्धि से संगत है।
  - घटती पारदर्शिता: पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स—जो सरकारी निर्णयन में पारदर्शिता की माप करता है, ने प्रबल लोकलुभावनवादी नेताओं वाले कई राज्यों में पारदर्शिता में गिरावट का रुझान दिखाया है।

राज्यों द्वारा अपनाई गई वे कौन-सी कुछ प्रमुख लोकलुभावन नीतियाँ हैं जिन्होंने इससे जुड़े बहस को बढ़ा दिया है?

- **पुरानी पेंशन योजना (OPS) की ओर वापसी:**
  - कुछ राज्य वर्ष 2004 में शुरू की गई नई पेंशन योजना (NPS) को त्यागकर OPS की ओर वापस लौट गए हैं।

नोट :

- OPS में कर्मचारियों के पेंशन के प्रति अनिश्चितकालीन देनदारियाँ होती हैं, जो NPS के विपरीत है जहाँ देनदारी कर्मचारियों के सेवा काल तक सीमित होती है।

- RBI के एक आंतरिक अध्ययन से पता चलता है कि OPS के परिणामस्वरूप NPS की तुलना में 4.5 गुना अधिक देनदारी होगी, जिससे वर्ष 2060 तक सकल घरेलू उत्पाद पर 0.9% का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।
  - इस कदम को प्रतिगामी, विकास के लिये बाधाकारी और भावी पीढ़ियों के हितों के लिये समझौताकारी माना जा रहा है।

- **राज्यों का बढ़ता राजकोषीय घाटा:**
  - कई राज्यों में मुफ्त बिजली जैसे लोकलुभावन उपायों के लिये प्रदत्त सब्सिडी के कारण घाटे की स्थिति बनी है।
  - सब्सिडी पर राज्यों का औसत व्यय उनके सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) का 0.87% है, जबकि कुछ राज्य इससे कहीं अधिक व्यय कर रहे हैं (उदाहरण के लिये पंजाब 2.35%, राजस्थान 1.92%)।

वित्त आयोग लोकलुभावनवाद पर अंकुश लगाने में कैसे मदद कर सकता है?

- **प्रदर्शन-आधारित प्रोत्साहन:** 15वें वित्त आयोग द्वारा मापन-योग्य प्रदर्शन-आधारित प्रोत्साहन का प्रस्ताव सही दिशा में उठाया गया कदम है। वित्त आयोग बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा एवं कृषि संकेतकों जैसे विशिष्ट परिणामों के साथ राज्यों के वित्तीय हस्तांतरण को जोड़कर उत्तरदायी शासन को प्रोत्साहित करता है और ऐसे लोकलुभावनवादी उपायों को हतोत्साहित करता है जो संभव है कि दीर्घकालिक विकास में अधिक योगदान नहीं कर सकें।
  - संविधान के अनुच्छेद 280(3) के तहत, राज्यों को करों के हस्तांतरण और सहायता अनुदान की अनुशंसा करने के अलावा, केंद्र द्वारा वित्त आयोग को "सुदृढ़ वित्त के हित में" किसी अन्य मुद्दे पर विचार करने के लिये कहा जा सकता है।
- **लोकलुभावन उपायों के लिये उद्देश्य मानदंड:** जबकि योजनाओं का वर्गीकरण लोकलुभावनवादी एवं गैर-लोकलुभावनवादी के रूप में करना चुनौतीपूर्ण सिद्ध हो सकता है, वित्त आयोग उद्देश्य मानदंड विकसित करने के संबंध में कार्य कर सकता है जो विभिन्न राज्यों की विविध विकासात्मक आवश्यकताओं को ध्यान में रखता हो।
  - इसके लिये लोकलुभावनवादी व्यय पर एक आम सहमति के निर्माण के लिये केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग की आवश्यकता होगी।
- **राजकोषीय दक्षता संबंधी मापदंड:** वित्त आयोग हस्तांतरण के लिये अपने मानदंडों में राजकोषीय दक्षता को अधिक महत्त्व दे सकता है। आयोग राजकोषीय समेकन पर बल देकर और राज्यों के टैक्स एफर्ट (tax effort) को मापकर उतरदायी वित्तीय प्रबंधन को प्रोत्साहित कर सकता है। यह अपनी राजकोषीय क्षमता पर विचार किये बिना लोकलुभावनवाद का सहारा लेने वाले राज्यों के लिये एक निवारक के रूप में कार्य कर सकता है।
  - 15वें वित्त आयोग ने टैक्स एफर्ट (Own Tax to GSDP ratio) द्वारा मापी गई राजकोषीय दक्षता को केवल 2.5% महत्त्व दिया था। 16वें वित्त आयोग द्वारा इसकी समीक्षा की जा सकती है।
- **सार्वजनिक जागरूकता:** वित्त आयोग लोकलुभावनवादी उपायों के परिणामों के बारे में सार्वजनिक जागरूकता पैदा करने में भूमिका निभा सकता है। वित्त आयोग मुफ्त उपहार या फ्रीबीज़ से वित्त पर पड़ने वाले तनाव और आर्थिक विकास पर दीर्घकालिक प्रभाव को उजागर करने के माध्यम से सूचना-संपन्न सार्वजनिक चर्चा में योगदान दे सकता है जहाँ राजनीतिक दलों पर उत्तरदायी राजकोषीय नीतियों को अपनाने का एक दबाव बना रहेगा।
- **भविष्य के निहितार्थों पर तनाव:** वित्त आयोग लोकलुभावन उपायों के दीर्घकालिक परिणामों की ओर ध्यान आकर्षित कर सकता है, जैसे कि बढ़ते राज्य ऋण और भविष्य की पीढ़ियों की ओर स्थानांतरित हो रहा बोझ।
  - इसमें ऐसे उपायों की सिफ़ारिश करना शामिल हो सकता है जो राज्यों को उनकी क्षमता से अधिक उधार लेने से रोकते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि वित्तीय निर्णय सतत विकास लक्ष्यों के साथ संरेखित हों।
- **आम सहमति बनाना:** जबकि लोकलुभावन व्यय को नियंत्रित करने के संबंध में केंद्र और राज्यों के बीच आम सहमति का निर्माण करना चुनौतीपूर्ण सिद्ध हो सकता है, वित्त आयोग आपसी संवाद को बढ़ावा देने में मध्यस्थ एवं सहायक के रूप में कार्य कर सकता है।
  - वित्त आयोग सहकारी संघवाद (cooperative federalism) को बढ़ावा देकर और राजकोषीय मामलों पर खुली चर्चा को प्रोत्साहित कर वित्तीय प्रशासन के लिये अधिक सहयोगात्मक दृष्टिकोण में योगदान दे सकता है।
- **नियमित समीक्षा और अनुशंसाएँ:** वित्त आयोग राज्यों के वित्तीय स्वास्थ्य की नियमित रूप से समीक्षा कर सकता है और उभरते आर्थिक परिदृश्य के आधार पर आवधिक अनुशंसाएँ कर सकता है। यह उभरती चुनौतियों (जैस कोविड-19 महामारी जैसे बाह्य कारकों के प्रभाव) से निपटने में लचीलेपन की अनुमति देगा।

नोट :

निष्कर्ष:

किसी राज्य का लोकलुभावनवाद उसके अपने करदाताओं द्वारा वित्तपोषित होना चाहिये, दूसरों द्वारा नहीं। RBI का सुझाव है कि राजकोषीय हस्तांतरण को सुधारों और राजकोषीय उत्तरदायित्व से जोड़ा जाना चाहिये। यदि कोई राज्य लोकलुभावनवाद की राह चुनता है और बिना वित्तपोषण के उधार लेता है तो उसे इसके परिणाम भी भुगतने चाहिये।

सुर्खियों में राज्यपाल: भारत में सुधार का आह्वान

राज्यपाल (Governor) का पद हमारी राजनीतिक व्यवस्था में उल्लेखनीय महत्त्व रखता है, जो केंद्र और राज्यों के बीच एक महत्त्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करता है। इसे हमारे लोकतांत्रिक शासन का एक महत्त्वपूर्ण तत्व माना जाता है जो सहयोग पर बल देने की भावना को प्रदर्शित करता है। हालाँकि, विभिन्न राज्यों में राज्यपालों की भूमिका, शक्तियाँ और विवेकाधीन अधिकार लंबे समय से राजनीतिक, संवैधानिक एवं विधिक क्षेत्रों में गहन बहस का विषय रहे हैं। विधेयकों को अनुमति देने आदि विषयों में केरल के राज्यपाल और राज्य सरकार के बीच हाल के विवाद ने वृहत रूप से इस ओर ध्यान आकर्षित किया है।

राज्यपाल का पद कैसे अस्तित्व में आया?

- **स्वतंत्रता से पहले:**
  - वर्ष 1858 में भारत का प्रशासन 'ब्रिटिश क्राउन' के अधीन आने के साथ 'गवर्नर' का पद अस्तित्व में आया। प्रांतीय गवर्नर क्राउन के एजेंट थे, जो गवर्नर-जनरल के अधीक्षण में कार्य करते थे।
  - भारत सरकार अधिनियम, 1935 के माध्यम से निर्दिष्ट किया गया कि गवर्नर प्रांत की विधायिका के मंत्रियों की सलाह के अनुसार कार्य करेगा, लेकिन उसके पास विशेष उत्तरदायित्व और विवेकाधीन शक्ति अब भी बनी रही।
- **स्वतंत्रता के बाद:**
  - गवर्नर के पद पर संविधान सभा में व्यापक बहस हुई, जहाँ निर्णय लिया गया कि ब्रिटिश काल में उसकी तय भूमिका को पुनःउन्मुख करते हुए इसे बनाए रखा जाए।
  - वर्तमान में, भारत द्वारा अपनाई गई शासन की संसदीय और मंत्रिमंडलीय प्रणाली के तहत गवर्नर (जहाँ हिंदी में अब 'राज्यपाल' शब्द का प्रयोग किया जाता है) को किसी राज्य के संवैधानिक प्रमुख (Constitutional Head) के रूप में परिकल्पित किया गया है।

राज्यपाल से संबंधित संवैधानिक प्रावधान कौन-से हैं?

- अनुच्छेद 153 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिये एक राज्यपाल होगा। किसी व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है।
  - अनुच्छेद 155 एवं 156 के अनुसार राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर एवं मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा और वह राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करेगा।
- अनुच्छेद 161 में क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति का उल्लेख किया गया है।
  - सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि किसी बंदी को क्षमा करने की राज्यपाल की संप्रभु शक्ति का प्रयोग वास्तव में राज्य सरकार की सहमति से किया जाता है, न कि राज्यपाल द्वारा अपनी इच्छा से।
  - वह राज्य सरकार की सलाह मानने के लिए बाध्य है।
- अनुच्छेद 163 में कहा गया है कि जहाँ राज्यपाल से यह अपेक्षित है कि वह विवेकानुसार कार्य करे, उन विषयों को छोड़कर राज्यपाल को अपने कृत्यों का प्रयोग करने में सहायता एवं सलाह देने के लिये एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा।
  - राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियाँ (Discretionary powers) निम्नलिखित परिस्थितियों में प्रभावी होती हैं:
    - राज्य विधानसभा में किसी भी दल के पास स्पष्ट बहुमत न होने की स्थिति में मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना
    - अविश्वास प्रस्तावों के दौरान
    - राज्य में संवैधानिक मशीनरी की विफलता के मामले में (अनुच्छेद 356)
- विधेयकों को पारित करने के संबंध में राज्यपाल की शक्तियाँ संविधान के अनुच्छेद 200 और अनुच्छेद 201 द्वारा परिभाषित हैं। इन अनुच्छेदों के अनुसार, जब राज्य विधानमंडल द्वारा राज्यपाल के समक्ष कोई विधेयक प्रस्तुत किया जाता है तो उसके पास निम्नलिखित विकल्प होते हैं:
  - वह विधेयक पर अनुमति दे सकता है, जिसका अर्थ है कि विधेयक एक अधिनियम बन जाता है।
  - वह विधेयक पर अपनी सहमति रोक सकता है, जिसका अर्थ है कि विधेयक अस्वीकृत कर दिया गया है।
  - वह विधेयक (यदि यह धन विधेयक नहीं है) को विधेयक या उसके कुछ प्रावधानों पर पुनर्विचार के अनुरोध वाले संदेश के साथ राज्य विधायिका को वापस कर सकता है।

नोट :

- यदि विधेयक को राज्य विधानमंडल द्वारा संशोधनों के साथ या बिना संशोधनों के दोबारा पारित किया जाता है तो राज्यपाल इस पर अपनी अनुमति नहीं रोक सकता।
- वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिये आरक्षित कर सकता है, जो या तो विधेयक पर अनुमति दे सकता है या अनुमति रोक सकता है, या राज्यपाल को विधेयक को पुनर्विचार के लिये राज्य विधानमंडल को वापस करने का निर्देश दे सकता है।

- अनुच्छेद 361 में कहा गया है कि किसी राज्य का राज्यपाल अपनी शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्यों के पालन के लिये किसी न्यायालय को उत्तरदायी नहीं होगा।

भारत में राज्यपाल के पद से संबंधित प्रमुख मुद्दे कौन-से हैं?

- **संबद्धता आधारित नियुक्ति:** कई मामलों में देखा गया है कि सत्तारूढ़ दल से संबद्ध राजनेताओं और पूर्व नौकरशाहों को राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है।
  - इससे पद की निष्पक्षता और गैर-पक्षपातपूर्णता पर सवाल उठने लगे हैं। इसके साथ ही, राज्यपाल की नियुक्ति से पहले मुख्यमंत्री से परामर्श करने की परंपरा की भी प्राय: अनदेखी की जाती है।
- **केंद्र के प्रतिनिधि से केंद्र के एजेंट की ओर:** आजकल आलोचकों द्वारा राज्यपालों की 'केंद्र के एजेंट' होने के रूप में आलोचना की जाती है।
  - वर्ष 2001 में 'राष्ट्रीय संविधान कार्यकरण समीक्षा आयोग' ने माना कि राज्यपाल अपनी नियुक्ति और पद पर बने रहने के लिये केंद्र के प्रति आभारी बना रहता है। इससे आशंकाएँ उत्पन्न होती हैं कि वह केंद्रीय मंत्रिपरिषद द्वारा दिए गए निर्देशों का ही पालन करेगा।
    - यह संवैधानिक रूप से निर्दिष्ट तटस्थता के विरुद्ध है और इसके परिणामस्वरूप पक्षपात की स्थिति बनती है।
- **विवेकाधीन शक्तियों का दुरुपयोग:** कई मामलों में राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों का दुरुपयोग किया गया है।
  - उदाहरण के लिये, आलोचक आरोप लगाते हैं कि राष्ट्रपति शासन के लिये राज्यपाल की अनुशंसा हमेशा 'वस्तुनिष्ठ सामग्री' (objective material) पर आधारित नहीं होती है, बल्कि राजनीतिक सनक या कल्पना पर आधारित होती है।
- **राज्यपालों को हटाना:** राज्यपालों को पद से हटाने के किसी लिखित आधार या प्रक्रिया के अभाव में कई बार राज्यपालों को मनमाने ढंग से हटाया गया।
- **संवैधानिक एवं सांविधिक भूमिका के बीच कोई स्पष्ट अंतर नहीं:** मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करने का संवैधानिक निदेश कुलाधिपति या 'चांसलर' के रूप में उसके सांविधिक प्राधिकार से स्पष्ट रूप से अलग नहीं है, जिसके परिणामस्वरूप राज्यपाल और राज्य सरकार के बीच विभिन्न संघर्ष उत्पन्न होते हैं।
  - उदाहरण के लिये, हाल ही में केरल के राज्यपाल द्वारा सरकारी नामांकन को दरकिनार करते हुए एक विश्वविद्यालय में कुलपति की नियुक्ति की गई।
- **संवैधानिक खामियाँ:** संविधान में मुख्यमंत्री की नियुक्ति या विधानसभा को भंग करने की स्थिति में राज्यपाल की शक्तियों के प्रयोग के लिये कोई दिशानिर्देश मौजूद नहीं हैं।
  - इसके साथ ही, इस बात की भी कोई सीमा निर्धारित नहीं है कि राज्यपाल किसी विधेयक पर कितने समय तक अपनी अनुमति को रोके रख सकता है।
  - इसके परिणामस्वरूप, राज्यपाल और संबंधित राज्य सरकारों के बीच मनमुटाव पैदा होने की संभावना बनती है।

विभिन्न समितियों और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुझाए गए प्रमुख संवैधानिक सुधार कौन-से हैं?

- **सरकारिया आयोग (1988):**
  - राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श के बाद की जानी चाहिये।
  - राज्यपाल को सार्वजनिक जीवन के किसी क्षेत्र में प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिये और उस राज्य से संबंधित नहीं होना चाहिये जहाँ वह नियुक्त किया गया है।
  - दुर्लभ एवं बाध्यकारी परिस्थितियों को छोड़कर राज्यपाल को उसका कार्यकाल पूरा होने से पहले नहीं हटाया जाना चाहिये।
  - राज्यपाल को केंद्र और राज्य के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करना चाहिये न कि केंद्र के एजेंट के रूप में।
  - राज्यपाल को अपनी विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग संयमित एवं विवेकपूर्ण तरीके से करना चाहिये और उनका उपयोग लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमज़ोर करने के लिये नहीं करना चाहिये।
- **एस.आर. बोम्मई निर्णय (1994):**
  - इस निर्णय के माध्यम से शत्रुतापूर्ण केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों की मनमानी बर्खास्तगी पर रोक लगा दी गई।
  - निर्णय में कहा गया कि विधानसभा का पटल ही एकमात्र ऐसा मंच है जहाँ मौजूदा सरकार के बहुमत का परीक्षण किया जाना चाहिये, न कि राज्यपाल की व्यक्तिपरक राय के आधार पर।

नोट :

- **वेंकटचलैया आयोग (2002):**
  - राज्यपालों की नियुक्ति एक समिति द्वारा की जानी चाहिये जिसमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष और संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री शामिल हों।
  - राज्यपाल को पाँच वर्ष का कार्यकाल पूरा करने देना चाहिये, जब तक कि सिद्ध दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर वह स्वयं त्यागपत्र न दे दे या राष्ट्रपति द्वारा हटा नहीं दिया जाए।
  - केंद्र सरकार को राज्यपाल को हटाने की किसी भी कार्रवाई से पहले संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से सलाह लेनी चाहिये।
  - राज्यपाल को राज्य के दैनिक प्रशासन में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये। उसे राज्य सरकार के मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करना चाहिये तथा अपनी विवेकाधीन शक्तियों का संयमपूर्वक उपयोग करना चाहिये।
- **रामेश्वर प्रसाद बनाम भारत संघ (2006):**
  - यह पता चलने के बाद कि राज्यपाल ने बिहार में राष्ट्रपति शासन की सिफ़ारिश करने में अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि राज्यपाल का प्रेरित और मनमाना आचरण न्यायिक समीक्षा के अधीन है।
  - हालाँकि रामेश्वर प्रसाद मामले में इस पर विचार नहीं किया गया कि गैर-संवैधानिक रुख एवं कथनों के लिये राज्यपाल छूट या प्रतिरक्षा का दावा कर सकता है या नहीं।
- **पुंछी आयोग (2010):**
  - आयोग ने संविधान से 'राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत' वाक्यांश—जिसका अर्थ यह है कि राज्यपाल को केंद्र सरकार की इच्छा पर हटाया जा सकता है, को हटाने की सिफ़ारिश की।
  - आयोग ने सुझाव दिया कि इसके बजाय राज्यपाल को केवल राज्य विधानमंडल के एक प्रस्ताव द्वारा ही हटाया जाना चाहिये, जो राज्यों के लिये अधिक स्थिरता एवं स्वायत्तता सुनिश्चित करेगा।
- **बी.पी. सिंघल बनाम भारत संघ (2010):**
  - सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि राष्ट्रपति किसी भी समय और बिना कोई कारण बताए राज्यपाल को हटा सकता है।
  - ऐसा इसलिये है क्योंकि राज्यपाल भारत के संविधान के अनुच्छेद 156(1) के तहत 'राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत' पद पर बना रहता है। हालाँकि, न्यायालय ने यह भी माना कि मनमाने, मनमौजी या अनुचित आधार पर उसे नहीं हटाया जा सकता।
- **नबाम रेबिया बनाम उपाध्यक्ष (2016):**
  - इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने बी.आर. अंबेडकर की टिप्पणियों का हवाला दिया जहाँ कहा गया है कि "संविधान के तहत राज्यपाल के पास ऐसा कोई कार्य नहीं है जिसे वह स्वयं निष्पादित कर सके; एक भी कार्य नहीं।"
    - "हालाँकि उसके पास कोई कार्य नहीं है, उसे कुछ कर्तव्य निभाने होते हैं और सदन इस अंतर को ध्यान में रखे तो उपयुक्त होगा।"
  - सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि संविधान का अनुच्छेद 163 राज्यपाल को अपने मंत्रिपरिषद की सलाह के विरुद्ध या उसके बिना कार्य करने की सामान्य विवेकाधीन शक्ति नहीं सौंपता है।
- **राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली बनाम भारत संघ (2018):**
  - सर्वोच्च न्यायालय की एक संविधान पीठ ने 'संवैधानिक संस्कृति' की धारणा के आधार पर 'संविधान के नैतिक मूल्यों' की पहचान करने की आवश्यकता पर बल दिया।
  - न्यायालय ने कहा कि "संवैधानिक नैतिकता उन व्यक्तियों को ज़िम्मेदारियाँ और कर्तव्य सौंपती है जो संवैधानिक संस्थानों और कार्यालयों में पदभार रखते हैं।"
  - राज्यपालों को यह पहचान करनी चाहिये कि उनके कृत्य संवैधानिक नैतिकता को प्रदर्शित करते हैं या नहीं।
- **कौशल किशोर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2023):**
  - न्यायालय ने कहा कि सरकारी कार्यकारियों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को संविधान के अनुच्छेद 19(2) द्वारा अनुमत 'युक्तियुक्त निर्बंधों' के अलावा किसी अन्य माध्यम से कम नहीं किया जा सकता है।

निष्कर्ष:

भारत में राज्यपालों की भूमिका पर जारी चर्चा सूक्ष्म सुधारों की आवश्यकता को रेखांकित करती है। जबकि इस पद के पूर्णरूपेण उन्मूलन को अविवेकपूर्ण माना जाता है, पारदर्शी नियुक्तियों, जवाबदेही की वृद्धि और सीमित विवेकाधीन शक्तियों के प्रस्ताव सामने रखे गए हैं। लोकतांत्रिक सिद्धांतों को कमज़ोर किये बिना राज्यपाल के पद के प्रभावी कार्यकरण को सुनिश्चित करने के लिये राज्य और केंद्रीय हितों के बीच संतुलन बनाना महत्त्वपूर्ण है।

भारत के आर्थिक विकास को दिशा देना

भारत अपने आर्थिक प्रक्षेपवक्र और अपने विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये आवश्यक रणनीतियों के बारे में गंभीर चर्चा में रत है। इन चर्चाओं के बीच एक उल्लेखनीय विकर्षण इस रूप में उत्पन्न हो रहा है कि विश्लेषक वर्ष 2025 तक भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। हालाँकि, यह लक्ष्य, जो मुख्य रूप से समग्र सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के आसपास केंद्रित है, एक सामान्य नागरिक के हित या कल्याण के महत्त्वपूर्ण विषय की अनदेखी करता है और मुख्यत: प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता पर अधिक बल देता है।

नोट :

भारत के विकास प्रक्षेपवक्र से संलग्न वर्तमान चुनौतियाँ कौन-सी हैं?

- **भारत के आर्थिक भविष्य की पुनर्कल्पना:**
  - रघुराम राजन और रोहित लांबा की किताब 'ब्रेकिंग द मोल्ड: रीइमेजिनिंग इंडियाज़ इकोनॉमिक फ़्यूचर' (Breaking the Mould: Reimagining India's Economic Future) भारत के विकास मॉडल के समालोचनात्मक परीक्षण का प्रयास करती है।
  - यह सवाल उठाती है कि क्या औद्योगिक विकास पर सेवा क्षेत्र के विकास को प्राथमिकता देने से सतत् विकास की राह पाई जा सकती है, जबकि यह विकसित एवं औद्योगीकृत अर्थव्यवस्थाओं में देखे गए ऐतिहासिक पैटर्न से एक भटकाव को प्रकट करता है।
- **विनिर्माण क्षेत्र की चुनौतियाँ:**
  - भारत को अपनी अर्थव्यवस्था में अपने विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी बढ़ाने में विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, जहाँ विकास दर 20% या उससे कम रही है।
  - इससे भारत के विकास में एक विशिष्ट चरण को दरकिनार करने, कृषि अर्थव्यवस्था से एक प्रबल सेवा-आधारित अर्थव्यवस्था की ओर आगे बढ़ने और इस तरह के संक्रमण की संवहनीयता के बारे में चिंताएँ पैदा होती हैं।
- **वैश्विक व्यापार सेवा विकास का अवसर:**
  - राजन और लांबा सूचना प्रौद्योगिकी के परिष्करण द्वारा विश्व व्यापार सेवा विकास में भारत के लिये एक अवसर की पहचान करते हैं।
  - चूँकि वैश्विक कंपनियाँ व्यावसायिक सेवाओं को अधिकाधिक आउटसोर्स कर रही हैं, भारत एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, बशर्ते वह 'स्केलेबिलिटी' (scalability) की चुनौती को संबोधित कर सके।
- **रोज़गार संकट और युवा आकांक्षाएँ:**
  - भारत एक रोज़गार संकट का सामना कर रहा है, विशेषकर युवाओं (15-24 आयु वर्ग) के बीच, जहाँ बेरोज़गारी दर 40% से अधिक है।
  - युवा कामगार उच्च आकांक्षाएँ रखते हैं और देश को निजी नियोक्ताओं द्वारा पर्याप्त रोज़गार सृजन को प्रोत्साहित करने के लिये त्वरित उपायों की आवश्यकता है।
- **सेवा क्षेत्र मॉडल से संलग्न चुनौतियाँ:**
  - भारत में वर्तमान सेवा क्षेत्र हाई-टेक सेवाओं में वृद्धि का अनुभव करते हुए भी रोज़गार सृजन के मामले में, विशेष रूप से निम्न मूल्य-वर्द्धित एवं निम्न-कौशल सेवाओं में, चुनौती का सामना कर रहा है।
  - सेवा क्षेत्र का विभाजन (segmentation) युवाओं की आकांक्षाओं के अनुरूप आय स्रोत उत्पन्न करने की इसकी क्षमता पर सवाल उठाता है।
- **कौशल की कमी और उच्च शिक्षा गुणवत्ता:**
  - भारत में कौशल की कमी सेवा क्षेत्र के नेतृत्व वाले मॉडल के लिये एक उल्लेखनीय चुनौती है। 2.2 मिलियन STEM स्नातक पैदा करने के बावजूद, अपर्याप्त प्रशिक्षण के कारण इनमें से अधिकांश को रोज़गार हेतु अयोग्य माना जाता है।
  - इस समस्या को संबोधित करने के लिये उच्च शिक्षा में निरंतर निवेश की आवश्यकता है ताकि उच्च मानव पूंजी क्षेत्रों के लिये कुशल कार्यबल तैयार किया जा सके।
- **PLI योजना और तत्काल रोज़गार सृजन:**
  - प्रोडक्शन-लिंक्ड प्रोत्साहन (PLI) योजना को भारत में उत्पादन केंद्र स्थापित करने के लिये व्यवसायों को आकर्षित करने के माध्यम से तत्काल रोज़गार चुनौती को संबोधित करने के एक प्रयास के रूप में देखा जाता है।
  - हालाँकि, इस योजना के रोज़गार से संबद्ध होने के बजाय उत्पादन से संबद्ध होने और प्रोत्साहन योजनाओं की समाप्ति के बाद व्यवसायों की सुदीर्घता के बारे में अनिश्चितताओं को लेकर विभिन्न चिंताएँ मौजूद हैं।
- **व्यापक आर्थिक दृष्टिकोण की आवश्यकता:**
  - भारत की रोज़गार समस्या के लिये एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता है जो विनिर्माण क्षेत्र मॉडल और सेवा क्षेत्र मॉडल, दोनों को संयुक्त करे।
  - PLI योजनाओं से परे, निजी उद्योग को स्केल बढ़ाने के लिये प्रोत्साहन प्रदन करना भी महत्त्वपूर्ण है और इसके लिये भूमि एवं श्रम नियामक सुधारों की आवश्यकता है। ये सुधार, राजकोषीय रूप से लागतहीन होते हुए भी, राजनीतिक चुनौतियों का सामना कर सकते हैं।
- **जनसांख्यिकीय चुनौतियों से निपटने में तत्परता:**
  - 28 वर्ष की औसत जनसंख्या आयु के साथ भारत का जनसांख्यिकीय लाभांश त्वरित एवं व्यापक कार्रवाई के अभाव में वरदान के बजाय अभिशाप में भी बदल सकता है।
  - सतत् आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के लिये उच्च मूल्य-वर्द्धित रोज़गार सृजन, नियामक सुधार और उच्च शिक्षा में निवेश की वृद्धि का संयोजन आवश्यक है।

नोट :

भारत में विनिर्माण और सेवा क्षेत्र के विकास चालक कौन-से हैं?

- **विनिर्माण क्षेत्र:**
  - सरकारी निवेश को बढ़ावा:
    - वर्ष 2022-23 के बजट में भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी हार्डवेयर विनिर्माण के लिये 2403 करोड़ रुपए और फेम-इंडिया (Faster Adoption and Manufacturing of Hybrid and Electric Vehicles- FAME-India) के लिये 757 करोड़ रुपए के आवंटन के रूप में पर्याप्त धन प्रदान किया।
    - इस रणनीतिक निवेश का उद्देश्य विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देना और इलेक्ट्रिक वाहन प्रौद्योगिकी में उन्नति को प्रेरित करना है।
  - प्रतिस्पर्द्धात्मकता बढ़ाना:
    - भारत के पास एक वृहत अर्द्ध-कुशल श्रम शक्ति, 'मेक इन इंडिया' जैसी सरकारी पहल, पर्याप्त निवेश और एक विशाल घरेलू बाज़ार के रूप में वे प्रमुख घटक मौजूद हैं जो औद्योगिक क्षेत्र को महत्त्वपूर्ण रूप से बढ़ावा दे सकते हैं।
    - सरकार प्रतिस्पर्द्धात्मकता को आगे और बढ़ावा देने के लिये आधार स्थापित करने हेतु मुफ्त भूमि और निर्बाध 24X7 बिजली आपूर्ति जैसे प्रोत्साहन प्रदान कर रही है ताकि भारत को वैश्विक स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्द्धी बनाया जा सके।
  - मज़बूत घरेलू मांग:
    - भारतीय मध्यम वर्ग के वर्ष 2030 तक वैश्विक उपभोग में 17% के योगदान के अनुमान के साथ घरेलू बाज़ार पर्याप्त वृद्धि के लिये तैयार है।
    - भारत में उपकरण और उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स (Appliances and Consumer Electronics- ACE) बाज़ार के वर्ष 2019 में 11 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वर्ष 2025 तक 21 बिलियन अमेरिकी डॉलर के होने का अनुमान है, जो विनिर्मित वस्तुओं की मज़बूत मांग का संकेत देता है।
  - इंडस्ट्री 4.0 में वैश्विक हब क्षमता:
    - भारत का विनिर्माण उद्योग तेज़ी से चतुर्थ औद्योगिक क्रांति (Industry 4.0) की ओर आगे बढ़ रहा है, जो परस्पर संबद्ध प्रक्रियाओं और डेटा विश्लेषण की विशेषता प्रदर्शित करता है।
    - कई भारतीय कंपनियाँ, विशेष रूप से फार्मास्यूटिकल्स और कपड़ा जैसे क्षेत्रों में, अनुसंधान एवं विकास पर ध्यान केंद्रित करने के कारण पहले से ही वैश्विक अग्रणी बन चुकी हैं।
    - ऑटोमेशन और रोबोटिक्स जैसे क्षेत्रों पर बल देने से भारत को उन्नत विनिर्माण के लिये वैश्विक केंद्र में बदलने की क्षमता प्राप्त हो रही है।
- **सेवा क्षेत्र:**
  - एक संतुलनकारी कारक के रूप में सेवा व्यापार अधिशेष:
    - भारत के सेवा व्यापार में लगातार अधिशेष ने ऐतिहासिक रूप से माल शिपमेंट में पर्याप्त घाटे की भरपाई करने में मदद की है।
    - वित्तीय वर्ष 2020-21 में यह अधिशेष 89 बिलियन डॉलर तक के उल्लेखनीय स्तर पर पहुँच गया।
    - रणनीतिक सरकारी हस्तक्षेप और नए सिरे से बल देने से सेवा व्यापार अधिशेष में और वृद्धि की संभावना है, जिससे संभवत: माल निर्यात के कारण होने वाले घाटे को समाप्त किया जा सकता है।
  - ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था की ओर संक्रमण को बढ़ावा देना:
    - सेवा क्षेत्र भारत को 'असेंबली अर्थव्यवस्था' से 'ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था' में स्थानांतरित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
    - यह संक्रमण देश के आर्थिक विकास एवं वैश्विक प्रतिस्पर्द्धात्मकता के लिये महत्त्वपूर्ण है।
    - सेवा व्यापार अधिशेष इस रूपांतरण में एक महत्त्वपूर्ण चालक के रूप में कार्य करता है, जो ज्ञान-केंद्रित गतिविधियों के बढ़ते महत्त्व पर बल देता है।
  - कार्यबल विकास के लिये कौशल भारत कार्यक्रम:
    - विकास करते सेवा क्षेत्र का समर्थन करने और भारत की वैश्विक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिये स्किल इंडिया कार्यक्रम (Skill India program) शुरू किया गया है।
    - इस कार्यक्रम का लक्ष्य वर्ष 2022 तक 40 करोड़ से अधिक युवाओं को बाज़ार-प्रासंगिक कौशल में व्यापक प्रशिक्षण प्रदान करना है।
    - कौशल विकास में निवेश के माध्यम से सरकार का लक्ष्य एक ऐसा कार्यबल तैयार करना है जो उभरती सेवा-संचालित और ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था की मांगों के अनुरूप हो।

नोट :

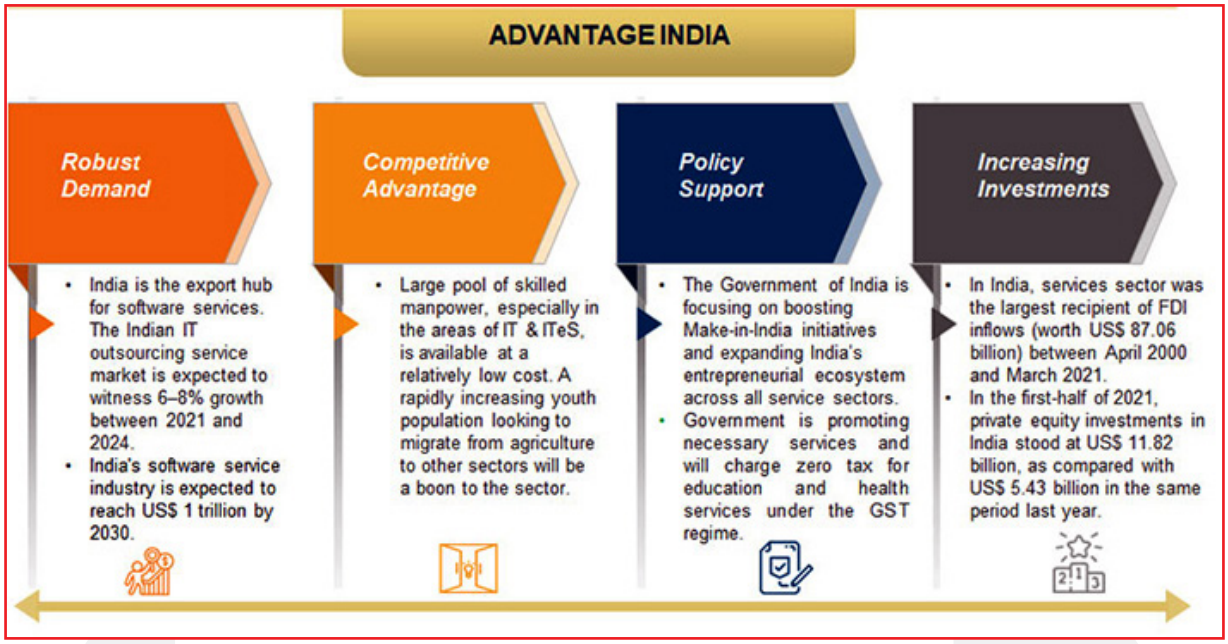

भारत में औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिये हाल की प्रमुख सरकारी पहलें कौन-सी हैं?

- प्रोडक्शन-लिंक्ड प्रोत्साहन (PLI) - घरेलू विनिर्माण क्षमता को बढ़ावा देने के लिये
- पीएम गति शक्ति- राष्ट्रीय मास्टर प्लान - मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी अवसंरचना परियोजना
- भारतमाला परियोजना - पूर्वोत्तर भारत में कनेक्टिविटी में सुधार के लिये
- स्टार्ट-अप इंडिया - भारत में स्टार्ट-अप संस्कृति को उत्प्रेरित करना
- मेक इन इंडिया 2.0 - भारत को एक वैश्विक डिज़ाइन और विनिर्माण केंद्र में बदलना
- आत्मनिर्भर भारत अभियान - आयात निर्भरता में कटौती करना

विकास को अधिक समावेशी बनाने के लिये कौन-से कदम उठाये जा सकते हैं?

- **कार्यबल विकास और भागीदारी:**
  - भारत की वृहत और युवा आबादी विशाल कार्यबल क्षमता प्रस्तुत करती है। हालाँकि, इस क्षमता को साकार करने के लिये रोज़गार सृजन, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, कौशल उन्नयन और श्रम बल की भागीदारी को बढ़ावा देने (विशेष रूप से महिलाओं के बीच) जैसी चुनौतियों का समाधान करने की आवश्यकता है।
- **आर्थिक विकास के लिये निजी निवेश:**
  - भारत सरकार ने निजी निवेश को आर्थिक विकास के एक महत्त्वपूर्ण चालक के रूप में चिह्नित करते हुए कारोबार सुगमता को बढ़ाने (Ease of Doing Business), कॉर्पोरेट करों को कम करने, क्रेडिट गारंटी की पेशकश करने और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) को आकर्षित करने के विभिन्न उपाय शुरू किये हैं। कारोबार संचालन को और सुगम बनाने के लिये विशेष रूप से भूमि, श्रम और लॉजिस्टिक्स में चल रहे सुधार आवश्यक हैं।
- **वैश्विक प्रतिस्पर्द्धात्मकता की वृद्धि करना:**
  - वैश्विक बाज़ार में अपनी प्रतिस्पर्द्धात्मकता बढ़ाने के लिये, भारत को निर्यात में विविधता लानी चाहिये, अवसंरचना को उन्नत बनाना चाहिये, नवाचार एवं डिजिटलीकरण को बढ़ावा देना चाहिये और क्षेत्रीय एवं वैश्विक मूल्य शृंखलाओं के साथ एकीकृत होना चाहिये।
  - PLI, चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम (PMP) और 'मेक इन इंडिया' जैसी सहायक योजनाओं के बावजूद, घरेलू एवं विदेशी उद्यमों के बीच निष्पक्ष प्रतिस्पर्द्धा के लिये व्यापार उदारीकरण और नियामक सरलीकरण आवश्यक है।
- **पर्यावरणीय संवहनीयता और जलवायु लक्ष्य:**
  - भारत जलवायु परिवर्तन लक्ष्यों को पूरा करने के लिये कार्बन तीव्रता को कम करने और नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को बढ़ाने के लिये प्रतिबद्ध है।

नोट :

- जबकि 'ग्रीन बॉण्ड' पर्यावरण-अनुकूल परियोजनाओं का समर्थन करते हैं, वायु प्रदूषण, जल की कमी, अपशिष्ट प्रबंधन और जैव विविधता हानि जैसी पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान करने के लिये वृहत प्रयासों की आवश्यकता है ताकि भारत के विकास एवं कल्याण की सुरक्षा हो सके।

- **आर्थिक स्थिरता और वित्तीय विकास:**
  - स्थिर और निम्न मुद्रास्फीति दर सुनिश्चित करने से भारत में भरोसे और निवेश को बढ़ावा मिलता है। विशेष रूप से लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिये पर्याप्त तरलता और ऋण उपलब्धता को प्राथमिकता देना महत्त्वपूर्ण है।
  - वित्तीय बाज़ारों और संस्थानों के और अधिक विकास से बचत एवं निवेश में मदद मिलेगी।
- **वैश्विक एकीकरण और व्यापार समझौते:**
  - भारत व्यापार बाधाओं को कम कर, अपने निर्यात पोर्टफोलियो में विविधता लाकर और समग्र प्रतिस्पर्द्धात्मकता को बढ़ाकर अपने वैश्विक आर्थिक संबंधों को सुदृढ़ कर सकता है।
  - क्षेत्रीय और द्विपक्षीय व्यापार समझौतों को आगे बढ़ाने से बाज़ार विस्तार के अवसर मिलते हैं, जिससे भारतीय उत्पादों और सेवाओं को लाभ प्राप्त होता है।
- **क्षेत्रीय विकास और नवाचार:**
  - विनिर्माण, सेवा, कृषि और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में विकास, रोज़गार एवं नवाचार को बढ़ावा देना भारत के निरंतर विकास के लिये महत्त्वपूर्ण है।
  - अग्रसक्रिय नीतियों द्वारा समर्थित इन क्षेत्रों पर रणनीतिक फोकस आर्थिक प्रगति को आगे बढ़ा सकता है।
- **उच्च-विकास क्षेत्रों में अवसरों का विविधीकरण:**
  - आर्थिक संभावनाओं को बढ़ाने के लिये प्रमुख सूचना प्रौद्योगिकी और आईटी-सक्षम सेवाओं से परे भी अवसरों की तलाश करने की तत्काल आवश्यकता है।
  - उदाहरण के लिये, घरेलू विधिक सेवा क्षेत्र का खुलना भारतीय अधिवक्ताओं के लिये महत्त्वपूर्ण लाभ प्रस्तुत करता है, जहाँ उन्हें यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में आकर्षक अवसर प्राप्त होते हैं।
- **विकास के लिये आशाजनक सेवा क्षेत्रों को लक्षित करना:**
  - विविधीकरण के महत्त्व पर बल देते हुए उच्च शिक्षा, आतिथ्य और चिकित्सा पर्यटन जैसे आशाजनक सेवा क्षेत्रों (Promising Service Sectors) पर ध्यान केंद्रित करने का आह्वान किया गया है।
  - इस रणनीतिक बदलाव का उद्देश्य पारंपरिक क्षेत्रों की सीमाओं से परे आर्थिक विकास के दायरे को व्यापक बनाना है।
- **सब्सिडी सुधार के माध्यम से प्रतिस्पर्द्धात्मकता को प्रोत्साहित करना:**
  - सरकार सेवा उद्योग को सरकारी सब्सिडी पर निर्भरता छोड़ने की वकालत कर रही है और दावा करती है कि यह बदलाव कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ावा देगा।
  - इस सब्सिडी निधि को अधिक ज़रूरतमंद लोगों तक पुनर्निर्देशित कर समग्र आर्थिक परिदृश्य को निरंतर विकास के लिये इष्टतम बनाया जा सकता है।

निष्कर्ष

वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत का आर्थिक दृष्टिकोण आशाजनक नज़र आता है क्योंकि सरकार की पहलों ने अर्थव्यवस्था को औपचारिक बना दिया है और पूर्व में वंचित रहे क्षेत्रों तक वित्तीय पहुँच का विस्तार किया है। इस सकारात्मक प्रक्षेपवक्र को बनाए रखने के लिये राजकोषीय, मौद्रिक, व्यापार, औद्योगिक और संस्थागत नीतियों को शामिल करते हुए एक रणनीतिक दृष्टिकोण को आकार देना आवश्यक है। इस व्यापक रणनीति को लागू करने से भारत की महत्त्वपूर्ण आर्थिक क्षमता का पता लगाया जा सकता है, निरंतर सुदृढ़ विकास को बढ़ावा दिया जा सकता है और देश को समृद्धि की ओर आगे बढ़ाया जा सकता है।

सार्वजनिक ऋण दुविधाएँ: भारत के राजकोषीय परिदृश्य को दिशा देना

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) की नवीनतम वार्षिक परामर्श रिपोर्ट में भारत की आर्थिक वृद्धि के लिये एक संतुलित संभावना का अनुमान लगाया गया है। रिपोर्ट में भारत के प्रभावी मुद्रास्फीति प्रबंधन को चिह्नित किया गया है लेकिन इसने भारत के ऋणों की दीर्घकालिक संवहनीयता के बारे में चिंताएँ भी व्यक्त की हैं। रिपोर्ट में दीर्घावधि में ऋण प्रबंधन के लिये एक विवेकपूर्ण दृष्टिकोण की आवश्यकता पर बल दिया गया है।

IMF रिपोर्ट में प्रकट मुख्य बातें

- **भारत के ऋणों की दीर्घकालिक संवहनीयता पर चिंताएँ:** प्रतिकूल परिस्थितियों में भारत का सरकारी ऋण वर्ष 2028 तक सकल घरेलू उत्पाद के 100% तक पहुँच सकता है।
- **भारत की विनिमय दर व्यवस्था का पुनर्वर्गीकरण:** IMF ने भारत की विनिमय दर व्यवस्था (exchange rate regime) को पुनर्वर्गीकृत किया और इसे 'फ्लोटिंग' (floating) के बजाय 'स्थिरीकृत व्यवस्था' (stabilised ar-

नोट :

rangement) के रूप में लेबल किया। जो भारत के मुद्रा प्रबंधन के तरीके बारे में व्याप्त धारणा में बदलाव का संकेत देता है।

- एक स्थिरीकृत व्यवस्था में सरकार विनिमय दर तय करती है, जबकि फ्लोटिंग विनिमय दर प्रणाली में यह विदेशी मुद्रा बाज़ार में मांग एवं आपूर्ति बलों द्वारा निर्धारित की जाती है।

- **ऋण प्रबंधन में उच्च दीर्घकालिक जोखिम:** ऋण प्रबंधन में दीर्घकालिक जोखिम उच्च हैं क्योंकि भारत के जलवायु परिवर्तन शमन लक्ष्यों तक पहुँचने के लिये वृहत निवेश की आवश्यकता है।

सार्वजनिक ऋण (Public Debt) क्या है?

- **परिचय:**
  - सार्वजनिक ऋण से तात्पर्य उस कुल धनराशि से है जो बाह्य ऋणदाताओं और घरेलू ऋणदाताओं का सरकार पर बकाया है।
  - भारत में सार्वजनिक ऋण में केंद्र सरकार के वे सभी दायित्व (obligations) शामिल होते हैं जिन्हें भारत की संचित निधि (Consolidated Fund of India) से धन का उपयोग कर निपटाया जाना आवश्यक होता है।
- **मुख्य प्रकार:**
  - बाह्य ऋण: यह किसी देश के ऋण का वह भाग है जो विदेशी ऋणदाताओं का बकाया है। इन विदेशी ऋणदाताओं में विदेशी सरकारें, अंतर्राष्ट्रीय संगठन और देश के बाहर की निजी संस्थाएँ शामिल हैं।
  - आंतरिक ऋण: यह देश के अंदर व्यक्तियों, बैंकों और अन्य घरेलू संस्थानों सहित विभिन्न उधारदाताओं का सरकार पर बकाया ऋण है।
    - आंतरिक ऋण को आगे विपणन योग्य और गैर-विपणन योग्य प्रतिभूतियों (marketable and non-marketable securities) में वर्गीकृत किया गया है।
- **उद्देश्य:**
  - सरकारी व्यय का वित्तपोषण: इसका एक प्राथमिक उद्देश्य सरकारी व्यय के लिये, विशेष रूप से बजट घाटे के दौरान, धन का एक स्थिर एवं विश्वसनीय स्रोत प्रदान करना है।
  - अर्थव्यवस्था को स्थिर करना: सार्वजनिक ऋण को आर्थिक मंदी के दौरान अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिये रणनीतिक रूप से प्रति-चक्रीय उपाय (counter-cyclical measure) के रूप में उपयोग किया जा सकता है। उधार के माध्यम से सरकारी व्यय की वृद्धि आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित कर सकती है।
  - तरलता का प्रबंधन: सार्वजनिक ऋण वित्तीय प्रणाली के भीतर तरलता के प्रबंधन के लिये एक उपकरण के रूप में कार्य कर सकता है, जिससे सरकारों को धन आपूर्ति और ब्याज दरों को नियंत्रित करने की अनुमति मिलती है।
  - विकास योजनाओं का वित्तपोषण: सार्वजनिक ऋण का उपयोग सड़कों, पुलों और सार्वजनिक उपयोगिताओं के निर्माण सहित महत्त्वपूर्ण अवसंरचना परियोजनाओं को वित्तपोषित करने के लिये किया जा सकता है, जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है और शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं एवं अन्य आवश्यक क्षेत्रों की उन्नति में सहायता मिलती है।
- **मापन तंत्र:**
  - सार्वजनिक ऋण को देश के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है, जिसे ऋण-जीडीपी अनुपात (debt-to-GDP ratio) के रूप में जाना जाता है।
  - उच्च अनुपात अर्थव्यवस्था के आकार के सापेक्ष बड़े ऋण बोझ को इंगित करता है।

भारत में सार्वजनिक ऋण प्रबंधन के लिये प्रमुख चिंताएँ कौन-सी हैं?

- **भारत में सार्वजनिक ऋण का बढ़ता स्तर:**
  - मार्च 2023 के अंत में केंद्र सरकार का ऋण 155.6 ट्रिलियन रुपए (सकल घरेलू उत्पाद का 57.1%) था, जबकि राज्य सरकार कुल ऋण बोझ में सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 28% का योगदान कर रहे थे।
  - भारत का सार्वजनिक ऋण-जीडीपी अनुपात वर्ष 2005-06 में 81% से कुछ बढ़कर वर्ष 2021-22 में 84% हो गया, जो वर्ष 2022-23 में पुन: 81% हो गया।
- **उच्च-ब्याज भुगतान:**
  - भारत में ब्याज भुगतान सकल घरेलू उत्पाद के 5% से अधिक और राजस्व प्राप्तियों का औसतन 25% है जो शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल जैसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों पर सरकारी व्यय से कहीं अधिक है।
- **राजकोषीय नीति पर सीमाएँ:**
  - सार्वजनिक ऋण का उच्च स्तर आर्थिक मंदी के समय प्रति-चक्रीय राजकोषीय उपायों को लागू करने की सरकार की क्षमता को सीमित कर सकता है।
  - यह सीमा झटके और आर्थिक चुनौतियों का जवाब देने में सरकार की प्रभावशीलता को बाधित कर सकती है।

नोट :

- **निम्न क्रेडिट रेटिंग:**
  - लगातार उच्च घाटा और ऋण स्तर रेटिंग एजेंसियों द्वारा निम्न सॉवरेन रेटिंग का कारण बन सकता है जिससे बाहरी वाणिज्यिक उधार की लागत बढ़ सकती है, जिससे सरकार के लिये अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों से धन जुटाना अधिक महँगा हो जाएगा।
- **सार्वजनिक धन का दुरुपयोग और भावी नागरिकों पर बोझ:**
  - एक बड़ी धनराशि सरकारी विभागों को आवंटित की जाती है जहाँ भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी और नौकरशाही बाधाएँ व्याप्त हैं, जिससे सार्वजनिक धन का दुरुपयोग होता है।
  - ऋण का अत्यधिक संचय अंतर-पीढ़ीगत समता के संबंध में चिंताओं को जन्म दे सकता है, क्योंकि भविष्य के नागरिकों पर वित्तीय अविवेक की अवधि के दौरान अर्जित मूलधन और ब्याज दोनों को चुकाने का बोझ पड़ सकता है।
  - पुनर्पूंजीकरण बॉण्ड के माध्यम से राज्य-संचालित बैंकों में पूंजी के प्रवाह का अंतर-पीढ़ीगत बोझ पर प्रभाव पड़ता है।
- **निजी निवेश का कम होना:**
  - बड़ी सरकारी उधारी वित्तीय बाज़ार में उपलब्ध धन को अवशोषित कर निजी निवेश की कमी या 'क्राउडिंग आउट' की स्थिति उत्पन्न कर सकती है, जिससे आर्थिक विकास प्रभावित हो सकता है।
  - निजी निवेश की कमी से व्यवसायों को परिचालन का विस्तार करने, नई प्रौद्योगिकियों को अपनाने या उत्पादकता बढ़ाने में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, जो अर्थव्यवस्था की समग्र प्रतिस्पर्द्धात्मकता को प्रभावित कर सकता है।
- **वित्तीय प्रणाली से संलग्न जोखिम:**
  - वित्तीय प्रणाली में ऋण की उच्च सांद्रता प्रणालीगत जोखिम पैदा कर सकती है जो संपूर्ण वित्तीय प्रणाली की स्थिरता को प्रभावित करने वाली एक शृंखला प्रतिक्रिया को उत्प्रेरित कर सकती है।

General government debt and fiscal indicators, as a percentage of GDP

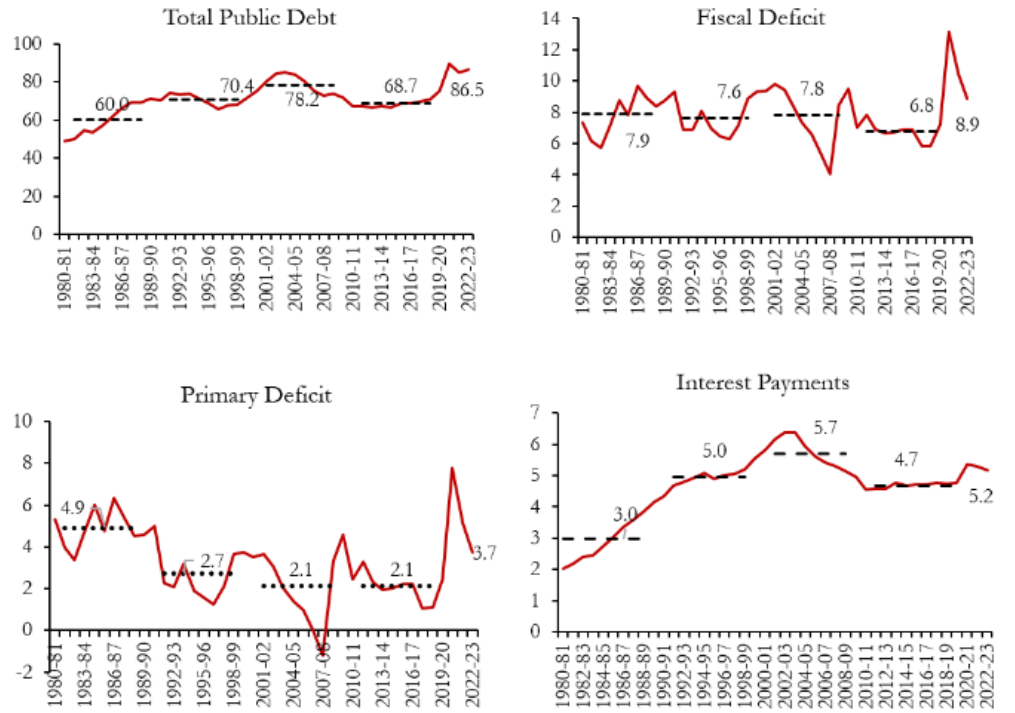

Notes: i) Total public debt in India includes debt issued and other liabilities in the Public Account consisting of National Small Saving Fund (NSSF), Provident Fund, Deposit and Reserve funds, securities issued to finance subsidies on oil, food and fertilisers, etc. ii) Dashed horizontal lines are decadal averages from 1980-81 to 1989-90, 1990-91 to 1999-2000, 2000-01 to 2009-10, and 2010-11 to 2019-20, respectively.

नोट :

आगे की राह:

- **विवेकपूर्ण रुख:**
  - राजकोषीय समेकन हासिल करना: FRBM पर एन.के. सिंह समिति ने केंद्र सरकार के लिये 40% और राज्यों के लिये 20% ऋण-जीडीपी अनुपात की परिकल्पना की थी, जहाँ कुल 60% सामान्य सरकारी ऋण-जीडीपी का लक्ष्य रखा गया था।
  - राज्य स्तर पर राजकोषीय सुधार: केंद्र सरकार राज्यों द्वारा विवेकपूर्ण राजकोषीय नीतियों के अंगीकरण को बढ़ावा दे सकती है और राजकोषीय अनुशासन के लिये प्रतिबद्ध राज्यों को रिवॉर्ड या इंसेंटिव प्रदान कर अत्यधिक उधार लेने को हतोत्साहित कर सकती है।
- **अतिरिक्त राजस्व जुटाना:**
  - कर संग्रहण और अनुपालन को बढ़ाना: सरकारी राजस्व बढ़ाने के लिये कर प्रशासन और अनुपालन में सुधार किया जाना चाहिये। GST और आयकर रिटर्न के क्रॉस-मैचिंग के लिये प्रौद्योगिकी के उपयोग से संग्रहण दक्षता को बढ़ाया जा सकता है और कर चोरी पर अंकुश लग सकता है।
  - प्रशासनिक सुव्यवस्थितता: प्रशासनिक सुव्यवस्थितता और नए करों के अंगीकरण एवं बेहतर प्रशासन के माध्यम से अतिरिक्त राजस्व जुटाया जाए।
  - विनिवेश और कुशल परिसंपत्ति प्रबंधन: सरकारी संसाधनों को इष्टतम करने और अत्यधिक उधार लेने की आवश्यकता को कम करने के लिये विनिवेश एवं रणनीतिक परिसंपत्ति प्रबंधन को अपनाया जाए।
- **अवसंरचना और क्षमता निर्माण में व्यय को पुनःउन्मुख करना:**
  - अवसंरचना में निवेश: आर्थिक उत्पादकता बढ़ाने और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिये भौतिक अवसंरचना, मानव पूंजी और हरित पहल में निवेश को प्राथमिकता दी जाए।
  - घाटे में चल रहे PSUs का निजीकरण: सरकार घाटे में चल रहे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs) के निजीकरण पर विचार कर सकती है जैसा कि एयर इंडिया के मामले में किया गया था।
  - सामाजिक योजनाओं में PPP मॉडल को अपनाना: सरकार दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (DDU-GKY) जैसी सामाजिक योजनाओं में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल के अंगीकरण पर विचार कर सकती है। इससे सार्वजनिक ऋण को कम करने में मदद मिल सकती है।
  - ग्रीन डेट स्वैप का आरंभ करना: ग्रीन डेट स्वैप (Green Debt Swaps) में एक देनदार राष्ट्र और उसके लेनदार मौजूदा ऋण के आदान-प्रदान या पुनर्गठन के लिये इस तरह से समझौता वार्ता करते हैं जो पर्यावरण के अनुकूल और सतत परियोजनाओं के साथ संरेखित हो।
    - यह निम्न-आय देशों को अपने ऋण भुगतान का कुछ हिस्सा जलवायु परिवर्तन शमन, प्रकृति संरक्षण, स्वास्थ्य या शिक्षा में निवेश करने में सक्षम बनाता है। लेनदारों की सहमति से संपन्न इस ऋण अदला-बदली से विष के निम्न-आय देशों को डिफ़ॉल्ट से बचने में मदद मिल सकती है।
- **संस्थागत तंत्रों का उपयोग करना:**
  - सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (Public Financial Management System- PFMS) का लाभ उठाना: PFMS का पूरी क्षमता से लाभ उठाना राजकोषीय घाटे के प्रभावी प्रबंधन का अभिन्न अंग है, जिससे सरकारी व्यय में अधिक पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित होती है।
  - सार्वजनिक ऋण प्रबंधन एजेंसी (Public Debt Management Agency- PDMA) की स्थापना करना: PDMA एक केंद्रित और विशिष्ट दृष्टिकोण सुनिश्चित करते हुए सार्वजनिक ऋण प्रबंधन से संबंधित विशेषज्ञता एवं उत्तरदायित्वों को केंद्रीकृत करेगा।
    - इससे देश में सार्वजनिक ऋण की जटिलताओं से निपटने में अधिक प्रभावी निर्णयन और रणनीतिक योजना-निर्माण की राह पर आगे बढ़ा जा सकता है।

निष्कर्ष:

- चूँकि वित्त मंत्रालय ने IMF के अनुमानों को वास्तविक संभावना नहीं बल्कि 'वर्स्ट-केस सिनेरियो' के रूप में खारिज कर दिया है, भारत को विवेक, पारदर्शिता एवं संवहनीय राजकोषीय अभ्यासों की विशेषता रखने वाले वित्तीय माहौल के निर्माण की ओर लक्षित होना।

शहरी विकास का पुनर्नवीनीकरण : केरल पहल

विश्व की सबसे तेज़ी से विकास करती अर्थव्यवस्थाओं में से एक के रूप में भारत मुख्य रूप से अपने शहरों द्वारा संचालित है, जिनके बारे में अनुमान है कि वे वर्ष 2030 तक देश की जीडीपी में 70% योगदान दे रहे होंगे। विश्व बैंक ने तेज़ी से बढ़ती शहरी आबादी की मांगों को पूरा करने के लिये अगले 15 वर्षों में 840 बिलियन अमेरिकी डॉलर के उल्लेखनीय निवेश की आवश्यकता का अनुमान लगाया है। यह तीव्र

नोट :

शहरीकरण (urbanization), हालाँकि आर्थिक समृद्धि का वादा करता है, वास-योग्यता या लिवेबिलिटी (liveability) संबंधी चुनौतियाँ भी पेश करता है। बारीकी से जाँच करने पर शहरीकरण के मौजूदा ढाँचे के भीतर अंतर्निहित सीमाओं का पता चलता है, जो सतत् विकास सुनिश्चित करने के लिये रणनीतिक समाधानों की आवश्यकता पर बल देता है। हाल ही में गठित 'केरल शहरी आयोग' (Kerala Urban Commission) राज्य में शहरी परिदृश्य में सुधार लाने के लिये प्रतिबद्ध है।

केरल शहरी आयोग

- **ऐतिहासिक क्रम:**
  - वर्ष 2024 में केरल शहरी आयोग के गठन की घोषणा चार्ल्स कोरिया (Charles Correa) के नेतृत्व में गठित राष्ट्रीय शहरीकरण आयोग (National Commission on Urbanisation) के 38 वर्षों के अंतराल के बाद इस दिशा में एक उल्लेखनीय प्रगति को इंगित करती है।
  - प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा पहले आयोग के गठन की प्रक्रिया उनकी हत्या के कारण रुकावटों का शिकार हुई, लेकिन इसने भविष्य की शहरी नीतियों के लिये एक आधार तैयार किया।
- **केरल शहरी आयोग का गठन:**
  - 12 माह के अधिदेश के साथ केरल शहरी आयोग के गठन का उद्देश्य केरल के शहरीकरण की विशिष्ट चुनौतियों का समाधान करना है।
  - राज्य की अनुमानित 90% शहरीकृत आबादी के साथ, नवगठित आयोग अगले 25 वर्षों में राज्य के शहरी विकास के लिये एक रोडमैप के निर्माण की मंशा रखता है।
- **केरल शहरी आयोग की भूमिका:**
  - केरल शहरी आयोग, एक राष्ट्रीय आयोग नहीं होने के बावजूद, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और पंजाब जैसे अन्य अत्यधिक शहरीकृत राज्यों के लिये एक संभावित प्रकाशस्तंभ के रूप में कार्य कर सकता है।
  - यह शहरी चुनौतियों के प्रति व्यापक दृष्टिकोण प्रदर्शित करते हुए उच्च शहरी आबादी से जूझ रहे राज्यों के लिये सीखने के अवसर प्रदान करता है।
- **केरल शहरी आयोग की समकालीन प्रासंगिकता:**
  - शहरीकरण पैटर्न की जटिलता को देखते हुए, राष्ट्रीय और राज्य स्तरों पर एक शहरी आयोग आवश्यक समझा जाता है।
  - स्वच्छ भारत मिशन या अमृत (AMRUT) जैसे क्रमिक एवं पृथक दृष्टिकोण (piecemeal approaches) बहुमुखी चुनौतियों का समाधान करने में विफल रहे हैं।
  - एक शहरी आयोग उभरती शहरी वास्तविकताओं के संदर्भ में प्रवासन, बसावट पैटर्न और सूचना प्रौद्योगिकी की भूमिका को बेहतर रूप से समझ पाता है।

केरल शहरी आयोग के गठन की राह कैसे बनी ?

- **दुनिया भर में शहरीकरण की चुनौतियाँ:**
  - वैश्विक शहरी आबादी बढ़कर 56% हो गई है, जो 1860 के दशक के दौरान महज 5% के आसपास रही थी। जलवायु, भूमि उपयोग और असमानता पर अपने दूरगामी प्रभावों के साथ शहरीकरण पूंजी संचय का एक महत्त्वपूर्ण पहलू बन गया है।
  - शहरों में स्थानिक और लौकिक परिवर्तन देखे गए हैं, जिससे प्रदूषण, आवासन एवं स्वच्छता जैसे विभिन्न क्षेत्रों में चुनौतियाँ उत्पन्न हुई हैं।
- **शहरी विकास प्रतिमानों में बदलाव:**
  - उत्तर-स्वातंत्र्य युग में भारत ने शहरी विकास के दो अलग-अलग चरणों का अनुभव किया:
    - पहला चरण:
  - नेहरूवादी युग (जिसकी अवधि लगभग तीन दशक रही) ने केंद्रीकृत योजना और मास्टर प्लान पर बल दिया, जिससे विनिर्माण से प्रेरित ग्रामीण-से-शहरी प्रवास (rural-to-urban migration) को बढ़ावा मिला।
  - हालाँकि, यह दृष्टिकोण असंतुलन का शिकार हुआ जिसके परिणामस्वरूप 1990 के दशक में शहरों का निजीकरण हुआ, जहाँ ग्लोबल सिटी मॉडल और परियोजना-उन्मुख विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया।
    - दूसरा चरण:
  - 1990 के दशक में सरकारी स्वामित्व वाले बड़े संगठनों और कंसल्टेंसी फर्मों को सौंपे गए मास्टर प्लान के साथ शहरों का निजीकरण देखा गया।
  - सामाजिक आवासन, सार्वजनिक स्वास्थ्य और शिक्षा के बजाय रियल एस्टेट पर केंद्रित मॉडल को अपनाया गया, जहाँ शहरों को ज्ञानोदय के स्थानों (spaces of enlightenment) के बजाय 'विकास के इंजन' के रूप में बढ़ावा दिया गया।
  - इस युग ने समग्र शहर दृष्टिकोण से परियोजना-उन्मुख विकास की ओर प्रस्थान को चिह्नित किया।
- **शहरों में शासन संबंधी चुनौतियाँ:**
  - शहरी शासन को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जहाँ 12वीं अनुसूची के तहत शामिल विषय अभी तक शहरी शासन

नोट :

को स्थानांतरित नहीं किये गए हैं। शहरी कार्यों के संचालन के लिये निर्वाचित अधिकारियों के बजाय प्रबंधकों को रखने के संबंध में अभी भी बहस जारी है।

- 15वें वित्त आयोग ने वित्तीय ढाँचे के केंद्रीकरण की प्रक्रिया में अनुदान को संपत्ति कर संग्रहण में किये गए प्रदर्शन से जोड़ दिया है, जिससे शहरी शासन में जटिलता बढ़ गई है।

- **समग्र समझ की आवश्यकता:**
  - शहरी आयोग को क्रमिक एवं पृथक दृष्टिकोण से परे आगे बढ़ते हुए प्रवासन, बसावट पैटर्न और सूचना प्रौद्योगिकी की भूमिका को शामिल करने के साथ शहरीकरण की समग्र समझ पर ध्यान केंद्रित करना चाहिये।
  - स्मार्ट सिटीज़ (SMART CITIES) जैसे दृष्टिकोण वस्तुनिष्ठ वास्तविकताओं को संबोधित करने में विफल रहे हैं, जो एक अधिक व्यापक रणनीति की आवश्यकता को उजागर करते हैं।

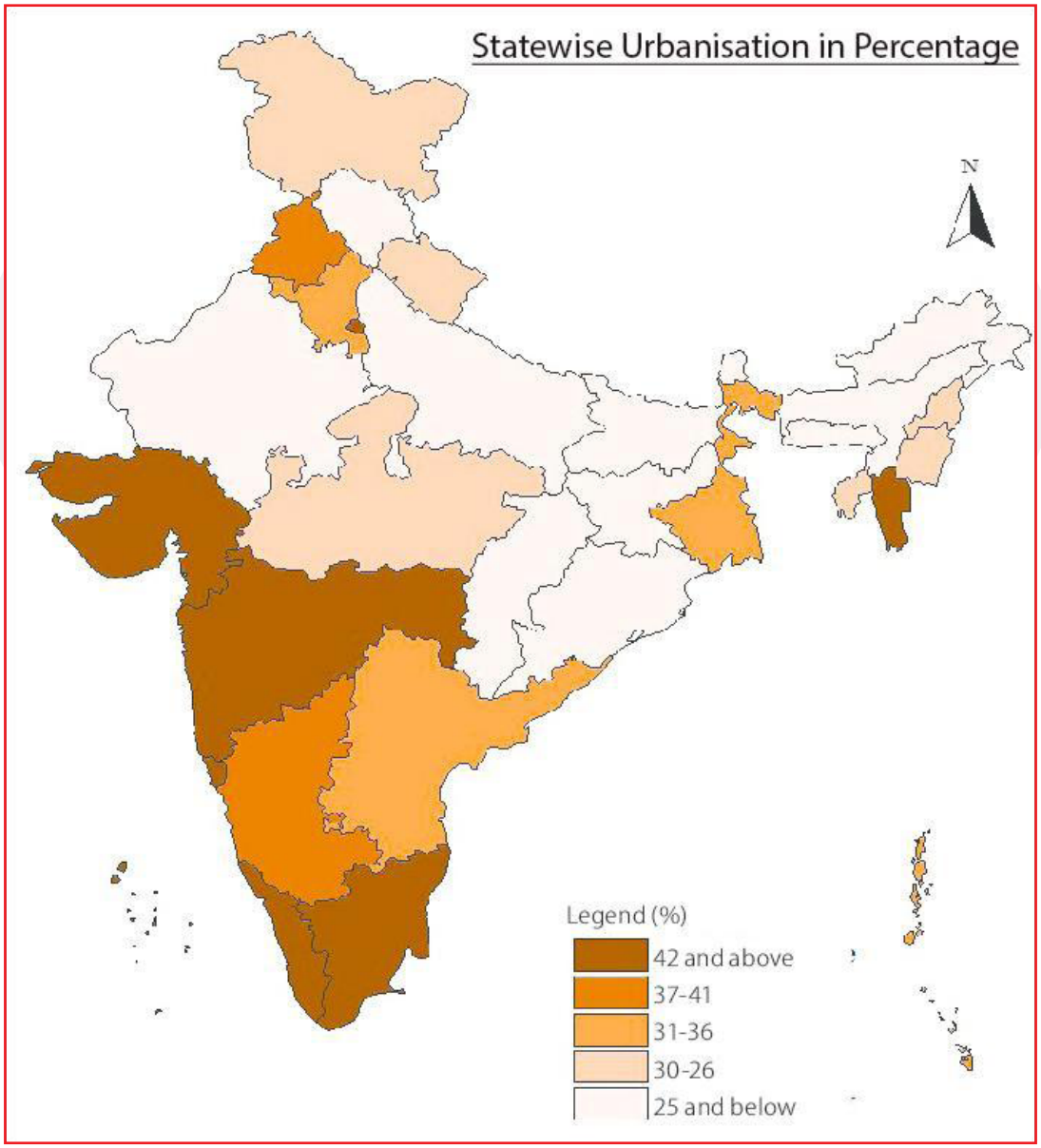

नोट :

शहरीकरण से संबंधित प्रमुख चुनौतियाँ कौन-सी हैं?

- **निजी परिवहन और शहरी चुनौतियाँ:**
  - सामाजिक प्रतिष्ठा के नाम पर निजी परिवहन को प्राथमिकता देने की प्रवृत्ति से सड़कों पर भीड़भाड़, प्रदूषण में वृद्धि और शहरों में अधिक यात्रा समय की स्थिति बनी है।
  - निजी वाहनों पर यह निर्भरता, दहनशील ईंधन के प्रचलित उपयोग के कारण जलवायु परिवर्तन में एक प्रमुख योगदानकर्ता है, जो संवहनीय परिवहन समाधानों की तत्काल आवश्यकता पर बल देती है।
- **मलिन बस्तियों का विकास और शहरी प्रवासन:**
  - शहरी क्षेत्रों में वास करने की उच्च लागत, साथ ही ग्रामीण प्रवासियों की बड़ी आमद के कारण अस्थायी आश्रयों के रूप में मलिन बस्तियों का विस्तार हुआ है।
  - विश्व बैंक की रिपोर्ट है कि भारत की कुल शहरी आबादी की 35.2% मलिन बस्तियों में रहती है, जहाँ मुंबई में धारावी को एशिया की सबसे बड़ी मलिन बस्ती के रूप में चिह्नित किया गया है।
- **शहरीकरण का पर्यावरणीय प्रभाव:**
  - शहरीकरण पर्यावरणीय क्षरण का एक प्रमुख कारण है, जहाँ जनसंख्या घनत्व की वृद्धि से हवा और जल की गुणवत्ता प्रभावित होती है।
  - निर्माण कार्य हेतु वनों की कटाई एवं भूमि का क्षरण, अनुपयुक्त अपशिष्ट निपटान और अकुशल सीवेज सुविधाएँ प्रदूषण में योगदान करती हैं, जिससे शहरों के समग्र पर्यावरणीय स्वास्थ्य पर असर पड़ता है।

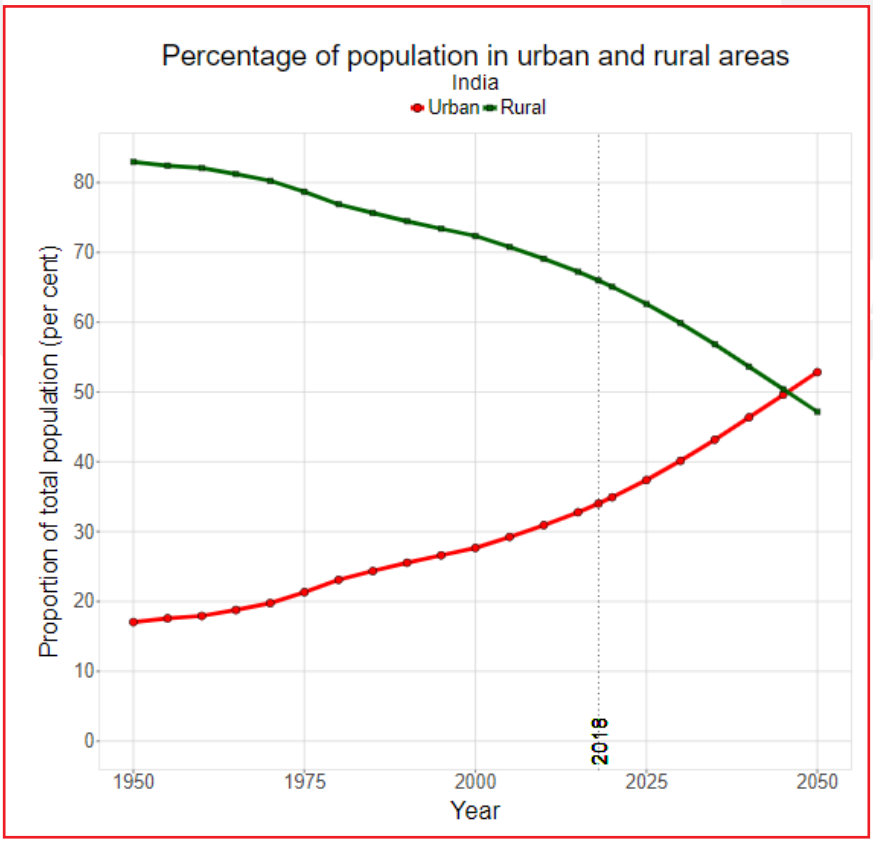

- **'अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट':**
  - सघन संरचनाओं, फुटपाथों और सीमित हरित स्थानों की विशेषता रखने वाले शहरी क्षेत्र 'अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट' का अनुभव करते हैं।

नोट :

- यह परिघटना ऊर्जा लागत बढ़ाती है, वायु प्रदूषण की स्थिति को बदतर करती है और गर्मी से संबंधित बीमारियों एवं मृत्यु दर में योगदान देती है।
- प्राकृतिक जल निकायों का अतिक्रमण करने वाले नए विकास कार्य शहरी पारिस्थितिकी तंत्र को आगे और बाधित करते हैं।

- **बाढ़ और अवसंरचनात्मक चुनौतियाँ:**
  - तीव्र शहरीकरण के साथ-साथ सीमित भूमि उपलब्धता के कारण झीलों, आर्द्रभूमियों और नदियों का अतिक्रमण बढ़ रहा है।
  - इससे प्राकृतिक जल निकासी प्रणालियाँ बाधित होती हैं, जिससे शहरी बाढ़ (urban flooding) आती है।
  - अपर्याप्त ठोस अपशिष्ट प्रबंधन बाढ़ की समस्या को बढ़ा देता है, जो व्यापक शहरी योजना और अवसंरचनात्मक विकास की आवश्यकता को उजागर करता है।
- **शहरी स्थानीय निकायों (Urban Local Bodies- ULBs) के समक्ष विद्यमान चुनौतियाँ:**
  - संविधान में शहरी स्थानीय निकायों के व्यापक कार्यों का स्पष्ट उल्लेख किया गया है, लेकिन समयबद्ध ऑडिट की कमी तथा उनकी शक्तियों, उत्तरदायित्वों और केंद्र एवं राज्य से प्राप्त धन में असंतुलन से उनके प्रभावी कार्यकरण में बाधा उत्पन्न होती है।
  - यह शहरी स्थानीय निकायों को सशक्त बनाने और शहरी चुनौतियों से निपटने में उनकी क्षमता को बढ़ाने के लिये सुधारों की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

संबंधित पहलें कौन-सी हैं?

- कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिये अटल मिशन (अमृत/AMRUT)
- प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (PMAY-U)
- क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज़ असेसमेंट फ्रेमवर्क 2.0
- ट्यूलिप-द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम
- आत्मनिर्भर भारत अभियान (Self-Reliant India)

भारत में शहरी सुधार के लिये कौन-से आवश्यक कदम उठाये जाने चाहिये?

केरल शहरी आयोग की तर्ज पर एक नया 'भारत शहरी आयोग' (India Urban Commission) स्थापित करने की आवश्यकता है जो सतत/संवहनीय शहरी भूदृश्य के लिये निम्नलिखित सुझावों के कार्यान्वयन को बढ़ावा देगा:

- **हरित अवसंरचना और नवोन्मेषी शहर प्रबंधन:**
  - शहरी मुद्दों के कुशल समाधान के लिये हरित अवसंरचना, सार्वजनिक स्थानों के मिश्रित उपयोग और सौर एवं पवन जैसे वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों को अपनाने की आवश्यकता है।
  - वहनीय और प्रभावी शहर प्रबंधन के लिये सार्वजनिक-निजी भागीदारी सहित नवोन्मेषी विचार स्वस्थ एवं अधिक कुशल शहरी स्थानों को आकार दे सकने के लिये महत्त्वपूर्ण हैं।
- **शहरी नियोजन में समाज कल्याण:**
  - संगठित शहरी नियोजन लोगों के कल्याण में सुधार लाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शहरी क्षेत्रों और उनके आस-पड़ोस को स्वस्थ, अधिक कुशल स्थानों में बदलने के लिये एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता है जो सामाजिक विचारों को एकीकृत करता हो।
  - राजस्थान में इंदिरा गांधी शहरी रोज़गार गारंटी योजना जैसी योजनाओं का उद्देश्य शहर के विकास के महत्त्वपूर्ण सामाजिक पहलुओं को संबोधित करते हुए शहरी गरीबों को बुनियादी **जीवन स्तर प्रदान करना है।**
- **हरित गतिशीलता के लिये सार्वजनिक परिवहन का पुनरुद्धार:**
  - भारत के शहरी भूदृश्य में हरित गतिशीलता प्राप्त करने के लिये सार्वजनिक परिवहन पर मौलिक पुनर्विचार और उनके पुनर्निर्माण की आवश्यकता है।
  - इसमें ई-बसों का परिचालन, समर्पित बस कॉरिडोर का निर्माण और बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम लागू करना शामिल है।
  - ये उपाय पारिस्थितिक और सामाजिक विचारों पर ध्यान देने के साथ सतत् शहरी विकास में योगदान करते हैं।
- **सतत् विकास में नागरिक भागीदारी:**
  - शहरी विकास के प्रचलित आर्थिक दृष्टिकोण को पारिस्थितिक एवं सामाजिक विचारों को शामिल करते हुए एक स्थायी परिप्रेक्ष्य को अवसर देने की आवश्यकता है।
  - स्थानीय स्तर पर सतत् विकास को लोकतांत्रिक बनाने के लिये नागरिकों को सहभागी बजटिंग जैसी पहल के माध्यम से शासन में सक्रिय रूप से भागीदार बनाया जाना चाहिये।
  - स्थानीय रूप से उपयुक्त साधन और अत्यावश्यक मुद्दों का समाधान इस नागरिक-प्रेरित दृष्टिकोण के केंद्र में होंगे।
- **संवहनीयता प्रभाव आकलन (Sustainability Impact Assessments- SIA) की अनिवार्यता:**
  - स्थानीय स्तर पर संवहनीयता के एकीकरण को सुनिश्चित करने के लिये किसी भी विकासात्मक गतिविधि से संबंधित अनिवार्य संवहनीयता प्रभाव आकलन (SIA) की आवश्यकता है।

नोट :

- यह रणनीतिक मूल्यांकन साधन सुनिश्चित करता है कि शहरी विकास संबंधी निर्णयों में पारिस्थितिक एवं सामाजिक विचारों को व्यवस्थित रूप से शामिल किया गया है जो एक समग्र एवं सतत् दृष्टिकोण को बढ़ावा देते हैं।

निष्कर्ष

भारत में शहरीकरण के प्रक्षेपवक्र के लिये व्यापक शहरी सुधारों की आवश्यकता है। तीव्र विकास और संवहनीय अभ्यासों के बीच संतुलन बनाना अत्यावश्यक है। शहरी सुधारों में सामाजिक कल्याण, हरित अवसंरचना, नागरिक भागीदारी और नवोन्मेषी शासन को प्राथमिकता दी जानी चाहिये ताकि ऐसे शहर बनाए जा सकें जो न केवल आर्थिक विकास के केंद्र हों बल्कि समावेशिता और पर्यावरणीय उत्तरदायित्व के भी उदाहरण बन सकें। वर्तमान में जारी रूपांतरण भारत के लिये अपने शहरी भूदृश्य को विवेकपूर्ण ढंग से आकार देने और इस रूप में भविष्य के लिये प्रत्यास्थी एवं समतामूलक शहरों को बढ़ावा देने का एक अवसर प्रदान करता है।

दिव्यांगजन अधिकार संबंधी मुद्दों को हल करने में संरचित विमर्श

विशेषशक्तता या दिव्यांगता (Disability) तब उत्पन्न होती है जब दिव्यांगजनों को व्यावहारिक और पर्यावरणीय दोनों तरह की बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जो उन्हें समाज में पूर्ण एवं न्यायसंगत भागीदारी से अवरुद्ध करता है। दिव्यांगता पर परिप्रेक्ष्य का विकास एक व्यक्तिगत-केंद्रित चिकित्सा मॉडल से एक व्यापक सामाजिक या मानवाधिकार मॉडल के रूप में हुआ है, जो दिव्यांगजनों के समावेशन और भागीदारी पर सामाजिक कारकों के प्रभावको उद्घाटित करता है। इन पहलुओं के आलोक में, संरचित वार्ता दिव्यांगता अधिकारों से जुड़े मुद्दों को संबोधित करने में एक प्रभावशाली साधन के रूप में उभरती है।

संरचित वार्ता (Structured Negotiation) क्या है ?

- **परिचय:**
  - सहयोगात्मक दृष्टिकोण: संरचित वार्ता एक सहयोगात्मक और समाधान-प्रेरित विवाद समाधान पद्धति है, जो दिनानुदिन वाद या मुक़दमेबाज़ी (litigation) की जगह लेती जा रही है।
  - सामाजिक कल्याण संबंधी विधान का फोकस: इसमें चूककर्ता सेवा प्रदाताओं (defaulting service providers) को वार्ता के लिये आमंत्रित करना शामिल है, जहाँ सामाजिक कल्याण संबंधी विधानों के अनुपालन पर बल दिया जाता है।
- **अमेरिका में संरचित वार्ता की सफलताएँ:**
  - दिव्यांगता अधिकार संबंधी मामलों में प्रभावी: संयुक्त राज्य अमेरिका में दिव्यांगता अधिकार संबंधी मामलों के निपटान में संरचित वार्ता उल्लेखनीय रूप से सफल रही है।
  - अभिगम्यता संबंधी मुद्दों को संबोधित करना: इन सफलताओं में ऑटोमेटेड टेलर मशीनों, पॉइंट ऑफ सेल उपकरणों, पेडेस्ट्रियन सिग्नल और सेवा प्रदाता वेबसाइटों के साथ समस्याओं का समाधान करना शामिल है।

नोट :

- **संरचित वार्ता में सर्वविजय की स्थिति:**
  - लागत और प्रचार संबंधी चिंताएँ: चूककर्ता सेवा प्रदाता मुक़दमेबाज़ी की उच्च लागत और नकारात्मक प्रचार से बचना चाहते हैं।
  - बाधा-मुक्त बाज़ार: शिकायतकर्ताओं का लक्ष्य है बाधा-मुक्त बाज़ार भागीदारी, जिसे संरचित वार्ता के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है।
- **संरचित वार्ता में विधिक दृष्टांतों की भूमिका:**
  - दिव्यांग-अनुकूल दृष्टांतों का सृजन: यह सफलता सुदृढ़ दिव्यांग-अनुकूल विधिक दृष्टांतों या कानूनी मिसालों पर निर्भर करती है, जो संरचित वार्ता के लिये एक आधार तैयार करती है।
  - अभिगम्यता के लिये खाका: न्यायालय अभिगम्यता के लिये एक खाका या ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं, जिससे व्यवसायों को मुक़दमेबाज़ी के बिना अनुपालन सुनिश्चित करने की अनुमति मिलती है।

भारत में दिव्यांग आबादी के समक्ष विद्यमान प्रमुख चुनौतियाँ कौन-सी हैं?

- **ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं के बारे में सीमित जागरूकता:**
  - दिव्यांगजनों के लिये उपलब्ध सरकारी योजनाओं और लाभों के बारे में जागरूकता की कमी एक प्रमुख चुनौती है।
    - यह समस्या ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक गंभीर है जहाँ सूचना प्रसारित करना विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण है।

Disabled Population by Type of Disability (%)
India : 2011

Proportion of Disabled Population by Type of Disability
India : 2011 (%)

Type of Disability	Persons	Males	Females
Total	100.0	100.0	100.0
In Seeing	18.8	17.6	20.2
In Hearing	18.9	17.9	20.2
In Speech	7.5	7.5	7.4
In Movement	20.3	22.5	17.5
Mental Retardation	5.6	5.8	5.4
Mental Illness	2.7	2.8	2.6
Any Other	18.4	18.2	18.6
Multiple Disability	7.9	7.8	8.1

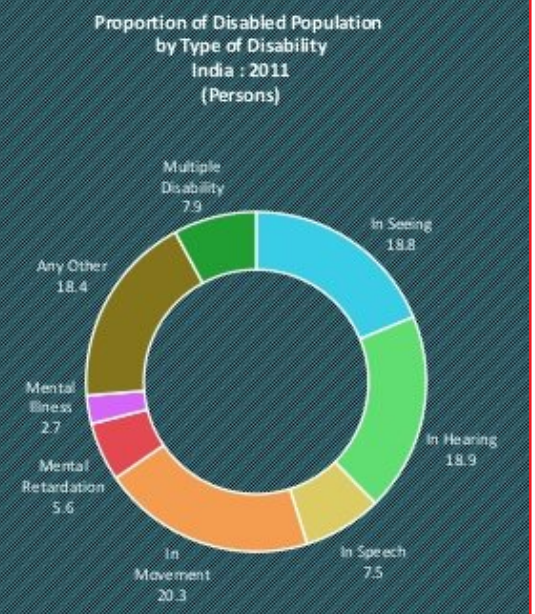

- **ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा और रोज़गार तक सीमित पहुँच:**
  - ग्रामीण क्षेत्रों में दिव्यांगजनों को शिक्षा और रोज़गार के अवसरों तक पहुँच में बाधा का सामना करना पड़ता है।
    - शैक्षिक संस्थानों और व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों की अनुपस्थिति उनके कौशल अधिग्रहण और कार्यबल भागीदारी में बाधा उत्पन्न करती है।

नोट :

- **दिव्यांगजनों के लिये पर्याप्त अवसंरचना की कमी:**
  - स्कूलों, अस्पतालों, परिवहन प्रणालियों और सरकारी कार्यालयों सहित विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर दिव्यांगजनों के लिये प्राय: सामंजन सुविधाओं की कमी होती है।
    - यह कमी उनकी गतिशीलता, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और सामाजिक एवं नागरिक गतिविधियों में संलग्नता को प्रतिबंधित करती है।
- **महत्त्वपूर्ण पहलों से दिव्यांग बच्चों का अपवर्जन:**
  - यूनिसेफ (UNISEF) इस बात पर प्रकाश डालता है कि दिव्यांग बच्चों को प्राय: सार्वजनिक स्थानों से अपवर्जित किया जाता है, जिससे वे उनके स्वास्थ्य एवं कल्याण में सुधार पर लक्षित महत्त्वपूर्ण पहलों से चूक जाते हैं।
- **विकासात्मक योजनाओं से अनवधानात्मक अपवर्जन:**
  - कुछ विकास संबंधी योजनाएँ अनवधानात्मक रूप में या अनजाने में दिव्यांगजनों को अपवर्जित कर देती हैं। उदाहरण के लिये टीकाकरण अभियानों में रैंप, सांकेतिक भाषा के दुभाषियों या ब्रेल सामग्री जैसी पहुँच सुविधाओं का अभाव नज़र आया।
- **भारत में दिव्यांगता अधिकार संबंधी कानूनों को लागू करने की चुनौतियाँ:**
  - जबकि भारत ने दिव्यांगजनों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (CRPD) की पुष्टि की है और दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम (RPwDs) को अधिनियमित किया है, इन कानूनों के प्रवर्तन एवं कार्यान्वयन में अंतराल और चुनौतियाँ बनी हुई हैं।
    - कई दिव्यांगजन अपने अधिकारों और उपलब्ध उपचारों के प्रति अनजान बने रहते हैं।
- **अपर्याप्त राजनीतिक भागीदारी:**
  - राजनीतिक अवसर के मामले में दिव्यांगजनों का अपवर्जन देश में राजनीतिक प्रक्रिया के सभी स्तरों पर और विभिन्न रूपों में घटित होता है, जैसे:
    - निर्वाचन क्षेत्रों में दिव्यांगजनों की सटीक संख्या पर अद्यतन समग्र डेटा का अभाव।
    - मतदान प्रक्रिया की दुर्गमता (ब्रेल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के व्यापक उपयोग का अभाव)।
    - दलीय राजनीति में भागीदारी के मामले में बाधाएँ।

संरचित वार्ता दिव्यांगता अधिकारों को बढ़ावा देने में किस प्रकार मदद कर सकती है?

- **भारतीय विधिक प्रणाली में मौजूद चुनौतियों को संबोधित करना:**
  - भारतीय सिविल न्यायालयों में लालफीताशाही: भारतीय सिविल न्यायालयों में मामलों के लंबित होने, कागजी कार्रवाई और लालफीताशाही (Red Tape) की स्थिति पारंपरिक विवाद समाधान को हतोत्साहित करती है।
  - दिव्यांगजनों के अधिकार अधिनियम, 2016: यह कानून मुख्य आयुक्त को गैर-अनुपालन की रिपोर्ट करने की अनुमति देता है, लेकिन अभिगम्यता पर इसका प्रभाव अनिश्चित है, जहाँ संरचित वार्ता प्रभावी सिद्ध हो सकती है।
- **भारत में CCPD के प्रयासों को पूरकता प्रदान करना:**
  - PayTM मामले का उदाहरण: दिव्यांगजनों के लिये मुख्य आयुक्त (Chief Commissioner for Persons with Disabilities- CCPD) ने PayTM को अपने ऐप को सुगम बनाने का निर्देश दिया, लेकिन अनुपालन के परिणामस्वरूप इसकी दुर्गमता बढ़ गई।
  - निरंतर सतर्कता की आवश्यकता: वास्तविक समय अभिगम्यता के लिये समाधानों को मान्य करने हेतु निरंतर सतर्कता और उपयोगकर्ता इनपुट की आवश्यकता होती है। संरचित वार्ताएँ इन आवश्यकताओं को दूर कर सकेंगी।
- भारत में संरचित वार्ता की संभावना:
  - ग़ैर-अनुपालन लेबल से बचना: संरचित वार्ता PayTM जैसे सेवा प्रदाताओं को गैर-अनुपालन से जुड़ी शर्मिंदगी से बचने में मदद कर सकती है।
  - दिव्यांगजनों की प्रत्यक्ष भागीदारी: यह दिव्यांगजनों को प्रत्यक्ष रूप से सेवा प्रदाताओं को संबोधित करने और सुधारों के कार्यान्वयन की निगरानी करने में सक्षम बनाता है।
- **भारत में व्यवसायों के लिये दिव्यांगता समावेशन को प्राथमिकता देना:**
  - प्राथमिकता का महत्त्व: वैकल्पिक विवाद समाधान (alternative dispute resolution) की सफलता उन सेवा प्रदाताओं पर निर्भर करती है जो दिव्यांगजनों की चिंताओं को प्राथमिकता देते हैं।
  - विशाल क्रय क्षमता: व्यवसायों को दिव्यांग उपयोगकर्ताओं को प्राथमिकता देनी चाहिये ताकि उनकी उल्लेखनीय क्रय क्षमता का लाभ उठा सकें और इसमें संरचित वार्ता महत्त्वपूर्ण सिद्ध हो सकती है।

नोट :

- **संवैधानिक अधिदेशों को बढ़ावा देना:**
  - राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों (DPSP) के अनुच्छेद 41 में कहा गया है कि राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर, काम पाने के, शिक्षा पाने के और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और नि:शक्तता तथा अन्य अनर्ह अभाव की दशाओं में सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त कराने का प्रभावी उपबंध करेगा।
  - संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची में 'नि:शक्त और नियोजन के लिये अयोग्य व्यक्तियों की सहायता' निर्दिष्ट है।
    - संरचित वार्ता इन दायित्वों की पूर्ति के लिये सरकारों के प्रयासों को पूरकता प्रदान करने में मदद करेगी।

दिव्यांगजनों के सशक्तीकरण के लिये प्रमुख सरकारी पहलें कौन-सी हैं?

- **भारत में:**
  - विशिष्ट नि:शक्तता पहचान पोर्टल (Unique Disability Identification Portal)
  - सुगम्य भारत अभियान (Accessible India Campaign)
  - दीनदयाल दिव्यांग पुनर्वास योजना (DeenDayal Disabled Rehabilitation Scheme)
  - दिव्यांगजनों के लिये सहायक यंत्रों/उपकरणों की खरीद/फिटिंग में सहायता की योजना (Assistance to Disabled Persons for Purchase/fitting of Aids and Appliances)
  - दिव्यांग छात्रों के लिये राष्ट्रीय फैलोशिप (National Fellowship for Students with Disabilities)
- **वैश्विक स्तर पर:**
  - एशिया और प्रशांत क्षेत्र में दिव्यांगजनों के लिये 'अधिकारों को साकार करने' हेतु इंचियोन कार्यनीति (Incheon Strategy to "Make the Right Real" for Persons with Disabilities in Asia and the Pacific)।
    - यह एशिया-प्रशांत क्षेत्र में दिव्यांगजनों के अधिकारों और कल्याण को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से की गई पहल है।
    - इस रणनीति का नाम इंचियोन (दक्षिण कोरिया) के नाम पर रखा गया है, जहाँ इसे दिव्यांगजनों के एशियाई और प्रशांत दशक 2003-2012 के कार्यान्वयन की अंतिम समीक्षा पर आयोजित उच्च स्तरीय अंतर-सरकारी बैठक के दौरान अंगीकार किया गया था।
  - दिव्यांगजनों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (United Nations Convention on Rights of Persons with Disability)।
  - अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस (International Day of Persons with Disabilities)
  - दिव्यांगजनों के लिये संयुक्त राष्ट्र सिद्धांत (UN Principles for People with Disabilities)

निष्कर्ष:

- वैकल्पिक विवाद समाधान पद्धति के रूप में संरचित वार्ता की प्रभावकारिता, विशेष रूप से दिव्यांगता अधिकार मामलों को संबोधित करने के संबंध में, अतिरंजित नहीं की जा सकती है। दिव्यांगजनों के लिये अभिगम्य वातावरण को बढ़ावा देने में इसकी सफलता, जैसा कि प्रमुख निगमों से जुड़े उल्लेखनीय मामलों से प्रकट होता है, पारंपरिक वादों की तुलना में इसके अधिक व्यावहारिक लाभों को उजागर करती है। हेलेन केलर (Helen Keller) के शब्दों में कहें तो 'आशावाद उपलब्धि की कुंजी है' और भारत में बड़े पैमाने पर संरचित वार्ता की व्यवस्था करना अधिक समावेशी एवं अभिगम्य भविष्य की दिशा में एक सामयिक और अनिवार्य कदम है।

यूरोपीय संघ का कार्बन सीमा कर प्रभाव

यूरोपीय संघ (EU) द्वारा एक कार्बन सीमा समायोजन तंत्र (Carbon Border Adjustment Mechanism-CBAM) लागू करने की मंशा (जो 1 जनवरी 2026 से शुरू होगी) ने भारतीय निर्यात के लिये लागत में वृद्धि के संबंध में चिंताएँ बढ़ा दी हैं। अक्टूबर 2023 से भारतीय निर्यातकों के लिये लगभग प्रत्येक दो माह पर अपनी प्रक्रियाओं पर दस्तावेज़ जमा करना आवश्यक बना दिया गया है।

यूरोपीय संघ भारतीय निर्यातकों के आवेदनों की जाँच करने के लिये 'वेरीफाइर्स' प्रवर्तित करने की मंशा रखता है। प्रारंभ में यह संवीक्षा विशिष्ट क्षेत्रों को लक्षित करेगी, लेकिन ऐसी आशंकाएँ मौजूद हैं कि सत्यापन प्रक्रिया अंतत: यूरोपीय संघ में सभी आयातों को दायरे में ले लेगी।

यूरोपीय संघ का CBAM क्या है?

- **परिचय:**
  - CBAM यूरोपीय संघ के 'फिट फॉर 55 इन 2030 पैकेज' का एक प्रमुख अवयव है, जिसे वर्ष 1990 के स्तर की तुलना में वर्ष 2030 तक ग्रीनहाउस गैस (GHG) उत्सर्जन में 55% की कमी लाने के लिये डिज़ाइन किया गया है।

नोट :

- यह नीति यूरोपीय संघ में आयातित विशिष्ट वस्तुओं के उत्पादन से जुड़े कार्बन उत्सर्जन पर उचित मूल्य अधिरोपित करेगी।

- **CBAM के पर्यावरणीय उद्देश्य:**
  - CBAM यूरोपीय संघ के बाहर स्वच्छ औद्योगिक उत्पादन को बढ़ावा देने की इच्छा रखता है ताकि कार्बन लीकेज को हतोत्साहित किया जा सके। प्राय: यह प्रवृत्ति देखी गई है कि कार्बन-गहन गतिविधियाँ कमज़ोर पर्यावरणीय मानकों वाले क्षेत्रों में स्थानांतरित हो जाती हैं।
  - यूरोपीय संघ का लक्ष्य कार्बन मूल्य निर्धारण को आयात पर भी लागू कर कठोर जलवायु नीतियों के वैश्विक अनुपालन को बढ़ावा देना और अपनी सीमाओं से परे उत्पादन प्रक्रियाओं के पर्यावरणीय प्रभाव को कम करना है।
- **CBAM और 'यूरोपियन ग्रीन डील':**
  - CBAM यूरोपियन ग्रीन डील (European Green Deal) का एक घटक है, जिसे गैर-ईयू देशों के कार्बन-गहन उद्योगों पर आयात शुल्क लगाकर कार्बन लीकेज को रोकने और प्रतिस्पर्द्धात्मकता बनाए रखने के लिये डिज़ाइन किया गया है।
- **कवरेज और लक्षित क्षेत्र:**
  - CBAM विशेष रूप से सीमेंट, लोहा एवं इस्पात, एल्यूमीनियम, उर्वरक, बिजली और हाइड्रोजन के आयात को लक्षित करेगा।
  - इन वस्तुओं को कार्बन मूल्य निर्धारण उपायों का सामना करना पड़ेगा यदि उनके मूल देशों में यूरोपीय संघ की तुलना में कम कठोर जलवायु नीतियाँ क्रियान्वित हैं।
  - आयातकों को अपने उत्पादों से संबद्ध कार्बन उत्सर्जन के अनुरूप कार्बन प्रमाणपत्र खरीदने की आवश्यकता होगी।
- **बाज़ार तंत्र और कार्बन प्रमाणपत्र:**
  - CBAM के तहत कार्बन प्रमाणपत्रों (Carbon Certificates) का मूल्य निर्धारण यूरोपीय संघ उत्सर्जन व्यापार प्रणाली (Emissions Trading System-ETS) की दरों के अनुरूप होगा।
  - यह बाज़ार-आधारित प्रणाली यूरोपीय संघ के भीतर औद्योगिक उत्सर्जन को नियंत्रित करती है।
  - आयातकों को कार्बन लागत को प्रतिबिंबित करने वाली कीमतों पर ये प्रमाणपत्र प्राप्त करने की आवश्यकता होगी, जो वैश्विक स्तर पर स्वच्छ उत्पादन अभ्यासों को प्रोत्साहित करेगा।

CBAM के कार्यान्वयन से जुड़ी प्रमुख चुनौतियाँ कौन-सी हैं?

- **यूरोपीय संघ के प्रस्ताव पर BASIC देशों का विरोध:**
  - BASIC देशों (ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, भारत और चीन) ने यूरोपीय संघ के प्रस्ताव का संयुक्त रूप से विरोध किया है तथा इसे 'भेदभावपूर्ण' और समानता के सिद्धांतों एवं 'समान परंतु विभेदित उत्तरदायित्वों और संबंधित क्षमताओं' (Common but Differentiated Responsibilities and Respective Capabilities-CBDR-RC) के विपरीत बताया है।
- **वैश्विक सहमति का अभाव:**
  - रियो घोषणा (Rio Declaration) के अनुच्छेद 12 में उल्लिखित वैश्विक सर्वसम्मति के आलोक में यूरोपीय संघ के ऐसे सार्वभौमिक वैश्विक पर्यावरण मानक की इच्छा को आलोचना का सामना करना पड़ रहा है।
  - यह अनुच्छेद इस बात पर बल देता है कि विकसित देशों पर लागू मानकों को विकासशील देशों पर नहीं थोपा जाना चाहिये।
- **ग्रीनहाउस गैस इन्वेंटरी से जुड़े मुद्दे:**
  - इसके अतिरिक्त, आयात करने वाले देशों की सूची में आयात की ग्रीनहाउस सामग्री को समायोजित करने की नीति की आवश्यकता ग्रीनहाउस गैस लेखांकन के पारंपरिक दृष्टिकोण को चुनौती देती है।
- **संरक्षणवाद का एक प्रच्छन्न रूप:**
  - यूरोपीय संघ की कार्बन सीमा कर नीति (carbon border tax policy) संभावित संरक्षणवाद (Protectionism) के बारे में चिंता पैदा करती है।
    - संरक्षणवाद में वे सरकारी नीतियाँ शामिल होती हैं जो घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देने के लिये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रतिबंधित करती हैं।
  - इस टैक्स को संरक्षणवाद के एक प्रच्छन्न रूप की तरह देखा जा सकता है, जो 'हरित संरक्षणवाद' (green protectionism) के जोखिम पैदा करता है, जहाँ पर्यावरणीय दृष्टिकोण की आड़ में स्थानीय उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्द्धा से अनुचित रूप से बचाया जाता है।

नोट :

CBAM के कारण भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

- **भारत-यूरोपीय संघ व्यापार संबंधों में विद्यमान मुद्दे:**
  - CBAM से प्रतिकूल रूप से प्रभावित शीर्ष आठ देशों में से एक होने के कारण भारत को संभावित चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि यह अपने 8.2 बिलियन डॉलर मूल्य के लौह, इस्पात एवं एल्यूमीनियम उत्पादों का 27% यूरोपीय संघ को निर्यात करता है तथा इस्पात जैसे प्रमुख क्षेत्र इससे व्यापक रूप से प्रभावित हो सकते हैं।
  - कर के कारण यूरोपीय संघ में भारतीय निर्मित वस्तुओं की कीमतें बढ़ने से खरीदारों के बीच उनकी अपील कम होने का खतरा है, जिससे संभावित रूप से मांग में गिरावट आ सकती है।
  - यह स्थिति वृहत ग्रीनहाउस गैस फुटप्रिंट रखने वाली कंपनियों के लिये निकट अवधि में उल्लेखनीय चुनौतियाँ पैदा कर सकती है।

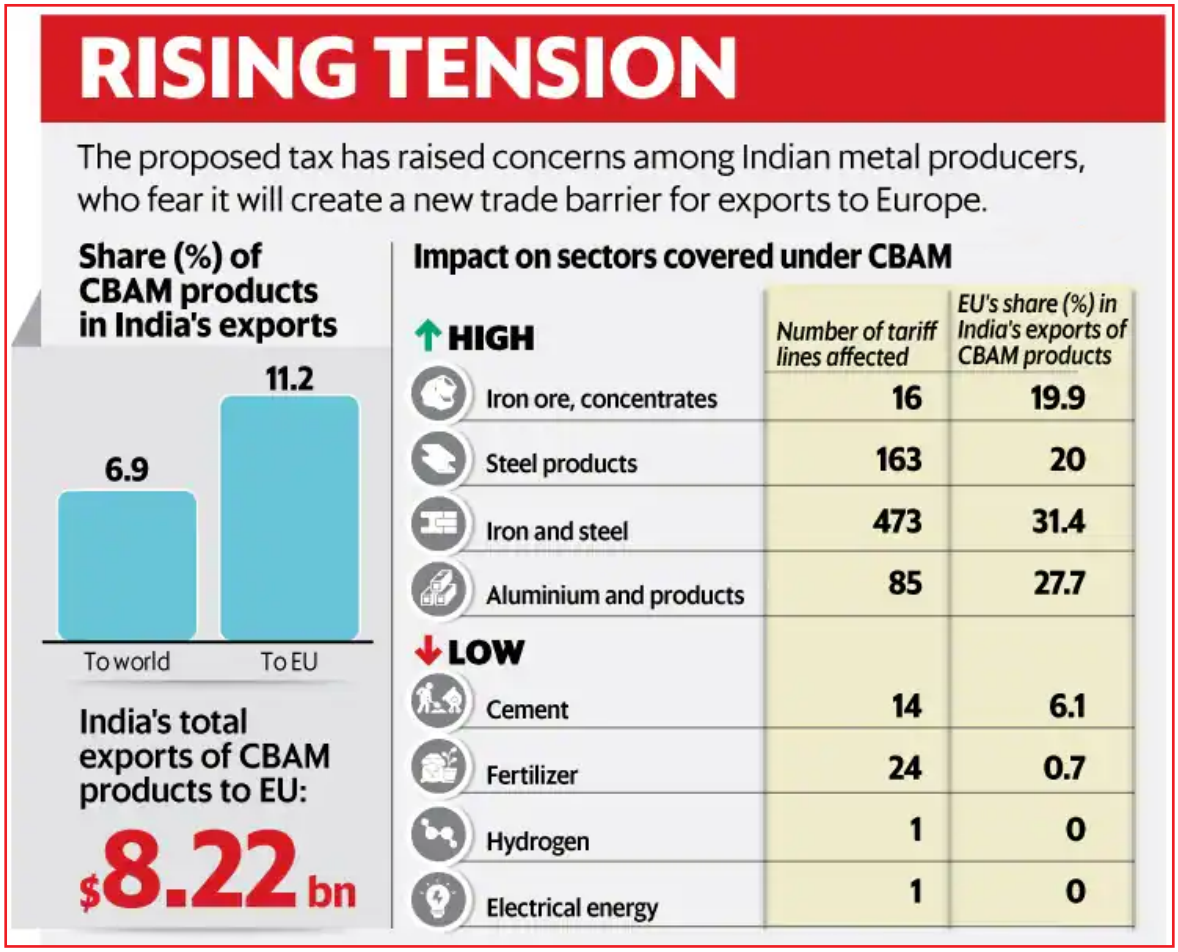

- **विनिर्माण पर CBAM का प्रभाव:**
  - भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने CBAM की इसकी ख़राब परिकल्पना के लिये आलोचना की है, जहाँ यह भारत के विनिर्माण क्षेत्र पर हानिकारक प्रभाव उत्पन्न कर सकता है और इसके लिये 'मौत की घंटी' के रूप में कार्य कर सकता है।
- **भारत का कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग सिस्टम (CCTS):**
  - भारत ने वर्ष 2022 में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम में संशोधन करते हुए 'कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग सिस्टम' (CCTS) के रूप में अपना स्वयं का कार्बन व्यापार तंत्र पेश किया है।

नोट :

- ऊर्जा मंत्रालय भारत में CCTS के परिचालन के लिये विशिष्टत आवश्यकताओं पर कार्य कर रहा है, जिसे 'ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम रूल्स' द्वारा पूरकता प्रदान की जा रही है; इस प्रकार कार्बन कटौती से आगे पर्यावरणीय रूप से सक्रिय कार्रवाइयों को प्रोत्साहित किया जा रहा है।
  - CCTS उत्सर्जन में कटौती को प्रोत्साहित करने और स्वच्छ ऊर्जा निवेश को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखता है।

- **CBAM का सामना करने के लिये भारत के सीमित विकल्प:**
  - CBAM से निपटने के लिये भारत के पास सीमित रणनीतियाँ हैं, जिसमें इसे पेरिस समझौते के समान परंतु विभेदित उत्तरदायित्वों के सिद्धांत का उल्लंघन बताकर चुनौती देना भी शामिल है।
    - भारत हरित प्रौद्योगिकियों में निवेश के लिये एकत्रित धन वापस करने के लिये यूरोपीय संघ से समझौता वार्ता भी कर सकता है।

- **भारत के लिये कार्बन कराधान उपाय तैयार करना अनिवार्य:**
  - यूनाइटेड किंगडम द्वारा वर्ष 2027 तक अपना स्वयं का CBAM लागू करने के साथ, भारत को पेरिस समझौते के सिद्धांतों के अनुरूप अपने स्वयं के कार्बन कराधान उपाय तैयार करने की सख्त आवश्यकता है।

- **FTA मानदंडों के विरुद्ध:**
  - CBAM की एक गैर-टैरिफ बाधा के रूप में भी आलोचना की जाती है जो शून्य शुल्क मुक्त व्यापार समझौते (FTA) को कमज़ोर करता है । भारत यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के कथित 'हरित' उत्पादों के लिये शुल्क-मुक्त प्रवेश की अनुमति देते हुए लेवी का भुगतान करता है, जिसे विरोधाभासी स्थिति के रूप में देखा जाता है।

CBAM का सामना करने के लिये भारत द्वारा कौन-से कदम उठाये जा सकते हैं?

- **CBAM का विरोध:**
  - भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर CBAM का प्रबल विरोध करना चाहिये, जहाँ इस बात को उजागर किया जा सकता है कि यह समान परंतु विभेदित उत्तरदायित्व के महत्त्वपूर्ण सिद्धांत को कमज़ोर करता है।
    - CBAM विकासशील विश्व के औद्योगीकरण की क्षमता पर प्रतिबंध लगाकर अंतर्राष्ट्रीय जलवायु समझौतों में परिकल्पित समानता को चुनौती देता है।

- **निर्यात कर पर विचार:**
  - भारत एक रणनीतिक प्रतिक्रिया के रूप में यूरोपीय संघ को अपने निर्यात पर एक सदृश कर अधिरोपित करने पर विचार कर सकता है। हालाँकि इससे उत्पादकों पर तुलनीय कर का बोझ पड़ सकता है, लेकिन इससे उत्पन्न धनराशि पर्यावरण के अनुकूल उत्पादन प्रक्रियाओं में पुनर्निवेश करने का एक अनूठा अवसर प्रदान कर सकती है।
    - यह न केवल वर्तमान करों के प्रभाव को कम कर सकता है बल्कि भविष्य में संभावित कटौती के लिये भारत को अनुकूल स्थिति में भी रख सकता है।
  - हालाँकि, निर्यात कर के संभावित लाभों के बावजूद, यूरोपीय संघ द्वारा इसकी स्वीकृति और घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कानूनी सवाल उठाए बिना इसके कार्यान्वयन की व्यवहार्यता पर अनिश्चितताएँ मौजूद हैं।
    - इस जवाबी प्रतिक्रिया की सफलता इन अनिश्चितताओं से निपटने और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त कर सकने पर निर्भर होगी।

- **बाज़ार विविधीकरण रणनीति:**
  - CBAM द्वारा उत्पन्न चुनौतियों का रणनीतिक रूप से जवाब देने के लिये, भारत को सक्रिय रूप से यूरोपीय संघ के बाज़ार पर अपनी निर्भरता कम करनी चाहिये।
    - एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका जैसे क्षेत्रों में नए अवसर तलाशना बाज़ार विविधीकरण की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम होगा।
  - इस दृष्टिकोण का उद्देश्य भारत को CBAM और अन्य गतिशील आर्थिक परिवर्तनों से जुड़ी भेद्यताओं से बचाना है, जो एक अधिक प्रत्यास्थी एवं अनुकूलनीय आर्थिक रुख में योगदान देगा।

- **हरित अवसर का लाभ उठाना:**
  - CBAM द्वारा उत्पन्न चुनौतियों के बीच, भारत उत्पादन प्रक्रियाओं को हरित और अधिक संवहनीय बनाने की तैयारी शुरू कर इस प्रतिकूलता को एक अवसर में बदल सकता है।
  - हरित उत्पादन को प्रोत्साहित करना न केवल वैश्विक पर्यावरणीय लक्ष्यों के अनुरूप होगा, बल्कि भारत को भविष्य में प्रतिस्पर्द्धी बने रहने के लिये भी तैयार करेगा, जहाँ कार्बन चेतना (carbon consciousness) एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
  - यह अग्रसक्रिय दृष्टिकोण भारत के दीर्घकालिक आर्थिक और पर्यावरणीय संवहनीयता लक्ष्यों में योगदान देगा, जो इसके वर्ष 2070 नेट ज़ीरो लक्ष्यों के अनुरूप होगा।

नोट :

निष्कर्ष:

ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने और कार्बन लीकेज को रोकने के उद्देश्य से यूरोपीय संघ द्वारा CBAM के प्रस्ताव ने भारत को अपने स्वयं के कार्बन व्यापार तंत्र या CCTS पर विचार करने के लिये प्रेरित किया है। दिसंबर 2025 में CBAM के संक्रमणकालीन चरण के समाप्त होने के साथ, भारत को अपने उद्योगों को संभावित प्रतिकूल प्रभावों से बचाने के लिये पेरिस समझौते के सिद्धांतों के अनुरूप अपने कार्बन कराधान उपायों को तीव्र गति से तैयार एवं कार्यान्वित करना चाहिये। यूरोपीय संघ के साथ चल रही समझौता वार्ताएँ (विश्व व्यापार संगठन के समक्ष चुनौती सहित) इस वैश्विक पर्यावरण नीति परिदृश्य पर भारत की प्रतिक्रिया निर्धारित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएँगी।

विधिक सफलता और परिहार संबंधी चुनौतियाँ

सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में बिलकिस याकूब रसूल बनाम भारत संघ एवं अन्य मामले (2022) में बिलकिस बानो बलात्कार मामले में उम्रकैद की सज़ा काट रहे 11 दोषियों को दी गई छूट या परिहार (remission) को पलट दिया है। गुजरात राज्य ने अपनी वर्ष 1992 की परिहार नीति (remission policy) के आधार पर 10 अगस्त 2023 को परिहार प्रदान करते हुए इन दोषियों को रिहा कर दिया था। राज्य के इस परिहार आदेश से पूर्व सर्वोच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने निर्णय दिया था कि इस मामले में गुजरात राज्य उपयुक्त सरकार है जो दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (CrPC) के अनुसार परिहार प्रदान करने के लिये अधिकृत है।

बिलकिस बानो मामले में हाल के मुद्दे क्या थे?

- **अन्याय और मिलीभगत:**
  - बिलकिस बानो मामले में 'असाधारण स्तर का अन्याय' (injustice of exceptionalism) संलग्न माना गया, जहाँ सामूहिक बलात्कार और हत्या के 11 दोषियों को बिना अधिक सोच-विचार के दंड से परिहार प्रदान कर दिया गया।
  - सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से एक याचिकाकर्ता, पूर्व के एक खंडपीठ और गुजरात सरकार के बीच मिलीभगत का पर्दाफाश हुआ जहाँ अवैध रूप से परिहार प्रदान किया गया।
- **परिहार अनुप्रयोग क्षेत्राधिकार (Remission Application Jurisdiction):**
  - एक स्पष्ट कानूनी मिसाल मौजूद होने के बावजूद, गुजरात सरकार ने कानून का उल्लंघन करते हुए महाराष्ट्र सरकार की शक्ति का आहरण कर परिहार अनुप्रयोगों पर अधिकार प्राप्त कर लिया।
  - सर्वोच्च न्यायालय ने गुजरात सरकार को परिहार प्रदान कर सकने के लिये 'समुचित सरकार' (appropriate government) मानने के पूर्व के निर्णय को अवैध करार देते हुए 11 दोषियों के परिहार आदेश को रद्द कर दिया।
- **विधि का शासन बनाए रखने के लिये प्रशंसा:**
  - असाधारण अन्याय की स्थिति में विधि के शासन को बनाए रखने और कानून के समक्ष समता को अक्षुण्ण बनाए रखने में न्यायिक संवीक्षा के महत्व पर बल देने के लिये सर्वोच्च न्यायालय की प्रशंसा की जा रही है।
  - इस निर्णय के सख्त स्वर ने अवैधताओं और मिलीभगत को उजागर किया, जिससे बिलकिस बानो को न्याय के इस संघर्ष में सांत्वना मिली।
- **बिलकिस बानो की सहनशीलता:**
  - न्याय की तलाश में बिलकिस बानो की बनी रही सहनशीलता (वह टूटी नहीं, झुकी नहीं, न्यायपालिका पर आस्था को डिगने नहीं दिया) को चिह्नित किया गया और इसकी सराहना की गई, विशेष रूप से जबकि 11 दोषियों की रिहाई के बाद एक समूह द्वारा निर्लज्ज उत्सव का दृश्य भी देखने को मिला था।
  - ताज़ा निर्णय को एक सकारात्मक कदम के रूप में देखा जा रहा है, जो बिलकिस बानो को सांत्वना और समर्थन प्रदान करता है तथा महिला अधिकारवादी अधिवक्ताओं के प्रयासों को चिह्नित करता है।

परिहार या छूट (Remission) क्या है?

- **परिचय:**
  - फर्लो (furlough) और पैरोल (parole) के विपरीत, परिहार के मामले में दंड की मूल प्रकृति को बनाए रखते हुए दंड की अवधि को कम करना शामिल है।
  - प्रदत्त परिहार के परिणामस्वरूप एक निर्दिष्ट रिहाई तिथि घोषित की जाती है, लेकिन रिहाई की शर्तों के उल्लंघन के मामले में पूर्ण मूल दंड की पुनर्बहाली की जा सकती है।
  - स्वतंत्रता और जवाबदेही को संतुलित करना:
    - परिहार की अवधारणा पर विचार करें तो यह रिहाई की एक विशिष्ट तिथि घोषित करता है। लेकिन दोषी द्वारा रिहाई की शर्तों का पालन करना अनिवार्य होता है, जहाँ उल्लंघन के मामले में इस परिहार को रद्द किया जा सकता है।
    - शर्तों के उल्लंघन के परिणामस्वरूप परिहार रद्द कर दिया जाता है, जिससे दोषी व्यक्ति को आरंभिक रूप से प्रदत्त दंड की पूरी अवधि गुज़ारनी होती है।

नोट :

- स्वतंत्रता और जवाबदेही के बीच यह नाजुक संतुलन परिहार की कानूनी गतिशीलता को आकार प्रदान करता है।

- **पृष्ठभूमि:**
  - कारागार अधिनियम 1894:
    - कारागार अधिनियम, 1894 द्वारा शासित परिहार प्रणाली कैदियों के लिये मार्क्स प्रदान करने और दंड कम करने के नियमों की रूपरेखा तैयार करती है।
    - न्यायालय, जैसा कि केहर सिंह बनाम भारत संघ मामले (1989) में स्पष्ट किया गया, सुधार के सिद्धांतों पर प्रकाश डालते हुए, कैदियों के लिये परिहार पर विचार करने के महत्व पर बल देता है।
  - सुधार का सिद्धांत (Principle of Reformation):
    - यदि रिहाई या मुक्ति की आशा नहीं हो तो यह अनुच्छेद 20 और 21 के तहत प्रदत्त संवैधानिक सुरक्षा उपायों के विरुद्ध होगा।
    - जबकि किसी भी दोषी के पास परिहार या दंड से छूट का मूल अधिकार नहीं है, परिहार के लिये विचार किये जाने का अधिकार वैधानिक माना जाता है जो प्रदत्त संवैधानिक सुरक्षा उपायों के अनुरूप भी है।
  - परिहार के मामले में कार्यकारी शक्ति और संवैधानिक सुरक्षा उपाय:
    - परिहार के मामले में राज्य की कार्यकारी शक्ति को, जैसा कि हरियाणा राज्य बनाम महेंद्र सिंह मामले (2007) में प्रकट हुआ, व्यक्तिगत मामलों एवं प्रासंगिक कारकों पर विचार करना चाहिये।
  - महेंद्र सिंह मामला परिहार और संवैधानिक अधिकारों के बीच के संतुलन को रेखांकित करता है।
    - न्यायालय व्यक्तिगत मामले पर विचार करने की आवश्यकता पर बल देते हैं, जहाँ वे परिहार के मूल अधिकार की अनुपस्थिति को स्वीकार करते हुए भी इस पर विचार किये जाने के कानूनी अधिकार को चिह्नित करते हैं।

- **संवैधानिक प्रावधान:**
  - संविधान द्वारा राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों को क्षमादान (pardon) की संप्रभु शक्ति प्रदान की गई है।
    - अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति के पास किसी अपराध के लिये सिद्धदोष ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा (pardon), उसका प्रविलंबन (reprieve), विराम (respite) या परिहार (remission) करने की अथवा दंडादेश के निलंबन (suspend), परिहार (remit) या लघुकरण (commute) की शक्ति है।
    - ऐसा सभी मामलों में किसी भी अपराध के लिये सिद्धदोष ठहराए गए किसी भी व्यक्ति के लिये किया जा सकता है, जहाँ:
  - दंड या दंडादेश सेना न्यायालय या कोर्ट-मार्शल के माध्यम से दिया गया है
  - दंड या दंडादेश ऐसे विषय संबंधी किसी विधि के विरुद्ध अपराध के लिये दिया गया है जिस विषय तक संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है
  - दंड या दंडादेश मृत्युदंड है।
    - अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल के पास किसी अपराध के लिये सिद्धदोष ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा, उसका प्रविलंबन, विराम या परिहार करने की अथवा दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति है।
  - यह राज्य की कार्यकारी शक्ति के अंतर्गत आने वाले किसी भी विषय पर किसी भी विधि के विरुद्ध किसी अपराध के लिये सिद्धदोष ठहराए गए किसी व्यक्ति के लिये किया जा सकता है।
  - सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि किसी राज्य का राज्यपाल न्यूनतम 14 वर्ष की सज़ा काटने के पूर्व भी किसी बंदी को (मृत्युदंड के लिये प्रतीक्षित बंदी सहित) क्षमादान प्रदान कर सकता है।
  - अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति का दायरा अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल की क्षमादान शक्ति से अधिक व्यापक है।

- **परिहार की सांविधिक शक्ति:**
  - दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) जेल की सज़ा में परिहार का प्रावधान करती है, जिसका अर्थ है कि पूरी सज़ा या उसका कुछ हिस्से को रद्द किया जा सकता है।
  - धारा 432 के तहत 'समुचित सरकार' किसी दंड का पूरी तरह से या आंशिक रूप से, शर्तों के साथ या शर्तरहित, निलंबन या परिहार कर सकती है।
  - धारा 433 के तहत समुचित सरकार द्वारा किसी भी दंड का लघुकरण किया जा सकता है।

नोट :

- यह शक्ति राज्य सरकारों को उपलब्ध है ताकि वे कारागार दंड पूरा करने से पहले बंदियों की रिहाई का आदेश दे सकें।

सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत परिहार संबंधी प्रमुख ऐतिहासिक मामले कौन-से रहे हैं?

- **मारू राम बनाम भारत संघ (1980):**
  - इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यह सच है कि दंड को सुधार का रंग देने की एक आधुनिक प्रवृत्ति उभरती हुई प्रतीत होती है ताकि अपराधी को कारागार में बंद रखने के बजाय उसके सुधार पर बल दिया जा सके, जो कि एक आदर्श उद्देश्य है।
- **लक्ष्मण नस्कर बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (2000):**
  - इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने उन कारकों को निर्धारित किया जो परिहार के आधार तय करते हैं, जैसे:
    - क्या किया गया अपराध बड़े पैमाने पर समाज को प्रभावित किये बिना अपराध का एक व्यक्तिगत कृत्य है?
    - क्या भविष्य में अपराध की पुनरावृत्ति की कोई संभावना है?
    - क्या अपराधी अपराध करने की अपनी क्षमता खो चुका है?
    - क्या इस सिद्धदोष को अब और कैद में रखने का कोई सार्थक उद्देश्य है?
    - दोषी के परिवार की सामाजिक-आर्थिक स्थिति।
- **ईपुरु सुधाकर बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (2006):**
  - इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि परिहार के आदेश की न्यायिक समीक्षा निम्नलिखित आधारों पर उपलब्ध है:
    - विवेक का ग़ैर-अनुप्रयोग (non-application of mind);
    - यदि आदेश दुर्भावनापूर्ण है;
    - यदि ऐसा आदेश असंगत या पूरी तरह से अप्रासंगिक विचारों पर पारित किया गया है;
    - प्रासंगिक सामग्रियों पर विचार नहीं किया गया है;
    - आदेश मनमाना है।
- **भारत संघ बनाम वी. श्रीहरन (2015):**
  - क्या दोषी को बिना परिहार के विकल्प के उसकी अंतिम साँस तक के लिये आजीवन कारावास का दंड दिया जा सकता है?
  - 'कार्यकारी क्षमादान' का अधिकार राष्ट्रपति या राज्यपाल में निहित है।
- **बिलकिस बानो मामले पर जनहित याचिकाएँ (2023)**
  - परिहार आवेदन पर निर्णय लेने के लिये 'समुचित सरकार' वह राज्य है जहाँ दोषियों को सज़ा सुनाई गई है।
  - न्यायालय ने माना कि गुजरात सरकार ने दोषियों को सजा में छूट देते समय महाराष्ट्र सरकार से शक्ति का आहरण किया।

परिहार से संबद्ध प्रमुख मुद्दे कौन-से हैं?

- **परिहार के लिये पात्रता और आवेदन प्रक्रिया:**
  - आजीवन कारावास की सज़ा काट रहे दोषियों को परिहार के लिये आवेदन करने से पहले कम से कम 14 साल की सज़ा काटनी होती है। 'वन-साइज़-फिट्स-ऑल' का यह दृष्टिकोण सुधारात्मक प्रक्रियाओं में बाधाएँ उत्पन्न करता है।
  - अपराध की प्रकृति, पुनरावृत्ति की संभावना और सामाजिक-आर्थिक स्थितियों जैसे कारकों के आधार पर प्रत्येक आवेदन पर एक समिति द्वारा व्यक्तिगत मामले के आधार पर विचार किया जाता है।
    - इस बात का उल्लेख नहीं है कि ऐसी समिति का गठन व्यापक प्रतिनिधित्व की पूर्ति करता हो।
- **परिहार प्रक्रिया में पारदर्शिता का अभाव:**
  - परिहार समितियों के गठन के बारे में पारदर्शिता की कमी और निर्णय के कारणों की अनुपस्थिति मनमानी शक्ति के प्रयोग के बारे में चिंताएँ बढ़ाती है।
    - बिलकिस बानो मामले में 11 दोषियों का मामला बानो का मामला अनियंत्रित विवेक को उजागर करता है जहाँ गुजरात सरकार की ओर से प्रत्येक दोषी के लिये सदृश आदेश जारी किये गए।
- **परिहार आदेशों की न्यायिक समीक्षा:**
  - ईपुरू सुधाकर बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (2006) मामले में सर्वोच्च न्यायालय के रुख का हवाला दिया गया है, जो दर्शाता है कि परिहार के आदेशों की न्यायिक समीक्षा विवेक के ग़ैर-अनुप्रयोग (non-application of mind) के मामलों तक ही सीमित है।
  - बिलकिस बानो मामले में विवेक के ग़ैर-अनुप्रयोग से जुड़ी चिंता बेहद प्रकट है जहाँ प्रत्येक दोषी के लिये सदृश आदेश जारी किये गए।
- **परिहार नीतियों में विद्यमान चुनौतियाँ:**
  - भारत में कुछ राज्यों में ऐसी परिहार संबंधी नीतियाँ मौजूद हैं जो या तो विशिष्ट अपराधी श्रेणियों को अवसरों से वंचित करती हैं या परिहार पर विचार करने से पहले कारावास की विस्तारित अवधि रखती हैं।

नोट :

- इस बारे में सवाल उठते हैं कि क्या कुछ अपराधियों को परिहार के लिये अयोग्य होना चाहिये, जिससे फिर दंड की रूपरेखा पर बहस शुरू हो गई है जो प्रतिशोधात्मक बनाम शर्त-आधारित की एक जारी बहस है।

- **न्यायालय के लिये भविष्य की चुनौतियाँ:**
  - सर्वोच्च न्यायालय को परिहार नीतियों के संबंध में मानक प्रश्नों को संबोधित करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, विशेष रूप से जबकि परिहार नीतियों के संबंध में विभिन्न राज्यों के बीच भिन्नताएँ मौजूद हैं।
  - कुछ अपराधियों की क्षमादान की पात्रता और शर्तों का निष्पक्ष अनुपालन सुनिश्चित करने जैसे मुद्दों का सामना करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है, जो न्यायालय के लिये भविष्य की दुविधाओं का संकेत देता है।

निष्कर्ष:

बिलकिस बानो मामले में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय विधि के शासन का एक सराहनीय दावा है और प्रशासन की मिलीभगत एवं अवैधताओं का खंडन है। हालाँकि, यह मामला परिहार से संबंधित अनसुलझे मुद्दों को भी प्रकाश में लाता है, जहाँ निर्णय लेने की प्रक्रिया में विद्यमान अनियंत्रित विवेक को उजागर करता है।

पारदर्शिता की कमी और परिहार के निर्णयों को निर्देशित करने वाले कारण मनमानी शक्ति की संभावना को उजागर करते हैं। चूँकि समाज इन चुनौतियों का सामना कर रहा है, न्यायालय को परिहार नीतियों और न्याय, पुनर्वास एवं निष्पक्षता के सिद्धांतों के साथ उनके संरेखण के संबंध में मानक प्रश्नों को संबोधित करने के लिये विवश होना पड़ेगा।

भारत-मालदीव संबंध: कूटनीतिक संघर्ष की कहानी

भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लक्षद्वीप यात्रा के साथ एक विवाद उत्पन्न हुआ है जिससे भारत और मालदीव के बीच पहले से ही तनावपूर्ण संबंधों में और गतिरोध आ गया है। यह विवाद तब शुरू हुआ जब मालदीव के युवा कार्य मंत्रालय के तीन उप-मंत्रियों ने भारतीय प्रधानमंत्री की लक्षद्वीप यात्रा के प्रसंग में मालदीव के पर्यटन को ख़तरे की आशंका को देखते हुए भारत और भारतीय प्रधानमंत्री पर नकारात्मक टिप्पणियाँ की।

उप-मंत्रियों द्वारा की गई टिप्पणियों पर भारत में प्रतिक्रिया हुई जहाँ कई भारतीय हस्तियों ने भारतीयों को मालदीव के बजाय घरेलू पर्यटन स्थलों की खोज पर विचार करने के लिये प्रेरित किया। इस घटना ने भूभाग में 'अतिराष्ट्रवाद' के खतरों और दो दक्षिण एशियाई पड़ोसी देशों के बीच व्यापक सहयोग में व्याप्त हितों के नुकसान की आशंका को रेखांकित किया है।

भारत-मालदीव संबंध क्यों महत्त्वपूर्ण है ?

- **रणनीतिक महत्त्व:**
  - भारत की 'नेवरहुड फर्स्ट' नीति का केंद्र बिंदु: मालदीव की भारत के पश्चिमी तट से निकटता और हिंद महासागर से गुज़रते वाणिज्यिक समुद्री मार्गों के केंद्र पर इसकी अवस्थिति इसे भारत के लिये रणनीतिक रूप से महत्त्वपूर्ण बनाती है।
    - यह भारत की 'नेबरहुड फर्स्ट' नीति के तहत भारत सरकार की प्राथमिकताओं का केंद्र बिंदु है।
  - मालदीव के लिये प्रथम प्रतिक्रियाकर्ता के रूप में भारत:
    - मालदीव में वर्ष 1988 के तख्तापलट के प्रयास के दौरान भारत की त्वरित प्रतिक्रिया और तत्काल सहायता ने मालदीव के साथ भरोदेमंद और स्थायी मैत्रीपूर्ण द्विपक्षीय संबंधों के विकास की नींव रखी। तब भारतीय सशस्त्र बलों ने 'ऑपरेशन कैक्टस' के तहत त्वरित कार्रवाई को अंजाम दिया था।
    - भारत वर्ष 2004 में मालदीव में सुनामी और दिसंबर 2014 में माले में जल संकट के दौरान भी मालदीव की सहायता करने वाला पहला देश रहा था।
    - मालदीव में खसरे के प्रकोप को रोकने के लिये जनवरी 2020 में भारत द्वारा टीके की 30000 खुराकों का त्वरित प्रेषण और कोविड-19 महामारी के दौरान भारत की तीव्र एवं व्यापक सहायता ने भी भारत की 'प्रथम प्रतिक्रियाकर्ता' होने की साख को और मज़बूत किया।
  - एक शुद्ध सुरक्षा प्रदाता के रूप में भारत: मालदीव में भारत की रणनीतिक भूमिका के महत्त्व को वृहत रूप से चिह्नित किया जाता है, जहाँ भारत को एक शुद्ध सुरक्षा प्रदाता के रूप में देखा जाता है।
    - रक्षा साझेदारी को सुदृढ़ करने के लिये अप्रैल 2016 में दोनों देशों के बीच रक्षा के लिये एक व्यापक कार्ययोजना पर हस्ताक्षर किये गए।
    - दोनों देश हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) की रक्षा एवं सुरक्षा बनाए रखने में प्रमुख खिलाड़ी हैं; इस प्रकार भारत के नेतृत्व वाले 'क्षेत्र में सभी के लिये सुरक्षा और विकास' (Security And Growth for All in the Region- SAGAR) दृष्टिकोण में योगदान कर रहे हैं।
    - रक्षा सहयोग संयुक्त सैन्य अभ्यास के क्षेत्रों तक विस्तृत है जहाँ एकुवेरिन, दोस्ती, एकथा और ऑपरेशन शील्ड का आयोजन किया जाता है।

नोट :

- **आर्थिक और व्यापारिक संलग्नताएँ:**
  - पर्यटन अर्थव्यवस्था:
    - भारत मालदीव में पर्यटकों के सबसे बड़े स्रोतों में से एक है, जो अपनी अर्थव्यवस्था के संचालन के लिये पर्यटन पर बहुत अधिक निर्भर है।
    - वर्ष 2023 में मालदीव में सर्वाधिक पर्यटक भेजने वाले देशों में भारत शीर्ष पर रहा जिसकी बाज़ार हिस्सेदारी लगभग 11.8% थी।
  - व्यापार समझौते:
    - भारत वर्ष 2022 में मालदीव के दूसरे सबसे बड़े व्यापार भागीदार के रूप में उभरा। दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2021 में पहली बार 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर का आँकड़ा पार कर गया।
    - 22 जुलाई 2019 को RBI और मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण के बीच एक द्विपक्षीय यूएसडी करेंसी स्वैप समझौते पर हस्ताक्षर किये गए।
    - मालदीव से भारतीय आयात में मुख्य रूप से स्क्रैप धातु शामिल हैं, जबकि मालदीव में भारतीय निर्यात में विभिन्न प्रकार के इंजीनियरिंग और औद्योगिक उत्पाद, जैसे दवा एवं औषध, सीमेंट और कृषि उत्पाद शामिल हैं।

INDIANS TRAVELLING TO THE MALDIVES

	Tourist	Share*
2023	2,06,026	11.18%
2022	2,41,382	14.41%
2021	2,91,787	22.07%
2020	62,960	11.33%
2019	1,66,030	9.75%
2018	90,474	6.10%

- **विकास और क्षमता निर्माण:**
  - अवसंरचना परियोजनाएँ:
    - अगस्त 2021 में एक भारतीय कंपनी एफकॉन्स (Afcons) ने मालदीव में अब तक की सबसे बड़ी अवसंरचना परियोजना (ग्रेट माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट – GMCP) के लिये एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किये।
    - भारतीय क्रेडिट लाइन के अंतर्गत हनीमाधू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा विकास परियोजना प्रति वर्ष 1.3 मिलियन यात्रियों को सेवा प्रदान करने के लिये एक नया टर्मिनल जोड़ेगी।
    - वर्ष 2022 में भारत के विदेश मंत्री द्वारा मालदीव में नेशनल कॉलेज फॉर पुलिसिंग एंड लॉ एनफोर्समेंट (NCPLE) का उद्घाटन किया गया।
  - स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र:
    - स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में भारत ने अत्याधुनिक कैंसर सुविधा स्थापित करने में मदद करने के अलावा इंदिरा गांधी मेमोरियल अस्पताल के विकास के लिये 52 करोड़ रुपए प्रदान किये हैं, जो मालदीव के विभिन्न द्वीपों पर 150 से अधिक स्वास्थ्य केंद्रों को जोड़ेगा।
  - शैक्षिक कार्यक्रम:
    - शिक्षा के क्षेत्र में, भारत ने वर्ष 1996 में तकनीकी शिक्षा संस्थान स्थापित करने में मदद की। भारत ने मालदीव के शिक्षकों एवं युवाओं को प्रशिक्षण और व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिये 5.3 मिलियन अमेरिकी डॉलर की परियोजना के तहत एक कार्यक्रम भी शुरू किया है।
    - भारत मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल (MNDF) के लिये सबसे बड़ी संख्या में प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करता है, जो उनकी रक्षा प्रशिक्षण आवश्यकताओं के लगभग 70% की पूर्ति करता है।
- **सांस्कृतिक कनेक्टिविटी:**
  - भारत और मालदीव प्राचीन काल से ही जातीय, भाषाई, सांस्कृतिक और धार्मिक संबंध साझा करते रहे हैं। मानवविज्ञानियों के अनुसार धिवेही (मालदीवियन भाषा) का उद्गम संस्कृत एवं पाली में पाया जाता है।
  - मालदीव में भारतीय प्रवासी समुदाय की संख्या लगभग 27,000 है। मालदीव में अधिकांश प्रवासी शिक्षक भारतीय नागरिक हैं।

भारत-मालदीव संबंधों में विद्यमान प्रमुख मुद्दे कौन-से हैं?

- **लक्षद्वीप का मुद्दा:**
  - यह विवाद तब शुरू हुआ जब मालदीव के तीन उप-मंत्रियों ने भारतीय प्रधानमंत्री की हालिया लक्षद्वीप यात्रा के बाद भारत और प्रधानमंत्री के बारे में अपमानजनक टिप्पणियाँ कीं।

नोट :

- उन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री की यात्रा की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि इसका उद्देश्य मालदीव के पर्यटन के लिये चुनौती पैदा करना है, जो अपनी समुद्र तट सुविधाओं के लिये प्रसिद्ध है।
- भारत सरकार ने इस मुद्दे को मालदीव के सामने उठाया, जिसके बाद मालदीव सरकार ने इन मंत्रियों को निलंबित कर दिया।
- इस विवाद के कारण कई भारतीयों ने मालदीव यात्रा की अपनी बुकिंग रद्द कर दी। यह घटना भूभाग में अतिराष्ट्रवाद के खतरों को रेखांकित करती है।
- इस विवाद के संभावित प्रभाव मालदीव पर्यटन उद्योग के लिये चिंता का विषय है।

मालदीव में 'इंडिया आउट' अभियान:

- भारत के 'इंडिया आउट' पहल में मालदीव में भारत के निवेश, दोनों देशों के बीच रक्षा साझेदारी और क्षेत्र में भारत के सुरक्षा प्रावधानों के बारे में संदेह पैदा कर शत्रुता को बढ़ावा देने की क्षमता है।
- हाल ही में चुनी गई मालदीव सरकार पूर्व सरकार की 'इंडिया फर्स्ट' नीति का इस हद तक विरोध करती है कि भारतीय सैनिकों की वापसी के मुद्दे को को नवनिर्वाचित राष्ट्रपति मुइज़्ज़ू के चुनाव घोषणापत्र में शामिल किया गया था।

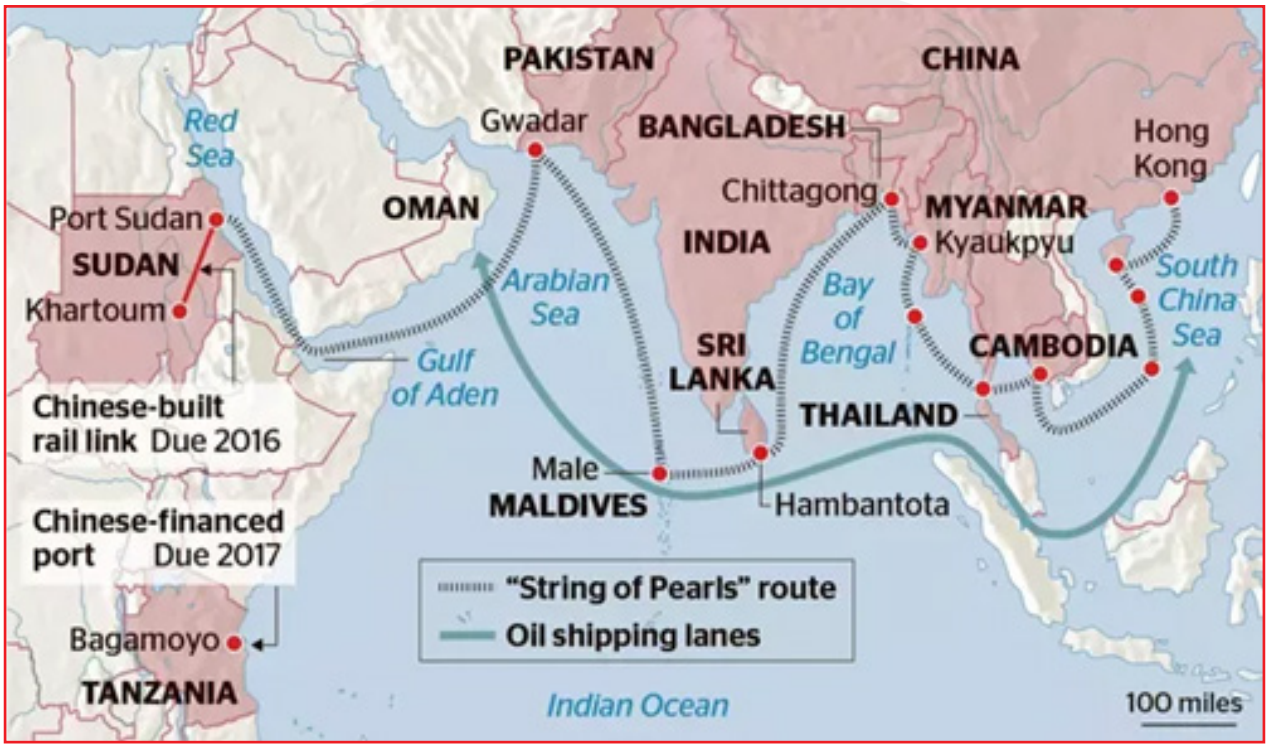

संप्रभुता और सुरक्षा दुविधा:

- मालदीव में लोकतांत्रिक व्यवस्था अभी भी अपने प्रारंभिक चरण में है, जो प्रमुख वैश्विक खिलाड़ियों से प्रभावित क्षेत्रीय सामाजिक-राजनीतिक अस्थिरता से जूझ रही है।
- चुनाव से पूर्व मालदीव में विपक्ष का मानना था कि मालदीव में भारतीय सैन्य उपस्थिति देश की राष्ट्रीय सुरक्षा एवं संप्रभुता के लिये खतरा है।
- इसके विपरीत, तत्कालीन सरकार लगातार इस बात पर बल देती रही कि 'इंडिया आउट' अभियान देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये खतरा है। इसे एक ऐसे कारक के रूप में देखा गया जो इस द्वीप राष्ट्र को क्षेत्रीय सुरक्षा लाभ प्रदान करने वाले भागीदार देश भारत को नाराज कर सकता है।

नोट :

- भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच त्रिपक्षीय समुद्री सुरक्षा सहयोग बैठक वर्ष 2011 में स्थापित की गई थी।

- **हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण समझौते का निरसन:**
  - उल्लेखनीय है कि हाइड्रोग्राफिक डेटा में अंतर्निहित रूप से दोहरी प्रकृति पाई जाती है, जिसमें समुद्र से एकत्र की गई जानकारी का उपयोग नागरिक और सैन्य उद्देश्यों के लिये किया जा सकता है।
  - मालदीव आशंका रखता है कि भारत की हाइड्रोग्राफिक गतिविधि ख़ुफ़िया संग्रह का एक रूप हो सकती है।
  - मालदीव ने हाल में अपने जल क्षेत्र में संयुक्त हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण के लिये भारत के साथ समझौते को रद्द करने का निर्णय लिया, जिससे भारतीय रणनीतिक हलकों में चिंता उत्पन्न हुई।
- **हिंद महासागर क्षेत्र में 'चाइना फैक्टर':**
  - मालदीव दक्षिण एशिया में चीन के 'स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स' संरचना में एक महत्त्वपूर्ण 'पर्ल' के रूप में उभरा है।
  - मालदीव में चीन ने भारी निवेश किया है और वह चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) का भागीदार बन गया है।
  - भारत-मालदीव संबंधों को तब एक आघात लगा जब मालदीव ने वर्ष 2017 में चीन के साथ मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर हस्ताक्षर किया।
  - ऐसी अटकलें लगाई जाती हैं कि चीन मालदीव में एक नौसैनिक अड्डा विकसित करने की योजना रखता है, जहाँ पिछले प्रस्तावों में संभावित सैन्य अनुप्रयोगों के बारे में चिंताओं का संकेत मिला है।
  - दक्षिण एशियाई देशों के जल क्षेत्र में चीन के समुद्र विज्ञान सर्वेक्षण से संघर्ष का एक खतरा उत्पन्न होता है क्योंकि यहाँ भारतीय हाइड्रोग्राफिक जहाज़ों की उपस्थिति है।

आगे की राह

- **भारत में पर्यटन स्थलों की खोज करना और उनका विकास करना:**
  - अनन्वेषित स्थलों की खोज करना: भारत की तटरेखा पर कई प्रसिद्ध और अनदेखे समुद्र तट स्थल मौजूद हैं। यह भारत में तटीय अनन्वेषित एवं छिपे पर्यटन खजानों की संभावनाओं का पता लगाने और विकसित करने के लिये उपयुक्त अवसर है।
    - इन संभावित गंतव्यों में गोवा, केरल, लक्षद्वीप और अंडमान-निकोबार द्वीप समूह जैसे स्थान शामिल हो सकते हैं।
  - पर्यटन सुविधाएँ विकसित करना: परिवहन, सड़कों और उपयोगिताओं जैसे बुनियादी ढाँचे में निवेश किया जाए। अनन्वेषित क्षेत्रों तक विश्वसनीय कनेक्टिविटी विकसित करें ताकि उन्हें पर्यटकों के लिये आसानी से सुलभ बनाया जा सके।
    - क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना – उड़े देश का आम नागरिक (RCS-UDAN) के अंतर्गत आने वाले मार्गों के कवरेज और संचालन को बेहतर बनाया जाना चाहिये।
- **गुजराल सिद्धांत पर आगे बढ़ना:**
  - उच्च-स्तरीय राजनयिक संलग्नता: चिंताओं को दूर करने, भरोसे का निर्माण करने और खुले संचार को बढ़ावा देने के लिये नियमित और रचनात्मक राजनयिक संवाद को प्राथमिकता दिया जाए।
  - क्षेत्रीय गठबंधनों को सुदृढ़ करना: भारत को गुजराल सिद्धांत के सकारात्मक पहलुओं पर आगे बढ़ते हुए पारस्परिक लाभ के लिये क्षेत्रीय गठबंधनों और सहयोग को सुदृढ़ करना जारी रखना चाहिये।
  - स्थानीय लोगों के साथ राजनीतिक संलग्नता: वर्तमान में मालदीव में 'इंडिया आउट' अभियान को सीमित आबादी का समर्थन प्राप्त है, लेकिन इसे भारत सरकार द्वारा हल्के में नहीं लिया जाना चाहिये।
    - द्विपक्षीय संबंधों की मज़बूती एक भागीदार सरकार की अपनी नीतियों के लिये जनता का समर्थन जुटाने की क्षमता पर निर्भर करती है।
  - क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के लिये अटूट समर्थन: भारत को एक विकास भागीदार के रूप में मालदीव को व्यापक सामाजिक-आर्थिक विकास और क्षेत्र में लोकतांत्रिक एवं स्वतंत्र संस्थानों को मज़बूत करने की उनकी आकांक्षाओं को साकार करने में अटूट समर्थन प्रदान करना चाहिये।
- **अंतर्राष्ट्रीय मामलों में विवेक का प्रयोग:**
  - अनावश्यक उकसावे से बचना: हालिया विवाद मालदीव जैसे छोटे देशों को पड़ोसी देशों से संबंध के मामले में विवेक बरतने की चेतावनी देता है, क्योंकि अनावश्यक उकसावे के हानिकारक परिणाम उत्पन्न हो सकते हैं।
    - अनावश्यक उकसावे के नकारात्मक परिणाम उत्पन्न हो सकते हैं, जो अंतत: छोटे देश को अधिक नुकसान पहुँचा सकते हैं।
  - सोशल मीडिया वारियर्स की उत्तरदायी भूमिका:
    - राष्ट्रीय हित को बढ़ावा देने में सोशल मीडिया वारियर्स द्वारा निभाई जाती महत्त्वपूर्ण भूमिका को चिह्नित करना

नोट :

आवश्यक है, लेकिन उनका पड़ोसी देशों (इस मामले में मालदीव) के प्रति धमकीपूर्ण व्यवहार में शामिल होना प्रति-उत्पादक सिद्ध होगा।
    - ऐसे कृत्यों से चीन के मुकाबले भारत के राजनयिक लाभ के खोने की संभावना है।

- **चीन का मुकाबला करने के लिये एक व्यापक हिंद महासागर रणनीति तैयार करना:**
    - समुद्री सुरक्षा को अधिकतम करना: भारत को हिंद महासागर में समग्र सुरक्षा वास्तुकला में योगदान करते हुए महत्त्वपूर्ण समुद्री मार्गों में नेविगेशन की सुरक्षा एवं स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के प्रयासों में भाग लेना चाहिये।
    - संसाधनों को अधिकतम करना: भारत को मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेकर क्षेत्रीय सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता बनाए रखनी चाहिये। भारत क्षेत्र में चीनी आक्रामकता का मुकाबला करने के लिये QUAD के माध्यम से सक्रिय रूप से संलग्न हो सकता है।
        - 'प्रोजेक्ट मौसम' को मालदीव को इससे लाभ प्राप्त कर सकने और भारत पर उसकी आर्थिक एवं अवसंरचनात्मक निर्भरता को बढ़ाने के लिये पर्याप्त अवसर प्रदान करना चाहिये।

निष्कर्ष:

हालिया विवाद के बावजूद, भारत का स्थायी क्षेत्रीय एवं भू-राजनीतिक महत्त्व यह सुनिश्चित करता है कि नई दिल्ली के साथ संबंधों को बढ़ावा देना मालदीव के लिये सर्वोच्च प्राथमिकता बनी रहेगी।

भारत की 'नेबरहुड फर्स्ट' नीति और मालदीव के 'इंडिया फर्स्ट' दृष्टिकोण के बीच समन्वित तालमेल आवश्यक है।

भारत के लॉजिस्टिक्स परिदृश्य का आकलन

हाल के वर्षों में भारत का लॉजिस्टिक्स क्षेत्र उल्लेखनीय संवीक्षा और विकास से गुज़रा है। लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स (LPI) जैसे मेट्रिक्स के माध्यम से ट्रैक किये जाने पर भारत के प्रदर्शन में सुधार नज़र आया है जहाँ वह 139 देशों की सूची में वर्ष 2014 में अपनी 54वीं रैंकिंग से ऊपर बढ़कर वर्ष 2023 में 38वें स्थान पर पहुँच गया है।

- लॉजिस्टिक्स में उत्पादन बिंदुओं, उपभोग क्षेत्रों, वितरण केंद्रों या अन्य उत्पादन स्थलों जैसे विभिन्न स्थानों के बीच लोगों, कच्चे माल, इन्वेंटरी और उपकरण सहित विभिन्न संसाधनों का संगठन, समन्वय, भंडारण और परिवहन शामिल है।

लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स (LPI) क्या है?

- **परिचय:**
    - LPI विश्व बैंक समूह द्वारा विकसित एक 'इंटरैक्टिव बेंचमार्किंग टूल' है। यह विश्वसनीय आपूर्ति शृंखला कनेक्शन स्थापित करने की सुगमता और इसे संभव बनाने वाले संरचनात्मक कारकों की माप करता है।
    - यह देशों को व्यापार लॉजिस्टिक्स के प्रदर्शन में उनके समक्ष व्याप्त चुनौतियों एवं अवसरों की पहचान करने में मदद करता है और अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने के उपाय सुझाता है।
- **मापदंड:**
    - LPI लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिये 6 मापदंडों पर विचार करता है, यानी:
        - सीमा शुल्क प्रदर्शन
        - अवसंरचना की गुणवत्ता
        - शिपमेंट व्यवस्था की सुगमता
        - लॉजिस्टिक्स सेवाओं की गुणवत्ता
        - कंसाइनमेंट की ट्रैकिंग और ट्रेसिंग
        - शिपमेंट की समयबद्धता
    - LPI की रिपोर्टिंग वर्ष 2010 से 2018 तक प्रत्येक दो वर्ष पर की जा रही थी, जिसमें वर्ष 2020 में कोविड-19 महामारी के कारण व्यवधान आया और अंततः 2023 में सूचकांक पद्धति का पुनर्गठन किया गया।
        - LPI 2023 139 देशों के बीच तुलना की अनुमति देता है और पहली बार LPI 2023 ने शिपमेंट की ट्रैकिंग करने वाले बड़े डेटासेट से प्राप्त संकेतकों के साथ व्यापार की गति की माप की।

LPI रैंकिंग में भारत के बेहतर प्रदर्शन का क्या कारण है?

- **पीएम गति शक्ति पहल:**
    - वर्ष 2021 में भारत सरकार ने मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी के लिये एक व्यापक राष्ट्रीय मास्टर प्लान, पीएम गति शक्ति पहल (PM Gati Shakti initiative) का अनावरण किया। इसका प्राथमिक उद्देश्य लॉजिस्टिक्स लागत को कम करना और वर्ष 2024-25 तक आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना है।

नोट :

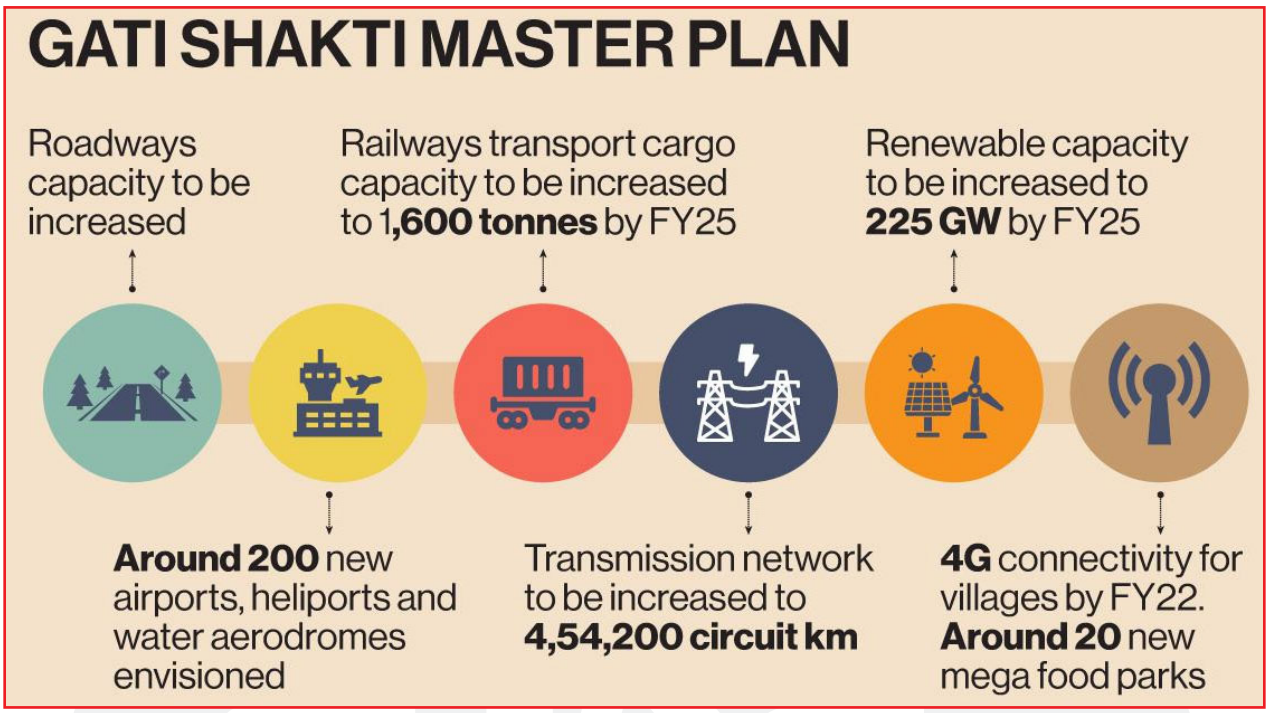

- **राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति 2022:**
  - गति शक्ति पहल को पूरकता प्रदान करते वर्ष 2022 में लाई गई राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति (National Logistics Policy- NLP) सुचारू अंतिम-मील वितरण सुनिश्चित करने, परिवहन से संबंधित चुनौतियों का समाधान करने, विनिर्माण क्षेत्र के लिये समय एवं लागत की बचत करने और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में समग्र दक्षता की वृद्धि करने पर केंद्रित है।
    - इसका लक्ष्य वैश्विक मानकों के अनुरूप लॉजिस्टिक्स लागत में कमी लाना और शीर्ष 25 LPI रैंकिंग हासिल करना है।
- **अवसंरचना विकास और अंतर्राष्ट्रीय शिपमेंट:**
  - LPI रिपोर्ट से पता चलता है कि भारत के अवसंरचना स्कोर में उल्लेखनीय प्रगति हुई है, जो वर्ष 2018 में 52वें स्थान से पाँच स्थान ऊपर बढ़कर वर्ष 2023 में 47वें स्थान पर पहुँच गया।
  - सॉफ्ट और हार्ड व्यापार-संबंधित अवसंरचना में सरकारी निवेश, जहाँ दोनों तटों (पूर्वी एवं पश्चिमी) पर बंदरगाह प्रवेश द्वारों को आंतरिक भागों में स्थित प्रमुख आर्थिक केंद्रों से जोड़ा गया है, ने अंतर्राष्ट्रीय शिपमेंट में सुधार में योगदान किया है।
- **लॉजिस्टिक्स सुधार में प्रौद्योगिकी की भूमिका:**
  - लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन को बेहतर बनाने के भारत के जारी प्रयासों में प्रौद्योगिकी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सरकार ने सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से एक आपूर्ति श्रृंखला दृश्यता मंच (supply chain visibility platform) को लागू किया है।
  - NICDC लॉजिस्टिक्स डेटा सर्विसेज लिमिटेड द्वारा रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग की शुरूआत आपूर्ति श्रृंखला की एंड-टू-एंड ट्रैकिंग को सक्षम बनाती है, जिसके परिणामस्वरूप देरी में व्यापक कमी आती है।
    - रिपोर्ट बताती है कि भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाएँ आधुनिकीकरण और डिजिटलीकरण के कारण उन्नत देशों से आगे निकल रही हैं।
- ठहराव समय (Dwell time) में सुधार:
  - 'ड्वेल टाइम' किसी जहाज़ या कार्गो द्वारा किसी विशिष्ट बंदरगाह या टर्मिनल पर व्यतीत समय को दर्शाता है। ड्वेल टाइम के दृष्टिकोण से भारत के लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन में सुधार हुआ है।
  - भारत 2.6 दिनों का अत्यंत कम ड्वेल टाइम रखता है। विशेष रूप से, मई और अक्टूबर 2022 के बीच भारत और सिंगापुर में कंटेनरों के लिये औसत ठहराव समय तीन दिन का रहा था।
    - इस मामले में भारत ने अमेरिका (7 दिन) और जर्मनी (10 दिन) जैसे औद्योगिक देशों को पीछे छोड़ दिया।

नोट :

भारत की लॉजिस्टिक प्रणाली से जुड़े प्रमुख मुद्दे कौन-से हैं?

- **भारत में लॉजिस्टिक लागत:**
  - आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 इंगित करता है कि भारत में लॉजिस्टिक लागत इसके सकल घरेलू उत्पाद का 14-18% है, जो वैश्विक बेंचमार्क 8% से अधिक है।
  - वर्ष 2018 और 2020 की पिछली रिपोर्टें बंदरगाहों पर लॉजिस्टिक लागत में भिन्नता को उजागर करती हैं और आकलन करती हैं कि भारतीय आपूर्ति शृंखला में कुल लॉजिस्टिक्स लागत लगभग 400 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, जो सकल घरेलू उत्पाद के 14% के बराबर है।
- **लॉजिस्टिक्स लागत का अनुमान लगाने में पद्धतिगत चुनौतियाँ:**
  - लॉजिस्टिक्स लागत का अनुमान लगाने में, विशेष रूप से सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में, पद्धतिगत चुनौतियाँ मौजूद हैं।
    - डन एंड ब्रैडस्ट्रीट पद्धति (Dun and Bradstreet methodology) व्यवसाय करने की लागत की गणना खेप मूल्य (consignment value) के प्रतिशत के रूप में करती है, जबकि अन्य रिपोर्ट प्रकट स्पष्टीकरण के बिना सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में लॉजिस्टिक्स लागत का हवाला देती हैं, जिससे आँकड़ों में भिन्नता उत्पन्न होती है।
  - लॉजिस्टिक्स लागत पर NCAER रिपोर्ट और अनुमान की पद्धति:
    - भारत में लॉजिस्टिक्स लागत पर दिसंबर 2023 की NCAER रिपोर्ट अनुमान के लिये एक सटीक पद्धति प्रदान करती है।
    - रिपोर्ट में निजी क्षेत्र और शैक्षणिक संस्थानों के विभिन्न अनुमानों का हवाला दिया गया है, जिससे भिन्नता का पता चलता है।
    - NCAER रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2021-22 में लॉजिस्टिक्स लागत 7.8% और 8.9% के बीच अनुमानित थी, जो वर्ष 2017-18 और 2018-19 में क्षणिक वृद्धि के साथ समय के साथ गिरावट का संकेत देती है।
- **एक ओर झुका हुआ मॉडल मिक्स:**
  - भारत की माल ढुलाई का मॉडल मिक्स (modal mix) सड़क परिवहन की ओर बहुत अधिक झुका हुआ है, जहाँ 65% माल की ढुलाई सड़क मार्ग से होती है। इससे सड़कों पर भीड़भाड़, प्रदूषण और लॉजिस्टिक लागत में वृद्धि की स्थिति बनी है।
- **रेल माल ढुलाई हिस्सेदारी का नुकसान:**
  - परिवहन का अधिक लागत प्रभावी साधन होने के बावजूद रेलवे अधिक लचीले साधनों (जैसे सड़क परिवहन का अधिक सुविधाजनक होना) के कारण माल ढुलाई हिस्सेदारी खोती जा रही है।
    - भारतीय रेलवे को टर्मिनल अवसंरचना की कमी, अच्छे शेड एवं गोदामों के रखरखाव, वैगनों की अनिश्चित आपूर्ति, बारहमासी सड़कों का अभाव (जहाँ देश का एक बड़ा हिस्सा रेलवे की पहुँच से बाहर है) आदि अवसंरचनात्मक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।
- **भंडारण एवं कराधान संबंधी विसंगतियाँ:**
  - लॉजिस्टिक्स कंपनियाँ आमतौर पर भंडारण या वेयरहाउसिंग का विकल्प चुनती हैं क्योंकि यह उन्हें सामान स्टोर करने और मांग होने पर उन्हें ग्राहक के निकट ले जाने में सक्षम बनाता है। यह पारगमन समय को कम करने में मदद करता है।

लॉजिस्टिक क्षेत्र में भारतीय राज्यों की क्या स्थिति है?

- **राज्य-संचालित लॉजिस्टिक:**
  - लॉजिस्टिक्स राज्यों से प्रभावित होते हैं और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की 'विभिन्न राज्यों में लॉजिस्टिक्स सुगमता' (Logistics Ease Across Different States- LEADS) रिपोर्ट राज्यों को धारणाओं के आधार पर 'एचीवर्स', 'फास्ट मूवर्स' और 'एस्पायर्स' में वर्गीकृत करती है।
    - तटीय राज्य—जो 75% निर्यात कार्गो के लिये ज़िम्मेदार हैं, प्रदर्शन में भिन्नता दर्शाते हैं, जहाँ आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और तमिलनाडु उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं, जबकि गोवा, ओडिशा और पश्चिम बंगाल पिछड़े हुए हैं।
- **राज्य-स्तरीय लॉजिस्टिक्स नीतियाँ:**
  - गोवा और ओडिशा सहित अधिकांश राज्यों में राज्य-स्तरीय लॉजिस्टिक्स नीतियाँ क्रियान्वित हैं। हालाँकि, तटीय राज्यों में सबसे निचले स्थान पर स्थित पश्चिम बंगाल में लॉजिस्टिक नीति का अभाव है।

नोट :

- LEADS 2023 रिपोर्ट बताती है कि दक्षता बढ़ाने और क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के लिये राज्य लॉजिस्टिक्स मास्टर प्लान और राज्य लॉजिस्टिक्स नीति तैयार करने से पश्चिम बंगाल को लाभ प्राप्त हो सकता है।

- **राज्यों के बीच प्रदर्शन असमानताएँ:**
  - हालाँकि समय के साथ भारत के समग्र लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन में सुधार हुआ है, लेकिन अलग-अलग राज्यों में असमानताएँ भी प्रकट हो रही हैं।
  - कुछ राज्यों के प्रदर्शन में गिरावट आई है, जिससे जारी प्रयासों द्वारा राज्य स्तर पर लॉजिस्टिक्स दक्षता बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया गया है।
- **LEADS 2023 रिपोर्ट और राज्यों का वर्गीकरण:**
  - LEADS 2023 रिपोर्ट राज्यों को तटीय, स्थलरुद्ध, पूर्वोत्तर और केंद्रशासित प्रदेशों के रूप में वर्गीकृत करती है, जो लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन पर एक सूक्ष्म दृष्टिकोण प्रदान करती है।
  - 'फास्ट मूवर्स' के रूप में वर्गीकृत राज्य औसत प्रदर्शन वाले राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो उपलब्धि के विभिन्न स्तरों को चिह्नित करने में नामकरण के महत्त्व को उजागर करते हैं।

भारत में लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में सुधार के लिये आगे की राह

- **उन्नत प्रौद्योगिकियों को अपनाना:**
  - आपूर्ति शृंखला में हाल के व्यवधानों और संवहनीयता के बारे में बढ़ती चिंताओं के कारण वैश्विक स्तर पर प्रौद्योगिकी-सक्षम समाधानों (ब्लॉकचेन, बिग डेटा, क्लाउड कंप्यूटिंग और डिजिटल ट्विन्स) के अंगीकरण में वृद्धि हुई है।
    - जबकि भारत में अंगीकरण का स्तर अपेक्षाकृत निम्न है, सरकार ने ICEGATE और E-Logs जैसे विभिन्न डिजिटल समाधान लॉन्च किये हैं, जिससे अक्षमताएँ कम हुई हैं, पारदर्शिता में सुधार हुआ है और माल की आवाजाही तीव्र हो गई है।
- **संवहनीय लॉजिस्टिक्स पर ध्यान देना:**
  - भारत का शिपिंग और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र भी धीरे-धीरे संवहनीय अभ्यासों पर घरेलू एवं वैश्विक नियमों से संरेखित हो रहा है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है।
    - इस क्षेत्र को एनर्जी एफिशिएंसी एक्सिस्टिंग शिप इंडेक्स, कार्बन इंटेंसिटी रेटिंग और एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम जैसे प्रमुख वैश्विक बेंचमार्क के अनुरूप होने की आवश्यकता है।
- **निवेश और निवेशक रुचि को आकर्षित करना:**
  - भारत सरकार अवसंरचनात्मक विकास की मुख्य प्रस्तावक और वित्तपोषक रही है। लेकिन निजी क्षेत्र को संलग्न करने के लिये और भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है।
    - नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन (NIP) एक ऐसा साधन है जिससे 50 लाख करोड़ रुपए (लगभग 650 बिलियन अमेरिकी डॉलर) का निवेश जुटाने की उम्मीद है।
  - यद्यपि अधिकांश परिवहन अवसंरचना विकास पहलों में 100% FDI की अनुमति है, वांछित प्रभाव लाने के लिये वृहत प्रयास की आवश्यकता होगी।

नोट :

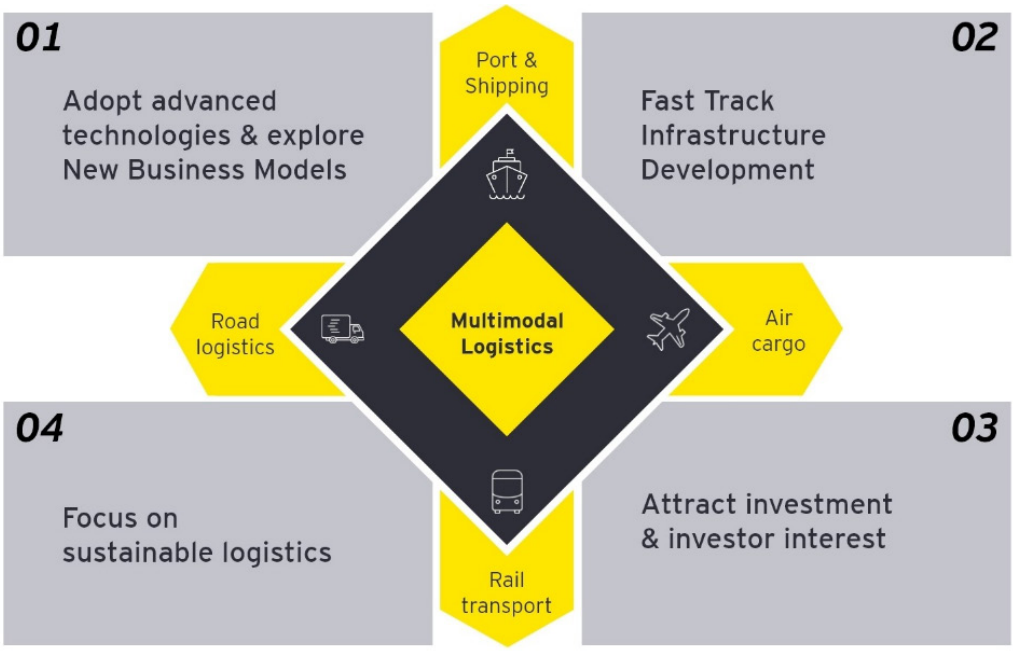

निष्कर्ष:

भारत में लॉजिस्टिक्स क्षेत्र विकास के लिये तैयार है और सरकार की पहलों एवं नीतियों का उद्देश्य इस क्षेत्र के संपोषण के लिये अनुकूल माहौल का निर्माण करना है। ऑनलाइन कॉमर्स के आगमन ने ऑन-डिमांड, लास्ट-माइल, मिडिल-माइल और हाइपर-लोकल डिलीवरी मॉडल सहित नए अवसरों के साथ लॉजिस्टिक्स मॉडल में एक आदर्श बदलाव उत्पन्न किया है। उम्मीद है कि इस क्षेत्र का विकास जारी रहेगा और यह बाज़ार की बदलती गतिशीलता के अनुरूप ढल सकेगा, जबकि प्रौद्योगिकीय प्रगति इसके भविष्य को आकार देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

दूरसंचार अधिनियम, 2023 के परिवर्तनकारी प्रभाव

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (Telecom Regulatory Authority of India- TRAI) के अनुसार, भारत जुलाई 2022 तक 85.11% के टेली घनत्व के साथ दुनिया के दूसरे सबसे बड़े दूरसंचार बाज़ार के रूप में उभर चुका है। देश की बढ़ती इंटरनेट और ब्रॉडबैंड पहुँच डिजिटल इंडिया पहल का समर्थन करती है और यह 5G की दौड़ में भी शामिल हो चुका है।

दिसंबर 2023 में बहुप्रतीक्षित दूरसंचार अधिनियम, 2023 लागू किया गया, जिसमें आवश्यक मोबाइल नेटवर्क को साइबर खतरों और अनधिकृत पहुँच से बचाने के लिये एक सुदृढ़ सुरक्षा ढाँचे के विकास को प्राथमिकता दी गई है।

भारत में दूरसंचार का इतिहास क्या है?

- **ऐतिहासिक रूपरेखा (1885-2023):**
  - भारतीय दूरसंचार क्षेत्र, जिसे भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885, भारतीय वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम 1933 और टेलीग्राफ तार (ग़ैर-कानूनी कब्ज़ा) अधिनियम 1950 के रूप में तीन कानूनों द्वारा आकार दिया गया, एक परिवर्तनकारी कानूनी विकास से होकर गुज़रा है।
    - टेलीग्राफ तार के ग़ैर-कानूनी कब्जे से संबंधित 1950 के अधिनियम को हाल ही में नियामक अनुकूलनशीलता पर बल देते हुए निरसन एवं संशोधन अधिनियम 2023 द्वारा निरस्त कर दिया गया।
- **नियामक प्राधिकरण:**
  - टैरिफ विनियमन में सहायक रहे ट्राई अधिनियम 1997 ने ट्राई (TRAI) और दूरसंचार विवाद निपटान एवं अपीलीय न्यायाधिकरण (TDSAT) दोनों की स्थापना की।
  - हालाँकि, लाइसेंसिंग प्राधिकार को केंद्र सरकार में निहित बनाये रखा गया है।
- **1885 का अधिनियम और प्रौद्योगिकीय विकास:**
  - मूल रूप से टेलीग्राम सेवाओं को नियंत्रित करने वाला टेलीग्राफ अधिनियम 1885, जो आश्चर्यजनक रूप से प्रत्यास्थी रहा, वर्ष 2013 में टेलीग्राफ युग की समाप्ति तक बना रहा।

नोट :

- जैसे-जैसे प्रौद्योगिकी उन्नत हुई, टेक्स्ट, वॉयस, इमेज और वीडियो के वास्तविक समय प्रसारण को शामिल करते हुए 1885 के पूर्व के अधिनियम ने आधुनिक दूरसंचार सेवाओं को विनियमित करना जारी रखा।

दूरसंचार अधिनियम 2023 के प्रमुख प्रावधान क्या हैं?

- **प्राधिकरण और लाइसेंसिंग आवश्यकताएँ:**
  - दूरसंचार सेवाइ प्रदान करने या दूरसंचार नेटवर्क संचालित करने के लिये केंद्र सरकार से पूर्व प्राधिकरण अनिवार्य है।
  - मौजूदा लाइसेंस उनकी अनुमत अवधि या पाँच वर्ष तक वैध बने रहते हैं।

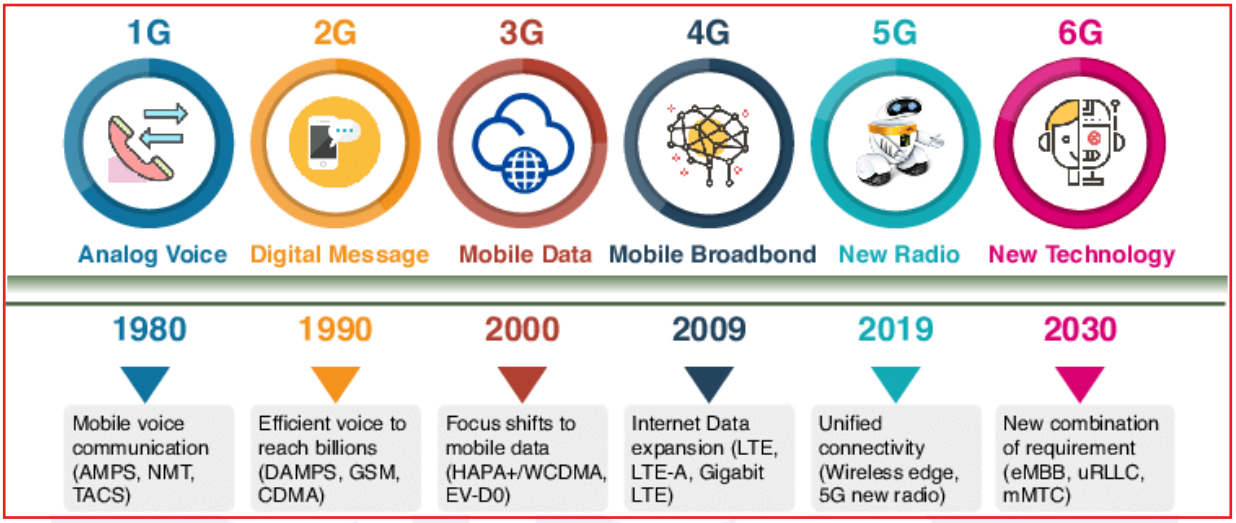

- **स्पेक्ट्रम आवंटन और उपयोग:**
  - राष्ट्रीय सुरक्षा, आपदा प्रबंधन और उपग्रह सेवाओं जैसे विशिष्ट उद्देश्यों को छोड़कर, स्पेक्ट्रम को नीलामी के माध्यम से सौंपा जाएगा।
  - सरकार के पास फ्रीक्वेंसी रेंज का पुन: उपयोग करने का अधिकार है और वह स्पेक्ट्रम शेयरिंग, ट्रेडिंग, लीजिंग और सरेंडर की अनुमति देती है।
- **सैटेलाइट इंटरनेट प्रावधान:**
  - विधान ने वन वेब (OneWeb) और स्पेसएक्स के स्टारलिंक जैसे उपग्रह इंटरनेट प्रदाताओं को स्पेक्ट्रम आवंटित करने के प्रावधान पेश किये, जबकि उपग्रह-आधारित इंटरनेट सेवाओं के लिये वन वेब और जियो (Jio) को पहले से ही सक्रिय प्राधिकरण प्रदान किया जा चुका है।
- **निगरानी और निलंबन शक्तियाँ:**
  - सरकार के पास सार्वजनिक सुरक्षा या आपातकाल से संबंधित निर्दिष्ट आधारों पर संदेशों को रोकने, उनकी निगरानी करने या ब्लॉक करने की शक्ति है।
  - सार्वजनिक आपात स्थिति के दौरान दूरसंचार सेवाओं को निलंबित किया जा सकता है और बुनियादी ढाँचे पर अस्थायी कब्ज़ा किया जा सकता है।
- **विनियमन और मानक:**
  - केंद्र सरकार दूरसंचार उपकरण और अवसंरचना के लिये मानक निर्धारित कर सकती है।
  - यह अधिनियम ट्राई अधिनियम 1997 में भी संशोधन करता है और केवल अनुभवी व्यक्तियों को ही अध्यक्ष और सदस्य के रूप में नियुक्त करने की अनुमति देता है।
    - इसमें कहा गया है कि अध्यक्ष के पास कम से कम तीस वर्ष का पेशेवर अनुभव होना चाहिये और उसने निदेशक मंडल के सदस्य या किसी कंपनी के मुख्य कार्यकारी के रूप में कार्य किया हो।
  - ट्राई अध्यक्ष के पास दूरसंचार, उद्योग, वित्त, कानून, लेखा, प्रबंधन या उपभोक्ता मामलों में पेशेवर अनुभव होना चाहिये।
    - इसी तरह, यह ट्राई सदस्यों की नियुक्ति के मानदंडों में भी बदलाव करता है, जहाँ कहा गया है कि एक सदस्य के पास कम से कम पच्चीस वर्ष का पेशेवर अनुभव होना चाहिये और उसने किसी कंपनी के निदेशक मंडल के सदस्य या मुख्य कार्यकारी के रूप में कार्य किया हो।
  - इससे पता चलता है कि ट्राई के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति अब निजी क्षेत्र से की जा सकती है।

नोट :

- **डिजिटल भारत निधि और ओटीटी सेवाएँ:**
  - यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (USOF) को डिजिटल भारत निधि के रूप में बनाये रखा गया है, जहाँ अनुसंधान और विकास के लिये इसका उपयोग किया जा सकता है।
  - ओवर-द-टॉप (OTT) सेवाओं को दूरसंचार अधिनियम से बाहर रखा गया है और उनका विनियमन संभावित डिजिटल इंडिया अधिनियम, 2023 के अंतर्गत आता है।
- **कानूनी अपराध और दंड:**
  - विधेयक आपराधिक और नागरिक अपराधों को निर्दिष्ट करता है, जिसमें दूरसंचार सेवाओं के अनधिकृत प्रावधान और शर्तों का उल्लंघन शामिल है।
  - दंड के अंतर्गत जुर्माने से लेकर कारावास तक शामिल है और अधिनिर्णय निर्दिष्ट अधिकारियों एवं समितियों द्वारा की जाती है।
- **राष्ट्रीय सुरक्षा उपाय:**
  - वर्ष 2020 के भारत-चीन सीमा संघर्ष के बाद आरंभिक रूप से स्थापित प्रावधानों को कानून में एकीकृत किया गया है, जो संभावित रूप से प्रतिकूल देशों से दूरसंचार उपकरणों के आयात को रोकने के उपायों पर बल देता है।

दूरसंचार अधिनियम 2023 के गुण और दोष कौन-से हैं?

- **गुण:**
  - नए प्रतिमानों की ओर बदलाव: दूरसंचार अधिनियम 2023 पिछले अधिनियमों से एक उल्लेखनीय प्रस्थान का प्रतीक है जिन्हें अब मानव-मानव, मानव-मशीन और मशीन-मशीन संचार के विकसित परिदृश्य को समायोजित करने के लिये प्रतिस्थापित किया गया है।
  - विभिन्न संचार प्रौद्योगिकियों का नेविगेशन: यह अधिनियम संचार प्रौद्योगिकियों की पीढ़ियों को नेविगेट करने के लिये तैयार है, जिसमें वॉयस कॉल, मैसेजिंग, वीडियो कॉल, वियरेबल्स और इंडस्ट्री 4.0 जैसे नवाचार शामिल हैं।
    - संचार के भविष्य में AI, IoT और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी कंप्यूटिंग एवं प्रौद्योगिकियों का अविभाज्य एकीकरण अपेक्षित है।
  - आगे की ओर कदम: दो महत्त्वपूर्ण और संभवत: नज़रअंदाज किये गए उद्देश्यों पर बल दिया गया है, जो हैं प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ावा देना और ऋण-ग्रस्त उद्योग में अवसंरचना के उन्नयन के लिये संसाधन जुटाना।
  - स्पेक्ट्रम उपयोग में प्रौद्योगिकीय तटस्थता: अधिनियम उचित रूप से स्पेक्ट्रम उपयोग में प्रौद्योगिकीय तटस्थता की वकालत करता है, जहाँ यह स्वीकार किया गया है कि दूरसंचार सेवाओं को अब प्रौद्योगिकी प्रकार द्वारा परिभाषित नहीं किया जा सकता।
    - निष्पक्ष प्रतिस्पर्द्धा को प्रोत्साहित करने के लिये, बाज़ार के नए प्रवेशकों के पास वाणिज्यिक शर्तों पर बुनियादी ढाँचे तक गैर-भेदभावपूर्ण और गैर-विशिष्ट पहुँच होनी चाहिये।
  - डिजिटल प्रौद्योगिकियों के लिये नियामक अभिसरण: एक एकीकृत दृष्टिकोण के साथ, यह अधिनियम नियामक अभिसरण के महत्त्व पर बल देते हुए दूरसंचार और इंटरनेट के अभिसरण को संबोधित करता है।
    - एकीकृत सेवाओं पर खंडित निरीक्षण की चुनौती को स्वीकार किया गया है, जिससे अलग-अलग लाइसेंस और प्रशासनिक विभागों की प्रभावकारिता पर सवाल उठते हैं।
- **अवगुण:**
  - विवादित प्रावधान और गोपनीयता संबंधी चिंताएँ: अधिनियम सुरक्षा मानकों और आपात स्थितियों के दौरान सरकार को सशक्त बनाने वाले विवादित प्रावधानों, जो संभावित रूप से सीमित जवाबदेही के साथ नागरिक निजता का उल्लंघन करते हैं, से संबंधित चिंताओं को संबोधित करने में विफल रहता है।
    - निजता के साथ सुरक्षा को संतुलित करना शासकीय अधिकारियों के लिये एक महत्त्वपूर्ण विचारार्थ विषय बन जाता है।
  - 5G/6G कार्यान्वयन में चुनौतियाँ: भारत को 5G अंगीकरण में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें अनाकर्षक उपयोग के मामले, खराब मुद्रीकरण और अपर्याप्त अवसंरचना निवेश शामिल हैं।
    - वर्ष 2023-24 के बाद पूंजीगत व्यय में पर्याप्त कटौती के लिये रिलायंस जियो और भारती एयरटेल की प्रतिबद्धता चिंता पैदा करती है।
    - अधिनियम में समयबद्ध तरीके से 5G और 6G अवसंरचना को बढ़ावा देने के लिये एक विशिष्ट दृष्टिकोण का अभाव है।

भारत में दूरसंचार क्षेत्र में सुधार के लिये कौन-से कदम उठाये जा सकते हैं?

- **नियामक उपाय के रूप में कार्यात्मक पृथक्करण:**
  - अधिनियम में कार्यात्मक पृथक्करण की अवधारणा को शामिल किया जाना चाहिये, जैसा कि बाज़ार एकाग्रता को संबोधित करने के लिये अंतर्राष्ट्रीय नियमों में देखा जाता है।

नोट :

- स्वीडन, यूके, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड और पोलैंड के उदाहरण इसके उपयोग को दर्शाते हैं, लेकिन निम्न निवेश और नवाचार के लिये असंगत उपायों को रोकने के लिये सावधानी बरतने की आवश्यकता है।

- **स्वैच्छिक संक्रमण और उद्योग विन्यास:**
  - निम्न कराधान या राजकोषीय लाभ से प्रोत्साहित स्वैच्छिक संक्रमण अधिक प्रभावी दृष्टिकोण प्रदान करते हैं, जैसा कि इटली में देखा गया है।
    - अपेक्षाओं में पूरी तरह से एकीकृत टेलीकॉम से लेकर नेटवर्क एग्रीगेटर्स और प्योर-प्ले सेवा प्रदाताओं तक उद्योग विन्यास का एक स्पेक्ट्रम शामिल है।
- **वायरलाइन आधारित संरचना की ओर संक्रमण:**
  - वायरलाइन आधारित संरचना 5G/6G स्पीड देने में कहीं अधिक सक्षम है। भारत को उच्च गुणवत्ता वाले डिजिटल अनुप्रयोगों का समर्थन करने के लिये वायरलेस से वायरलाइन आधारित संरचना की ओर आगे बढ़ना चाहिये।
    - 'राईट ऑफ वे' पर अधिनियम का बल इस आवश्यकता को चिह्नित करता है, जो विशेष रूप से शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के लिये फाइबर अवसंरचना में निवेश के माध्यम से लागत कम करने के लिये एक सक्षम कारोबारी माहौल की मांग करता है।
- **सरकार का योगदान और संसाधन सृजन:**
  - सरकार को USOF के माध्यम से ग्रामीण और गैर-ग्रामीण क्षेत्रों में अवसंरचना के निर्माण के लिये स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करने चाहिये।
    - फाइबर अवसंरचना को बढ़ावा देने के लिये संसाधन सृजन और निजी क्षेत्र के निवेश के लिये प्रतिस्पर्द्धी अवसर का होना महत्त्वपूर्ण हैं।
- **भविष्य के लिये एकीकृत दृष्टिकोण:**
  - यह अधिनियम एक एकीकृत दृष्टिकोण के महत्त्व के साथ पूर्ण होता है, जिसमें विभिन्न विभागों के बीच लाइसेंसिंग, मानकों, कौशल और शासन में तालमेल पर बल दिया गया है।
    - इस समग्र दृष्टिकोण को भारत की डिजिटल क्रांति के लिये आवश्यक माना जाता है, जो दूरसंचार उद्योग को निरंतर विकास में अग्रणी मोर्चे पर रखता है।

संबंधित सरकारी पहल

- प्रधानमंत्री वाई-फाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस (PM-WANI)
- भारतनेट परियोजना
- प्रोडक्शन लिंक्ड प्रोत्साहन (PLI)
- भारत 6G एलायंस

निष्कर्ष:

भारत के दूरसंचार क्षेत्र का चल रहा विस्तार देश के डिजिटल रूपांतरण में एक महत्त्वपूर्ण तत्व है। दूरसंचार अधिनियम 2023 के प्रमुख उद्देश्यों में सेवाओं में प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ावा देना, फाइबर-आधारित नेटवर्क में बदलाव को प्रोत्साहित करना और तकनीकी गतिशीलता को बढ़ावा देना शामिल है। इन प्रयासों का उद्देश्य दूरसंचार में एक नए युग की शुरुआत करना है। इसमें अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरने के बजाय ठोस प्रगति हासिल करने पर बल दिया गया है।

भारत के ऑनलाइन गेमिंग उद्योग के विनियमन की तत्काल आवश्यकता

ऑनलाइन गेमिंग (Online gaming) में इंटरनेट के माध्यम से गेम खेलना शामिल है जहाँ खिलाड़ियों को उनके भौतिक स्थान की परवाह किये बिना कनेक्शन और सहयोगात्मक गेमप्ले की सुविधा प्राप्त होती है। यह कंप्यूटर और मोबाइल फोन सहित विभिन्न उपकरणों के माध्यम से अभिगम्य होता है। ऑनलाइन गैंबलिंग (Online gambling) में पैसे या पुरस्कार जीतने के लिये खेल और आयोजनों पर दाँव लगाकर इंटरनेट के माध्यम से जुआ गतिविधियों में भाग लेना शामिल है। इसे विभिन्न उपकरणों पर खेला जा सकता है और इसमें नकदी के बजाय वर्चुअल चिप्स या डिजिटल मुद्राएँ शामिल होती हैं।

गेमिंग और गैंबलिंग के बीच अंतर इसमें शामिल कौशल के तत्व पर निर्भर करता है। यदि किसी ऑनलाइन गतिविधि के लिये कौशल की आवश्यकता नहीं है तो इसे गेमिंग के बजाय गैंबलिंग माना जाएगा। गेमिंग गतिविधियाँ कौशल पर निर्भर होती हैं, जबकि गैंबलिंग गतिविधियाँ 'चांस' या कथित 'लक' पर निर्भर होती हैं।

भारतीय ऑनलाइन गेमिंग पारितंत्र का वर्तमान परिदृश्य क्या है?

- **विकास की संभावनाएँ:** भारत में ऑनलाइन गेमिंग उद्योग मुख्य रूप से एक घरेलू स्टार्ट-अप पारितंत्र है जो 27% CAGR से बढ़ रहा है। व्यापक रूप से यह अनुमान लगाया गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और ऑनलाइन गेमिंग वर्ष 2026-27 तक भारत की जीडीपी में 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक जोड़ सकते हैं।
  - बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप (BCG) द्वारा वर्ष 2021 में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत का मोबाइल गेमिंग क्षेत्र वर्ष 2020 में 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वर्ष 2025 तक 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच जाएगा।

नोट :

- **गेमिंग उद्योग को विनियमित करने के लिये विधेयक:** संसद के बजट सत्र के दौरान लोकसभा में निजी विधेयक के रूप में ऑनलाइन गेमिंग (विनियमन) विधेयक 2022 पेश किया गया।
  - यह विधेयक ऑनलाइन गेमिंग में अखंडता बनाए रखने और ऑनलाइन गेमिंग के लिये एक नियामक व्यवस्था पेश करने की मंशा रखता है।
    - MeitY द्वारा गठित एक कार्यबल ने भारत में ऑनलाइन गेमिंग उद्योग को विनियमित करने के लिये अपनी अनुशंसाओं की एक अंतिम रिपोर्ट तैयार की है।
  - इससे पूर्व, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक जैसे कुछ राज्यों ने ऑनलाइन गेम पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून पारित किये थे।
    - हालाँकि, उन्हें राज्य उच्च न्यायालयों द्वारा इस आधार पर रद्द कर दिया गया था कि पूर्ण प्रतिबंध लगा देना कौशल से जुड़े खेलों के लिये अनुचित था।
    - राजस्थान सरकार ऑनलाइन गेम, विशेष रूप से फैंटेसी गेम को विनियमित करने के लिये एक मसौदा विधेयक लेकर आई।
- **गेमिंग कंपनियों की बढ़ती संख्या:** वर्तमान में भारत में 400 से अधिक गेमिंग कंपनियाँ सक्रिय हैं जिनमें इंफोसिस लिमिटेड, हाइपरलिंक इंफोसिस्टम, एफजीफैक्ट्री और ज़ेनसार टेक्नोलॉजीज़ शामिल हैं।

भारत में ऑनलाइन गेमिंग और गैंबलिंग की वैधता की क्या स्थिति है?

- **कानूनी क्षेत्राधिकार:** भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची II (राज्य सूची) की प्रविष्टि संख्या 34 के तहत राज्य विधानमंडल को गेमिंग, बेटिंग या सट्टेबाजी और गैंबलिंग या जुए के संबंध में कानून बनाने की विशेष शक्ति दी गई है।
  - अधिकांश भारतीय राज्य 'कौशल के खेल' (games of skill) और 'भाग्य के खेल' (games of chance) के बीच कानून में अंतर के आधार पर गेमिंग को विनियमित करते हैं।
- **सार्वजनिक जुआ अधिनियम 1867:** वर्तमान में भारत में केवल एक केंद्रीय कानून मौजूद है जो जुए के सभी रूपों को नियंत्रित करता है। इसे सार्वजनिक जुआ अधिनियम 1867 के रूप में जाना जाता है, जो एक पुराना कानून है और डिजिटल कैसीनो, ऑनलाइन गैंबलिंग एवं गेमिंग की चुनौतियों से निपटने के लिये अपर्याप्त है।
  - हाल ही में भारत के वित्त मंत्रालय ने ऑनलाइन मनी गेमिंग, कैसीनो और हॉर्स रेसिंग पर 28% वस्तु एवं सेवा कर (GST) लगाने की घोषणा की।
- **लॉटरी विनियमन अधिनियम 1998:** भारत में लॉटरी को वैध माना जाता है। लॉटरी का आयोजन राज्य सरकार द्वारा किया जाना चाहिये और 'ड्रा' का स्थान उस विशेष राज्य में अवस्थित होना चाहिये।
- **विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) 1999:** लॉटरी जीतने और रेसिंग/राइडिंग से प्राप्त आय का विप्रेषण फेमा अधिनियम, 1999 के तहत निषिद्ध है।

भारत में ऑनलाइन गेमिंग को लेकर कौन-सी चिंताएँ पाई जाती हैं?

- **सरकारी कोषागार को हानि:**
  - पर्याप्त विनियमन की कमी ने अवैध ऑफशोर गैंबलिंग बाज़ारों को पनपने का अवसर दिया है, जिससे उपयोगकर्ताओं को नुकसान होता है और सरकारी खजाने को वृहत हानि उठानी पड़ती है।
    - अवैध ऑफशोर गैंबलिंग और बेटिंग बाज़ार को भारत से प्रति वर्ष 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर की जमा राशि प्राप्त होती है और इसने पिछले तीन वर्षों में 20% की वृद्धि दर दर्ज की है।
- **लत लगाने वाले ऑनलाइन गेमिंग व्यवहार के बारे में चिंताएँ:**
  - कुछ ऑनलाइन गेमिंग गतिविधियों की लत लगने की प्रकृति को लेकर चिंताएँ बढ़ रही हैं, जो संभावित बाध्यकारी व्यवहार, ज़िम्मेदारियों की उपेक्षा और मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव जैसे परिणाम उत्पन्न करता है।
    - ये मुद्दे सुदीर्घ या प्रोलॉन्ग गेमिंग के मनोवैज्ञानिक प्रभावों की बारीकी से जाँच करने की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हैं।
- **ऑनलाइन गेमिंग में वित्तीय जोखिम:**
  - गेमिंग पर अत्यधिक व्यय करने के कारण व्यक्तियों, विशेष रूप से कमज़ोर आर्थिक पृष्ठभूमि के व्यक्तियों, को ऋण और आर्थिक कठिनाई सहित वित्तीय जोखिमों का सामना करना पड़ सकता है।
    - यह ज़िम्मेदार उपभोक्ता संलग्नता के बारे में सवाल उठाता है और गेमिंग उद्योग में नैतिक विचारों के महत्त्व पर बल देता है।
- **कौशल-आधारित गेमिंग और गैंबलिंग के बीच अंतर करने में नियामक अस्पष्टता:**
  - कौशल-आधारित गेमिंग और गैंबलिंग के लिये स्पष्ट परिभाषाओं की कमी नियामक अस्पष्टता को जन्म देती है, जिससे इन गेमिंग गतिविधियों की प्रकृति के बारे में नैतिक बहस और विविध व्याख्याएँ शुरू हो जाती हैं।

नोट :

- गेमिंग उद्योग में निष्पक्ष और उत्तरदायी विनियमन के लिये इस अस्पष्टता को संबोधित करना महत्त्वपूर्ण है।

- **मनी लॉन्ड्रिंग के साधन:**
  - ऑनलाइन गैंबलिंग का उपयोग मनी लॉन्ड्रिंग के साधन के रूप में किया जा सकता है, जहाँ खिलाड़ी ऑनलाइन खातों में बड़ी मात्रा में नकदी जमा कर सकते हैं और फिर इसे वैध रूप से निकाल सकते हैं।
- **साइबर हमलों का खतरा:**
  - ऑनलाइन गैंबलिंग साइट्स साइबर हमलों के प्रति भेद्य हो सकते हैं, जिससे खिलाड़ियों की संवेदनशील व्यक्तिगत एवं वित्तीय सूचना की चोरी हो सकती है; इस प्रकार डेटा सुरक्षा नियमों का उल्लंघन हो सकता है और उपयोगकर्ताओं की गोपनीयता भंग हो सकती है।
- **सामाजिक अलगाव:**
  - ऑनलाइन गैंबलिंग सामाजिक अलगाव का कारण बन सकता है, क्योंकि खिलाड़ी घंटों ऑनलाइन गेम खेलने में व्यस्त हो सकते हैं, जिससे परिवार और दोस्तों के साथ सामाजिक मेलजोल में कमी आ सकती है। इससे बच्चों के अपराधी बनने का खतरा भी उत्पन्न होता है।
- **साइबर अपराध के उभरते रुझान:**
  - वित्त पर संसद की स्थायी समिति ने साइबर अपराध के रुझानों की पहचान की, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग के लिये अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन बेटिंग साइटों का उपयोग करना भी शामिल है।
  - विनियमन की कमी इन मुद्दों में योगदान करती है, जो एक विशेष नियामक प्राधिकरण की आवश्यकता को उजागर करता है।

भारत में ऑनलाइन गेमिंग को विनियमित करने के लिये कौन-से कदम उठाये जा सकते हैं?

- **ऑनलाइन गेमिंग में मजबूत विनियमन की तत्काल आवश्यकता:**
  - ऑनलाइन गेमिंग उद्योग में सुदृढ़ विनियमन की तत्काल आवश्यकता है। कुछ राज्य सरकारों द्वारा ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाने के प्रयासों को इंटरनेट की क्रॉस-बॉर्डर प्रकृति के कारण चुनौतियों का सामना करना पड़ा है।
    - निजी विधेयक के रूप में पेश किये गए ऑनलाइन गेमिंग (विनियमन) विधेयक 2022 में सुधार किया जाना चाहिये और इसे संसद द्वारा पारित किया जाना चाहिये।
- **यूके का केंद्रीकृत नियामक दृष्टिकोण:**
  - यूके में ऑनलाइन गेमिंग के लिये एक केंद्रीकृत सरकारी नियामक मौजूद है, जो विनियमन के प्रभावों पर त्रैमासिक रिपोर्ट प्रकाशित करता है।
  - कठोर प्रवर्तन और लक्षित प्रयासों से अव्यवस्थित गेमिंग और मध्यम-निम्न जोखिमपूर्ण गेमिंग व्यवहार में गिरावट आई है, जो एक केंद्रीकृत नियामक दृष्टिकोण के सकारात्मक प्रभाव को उजागर करता है।
- **बाज़ार के विनियमित और ग़ैर-विनियमित क्षेत्रों को संतुलित करना:**
  - एक ग़ैर-विनियमित बाज़ार समग्र रूप से समाज को वृहत लाभ नहीं पहुँचा सकता।
  - अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) का मानना है कि नियामक प्रवर्तन के लिये कमज़ोर दृष्टिकोण 'शैडो इकॉनमी' के प्रसार के लिये उपजाऊ ज़मीन बनाता है, जैसा कि भारतीय ऑनलाइन गेमिंग उद्योग में देखा गया है।
    - उद्योग के ज़िम्मेदार विकास के लिये एक संतुलित दृष्टिकोण की आवश्यकता है।
- **निरीक्षण की दिशा में एक कदम के रूप में सूचना प्रौद्योगिकी नियम:**
  - सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम 2021 ऑनलाइन गेमिंग उद्योग में निरीक्षण या निगरानी की दिशा में एक सराहनीय कदम है।
    - हालाँकि, स्व-नियामक निकायों की विलंबित अधिसूचना ने प्रगति को धीमा कर दिया है, जिससे भारत में बड़ी गेमिंग आबादी की सुरक्षा के लिये सख्त विनियमन की आवश्यकता उजागर होती है।
- **समाज का समग्र कल्याण सुनिश्चित करना:**
  - न केवल डिजिटल नागरिकों और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिये बल्कि ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र की ज़िम्मेदार वृद्धि सुनिश्चित करने के लिये भी एक रूपरेखा स्थापित करना अत्यंत आवश्यक है।
    - नुकसान में कमी लाने, खिलाड़ी सुरक्षा और समाज की समग्र भलाई पर फोकस होना चाहिये।
  - नियामक ढाँचा को डिजिटल इंडिया अधिनियम, 2023 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के अनुसार डेटा गोपनीयता मानदंडों के अनुरूप होना चाहिये।

नोट :

- **ऑनलाइन गेमिंग में कॉर्पोरेट नैतिक उत्तरदायित्व:**
  - कॉर्पोरेशन, चाहे बड़े हों या छोटे, लाभ-संचालित उद्देश्यों से संचालित होते हैं। गेमिंग कंपनियाँ यह सुनिश्चित करने के नैतिक उत्तरदायित्व की उपेक्षा करते हैं कि उनके प्लेटफ़ॉर्म उपयोगकर्ताओं का दोहन नहीं करें या व्यसनी व्यवहार को प्रोत्साहित नहीं करें।
    - लाभ के उद्देश्यों पर उपयोगकर्ता भलाई को प्राथमिकता देना अत्यंत आवश्यक हो गया है, जो एक ज़िम्मेदार गेमिंग वातावरण को आकार देने में कॉर्पोरेशन द्वारा निभाई जाने वाली नैतिक भूमिका को महत्त्वपूर्ण बनाता है।
- **व्यापक अनुसंधान और विश्लेषण:**
  - ऑनलाइन गेमिंग के मनोवैज्ञानिक और सामाजिक-आर्थिक प्रभावों पर व्यापक शोध में निवेश किया जाए, जो साक्ष्य-आधारित नीति निर्धारण एवं डेटा-आधारित निर्णयन के साथ ही प्रभावी नियामक उपायों के विकास को सुविधाजनक बनाए।

निष्कर्ष:

डिजिटल बाज़ारों का उभरता परिदृश्य, विशेष रूप से ऑनलाइन गेमिंग उद्योग में, अपर्याप्त विनियमन के कारण बाज़ार की विफलता के गंभीर मुद्दे को उजागर करता है। ऑनलाइन गेमिंग की तेज़ वृद्धि ने, आर्थिक विकास का वादा करते हुए, लत एवं मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों से लेकर वित्तीय धोखाधड़ी एवं राष्ट्रीय सुरक्षा जोखिमों तक कई चिंताओं को जन्म दिया है। भारत में एक मज़बूत नियामक ढाँचे की तत्काल आवश्यकता न केवल उपयोगकर्ताओं और राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा के लिये, बल्कि ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र में ज़िम्मेदार विकास को बढ़ावा देने, कर चोरी और शैडो इकॉनमी के प्रसार के मुद्दों को संबोधित करने के लिये भी बेहद प्रकट हो गई है।

सर्वाइकल कैंसर रोकथाम पहल का विस्तार

भारत सरकार सर्वाइकल कैंसर (Cervical Cancer) के खतरे को कम करने के उद्देश्य से 9-14 आयु वर्ग की बालिकाओं के लिये ह्यूमन पैपिलोमावायरस (HPV) के विरुद्ध त्रि-चरणीय टीकाकरण अभियान शुरू करने का इरादा रखती है। यह टीका उन HPV स्ट्रेन के विरुद्ध भी सुरक्षा प्रदान करता है जो गुदा, योनि और मुख-ग्रसनी (oropharynx) के कैंसर का कारण बनते हैं। इसके अतिरिक्त, यह उन HPV स्ट्रेन से भी बचाता है जो जननांग मस्सों (genital warts) के लिये ज़िम्मेदार होते हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने वर्ष 2023 में एक स्वदेशी HPV वैक्सीन लॉन्च की थी जिसे CERVAVAC के नाम से जाना जाता है।

सर्वाइकल कैंसर क्या है?

- **परिचय:**
  - सर्वाइकल कैंसर महिला के गर्भाशय ग्रीवा (cervix) में विकसित होता है। वैश्विक स्तर पर यह महिलाओं में होने वाला चौथा सबसे आम प्रकार का कैंसर है।
  - सर्वाइकल कैंसर के लगभग सभी मामले (99%) उच्च जोखिमपूर्ण ह्यूमन पैपिलोमावायरस (HPV) के संक्रमण से जुड़े हैं, जो यौन संपर्क के माध्यम से फैलने वाला एक बेहद आम वायरस है।
- **स्ट्रेन के प्रकार:**
  - कुछ उच्च जोखिमपूर्ण HPV स्ट्रेन या उपभेद के साथ लगातार संक्रमण सर्वाइकल कैंसर के लगभग 85% मामलों के लिये ज़िम्मेदार होते हैं।
  - अभी तक HPV के लगभग 14 प्रकारों या टाइप की पहचान कैंसर पैदा करने की क्षमता रखने वाले या ऑन्कोजेनिक (oncogenic) के रूप में की गई है।
    - इनमें से HPV टाइप 16 और 18, जिन्हें सबसे अधिक ऑन्कोजेनिक माना जाता है, वैश्विक स्तर पर सभी सर्विकल कैंसर के लगभग 70% मामलों के लिये ज़िम्मेदार पाये गए हैं।
- **कारण:**
  - शीघ्र पता लगाने में बाधाएँ:
    - जागरूकता की कमी, भय और आरंभिक लक्षणों की अनुपस्थिति के कारण उन्नत चरण में जाकर इनका पता चलता है, जिसके परिणामस्वरूप उच्च मृत्यु दर उत्पन्न होती है।
    - महिलाओं की नियमित जाँच का अभाव और संपर्क के पहले बिंदु के रूप में ओवर-द-काउंटर दवाओं की तलाश करना कुछ प्रमुख चुनौतियाँ हैं।
  - औपचारिक स्वास्थ्य देखभाल तक पहुँच का अभाव:
    - आंध्र प्रदेश में एक अध्ययन से पता चला कि 68% रोगियों ने सबसे पहले पारंपरिक चिकित्सकों की मदद ली और केवल 3% ने HPV टीकाकरण कराया था।
    - तेलंगाना में कैंसर के मामलों में 28% वृद्धि का अनुमान किया गया है, जिससे कैंसर देखभाल वितरण के समक्ष चुनौतियाँ पैदा हो रही हैं।
- **भारत की स्थिति:**
  - सर्वाइकल कैंसर भारत में महिलाओं में व्याप्त दूसरा सबसे आम कैंसर है, जो मुख्यत: मध्यम आयु वर्ग की महिलाओं को प्रभावित करता है।
  - वर्ष 2022 में 1,23,907 नए मामलों और 77,348 मौतों के साथ भारत ने वैश्विक बोझ में पाँचवें भाग का योगदान किया।

नोट :

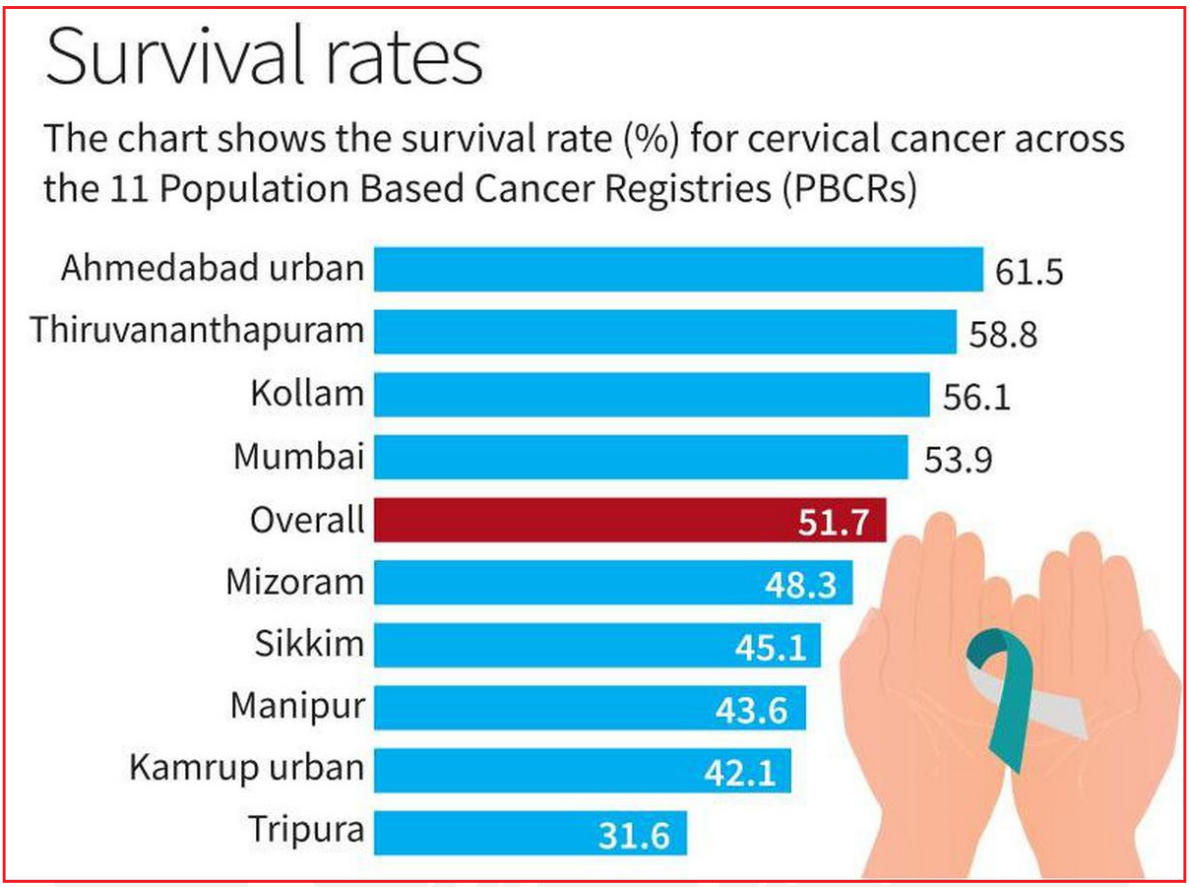

CERVAVAC क्या है ?

- **परिचय:**
  - 'सर्वावैक' (CERVAVAC) भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित क्वाड्रिवेलेंट ह्यूमन पैपिलोमावायरस (quadrivalenthumanpapillomavirus-qHPV) वैक्सीन है, जिसके बारे में कहा गया है कि यह वायरस के चार प्रकारों- टाइप 6, टाइप 11, टाइप 16 और टाइप 18 के विरुद्ध प्रभावी है।
    - क्वाड्रिवेलेंट वैक्सीन एक ऐसा टीका है जो चार अलग-अलग एंटीजन, जैसे कि वे चार अलग-अलग वायरस या अन्य सूक्ष्मजीव हों, के विरुद्ध प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को उत्तेजित करने के रूप में कार्य करता है।
  - CERVAVAC हेपेटाइटिस-बी टीकाकरण की ही तरह VLP (Virus-Like Particles) पर आधारित है।
- **महत्त्व:**
  - ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (DGCI) की मंज़ूरी के बाद, सरकार द्वारा संबंधित आयु वर्ग की लगभग 50 मिलियन बालिकाओं के टीकाकरण के लिये थोक में टीका खरीद की राह खुली।
    - यह टीका तभी अत्यंत प्रभावी सिद्ध होता है जब इसे प्रथम शारीरिक संबंध से पहले लगाया जाए।
  - इसमें सर्वाइकल कैंसर के उन्मूलन की व्यापक क्षमता है और यह मददगार सिद्ध होगा यदि इसे सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम (UIP) के टीकाकरण प्रयासों के तहत शामिल किया जाए और मौजूदा टीकाकरण की तुलना में कम लागत पर पेश किया जाए।
- **वैश्विक परिदृश्य:**
  - वैश्विक स्तर पर लाइसेंस प्राप्त मौजूदा दो टीके—Merck का Gardasil (जो क्वाड्रिवेलेंट वैक्सीन है) और GlaxoSmithKline का Cervarix (जो बाइवेलेंट वैक्सीन है), भारत में भी उपलब्ध हैं, लेकिन वे महँगे हैं और उनमें से कोई भी राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल नहीं है।

नोट :

कैंसर के इलाज से संबंधित प्रमुख सरकारी पहलें कौन-सी हैं?

- कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग और स्ट्रोक की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिये राष्ट्रीय कार्यक्रम
- नेशनल कैंसर ग्रिड
- राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस
- HPV वैक्सीन

सर्वाइकल कैंसर के उन्मूलन के लिये कौन-से कदम उठाये जा सकते हैं?

- **HPV टीकाकरण:**
  - निम्न सामाजिक-आर्थिक स्थितियों और धूम्रपान जैसे कारकों के साथ लगातार उच्च जोखिमपूर्ण HPV संक्रमण सर्वाइकल कैंसर का कारण बनते हैं।
  - HPV टीकाकरण, अर्ली डिटेक्शन, स्क्रीनिंग और समय पर उपचार के माध्यम से इस रोग को रोका जा सकता है तथा इसका उपचार किया जा सकता है।
- **अर्ली डिटेक्शन और उपचार का अवसर:**
  - सर्वाइकल कैंसर में 10-15 वर्ष का प्री-इनवैसिव चरण होता है, जो आरंभ में ही पता लगा लेने (अर्ली डिटेक्शन) और आउट-पेशेंट उपचार के लिये अवसर प्रदान करता है।
    - आरंभिक चरण के प्रबंधन से उपचार दर 93% से अधिक हो जाती है, जो समय पर हस्तक्षेप के महत्त्व को उजागर करता है।
- **सर्वाइकल कैंसर की उन्मूलन संभावना:**
  - सर्वाइकल कैंसर एकमात्र ग़ैर-संचारी रोग है जो उन्मूलन की संभावना रखता है और यह सतत विकास लक्ष्य 3.4 के अनुरूप है।
  - विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने सर्वाइकल कैंसर के उन्मूलन के लिये लक्ष्य निर्धारित किये हैं, जिसमें 15 वर्ष की आयु तक की बालिकाओं का 90% टीकाकरण, 35 एवं 45 वर्ष की आयु में महिलाओं की 70% स्क्रीनिंग और प्री-कैंसर एवं कैंसर के मामलों के लिये 90% उपचार के साथ प्रति 100,000 महिलाओं पर चार से कम मामलों का लक्ष्य रखा गया है।
    - यह HPV टीकाकरण, स्क्रीनिंग और आरंभिक निदान जैसे सरल एवं 'स्केलेबल' हस्तक्षेपों पर बल देता है।
- **कैंसर स्क्रीनिंग के लिये सरकारी पहलें:**
  - भारत सरकार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में दृश्य परीक्षण (visual tests) और HPV परीक्षण सहित कैंसर स्क्रीनिंग प्रवर्तित करती है।
  - साक्ष्य-आधारित प्रबंधन एल्गोरिदम उपचार का मार्गदर्शन करते हैं और स्वदेशी किट एवं टीके संसाधन-दुर्लभ संरचना में सहायता करते हैं।
- **तकनीकी प्रगति की भूमिका:**
  - एकल-खुराक HPV टीकाकरण, HPV परीक्षण के लिये स्व-नमूनाकरण और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) प्रौद्योगिकी जैसे नवाचार सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम को बेहतर बनाते हैं।
    - HPV वैक्सीन के बढ़ते उपयोग के साथ ये प्रगतियाँ संसाधन-सीमित संरचना के लिये आशाजनक हैं।
- **जनसंख्या-स्तर जागरूकता और रणनीतियों की तत्काल आवश्यकता:**
  - सर्वाइकल कैंसर से निपटने के लिये जागरूकता बढ़ाने, HPV वैक्सीन को बढ़ावा देने, झिझक पर काबू पाने, आयु-उपयुक्त स्क्रीनिंग को लागू करने और प्री-कैंसर उपचार प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।
    - सफलता के लिये साझेदारी और क्षमता निर्माण आवश्यक है।
- **सर्वाइकल कैंसर देखभाल को सुदृढ़ करने के लिये व्यापक दृष्टिकोण:**
  - सटीक निदान, सशक्त कैंसर रजिस्ट्रियाँ, कम वित्तीय बोझ और सुदृढ़ स्वास्थ्य प्रणालियों के लिये लगातार प्रयासों की आवश्यकता है।
  - सर्वाइकल कैंसर के सफल उन्मूलन के लिये सभी देखभाल मार्गों को जोड़ना, डिजिटल प्रौद्योगिकियों को शामिल करना और सहयोग को बढ़ावा देना महत्त्वपूर्ण है।

निष्कर्ष:

सर्वाइकल कैंसर के नए मामलों और मौतों के चिंताजनक आँकड़े निवारक उपायों की तत्काल आवश्यकता को उजागर करते हैं। स्क्रीनिंग और HPV टीकाकरण के माध्यम से शीघ्र पता लगाना एक महत्त्वपूर्ण अवसर प्रस्तुत करता है, जहाँ प्रारंभिक चरणों में प्रबंधित होने पर उच्च उपचार दर प्राप्त होता है। WHO द्वारा प्रस्तावित लक्ष्य और सरकारी पहलों का संयोग व्यापक हस्तक्षेप के लिये एक रोडमैप प्रदान करते हैं। सफलता प्राप्त करने के लिये निरंतर प्रयासों की आवश्यकता है, जिसमें जागरूकता अभियान, टीके को बढ़ावा देना, सहयोग पर बल देना और सर्वाइकल कैंसर के उन्मूलन के लिये अभिनव दृष्टिकोण अपनाना शामिल हैं।

नोट :

मुख्य सचिव के कार्यकाल पर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (National Capital Territory of Delhi- NCT of Delhi) अद्वितीय स्थिति रखती है क्योंकि यह दिल्ली सरकार के साथ-साथ केंद्र सरकार की भी सीट है। दिल्ली की निर्वाचित सरकार और केंद्र सरकार के बीच सहयोग एवं समन्वय सुनिश्चित करने के लिये विशेष उपबंध किये गए हैं। उपराज्यपाल या लेफ्टिनेंट गवर्नर (LG) दिल्ली NCT का संवैधानिक प्रमुख होता है जो इस क्षेत्र में भारत के राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व करता है।

पुलिस, लोक व्यवस्था और भूमि जैसे कुछ विषय दिल्ली की निर्वाचित सरकार के बजाय उपराज्यपाल एवं केंद्र सरकार के क्षेत्राधिकार में रखे गए हैं। निर्वाचित सरकार और उपराज्यपाल के बीच शक्तियों और उत्तरदायित्वों का वितरण संवैधानिक एवं राजनीतिक बहस का मुद्दा रहा है। हालिया विवाद दिल्ली के मुख्य सचिव के कार्यकाल के विस्तार को लेकर उभरा है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के प्रशासन के संबंध में हालिया विवाद क्या है?

- **वर्ष 2015 की अधिसूचना:**
  - केंद्र सरकार की वर्ष 2015 की अधिसूचना ने अनुच्छेद 239 AA (3 (a)) के तहत अपवादों की सूची में प्रविष्टि 41 का योग किया और सेवाओं, लोक व्यवस्था, पुलिस एवं भूमि से जुड़े मामलों से निपटने का अधिकार LG को सौंप दिया, जहाँ वह मुख्यमंत्री से सलाह ले सकता है।
    - अधिसूचना में कहा गया है कि NCT दिल्ली सरकार प्रविष्टि 41 यानी 'सेवाओं' के लिये कानून नहीं बना सकती है क्योंकि यह दिल्ली की NCT विधानसभा के दायरे से बाहर है। वर्ष 2016 में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा भी इसकी पुष्टि की गई।
- **सर्वोच्च न्यायालय की अमान्यता:**
  - सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने NCT दिल्ली सरकार बनाम भारत संघ (2023) मामले में निर्णय दिया कि NCT दिल्ली के पास लोक व्यवस्था, पुलिस एवं भूमि से संबंधित मामलों को छोड़कर राष्ट्रीय राजधानी में अन्य सभी प्रशासनिक सेवाओं पर विधायी एवं कार्यकारी शक्ति प्राप्त है और ऐसे मामलों में LG दिल्ली सरकार के निर्णयों को मानने के लिये बाध्य है।
  - जवाबदेही की तिहरी शृंखला:
    - उपर्युक्त निर्णय में SC ने स्पष्ट रूप से 'जवाबदेही की तिहरी शृंखला' की अवधारणा को मान्यता प्रदान की।
    - जवाबदेही की यह तिहरी शृंखला प्रतिनिधिक लोकतंत्र का अभिन्न अंग है और निम्नानुसार आगे बढ़ती है:
    - लोक सेवक मंत्रिमंडल के प्रति जवाबदेह होते हैं।
    - मंत्रिमंडल विधायिका या विधानसभा के प्रति जवाबदेह होता है।
    - विधानसभा (आवधिक रूप से) मतदाताओं के प्रति जवाबदेह होती है।
    - कोई भी कार्रवाई जो जवाबदेही की इस तिहरी शृंखला को तोड़ती है, बुनियादी रूप से प्रतिनिधि सरकार के मूल संवैधानिक सिद्धांत को कमज़ोर करती है जो कि हमारे लोकतंत्र का आधार है।
- **अमान्य करार दिये जाने के बाद केंद्र सरकार की प्रतिक्रिया:**
  - केंद्र सरकार ने शीर्ष अदालत के निर्णय को निष्प्रभावी या 'ओवररूल' करने के लिये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) अध्यादेश जारी कर दिया।
    - दिल्ली सरकार ने इस अध्यादेश को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया, जिसने फिर अधिनिर्णय के लिये मामले को एक संविधान पीठ के पास भेज दिया।
  - जबकि मामला अभी भी संविधान पीठ के पास लंबित ही था, संसद द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली शासन (संशोधन) अधिनियम, 2023 [Government of National Capital Territory of Delhi (Amendment) Act, 2023] अधिनियमित किया गया, जहाँ दिल्ली में प्रशासन के संबंध में केंद्र को अधिभावी शक्तियाँ प्रदान की गईं।
    - दिल्ली के मुख्य सचिव के कार्यकाल में छह माह के विस्तार का निर्णय केंद्र सरकार द्वारा इसी शक्ति का एक प्रयोग है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) अधिनियम, 2023 क्या है?

- **NCCSA की स्थापना:** यह अधिनियम सिविल सेवकों के पदस्थापन एवं नियंत्रण के संबंध में निर्णय लेने के लिये राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण (National Capital Civil Service Authority- NCCSA) नामक एक स्थायी प्राधिकरण की स्थापना की मंशा रखता है।

नोट :

- NCCSA में दिल्ली के मुख्यमंत्री (इसके प्रमुख के रूप में), मुख्य सचिव और प्रधान सचिव (दोनों NCT दिल्ली सरकार से संबद्ध) शामिल होंगे।
- NCCSA लोक व्यवस्था, भूमि एवं पुलिस से संबंधित मामलों का प्रबंधन करने वाले अधिकारियों को छोड़कर दिल्ली सरकार के विभिन्न विषयों में सेवारत सभी समूह 'A' अधिकारियों के स्थानांतरण एवं पदस्थापन के संबंध में LG को अनुशंसाएँ भेजेगा।

- **धारा 45D:** उल्लिखित अध्यादेश की धारा 45D में संशोधन के माध्यम से दिल्ली में सांविधिक आयोगों और न्यायाधिकरणों में नियुक्तियों के संबंध में केंद्र को शक्ति प्रदान की गई है।
  - धारा 45D में कहा गया है कि कोई भी प्राधिकरण, बोर्ड, आयोग या कोई सांविधिक निकाय, या उसका कोई पदाधिकारी या सदस्य, जिसका NCT दिल्ली में या उसके लिये, तत्समय प्रभावी किसी विधि द्वारा गठित या नियुक्त किया जाता है तो यह राष्ट्रपति द्वारा गठित, नियुक्त या मनोनीत होगा।
  - यह अधिनियम LG को अंतिम प्राधिकार प्रदान देता है, जहाँ किसी भी मतभेद की स्थिति में LG का निर्णय अधिभावी होगा।
- **NCT दिल्ली के मंत्रियों को दरकिनार करना:** नया अधिनियम विभाग के सचिवों को संबंधित मंत्री से परामर्श किये बिना LG, मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के पास किसी मामले को ले जाने की अनुमति देता है।
- **दिल्ली विधानसभा कानूनों के तहत गठित निकायों के संबंध में:** NCCSA धारा 45H के उपबंधों के अनुसार LG द्वारा गठन या नियुक्ति या नामांकन के लिये उपयुक्त व्यक्तियों के एक पैनल की सिफ़ारिश करेगा।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) अधिनियम, 2023 से संबद्ध समस्याएँ क्या हैं?

- **लोकतंत्र को कमज़ोर करना:**
  - यह अधिनियम प्रतिनिधि लोकतंत्र और उत्तरदायी शासन के सिद्धांतों को कमज़ोर करता है , जो भारत की संवैधानिक व्यवस्था के स्तंभ माने जाते हैं।
  - यह निर्वाचित दिल्ली सरकार से सेवाओं का नियंत्रण छीन लेता है, जबकि उनके पास दिल्ली के लोगों की ओर से विधि निर्माण और प्रशासन का स्पष्ट जनादेश होता है।
  - यह मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की भूमिका को 'रबर स्टांप' होने तक कम कर देता है, क्योंकि उन्हें NCCSA में दो नौकरशाहों (मुख्य सचिव और प्रधान सचिव) द्वारा ओवररूल किया जा सकता है, जो अंततः LG और केंद्र के प्रति जवाबदेह होते हैं।
- **संवैधानिक उल्लंघन:**
  - यह अधिनियम सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का उल्लंघन करता है और उसे रद्द कर देता है, जहाँ कहा गया था कि दिल्ली सरकार के पास लोक व्यवस्था, पुलिस एवं भूमि से संबंधित मामलों को छोड़कर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अन्य सेवाओं पर विधायी एवं कार्यकारी शक्तियाँ प्राप्त हैं।
  - यह संविधान के अनुच्छेद 239AA के प्रावधानों के भी विपरीत है, जहाँ दिल्ली को एक विधानसभा के साथ केंद्रशासित प्रदेश के रूप में विशेष दर्जा दिया गया है और यह केंद्र एवं दिल्ली सरकार के बीच सामंजस्यपूर्ण संबंध की परिकल्पना करता है।
  - यह अधिनियम संघवाद (federalism) के सिद्धांत का भी उल्लंघन करता है, जो संविधान की एक मूल विशेषता (basic feature) है और यह राज्यों के अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करता है।

सर्वोच्च न्यायालय के हालिया निर्णय से संबद्ध विभिन्न चिंताएँ क्या हैं?

- **संवैधानिक तर्क और अतीत के ज्ञान की हानि:**
  - मुख्य सचिव के कार्यकाल के एकपक्षीय विस्तार की अनुमति देने का न्यायालय का निर्णय न केवल संवैधानिक तर्क से भटकाव को प्रकट करता है, बल्कि इसके अतीत के ज्ञान के भी विपरीत है, जो संवैधानिक व्याख्या को दिये जाते महत्त्व को नष्ट करता है।
  - यह संवैधानिक मामलों पर न्यायालय के बदलते रुख के बारे में चिंताएँ पैदा करता है।
- **मुख्य सचिव के लिये नियमों का चयनात्मक अनुप्रयोग:**
  - न्यायालय ने अपने आदेश में उन नियमों से छूट प्रदान कर दी जहाँ मुख्य सचिव के कार्यकाल विस्तार के लिये सरकार की अनुशंसा की आवश्यकता रखी गई है।
    - स्थापित मानदंडों से यह विचलन संवैधानिक तर्क के प्रति न्यायालय की सुसंगतता और अनुपालन के संबंध में सवाल खड़े करता है।
- **हितों के टकराव के आरोप और कार्यकाल विस्तार के मानदंड:**
  - हितों के टकराव के आरोपों का सामना कर रहे मुख्य सचिव के कार्यकाल विस्तार ने 'पूर्ण औचित्य' और 'सार्वजनिक हित' जैसे मानदंड को चुनौती दी।

नोट :

- सरकार का मुख्य सचिव से भरोसा खोने के साथ, इन चिंताओं को दूर करने में न्यायालय की विफलता कार्यकाल विस्तार की वैधता के बारे में संदेह पैदा करती है।

- **मुख्य सचिव की भूमिका और पूर्व-दृष्टांतों की अनदेखी:**
  - न्यायालय का हालिया आदेश मुख्य सचिव की भूमिका पर उसके पूर्व के रुख का खंडन करता है, जैसा कि रोयप्पा मामले (1974) में रेखांकित हुआ था।
    - रोयप्पा मामले में न्यायालय ने माना था कि मुख्य सचिव का पद अत्यंत भरोसे का पद है, क्योंकि वह 'प्रशासन की मुख्य धुरी' होता है; इसलिये उसके और मुख्यमंत्री के बीच तालमेल का होना आवश्यक है।
  - न्यायालय ने आरंभ में तो रोयप्पा मामले में व्यक्त अपने रुख की अनदेखी की, लेकिन बाद में चुनिंदा रूप से इसकी टिप्पणियों को शामिल कर लिया, जिसके परिणामस्वरूप विधि की त्रुटिपूर्ण व्याख्या की स्थिति बनी।
- **नियुक्ति के संबंध दिल्ली सरकार की स्थिति की गलत व्याख्या:**
  - न्यायालय ने यह मान लिया कि दिल्ली सरकार मुख्य सचिव की नियुक्ति में केंद्र सरकार के अधिकार को पूरी तरह से खारिज करने की इच्छा रखती है।
    - हालाँकि, वास्तव में दिल्ली सरकार न्यायालय की व्याख्या का विरोध करते हुए एक संयुक्त नियुक्ति प्रक्रिया की वकालत करती है।
- **शासन में जवाबदेही शृंखला का टूटना:**
  - मुख्य सचिव द्वारा सरकार का भरोसा खो देने की स्थिति में भी जवाबदेही में कमी को चिह्नित कर सकने में न्यायालय की विफलता शासन संबंधी मामलों में अविश्वास को आगे बढ़ाती है।
    - यह लापरवाही या चूक, सेवा संबंधी निर्णयों में जवाबदेही पर बल देने के न्यायालय के पूर्व के रुख का खंडन करती है।
- **दिल्ली सरकार की क्षमता के अंतर्गत विविध विषयों की उपेक्षा:**
  - न्यायालय ने दिल्ली सरकार के अधिकार क्षेत्र के तहत 100 से अधिक विषयों में मुख्य सचिव की भागीदारी को नज़रअंदाज़ कर दिया।
    - केंद्र सरकार के मामलों से मुख्य सचिव की संबद्धता पर बल देते हुए, न्यायालय ने उसकी ज़िम्मेदारियों के व्यापक दायरे की उपेक्षा की।

आगे की राह:

- **विशेषज्ञ समिति का गठन:**
  - इस मुद्दे को सुलझाने के लिये अनुशंसाएँ करने हेतु विधिक, संवैधानिक और प्रशासनिक विशेषज्ञों की एक विशेषज्ञ समिति गठित की जा सकती है।
  - इस समिति को विधिक एवं प्रशासनिक पहलुओं का गहन विश्लेषण करना चाहिये, पूर्व-दृष्टांतों की समीक्षा करनी चाहिये और व्यावहारिक समाधान प्रस्तावित करना चाहिये जो लोकतांत्रिक सिद्धांतों को कायम रखें और केंद्र सरकार एवं दिल्ली की निर्वाचित सरकार के बीच शक्ति का नाजुक संतुलन बनाए रखें।
- **संवाद और सुलह वार्ता:**
  - मुद्दे के समाधान के लिये केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच सार्थक संवाद एवं सुलह वार्ता आवश्यक है।
  - दोनों पक्षों को अपनी-अपनी चिंताओं एवं हितों पर चर्चा करने के लिये एक साथ आना चाहिये और एक पारस्परिक रूप से सहमत समाधान की तलाश करनी चाहिये जो लोकतांत्रिक सिद्धांतों एवं राष्ट्रीय राजधानी के रूप में दिल्ली की अद्वितीय स्थिति का सम्मान करता हो।
- **संवैधानिक सिद्धांतों का सम्मान:**
  - समाधान की पूरी प्रक्रिया में सभी हितधारकों के लिये लोकतांत्रिक प्रशासन, शक्तियों के पृथक्करण और निर्वाचित प्रतिनिधियों के अधिकारों सहित संवैधानिक सिद्धांतों को बनाए रखने के लिये प्रतिबद्धता प्रदर्शित करना महत्त्वपूर्ण है।
  - संवैधानिक ढाँचे का सम्मान करने से मुद्दे को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से हल करने के लिये एक ठोस आधार प्राप्त होगा।

निष्कर्ष:

सर्वोच्च न्यायालय, जिसने पूर्व में सेवाओं पर निर्वाचित सरकार के नियंत्रण के महत्त्व पर बल दिया था, अब मुख्य सचिव के कार्यकाल के एकपक्षीय विस्तार की अनुमति देकर अपने रुख से पलट गया है। न्यायालय द्वारा कानूनी सिद्धांतों का चयनात्मक अनुप्रयोग, जैसे कि रोयप्पा मामले की अवहेलना और चुनिंदा टिप्पणियाँ, इसके निर्णयों की सुसंगतता एवं अखंडता पर सवाल उठाता है। यह निर्णय न केवल संवैधानिक तर्क को कमज़ोर करता है बल्कि शासन के मामलों में निर्वाचित सरकार और नौकरशाही के बीच के नाजुक संतुलन को भी खतरे में डालता है।

नोट :

लाल सागर में बढ़ता संकट

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (MoCI) की रिपोर्ट है कि यूरोप में भारतीय निर्यात, विशेष रूप से कृषि और कपड़ा जैसे निम्न-मूल्य उत्पादों, को लाल सागर (Red Sea) में बढ़ते तनाव और पनामा नहर में चल रहे सूखे की समस्या के कारण व्यवधान का सामना करना पड़ रहा है। इसकी प्रतिक्रिया में केंद्रीय वाणिज्य सचिव की अध्यक्षता में एक अंतर-मंत्रालयी बैठक आहूत की गई जिसमें विदेश, रक्षा, जहाज़रानी जैसे प्रमुख मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग (DFS) ने भागीदारी की तथा वैश्विक व्यापार पर संभावित प्रभावों के बारे में चिंताओं को संबोधित किया।

लाल सागर और पनामा नहर में बढ़ती सुरक्षा चिंताओं के परिदृश्य में 'केप ऑफ गुड होप' के माध्यम से शिपमेंट के मार्ग परिवर्तन या री-रूटिंग से यूरोप की ओर नौपरिवहन में अधिक समय लग रहा है और माल ढुलाई दरों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

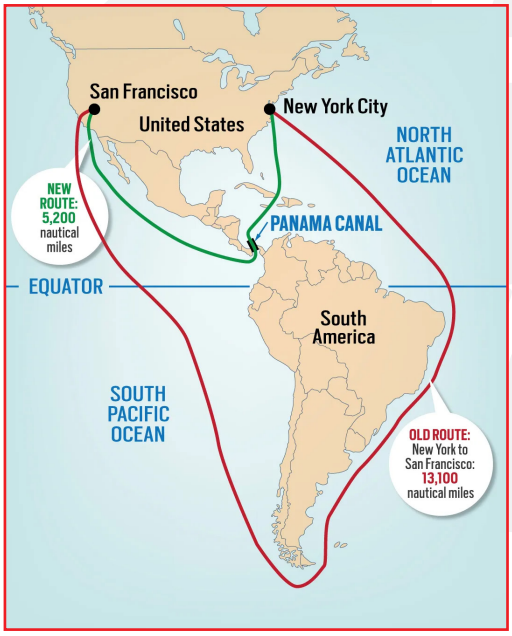

लाल सागर (Red Sea)

- लाल सागर एक अर्द्ध-परिबद्ध उष्णकटिबंधीय बेसिन है जो पश्चिम में उत्तर-पूर्वी अफ्रीका और पूर्व में अरब प्रायद्वीप से घिरा है।
- लंबे और संकीर्ण आकार का यह बेसिन उत्तर-पश्चिम में भूमध्य सागर और दक्षिण-पूर्व में हिंद महासागर के बीच विस्तृत है।
- उत्तरी छोर पर, यह अकाबा की खाड़ी और स्वेज़ की खाड़ी में पृथक होता है, जो स्वेज़ नहर के माध्यम से भूमध्य सागर से जुड़ा हुआ है।
- दक्षिणी छोर पर, यह बाब-अल-मंडेब जलडमरूमध्य के माध्यम से अदन की खाड़ी और बाह्य हिंद महासागर से जुड़ा हुआ है।
- यह रेगिस्तानी या अर्द्ध-रेगिस्तानी इलाकों से घिरा हुआ है, जहाँ मीठे पानी का कोई बड़ा प्रवाह मौजूद नहीं है।

लाल सागर और पनामा नहर में वर्तमान में कौन-से मुद्दे प्रकट हुए हैं?

- **लाल सागर:**
  - मुद्दा: रासायनिक टैंकर एमवी केम प्लूटो पर गुजरात के तट से लगभग 200 समुद्री मील की दूरी पर एक ड्रोन हमला किया गया।
    - एमवी केम प्लूटो लाइबेरिया के झंडे के तहत पंजीकृत, जापानी स्वामित्व का और नीदरलैंड द्वारा संचालित रासायनिक टैंकर है। इसने सऊदी अरब के अल जुबैल से कच्चा तेल लेकर अपनी यात्रा शुरू की थी और इसके भारत के न्यू मैंगलोर पहुँचने की उम्मीद थी।
  - हूती विद्रोहियों पर संदेह: माना जाता है कि यह हमला यमन के हूती विद्रोहियों द्वारा किया गया जो गाज़ा में इज़राइल की कार्रवाइयों पर प्रतिरोध जताना चाहते थे।
    - हूती विद्रोही यमन सरकार के साथ एक दशक से जारी नागरिक संघर्ष में भी शामिल हैं।
- **पनामा नहर:**
  - मुद्दा: सूखे (drought) की स्थिति के कारण, पनामा नहर के 51 मील लंबे विस्तार के माध्यम से शिपिंग में 50% से अधिक की कमी आई है।
    - मध्य और पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में सामान्य से अधिक गर्म जल से संबद्ध प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होने वाला अल नीनो जलवायु पैटर्न पनामा के इस सूखे में योगदान दे रहा है।
  - अवसंरचनात्मक खामियाँ: पनामा नहर की परिचालन संबंधी चुनौतियों और लाल सागर जैसे वैकल्पिक मार्गों पर व्यापार फोकस में बदलाव ने कई चिंताएँ उत्पन्न की हैं, जिन पर तुरंत ध्यान देने की आवश्यकता है।
    - 'ड्रेजिंग' (dredging) की आवश्यकता और गहराई कम होने जैसे मुद्दे सामने आए हैं, जो बड़े जहाज़ों के नौपरिवहन में बाधाएँ पैदा कर रहे हैं। इन चुनौतियों से निपटने के लिये तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है।
  - ये दोनों मार्ग विश्व के सबसे व्यस्ततम मार्गों में शामिल हैं।

नोट :

उपर्युक्त मुद्दों के कारण भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

- **कृषि वस्तुओं पर प्रभाव:**
  - इस महत्त्वपूर्ण व्यापार मार्ग में व्यवधान के कारण बासमती और चाय जैसी प्रमुख वस्तुओं के निर्यातकों के लिये चिंताएँ उत्पन्न हुई हैं।
  - लाल सागर मार्ग में व्यवधान से भारतीय कृषि उत्पाद की कीमतें 10-20% तक बढ़ सकती हैं क्योंकि शिपमेंट की 'केप ऑफ गुड होप' के माध्यम से री-रूटिंग की जा रही है।
- **तेल और पेट्रोलियम व्यापार पर प्रभाव:**
  - प्रमुख शिपिंग कंपनियों द्वारा लाल सागर मार्ग के प्रयोग से बचने के कारण वैश्विक तेल और पेट्रोलियम प्रवाह में गिरावट आई है। हालाँकि, रूस से भारत का तेल आयात अप्रभावित रहा है।
    - लाल सागर में संघर्ष के बीच ईरान के सहयोगी माने जाने वाले भारत की रूसी तेल पर निर्भरता स्थिर बनी हुई है।
- **अमेरिका को महँगा निर्यात:**
  - पनामा नहर में जल की कमी का मुद्दा और फिर सूखे की स्थिति के कारण एशिया से अमेरिका जाने वाले जहाज़ों को स्वेज़ नहर मार्ग चुनने के लिये विवश होना पड़ रहा है, जिसके परिणामस्वरूप पनामा नहर मार्ग की तुलना में यात्रा में छह दिन का अतिरिक्त समय लगता है।
- **पनामा नहर एक व्यवहार्य विकल्प नहीं:**
  - जबकि लाल सागर क्षेत्र में स्वेज़ नहर की ओर स्थित बाब-अल-मंडेब जलडमरूमध्य एशिया को यूरोप से जोड़ता है, 100 साल पुरानी पनामा नहर अटलांटिक एवं प्रशांत महासागरों को जोड़ती है और भारत के लिये अधिक व्यवहार्य विकल्प नहीं है।

वर्तमान संकट में कौन-से कारक योगदान दे रहे हैं?

- **आधुनिक हथियार संबंधी चिंताएँ:**
  - लाल सागर की स्थिति जटिल होती जा रही है, जिसका असर स्थिरता और व्यापार दोनों पर पड़ रहा है।
  - उन्नत हथियारों का उपयोग राष्ट्रों के बीच संयुक्त रक्षा प्रयासों की प्रभावशीलता पर सवाल उठाता है, जिससे व्यापार व्यवधान और उच्च अंतर-संचालनीयता के दावों के बारे में चिंताएँ पैदा होती हैं।

नोट :

- **पाइरेसी तकनीकों का अनुकूलन:**
  - अतीत की समुद्री पाइरेसी चुनौतियों के ही समान, विलंबित अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाओं ने विद्रोहियों को आधुनिक प्रौद्योगिकियों को अपनाने का अवसर दे दिया है।
  - इससे जहाजों की हाईजैकिंग और उन्हें मदर शिप के रूप में उपयोग करने जैसी रणनीति को बढ़ावा मिला है, जिससे 'उच्च जोखिम क्षेत्र' का विस्तार हुआ है और मार्ग परिवर्तन के कारण समुद्री व्यापार के प्रभावित होने एवं बीमा लागत में वृद्धि जैसी स्थिति बनी है।
- **राज्य का समर्थन और मिसाइल प्रसार:**
  - ड्रोन और एंटी-शिप बैलिस्टिक मिसाइलों (ASBMS) का उपयोग करने वाले हूती विद्रोहियों की संलग्नता के साथ ही ईरान और चीन के संभावित राज्य समर्थन ने मिसाइल प्रौद्योगिकी प्रसार के बारे में चिंता उत्पन्न की है।
  - ASBMS की आपूर्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चीन से जुड़ी हुई है, जिससे स्थिति की जटिलता बढ़ गई है।
- **'ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन' के प्रति उदासीन प्रतिक्रिया:**
  - अमेरिका द्वारा शुरू किये गए ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन (Operation Prosperity Guardian), जिसका उद्देश्य संयुक्त समुद्री बल के तहत कार्य करना था, को सहयोगियों और भागीदारों की ओर से उदासीन प्रतिक्रिया प्राप्त हुई।
  - फ्राँस, इटली और स्पेन जैसे नाटो सहयोगी स्वतंत्र रूप से अभियान चला रहे हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय सहकारी तंत्र के संचालन में अमेरिका की क्षमता के बारे में संदेह का संकेत देता है।
- **सऊदी अरब और यूएई की गैर-भागीदारी:**
  - ऑपरेशन से सऊदी अरब की अनुपस्थिति (संभवत: यमन समझौता वार्ता और ईरान के साथ संबंधों पर नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिये) निहित जटिलताओं को उजागर करती है।
  - यूएई की अनिच्छा इज़राइल के लिये कथित समर्थन से बचने के कारण हो सकती है।
  - भारत, पूर्ण सदस्य होने के बावजूद, संभवत: ईरान के साथ अपने संबंधों के कारण स्वतंत्र रूप से अभियान चलाता है।
- **समुद्री सुरक्षा पर वैश्विक प्रभाग:**
  - ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन की गठबंधन के रूप में कार्य कर सकने की असमर्थता समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (UNCLOS) द्वारा निर्दिष्ट नौपरिवहन की स्वतंत्रता का समर्थन करने वाले समान विचारधारा वाले देशों के बीच विभाजन को उजागर करती है।
  - यहाँ तक कि जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे अमेरिकी सहयोगी भी अभी तक इसमें शामिल नहीं हुए हैं, जो समुद्री सुरक्षा और नियम-आधारित विश्व व्यवस्था के संबंध में अभिसरण की कमी को उजागर करता है।

भारत इन मुद्दों की संवेदनशीलता को कम करने के लिये कौन-से उपाय कर सकता है?

- **संयुक्त समुद्री सुरक्षा पहल:** लाल सागर क्षेत्र के प्रमुख हितधारकों (मिस्र, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, यमन) के साथ एक सहयोगी सुरक्षा ढाँचे का प्रस्ताव किया जा सकता है जिसमें खुफिया जानकारी साझा करना, समन्वित गश्त और संयुक्त अभ्यास शामिल हो सकते हैं।

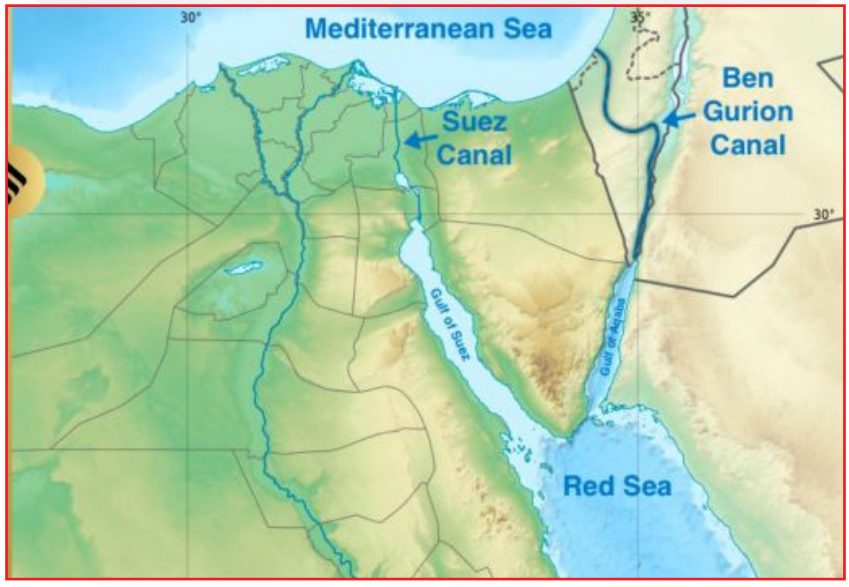

नोट :

- **उन्नत निगरानी प्रणालियाँ तैनात करना:** खतरे का शीघ्र पता लगाने और प्रतिक्रिया क्षमताओं को बढ़ाने के लिये भारत के पश्चिमी तट पर एकीकृत रडार और ड्रोन निगरानी प्रणालियाँ स्थापित की जाएँ।
- **अधिमान्य अभिगम्यता पर वार्ता:** भारतीय जहाज़ों के लिये अधिमान्य मार्ग या विशिष्ट मार्गों के लिये संभावित टोल छूट पा सकने के लिये पनामा नहर अधिकारियों के साथ वार्ता करें।
- **वैकल्पिक व्यापार मार्गों पर विचार करना:** हाल ही में बेन गुरियन नहर परियोजना (Ben Gurion Canal Project) में नए सिरे से दिलचस्पी बढ़ी है, जो एक प्रस्तावित 160 मील लंबी समुद्र-स्तरीय नहर है जो स्वेज़ नहर को बायपास करते हुए भूमध्य सागर को अकाबा की खाड़ी से जोड़ेगी।
- **हूती विद्रोहियों को वैश्विक आतंकवादी के रूप में नामित करना:** इस वर्ष फ़रवरी के मध्य से अमेरिका द्वारा हूती विद्रोहियों को एक विशेष रूप से नामित वैश्विक आतंकवादी समूह के रूप में लेबल किया जाएगा, जो संभावित रूप से वैश्विक वित्तीय प्रणाली तक उनकी पहुँच को अवरुद्ध करेगा।
  - यह कदम सऊदी अरब द्वारा हूती खतरे की चेतावनी दिये जाने के बाद भी उन्हें अमेरिकी आतंकी सूची से निकाले जाने के बावजूद उठाया गया है। भारत ऐसे खतरों से बचने के लिये समान विचारधारा वाले देशों से हाथ मिला सकता है।
- **सुविचारित और सहयोगात्मक दृष्टिकोण:** हूती विद्रोही विभिन्न राष्ट्रों के बीच विभाजन का लाभ उठाते हैं और अमेरिका के वैश्विक प्रभुत्व को प्रश्नगत करते हैं। समुद्री पाइरेसी समाधानों के ही के समान हथियारों की आपूर्ति को संबोधित करना अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।
  - यमन में स्थिति अलग है और राज्य-राज्य टकराव को रोकने और स्थिरता बनाए रखने के लिये कार्रवाइयों को व्यवस्थित करने की आवश्यकता है।
- **यमन के युद्ध-क्षेत्र में बदलने से बचना:** हूती विद्रोहियों के राज्य-अभिकर्ता (state actor) के रूप में वैधीकरण को रोककर एक प्राप्ति-योग्य 'एंड स्टेट' (end state) की आवश्यकता है, जो यमन को लेबनान की तरह युद्ध-क्षेत्र में बदलने से बचने के महत्त्व को उजागर करता है।
- **निर्यात ऋण की सुविधा:** उच्च माल ढुलाई लागत और अधिभार के कारण खेपों पर रोक से चिंतित MoCI ने DFS को निर्यातकों को निरंतर ऋण प्रवाह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।
- **बफर स्टॉक बनाए रखना:** रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय ने आश्वासन दिया है कि लाल सागर क्षेत्र में तनाव के कारण भारत में उर्वरक की कमी नहीं होगी।
  - इसने कहा है कि देश के पास आगामी खरीफ मौसम की आवश्कताओं की पूर्ति के लिये पर्याप्त भंडार मौजूद है।

निष्कर्ष:

यमन में हूती विद्रोहियों से संबद्ध संघर्ष की वृद्धि और लाल सागर में व्यापारिक जहाज़ों पर उनके हमले एक बहुआयामी चुनौती पेश करते हैं। ड्रोन और एंटी-शिप बैलिस्टिक मिसाइलों सहित उन्नत हथियारों का उपयोग, हूती विद्रोहियों की क्षमताओं को उजागर करता है और विशेष रूप से ईरान और संभवत: चीन की ओर से उनके राज्य समर्थन के बारे में चिंताएँ बढ़ाता है। जो परिदृश्य उभर रहा है, स्थिति के आगे और बिगड़ने पर रोक के लिये एक सावधान एवं सुव्यवस्थित दृष्टिकोण महत्त्वपूर्ण है। यह एक व्यवहार्य एवं प्राप्ति-योग्य 'एंड स्टेट' की तात्कालिकता को उजागर करता है जो यमन को एक दीर्घकालिक युद्ध-क्षेत्र में बदलने से रोक सकता है।

भारत-ब्रिटेन संबंधों के बीच अंतराल को कम करना

भारत के रक्षा मंत्री ने हाल ही में 22 वर्ष के अंतराल के बाद यूनाइटेड किंगडम (UK) का दौरा किया, जो राजनयिक संलाग्नताओं में एक महत्त्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है। पिछले दो दशकों में अवसरों में वृद्धि देखी गई है, जो मुख्य रूप से चीनी सैन्य शक्ति की वृद्धि और हिंद महासागर में इसके विस्तार से प्रेरित है, जिससे भारत के लिये और यूके के लिये महत्त्वपूर्ण समुद्री संचार मार्गों (Sea Lines of Communications- SLOCs) को खतरा पैदा हो गया है।

यूके के साथ भारत के संबंधों में हालिया घटनाक्रम क्या रहे हैं?

- यूक्रेन संकट से उत्पन्न चुनौती के बावजूद, भारत-ब्रिटेन संबंध में वृद्धि हुई है, जिसकी पुष्टि वर्ष 2021 में संपन्न व्यापक रणनीतिक साझेदारी (Comprehensive Strategic Partnership) से होती है।
  - इस समझौते ने भारत-ब्रिटेन संबंधों के लिये रोडमैप 2030 भी स्थापित किया, जो मुख्य रूप से द्विपक्षीय संबंधों के लिये साझेदारी योजनाओं की रूपरेखा तैयार करता है।
- दोनों देशों ने रक्षा-संबंधी व्यापार और साइबर सुरक्षा एवं रक्षा सहयोग को गहन करने की दिशा में वार्ता की है।
  - भारत और यूके में ऑनलाइन अवसंरचना की सुरक्षा के लिये एक नए संयुक्त साइबर सुरक्षा कार्यक्रम की घोषणा की जाने वाली है।
  - भारत और यूके पहले रणनीतिक तकनीकी संवाद (Strategic Tech Dialogue) की भी योजना रखते हैं जो उभरती प्रौद्योगिकियों पर एक मंत्रीस्तरीय शिखर सम्मेलन होगा।

नोट :

- इसके अतिरिक्त, यूके और भारत समुद्री क्षेत्र में अपने सहयोग को मज़बूत करने पर सहमत हुए हैं क्योंकि यूके भारत की हिंद-प्रशांत महासागर पहल में शामिल हो रहा है और दक्षिण पूर्व एशिया में समुद्री सुरक्षा मुद्दों पर एक प्रमुख भागीदार बनेगा।

भारत-यूके भागीदारी क्यों महत्त्वपूर्ण है?

- **यूके के लिये:**
  - हिंद-प्रशांत क्षेत्र में बाज़ार हिस्सेदारी और रक्षा, दोनों मामले में भारत यूके के लिये एक प्रमुख रणनीतिक भागीदार है, जैसा कि वर्ष 2015 में भारत और यूके के बीच रक्षा एवं अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा भागीदारी पर हस्ताक्षर द्वारा रेखांकित किया गया था।
  - भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता (FTA) संपन्न होने से यूके की 'ग्लोबल ब्रिटेन' महत्त्वाकांक्षाओं को बढ़ावा मिलेगा, जहाँ यूके 'ब्रेग्जिट' (Brexit) के बाद से यूरोप से परे भी अपने बाज़ारों के विस्तार की इच्छा रखता है।
  - ब्रिटेन एक गंभीर वैश्विक खिलाड़ी के रूप में वैश्विक मंच पर अपनी जगह पक्की करने के लिये हिंद-प्रशांत क्षेत्र की विकास करती अर्थव्यवस्थाओं में अवसरों का लाभ उठाने की कोशिश कर रहा है।
    - भारत के साथ अच्छे द्विपक्षीय संबंधों से ब्रिटेन इस लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु बेहतर स्थिति में होगा।
- **भारत के लिये:**
  - यूके हिंद-प्रशांत में एक क्षेत्रीय शक्ति है, जहाँ पर ओमान, सिंगापुर, बहरीन, केन्या और हिंद महासागर के ब्रिटिश क्षेत्रों में इसका नौसैनिक प्रभाव है।
  - यूके ने भारत में नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग का समर्थन करने के लिये 70 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ब्रिटिश अंतर्राष्ट्रीय निवेश वित्तपोषण की भी पुष्टि की है।
    - इस वित्तपोषण से क्षेत्र में नवीकरणीय ऊर्जा अवसंरचना के निर्माण और सौर ऊर्जा के विकास में मदद मिलेगी।
  - भारत ने श्रम-गहन निर्यातों के लिये शुल्क रियायत के अलावा भारतीय मात्यिसिकी, फार्मास्यूटिकल्स और कृषि उत्पादों के लिये सुगम बाज़ार पहुँच की मांग की है।

नोट :

भारत-यूके संबंधों को बढ़ावा देने में अन्य देशों की क्या भूमिका है?

- **यूएसए:** भारत और यूके के बीच द्विपक्षीय संबंधों को बदलने में संयुक्त राज्य अमेरिका केंद्रीय भूमिका रखता है। अमेरिका द्वारा भारत को एक उभरती हुई वैश्विक शक्ति और हिंद-प्रशांत में एक महत्त्वपूर्ण भागीदार के रूप में मान्यता देने से यूके भी भारत की ओर आकर्षित हुआ।
  - यह अमेरिका ही था जिसने सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में भारत के तेज़ी से बढ़ते सापेक्षिक महत्त्व को पहचाना।
  - 20वीं सदी के अंत में अमेरिका ने इस दृष्टिकोण के साथ भारत के उत्थान में सहायता करने की एक नीति का अनावरण किया कि एक मज़बूत भारत एशिया और विश्व में अमेरिकी हितों की पूर्ति करेगा।
- **चीन:** अमेरिका के लिये, भारत के उत्थान में सहायता करने की रणनीतिक प्रतिबद्धता चीन के प्रभुत्व वाले एशिया में निहित खतरों की पहचान करने से संलग्न थी।
  - पिछले दो दशकों में यूके और चीन ने उत्कृष्ट द्विपक्षीय संबंध साझा किये जहाँ पिछले दशक को वर्ष 2015 में चीन के साथ संबंधों का 'स्वर्णिम दशक' घोषित किया गया।
  - हालाँकि, चीन की विस्तारवादी नीतियों (Chinese expansionist policies) और चीनी शक्ति के साथ अमेरिका के टकराव के कारण यूके ने भारत के साथ एक बार फिर एक महत्त्वपूर्ण भागीदार के रूप में अपना 'हिंद-प्रशांत झुकाव' (Indo-Pacific tilt) प्रदर्शित किया है।

यूके के साथ रक्षा संबंधों से भारतीय नौसेना को किस प्रकार लाभ प्राप्त हो सकता है?

- **भारतीय नौसेना की क्षमता आवश्यकताएँ और रणनीतिक प्राथमिकताएँ:**
  - चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी नेवी (PLAN) की तुलना में भारतीय नौसेना को क्षमता-संबंधी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
  - भारतीय रक्षा मंत्री की यूके यात्रा इन कमियों को दूर करने पर केंद्रित थी, विशेष रूप से चीनी सैन्य शक्ति की तुलना में तकनीकी अंतराल को दूर करने के लिये यूके से प्रमुख प्रौद्योगिकियाँ प्राप्त करने के लिये।
  - हिंद महासागर में उभरते रणनीतिक परिदृश्य ने दोनों देशों को अपनी प्राथमिकताओं का पुनर्मूल्यांकन करने के लिये प्रेरित किया है।
- **विद्युत प्रणोदन प्रौद्योगिकी:**
  - भारत-यूके विद्युत प्रणोदन क्षमता साझेदारी की स्थापना:
    - फ़रवरी 2023 में 'भारत-यूके विद्युत प्रणोदन क्षमता साझेदारी' (India-UK Electric Propulsion Capability Partnership) नामक एक संयुक्त कार्यसमूह की स्थापना की गई।
    - इसके बाद की चर्चाएँ तकनीकी जानकारी को स्थानांतरित करने और समुद्री विद्युत प्रणोदन में रॉयल नेवी के अनुभव को साझा करने पर केंद्रित रहीं।
  - विमान वाहकों के लिये EPT में सहयोग:
    - भारत-ब्रिटेन सहयोग के एक प्रमुख पहलू में विमान वाहक के लिये विद्युत प्रणोदन प्रौद्योगिकी शामिल है।
  - भारतीय नौसेना के पास वर्तमान में इस प्रौद्योगिकी का अभाव है, जबकि रॉयल नेवी के क्वीन एलिजाबेथ क्लास वाहक विद्युत प्रणोदन का उपयोग करते हैं।
    - इस साझेदारी का उद्देश्य इस महत्त्वपूर्ण क्षेत्र में भारतीय नौसेना की क्षमताओं को बढ़ाने के लिये ब्रिटिश विशेषज्ञता का लाभ उठाना है।
  - जबकि PLAN को इस प्रौद्योगिकी को अपनाने में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, चीनी युद्धपोतों में इसे शामिल करने के संकेत प्राप्त हुए हैं।
  - विद्युत प्रणोदन का रणनीतिक महत्त्व:
    - भारतीय नौसेना EPT के लाभों को देखते हुए इसे प्राप्त करने में पीछे नहीं रहने के महत्त्व को समझती है।
    - इस क्षमता से लैस युद्धपोत निम्न एकॉस्टिक सिग्नेचर और उन्नत विद्युत ऊर्जा उत्पादन प्रदान करते हैं, जो समुद्री परिचालन में रणनीतिक बढ़त प्रदान करते हैं।
  - साझेदारी की प्रगति और भविष्य की योजनाएँ:
    - नवंबर 2023 में इस साझेदारी में प्रगति हुई जहाँ भारतीय नौसेना के भविष्य के युद्धपोतों में EPT के एकीकरण पर चर्चा की जा रही है।
  - यूके प्रशिक्षण देने, उपकरण प्रदान करने और आवश्यक अवसंरचना की स्थापना में सहायता देने के लिये प्रतिबद्ध है।
    - आरंभिक परीक्षण प्लेटफॉर्म डॉक की लैंडिंग पर किये जाने की उम्मीद है, जिसके बाद 6000 टन से अधिक के विस्थापन वाले सतही जहाज़ों पर इसका परीक्षण किया जाएगा।

नोट :

भारत-यूके संबंधों में विद्यमान चुनौतियाँ कौन-सी हैं?

- **भारत-ब्रिटेन संबंधों में ऐतिहासिक विरोधाभास:**
  - ब्रिटेन के साथ भारत के उत्तर-औपनिवेशिक संबंधों को विरोधाभासों और दीर्घकालिक असंतोष से चिह्नित किया जाता है।
  - भारतीय उपमहाद्वीप में विशेष भूमिका के ब्रिटेन के अनुचित दावे ने लगातार टकराव को बढ़ावा दिया है।
  - भारत विभाजन और शीत युद्ध के परिणामों ने दोनों देशों के बीच स्थायी साझेदारी स्थापित करने के प्रयासों को और जटिल बना दिया।
- **भारत-ब्रिटेन द्विपक्षीय संबंधों पर पाकिस्तान का प्रभाव:**
  - ब्रिटेन के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों में पाकिस्तान एक महत्त्वपूर्ण बाधा बनकर उभरा है।
    - पाकिस्तान के लिये ब्रिटेन की ऐतिहासिक पक्ष-समर्थन भारत के लिये चिंताएँ बढ़ाती है, विशेष रूप से जबकि वह भारत के प्रति नए उत्साह और पाकिस्तान के साथ ऐतिहासिक संबंधों के बीच फँसा हुआ है।
    - अमेरिका और फ्राँस के विपरीत, ब्रिटेन दक्षिण एशिया में स्पष्ट 'इंडिया फर्स्ट' की रणनीति अपनाने में संघर्षरत रहा है।
- **भारत-ब्रिटेन संबंधों में बदलती गतिशीलता:**
  - हाल की क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उथल-पुथल ने भारत और यूके के बीच पारस्परिक रूप से लाभकारी संलग्नता के लिये एक नई नींव प्रदान की है।
  - ब्रिटेन की आंतरिक गतिशीलता, जिसमें राजनीतिक निष्ठाएँ और ऐतिहासिक पूर्वाग्रह शामिल हैं, ने कई बार भारत के साथ उसके संबंधों में तनाव पैदा किया है।
    - भारत द्वारा ब्रिटेन से कोहिनूर की मांग और जलियाँवाला बाग नरसंहार के लिये ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा माफी मांगने से इनकार करने जैसी बातों ने इन तनावों में योगदान दिया है।
- **भारतीय आर्थिक अपराधियों का प्रत्यर्पण:**
  - यह मुद्दा उन भारतीय आर्थिक अपराधियों के प्रत्यर्पण से संबंधित है जो वर्तमान में ब्रिटेन में शरण ले रहे हैं और कानूनी प्रणाली का उपयोग अपने लाभ के लिये कर रहे हैं।
    - कुछ आर्थिक अपराधियों ने लंबे समय से ब्रिटिश प्रणाली के तहत शरण ले रखी है, जबकि उनके विरुद्ध स्पष्ट भारतीय केस मौजूद हैं जहाँ उनके प्रत्यर्पण की आवश्यकता है।
- **राजनीतिक संबद्धताएँ और आंतरिक मामले:**
  - भारत के प्रति लेबर पार्टी की समानुभूति और कंजर्वेटिव पार्टी के विरोध-भाव के संबंध में दिल्ली की धारणाएँ गलत साबित हुई हैं।
  - लेबर पार्टी, जिसे पारंपरिक रूप से भारत के प्रति सहानुभूतिपूर्ण माना जाता है, ने कश्मीर जैसे आंतरिक मामलों पर भारत के प्रति शत्रुता प्रदर्शित की है।
    - राजनीतिक गतिशीलता में यह अप्रत्याशित बदलाव समग्र भारत-ब्रिटेन संबंधों में जटिलता का योग करता है।

भारत-यूके संबंधों को बेहतर बनाने के लिये कौन-से कदम उठाये जा सकते हैं?

- **प्रवासन और परिवहन संबंधी साझेदारी:**
  - प्रवासन और परिवहन संबंधी साझेदारी (migration and mobility partnership) का कार्यान्वयन, जो यूके की नई कौशल आधारित आप्रवासन नीति को ध्यान में रखते हुए छात्रों और पेशेवरों के आवागमन के साथ-साथ अनियमित प्रवासन को कवर करता है, समय की मांग है।
    - इसमें प्रति वर्ष 3,000 युवा भारतीय पेशेवरों को यूके आने की अनुमति देने के लिये एक युवा पेशेवर योजना शामिल होनी चाहिये।
- **जलवायु परिवर्तन पर सहयोग:**
  - जलवायु परिवर्तन पर द्विपक्षीय संवाद और साझेदारी को सशक्त करने की आवश्यकता है। इसमें मंत्रीस्तरीय ऊर्जा वार्ता और जलवायु, बिजली एवं नवीकरणीय ऊर्जा पर संयुक्त कार्यसमूह स्थापित करना शामिल है।
- **भारत-यूके स्वास्थ्य साझेदारी:**
  - वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा के संवर्द्धन और महामारी प्रत्यास्थता के साथ ही रोगाणुरोधी प्रतिरोध (AMR) पर नेतृत्व के प्रदर्शन के लिये दोनों देशों को भारत-यूके स्वास्थ्य साझेदारी के व्यापक विस्तार करने की आवश्यकता है।
    - उन्हें स्वस्थ समाजों को भी बढ़ावा देना चाहिये और नैदानिक शिक्षा, स्वास्थ्य कार्यकर्ता गत्यात्मकता और डिजिटल स्वास्थ्य पर सहयोग बढ़ाकर दोनों देशों की स्वास्थ्य प्रणालियों को सुदृढ़ करना चाहिये।
- **यूके-भारत विज्ञान और नवाचार परिषद:**
  - दोनों देशों के विज्ञान, अनुसंधान एवं नवाचार सहयोग के लिये एजेंडा निर्धारित करने के लिये एक द्विवार्षिक मंत्रिस्तरीय यूके-भारत विज्ञान और नवाचार परिषद की स्थापना से संबंधों में सुधार होगा।

नोट :

- व्यापक-साझा प्राथमिकताओं के साथ संरेखित होने और भागीदारी में योगदान करने के लिये भारत में यूके विज्ञान एवं नवाचार नेटवर्क का होना अत्यंत आवश्यक है।

- **विश्व व्यापार संगठन में सहयोग:**
  - दोनों देशों को विश्व व्यापार संगठन (WTO) में 'बहुपक्षीय प्रणाली में आत्म-विश्वास और भरोसे की बहाली सहित साझा लक्ष्यों' पर सहयोग को गहरा करना चाहिये।
- **भारत-ब्रिटेन असैन्य परमाणु सहयोग:**
  - भारत-यूके असैन्य परमाणु सहयोग को सशक्त करने की इच्छा की पुष्टि करना, जिसमें भारत के 'ग्लोबल सेंटर फॉर न्यूक्लियर एनर्जी पार्टनरशिप' के साथ यूके का 'नवीनीकृत सहयोग' भी शामिल है, संबंधों को बढ़ावा दे सकता है।

निष्कर्ष:

भारतीय रक्षा मंत्री की हालिया यूके यात्रा भारत-यूके संबंधों में एक महत्त्वपूर्ण क्षण का प्रतीक है, जो उभरते रणनीतिक परिदृश्य को उजागर करता है। चीन के सैन्य विस्तार, विशेषकर हिंद महासागर में, से उत्पन्न खतरे ने दोनों देशों को भारत की रक्षा प्रौद्योगिकी संबंधी कमियों को दूर करने के लिये सहयोग हेतु प्रेरित किया है। विद्युत प्रणोदन प्रौद्योगिकी सहयोग का एक प्रमुख क्षेत्र हैं जो भारत के लिये चीन के साथ समुद्री प्रौद्योगिकी समानता बनाए रखने हेतु महत्त्वपूर्ण है। विरासत संबंधी मुद्दों और भू-राजनीतिक जटिलताओं सहित विभिन ऐतिहासिक चुनौतियों के बावजूद, दोनों देश साझा सुरक्षा चिंताओं को देखते हुए घनिष्ठ संबंध निर्माण की अनिवार्यता को समझते हैं।

ASER 2023: बुनियादी बातों से परे शिक्षा स्थिति का अवलोकन

पिछले 20 वर्षों में स्कूली शिक्षा और शिक्षा में बुनियादी अधिगम (लर्निंग) के संबंध में होती रही चर्चाओं के कारण भारत में नीतियों एवं प्राथमिकताओं में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। हाल ही में 'ASER 2023: बियॉन्ड बेसिक्स' रिपोर्ट 26 राज्यों के 28 ज़िलों में आयोजित की गई, जिसमें 14-18 आयु वर्ग के 34,745 युवा शामिल थे। किशोरों पर केंद्रित यह रिपोर्ट भारत में युवजन आबादी के लिये अधिगम प्रतिफलों (learning outcomes) को बेहतर बनाने और देश के जनसांख्यिकीय लाभांश का अधिकतम लाभ उठाने के बारे में नए विचार प्रदान करती है।

शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट (ASER 2023: Beyond Basics) क्या है?

- **परिचय:**
  - ASER गैर-सरकारी संस्था 'प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन' द्वारा आयोजित एक राष्ट्रव्यापी नागरिक-नेतृत्वकारी घरेलू सर्वेक्षण है जो ग्रामीण भारत में बच्चों की स्कूली शिक्षा और अधिगम की स्थिति पर एक दृष्टि प्रदान करता है।
  - बेसिक ASER 3 से 16 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिये प्री-स्कूल और स्कूल में नामांकन के संबंध में सूचना एकत्र करता है और 5 से 16 आयु वर्ग के बच्चों की बुनियादी पठन (reading) एवं अंकगणित क्षमताओं को समझने के लिये उनका मूल्यांकन करता है।
  - पहली बार वर्ष 2005 में क्रियान्वित बेसिक ASER सर्वेक्षण वर्ष 2014 तक प्रतिवर्ष आयोजित किया जा रहा था जिसे फिर वर्ष 2016 में एक वैकल्पिक-वर्ष चक्र (alternate-year cycle) में बदल दिया गया।
- **उद्देश्य:**
  - वर्ष 2023 का सर्वेक्षण ग्रामीण भारत में 14 से 18 वर्ष के बच्चों पर, विशेष रूप से रोज़मर्रा के जीवन में पठन एवं गणित कौशल को लागू कर सकने की उनकी क्षमता और उनकी आकांक्षाओं पर केंद्रित था।
  - हालिया सर्वेक्षण ग्रामीण भारत में युवा विकास के विविध पहलुओं पर साक्ष्य प्राप्त करने के व्यापक उद्देश्य के साथ आयोजित किया गया, जिसका उपयोग सभी क्षेत्रों के हितधारक सूचना-संपन्न नीति एवं अभ्यास के लिये कर सकते हैं।
  - वर्ष 2023 के सर्वेक्षण ने निम्नलिखित क्षेत्रों में अन्वेषण किया:
    - गतिविधि: भारत के युवा वर्तमान में किन गतिविधियों में संलग्न हैं?
    - योग्यता: क्या उनके पास बुनियादी और व्यावहारिक पठन एवं गणित क्षमताएँ हैं?
    - डिजिटल जागरूकता और कौशल: क्या उनके पास स्मार्टफोन तक पहुँच है? वे स्मार्टफोन का उपयोग किस लिये करते हैं और क्या वे अपने स्मार्टफोन पर सरल कार्यों को पूरा करने में सक्षम हैं?
    - आकांक्षाएँ: वे क्या बनने की आकांक्षा रखते हैं? उनके आदर्श कौन हैं?

नोट :

रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष क्या हैं?

- **गतिविधि:**
  - नामांकन में वृद्धि: कुल मिलाकर 14-18 आयु वर्ग के 86.8% बच्चे किसी शैक्षणिक संस्थान में नामांकित हैं। नामांकित नहीं होने वाले युवाओं का प्रतिशत 14 वर्षीय किशोरों के लिये 3.9% और 18 वर्षीय किशोरों के लिये 32.6% है।
  - व्यावसायिक प्रशिक्षण: कॉलेज स्तर के युवाओं द्वारा व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने की सबसे अधिक संभावना (16.2%) दिखती है। अधिकांश युवा कम अवधि (6 माह या उससे कम) के पाठ्यक्रम ग्रहण कर रहे हैं।

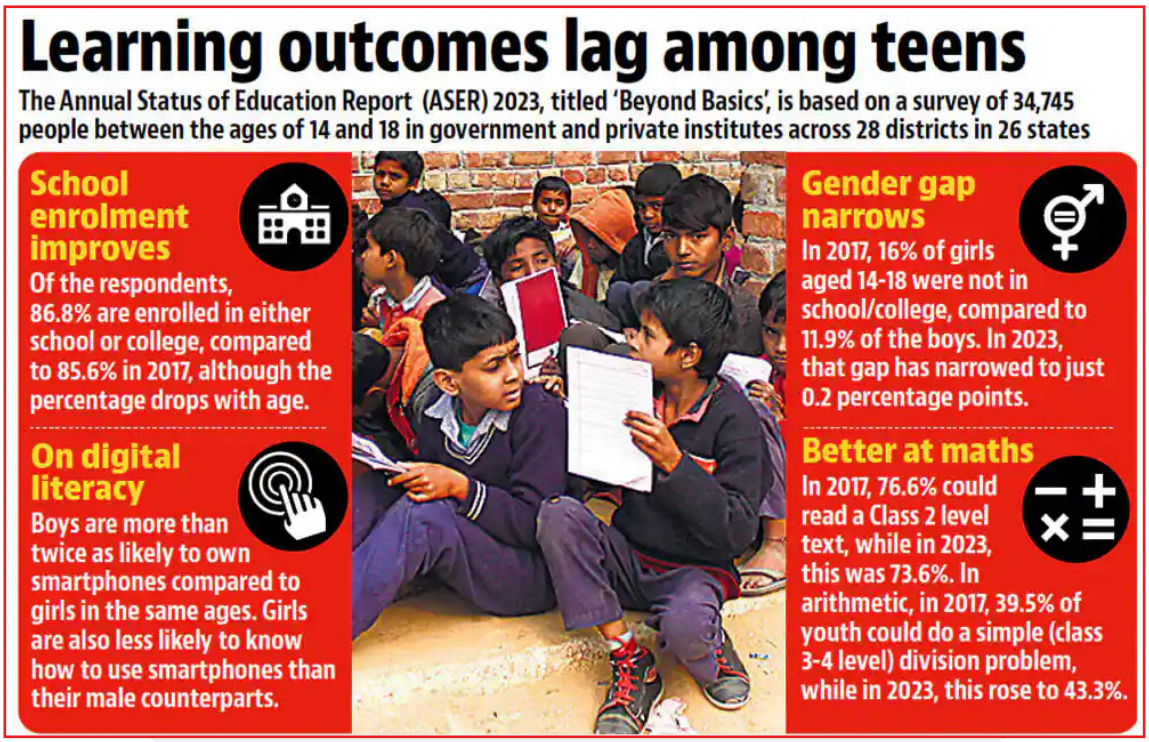

- **क्षमता:**
  - बुनियादी कौशल: 14-18 आयु वर्ग के लगभग 25% बच्चे अभी भी अपनी क्षेत्रीय भाषा में कक्षा 2 स्तर का पाठ धाराप्रवाह पढ़ सकने में सक्षम नहीं हैं।
    - उनमें आधे से अधिक गणित में विभाजन (3-अंकीय संख्या का विभाजन 1-अंकीय संख्या से करने) में समस्या रखते हैं। 14-18 आयु वर्ग के केवल 43.3% बच्चे ही ऐसी समस्याओं को सही ढंग से हल कर पाते हैं।
  - प्रतिदिन गणना: सर्वेक्षण में शामिल लगभग 85% युवा पैमाने का उपयोग करके लंबाई माप सकते हैं जब प्रारंभिक बिंदु 0 सेमी हो।
    - शुरुआती बिंदु को स्थानांतरित करने पर यह अनुपात तेज़ी से गिरकर 39% हो जाता है। कुल मिलाकर, लगभग 50% युवा अन्य सामान्य गणनाएँ कर सकते हैं।
  - दैनिक जीवन में अनुप्रयोग: जो बच्चे कक्षा I स्तर या उससे ऊपर का पाठ पढ़ सकते हैं, उनमें से लगभग दो-तिहाई लिखित निर्देशों को पढ़ने और समझने के आधार पर 4 में से कम से कम 3 प्रश्नों का उत्तर दे सकने में सक्षम हैं।
  - वित्तीय गणना: जो युवा घटाव या अन्य गणित क्रियाएँ कर सकते हैं, उनमें से 60% से अधिक बजट प्रबंधन कार्य करने में सक्षम हैं, लगभग 37% छूट का अनुप्रयोग कर सकते हैं, लेकिन केवल 10% ही पुनर्भुगतान की गणना कर सकते हैं।
    - हालाँकि, बालिकाएँ लगभग इस सभी कार्यों में बालकों की तुलना में खराब प्रदर्शन रखती हैं।
- **डिजिटल जागरूकता और कौशल:**
  - डिजिटल पहुँच: सभी युवाओं में से लगभग 90% के पास घर में स्मार्टफोन है और वे इसका उपयोग करना जानते हैं।

नोट :

- बालकों की तुलना में बालिकाओं को स्मार्टफोन या कंप्यूटर का उपयोग करना कम आता है।

- संचार और ऑनलाइन सुरक्षा: सर्वेक्षण में शामिल सोशल मीडिया का उपयोग करने वाले सभी युवाओं में से केवल आधे ही ऑनलाइन सुरक्षा सेटिंग्स से परिचित हैं।
- डिजिटल कार्य: 70% बच्चे किसी प्रश्न का उत्तर खोजने के लिये इंटरनेट ब्राउज़ करना जानते हैं और लगभग दो-तिहाई किसी विशिष्ट समय के लिये अलार्म सेट कर सकते हैं।
  - एक तिहाई से अधिक बच्चे दो बिंदुओं के बीच यात्रा में लगने वाले समय का पता लगाने के लिये गूगल मैप का उपयोग कर सकते हैं। इन सभी कार्यों में बालक बालिकाओं से बेहतर प्रदर्शन करते नज़र आते हैं।

रिपोर्ट में उजागर हुई प्रमुख चिंताएँ कौन-सी हैं?

सीमित शैक्षणिक सफलता से उत्पन्न चुनौतियाँ:

- **बुनियादी गणना ज्ञान का निम्न स्तर:** रिपोर्ट बुनियादी गणना ज्ञान (foundational numeracy) के अपर्याप्त स्तरों को उजागर करती है जो बच्चों की दिन-प्रतिदिन की गणनाओं को संभालने की क्षमता में उल्लेखनीय बाधा उत्पन्न कर सकती है।
- **सपाट अधिगम प्रक्षेपपथ:** समय के साथ, छात्रों की शैक्षणिक प्रगति में कोई महत्त्वपूर्ण सुधार नहीं हुआ है।

पाठ्यचर्या संबंधी बाधाओं से उत्पन्न चुनौतियाँ:

- **तीव्र शैक्षणिक प्रतिस्पर्द्धा:** भारत में माता-पिता प्राय: अपने बच्चों के लिये अतिमहत्त्वाकांक्षी आकांक्षाएँ रखते हैं। माता-पिता की ये आकांक्षाएँ तीव्र शैक्षणिक प्रतिस्पर्द्धा, व्यापक कोचिंग और परिवारों द्वारा भारी खर्च में तब्दील हो जाती हैं।
  - इन सबके कारण परीक्षा का दबाव बढ़ जाता है और परीक्षा परिणाम खराब होने पर छात्र एवं उनके परिवार गंभीर निराशा के शिकार होते हैं।
- **अतिमहत्त्वाकांक्षी पाठ्यक्रम:** भारतीय शिक्षा प्रणाली में 'अतिमहत्त्वाकांक्षी' पाठ्यक्रम पाया जाता है जो इस बात पर ध्यान नहीं देता है कि कई छात्रों में वृहत अधिगम कमी होती है और वे ग्रेड स्तर के पाठ्यक्रम को संभाल सकने में असमर्थ होते हैं।
  - उदाहरण के लिये, वर्ष 2009 में जब पहली और अंतिम बार भारत के दो राज्यों ने अंतर्राष्ट्रीय छात्र मूल्यांकन कार्यक्रम (Programme for International Student Assessment- PISA) में भाग लिया, तो वे नीचे से दूसरे स्थान पर (अंतिम स्थान पर रहे किर्गिस्तान से ऊपर) रहे।

अस्पष्ट आकांक्षाओं से उत्पन्न चुनौतियाँ:

- **अध्ययन के लिये प्रेरित नहीं:** सर्वेक्षण के निष्कर्षों में बालिकाओं की तुलना में बालकों का एक बड़ा भाग 12वीं कक्षा के बाद पढ़ाई जारी रखने की इच्छा नहीं रखता था। चर्चा के दौरान, बालिकाओं ने कम से कम स्नातक स्तर तक पढ़ाई करने की इच्छा व्यक्त की, जबकि बालक आय अर्जन में लगना चाहते थे।
  - आश्चर्यजनक नहीं है कि वर्तमान में स्कूल या कॉलेज में नामांकित नहीं होने वाले युवाओं का अनुपात आयु वृद्धि के साथ बढ़ता जाता है (14 वर्ष के 3.9% से बढ़कर 16 वर्ष के 10.9% और 18 वर्ष के 32.6% तक)।
- **स्पष्टता की कमी:** जब छात्रों के लिये अपने भविष्य के बारे में निर्णय लेने की बात आती है तो उनके पास स्पष्ट मार्गदर्शन की कमी होती है। कई छात्र इस बात को लेकर अनिश्चित हैं कि उन्हें क्या पढ़ना चाहिये, उन्हें और कितनी शिक्षा की आवश्यकता है और उन्हें किस प्रकार की नौकरियों का लक्ष्य रखना चाहिये।
  - ASER रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि प्रत्येक पाँच में से एक युवा किसी भी ऐसे काम या नौकरी का नाम बता सकने में असमर्थ था जिसकी वह आकांक्षा रखता था।
- **कोई 'रोल मॉडल' नहीं:** ASER रिपोर्ट में साझा किये गए आँकड़ों के अनुसार, सर्वेक्षण में शामिल छात्रों में से 42.5% बालकों और 48.3% बालिकाओं के पास अपने इच्छित कार्य के लिये कोई 'रोल मॉडल' नहीं था।

डिजिटल अभाव से उत्पन्न चुनौतियाँ:

- कम तकनीकी रुझान: इस आयु वर्ग के अधिकांश युवा कला/मानविकी विषय में नामांकित थे। कक्षा XI या इससे उच्चतर स्तर पर आधे से अधिक बच्चे कला/मानविकी विषय (55.7%) में नामांकित हैं, जिसके बाद STEM (31.7%) और वाणिज्य (9.4%) में नामांकित छात्र हैं।
  - STEM विषय में बालकों (36.3%) की तुलना में बालिकाओं (28.1%) के नामांकित होने की संभावना कम दिखी।
- डिजिटल घटक का सतही स्तर पर उपयोग: लगभग 80% युवाओं ने बताया कि उन्होंने संदर्भ सप्ताह के दौरान मनोरंजन से संबंधित गतिविधि, जैसे फिल्म देखने या संगीत सुनने के लिये अपने स्मार्टफोन का उपयोग किया।
  - डिजिटल घटक दिलचस्प है क्योंकि एक स्तर पर यह दर्शाता है कि हर कोई जानता है कि बुनियादी चीज़ों का उपयोग कैसे करना है। लेकिन वे इसका गहराई से उपयोग नहीं कर रहे हैं; वे सतही स्तर का उपयोग कर रहे हैं, जैसे कि मुख्यत: सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना।

नोट :

- तकनीकी पहुँच में लिंग अंतराल: बालिकाओं की तुलना में बालकों के पास अपना स्मार्टफोन होने की संभावना दोगुनी से भी अधिक है और इसलिये वे डिवाइस का उपयोग करने और विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिये इसका उपयोग करने में कहीं अधिक समय व्यतीत कर रहे हैं।

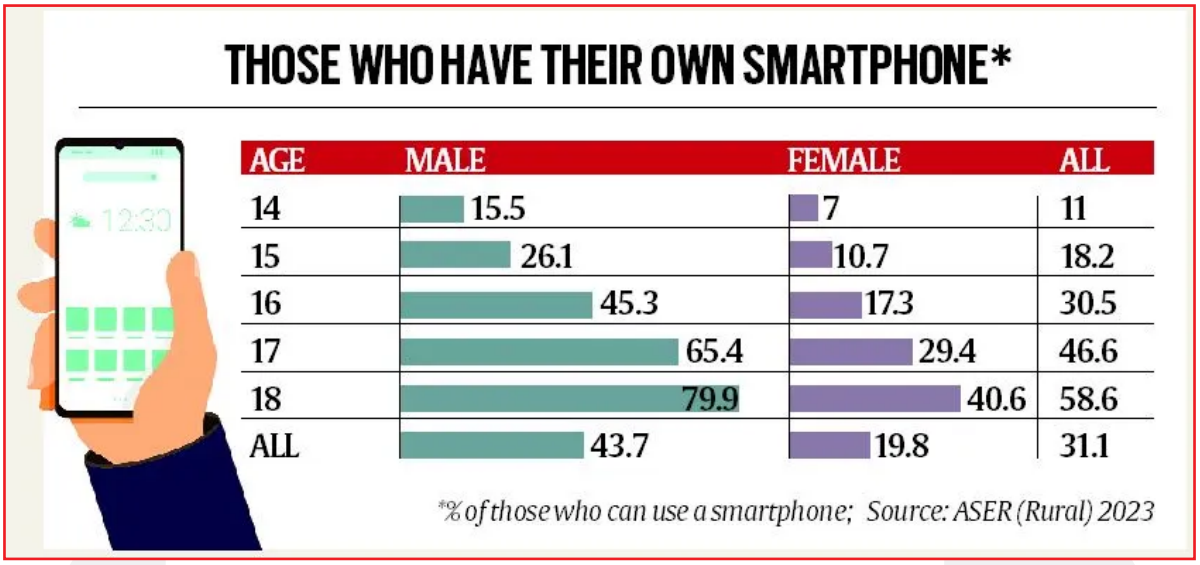

आगे की राह:

आरंभिक बाल्यावस्था के संघर्षों को कम करना:

- **वित्तीय सहायता और अनुदान:** आर्थिक रूप से वंचित छात्रों को वित्तीय सहायता एवं अनुदान प्रदान करें क्योंकि इनमें से कई छात्रों को इस आयु वर्ग के दौरान आय अर्जन एवं अपने परिवारों को आर्थिक रूप से सहयोग देने की आवश्यकता होती है और यह एक दुष्चक्र का निर्माण करता है।
- **सामाजिक मानदंडों में बदलाव लाना:** बालिकाओं के लिये, विवाह की उचित आयु के संबंध में सामाजिक मानदंडों में बदलाव लाना आगे पढ़ाई जारी रखने की उनकी क्षमता का प्रमुख प्रेरक तत्व है।

अधिगम में सुधार के लिये व्यापक रणनीति:

- **लचीली शिक्षा प्रणाली:** लचीलेपन को अपनाने में प्राय: दूरस्थ शिक्षा, ऑनलाइन संसाधनों और इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्मों की सुविधा के लिये प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना शामिल होता है, जो समग्र शैक्षिक अनुभव को संवृद्ध करता है। एक साधन होना चाहिये जहाँ कोई छात्र कई प्रकार के अधिगम और आय अर्जन के अवसरों के लिये पंजीकरण करा सकता हो।
- **सुधार मूल्यांकन:** NEP 2020 में 100% माध्यमिक विद्यालय नामांकन के लक्ष्य की बात की गई है, जिसे "छात्रों के नामांकन, उपस्थिति और अधिगम स्तर की सावधानीपूर्वक ट्रैकिंग के माध्यम से प्राप्त किया जाना है, ताकि उन्हें स्कूल में फिर से प्रवेश करने या आगे बढ़ने के लिये उपयुक्त अवसर प्रदान किये जा सकें।"
  - मूल्यांकन कब और कैसे हो, इसमें सुधार के माध्यम से परीक्षा के दबाव को कम किया जा सकता है।
- **'पैथवे लिंकिंग':** माध्यमिक विद्यालय सुधार अवधारणाओं को 'निपुण' (NIPUN) के साथ जोड़ना स्कूल सुधार विचारों को व्यावहारिक उपायों में बदलने के लिये महत्त्वपूर्ण है।
  - परिणामों की सूक्ष्मता से निगरानी करना सुधार और अंतत: सफलता की कुंजी होगा।

'फ्यूचर रेडी स्टूडेंट्स' तैयार करना:

- **आलोचनात्मक सोच विकसित करने पर ध्यान देना:** आलोचनात्मक सोच और अधिक समग्र, जिज्ञासा-आधारित, खोज-आधारित, चर्चा-आधारित एवं विश्लेषण-आधारित शिक्षा के लिये अवसर प्रदान करने हेतु प्रत्येक विषय में पाठ्यचर्या की सामग्री को उसकी मूल अनिवार्यताओं तक कम किया जाना चाहिये।
- **भविष्योन्मुखी स्कूल प्रणालियाँ:** छात्रों को अधिक भविष्योन्मुखी बनाने के लिये हमारी स्कूली शिक्षा प्रणाली को संशोधित करने की आवश्यकता है जो बच्चों को ऐसे रास्तों पर आगे बढ़ सकने में मदद दे और उनका मार्गदर्शन कर सके जिससे उन्हें लाभ हो तथा वे अधिक आशान्वित स्थिति में हों।
- **डिजिटल मेंटरशिप कार्यक्रम:** डिजिटल मेंटरशिप कार्यक्रमों को लागू करें जो छात्रों को उनकी रुचि के क्षेत्रों में पेशेवरों और विशेषज्ञों से जोड़ सकें। इससे छात्रों को उनके भविष्य के बारे में सूचित निर्णय लेने में मार्गदर्शन प्रदान करने में मदद मिल सकती है।

नोट :

निष्कर्ष:

एक उभरती अर्थव्यवस्था के रूप में, युवाओं को आवश्यक ज्ञान, कौशल एवं अवसरों के साथ पर्याप्त रूप से सशक्त बनाना महत्त्वपूर्ण है, ताकि वे अपनी और अपने परिवार एवं समुदायों की उन्नति कर सकें। भारत के अपेक्षित 'जनसांख्यिकीय लाभांश' और 'डिजिटल लाभांश' की वास्तविक क्षमता को इन व्यापक कार्यों के माध्यम से साकार किया जा सकता है।

डाकघर अधिनियम, 2023: औपनिवेशिक विधि का प्रतिस्थापन

डाकघर अधिनियम, 2023 (Post Office Act 2023) को संसद की मंज़ूरी विभिन्न लाभ प्रदान करेगी, लेकिन यह डाकघर अधिकारियों को दी गई अनियंत्रित अवरोधन शक्तियों (interception powers) के संबंध में चिंताएँ भी उत्पन्न करती है। निहित मुद्दों में 'आपातकाल' (जिसे परिभाषित नहीं किया गया है) एवं प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों की अनुपस्थिति, मनमाने ढंग से इसके उपयोग के जोखिम और अधिकारियों द्वारा अवरोधन शक्तियों के संभावित दुरुपयोग जैसे विषय शामिल हैं।

डाकघर अधिनियम 2023 की मुख्य बातें क्या हैं?

- **डाक सेवा महानिदेशक (Director General of Postal Services):**
  - हाल ही में पारित अधिनियम डाक सेवा महानिदेशक को केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित विभिन्न अतिरिक्त सेवाओं की पेशकश के लिये आवश्यक गतिविधियों से संबंधित नियम बनाने के साथ-साथ इन सेवाओं के लिये शुल्क तय करने का अधिकार देता है।
    - यह उल्लेखनीय है क्योंकि यह पारंपरिक मेल सेवाओं सहित डाकघरों द्वारा प्रदान की जाने वाली किसी भी सेवा के लिये निर्धारित शुल्क को संशोधित करते समय संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता को समाप्त कर देता है।
- **शिपमेंट का अवरोधन:**
  - अधिनियम में कहा गया है कि केंद्र सरकार, अधिसूचना द्वारा, निम्नलिखित विषयों के हित में किसी भी अधिकारी को डाकघर द्वारा संचरण के दौरान किसी भी वस्तु को अवरुद्ध करने, उसे खोलने या निरुद्ध करने का अधिकार दे सकती है:
    - राज्य की सुरक्षा,
    - विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध,
    - लोक व्यवस्था, आपातकाल या लोक सुरक्षा
    - इस अधिनियम के किसी भी उपबंध के किसी भी उल्लंघन के मामले में।
  - नए अधिनियम में एक व्यापक प्रावधान शामिल है जिसका उद्देश्य तस्करी और डाक पैकेजों के माध्यम से मादक पदार्थों एवं प्रतिबंधित वस्तुओं के अवैध संचरण को रोकना है।
    - केंद्र सरकार एक अधिसूचना के माध्यम से किसी अधिकारी को अधिकार सौंपेगी जो अवरोधन को अंजाम दे सकता है।
- **आइडेंटिफायर्स और पोस्ट कोड:**
  - अधिनियम की धारा 5 की उपधारा 1 में कहा गया है कि "केंद्र सरकार वस्तुओं पर पते, एड्रेस आइडेंटिफायर्स और पोस्टकोड के उपयोग के लिये मानक निर्धारित कर सकती है।"
    - यह प्रावधान किसी परिसर की सटीक पहचान के लिये भौगोलिक निर्देशांक के आधार पर भौतिक पते को डिजिटल कोड से बदल देगा।
    - डिजिटल एड्रेसिंग एक दूरदर्शी अवधारणा है, जो छँटाई प्रक्रिया को सरल बना सकती है और मेल एवं पार्सल डिलीवरी की सटीकता को बढ़ा सकती है।
- **अपराधों और दंडों को हटाना:**
  - अधिनियम में डाकघर के किसी अधिकारी द्वारा डाक वस्तुओं की चोरी, हेराफेरी या विनाश के लिये दंड का प्रावधान नहीं रखा गया है, जैसा वर्ष 1898 के मूल अधिनियम में रहा था।
- **धारा 7 के तहत जुर्माना:**
  - प्रत्येक व्यक्ति जो डाकघर द्वारा प्रदत्त सेवा का लाभ उठाता है, ऐसी सेवा के संबंध में शुल्क का भुगतान करने के लिये उत्तरदायी होगा।
  - यदि कोई व्यक्ति उप-धारा (1) में निर्दिष्ट शुल्क का भुगतान करने से इनकार करता है या इसकी उपेक्षा करता है तो ऐसी राशि इस तरह वसूली योग्य होगी जैसे कि यह उस पर देय भू-राजस्व का बकाया हो।
- **केंद्र की अनन्यता की समाप्ति:**
  - वर्तमान अधिनियम ने वर्ष 1898 के अधिनियम की धारा 4 को निरसित कर दिया है जो केंद्र को सभी पत्रों को डाक द्वारा प्रेषण पर अनन्य विशेषाधिकार प्रदान करती थी।
    - कूरियर सेवाएँ अपने कूरियर को 'लेटर्स' के बजाय 'डॉक्यूमेंट' और 'पार्सल' कहकर वर्ष 1898 के अधिनियम को दरकिनार करती रही हैं।

नोट :

भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 (Indian Post Office Act 1898)

- यह भारत में डाकघरों से संबंधित कानून को समेकित और संशोधित करने के उद्देश्य से 1 जुलाई 1898 को लागू किया गया था।
- यह केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त डाक सेवाओं के लिये विनियमन प्रदान करता था।
- यह केंद्र सरकार को पत्र प्रेषण पर अनन्य विशेषाधिकार प्रदान करता था और पत्र प्रेषण पर केंद्र सरकार का एकाधिकार स्थापित करता था।

डाकघर अधिनियम 2023 में क्या कमियाँ हैं ?

- **डाक सेवाओं का कूरियर सेवाओं से भिन्न विनियमन:**
  - वर्तमान में सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों द्वारा सदृश डाक सेवाओं के विनियमन के लिये अलग-अलग रूपरेखाएँ हैं।
  - निजी कूरियर सेवाएँ वर्तमान में किसी विशिष्ट कानून के तहत विनियमित नहीं हैं। इससे कुछ प्रमुख अंतर पैदा होते हैं।
    - उदाहरण के लिये, वर्ष 1898 के अधिनियम ने 'इंडिया पोस्ट' के माध्यम से प्रसारित वस्तुओं के अवरोधन के लिये एक रूपरेखा प्रदान की। निजी कूरियर सेवाओं के लिये ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। वर्तमान अधिनियम में भी इस प्रावधान को बरकरार रखा गया है।
  - एक अन्य महत्त्वपूर्ण अंतर उपभोक्ता संरक्षण ढाँचे के अनुप्रयोग में उत्पन्न होता है।
    - उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 'इंडिया पोस्ट' की सेवाओं पर लागू नहीं होता है, लेकिन यह निजी कूरियर सेवाओं पर लागू होता है। डाकघर अधिनियम 2023 वर्ष 1898 के अधिनियम को प्रतिस्थापित करने की इच्छा रखते हुए भी इन प्रावधानों को बनाये रखता है।
- **प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों का अभाव मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है:**
  - विधेयक में डाक वस्तुओं के अवरोधन के विरुद्ध कोई प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय निर्दिष्ट नहीं किया गया है। इससे निजता के अधिकार और वाक् एवं अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य के अधिकार का उल्लंघन हो सकता है।
    - दूरसंचार के अवरोधन के मामले में पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (PUCL) बनाम भारत संघ मामले (1996) में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि अवरोधन की शक्ति को विनियमित करने के लिये एक उचित एवं सम्यक प्रक्रिया मौजूद होनी चाहिये।
    - अन्यथा अनुच्छेद 19(1)(a) (वाक् एवं अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य) और अनुच्छेद 21 (प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार के एक भाग के रूप में निजता का अधिकार) के तहत नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना संभव नहीं होगा।
- **'आपातकाल' का आधार उचित प्रतिबंधों से परे है:**
  - विधि आयोग (1968) ने 1898 के अधिनियम का परीक्षण करते समय पाया था कि 'आपातकाल' (emergency) शब्द को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है और इस प्रकार यह अवरोधन के लिये एक अत्यंत व्यापक आधार प्रदान करता है। इसे वर्तमान अधिनियम में भी बरकरार रखा गया है।
    - इसमें कहा गया है कि सार्वजनिक आपातकाल अवरोधन के लिये संवैधानिक रूप से स्वीकार्य आधार नहीं हो सकता है, यदि यह राज्य की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था या संविधान में निर्दिष्ट किसी अन्य आधार को प्रभावित नहीं करता हो।
- **सेवाओं में चूक के लिये दायित्व से छूट:**
  - अधिनियम के तहत प्रदत्त रूपरेखा रेलवे के मामले में लागू कानून के विपरीत है, जो केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त एक अन्य वाणिज्यिक सेवा है।
  - रेल दावा अधिकरण अधिनियम 1987 (Railway Claims Tribunal Act 1987) भारतीय रेलवे के विरुद्ध सेवाओं में खामियों की शिकायतों के निपटान के लिये अधिकरणों की स्थापना करता है।
    - इनमें माल की हानि, क्षति या ग़ैर-डिलीवरी और किराए या माल की वापसी जैसी शिकायतें शामिल हैं।
- **सभी अपराधों और दंडों को हटाना:**
  - वर्ष 1898 के अधिनियम के तहत, डाक अधिकारी द्वारा डाक वस्तुओं को अवैध रूप से खोलना दो वर्ष तक की क़ैद, जुर्माना या दोनों से दंडनीय था। डाक अधिकारियों के अलावा अन्य व्यक्तियों को भी मेल बैग खोलने के लिये दंडित किया जाता था।
    - इसके विपरीत, वर्ष 2023 के अधिनियम के तहत ऐसे कृत्यों के विरुद्ध कोई दंड नहीं होगा। इससे व्यक्तियों की निजता के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
    - डाक सेवाओं से संबंधित विशिष्ट उल्लंघन भारतीय दंड संहिता (IPC) जैसे अन्य कानूनों के दायरे में भी शामिल नहीं हैं।

नोट :

- **कुछ मामलों में परिणामों पर स्पष्टता का अभाव:**
  - अधिनियम में कहा गया है कि कोई भी अधिकारी 'इंडिया पोस्ट' द्वारा प्रदत्त सेवा के संबंध में किसी दायित्व का भागी नहीं होगा।
  - यह छूट वहाँ लागू नहीं होगी जहाँ अधिकारी ने धोखाधड़ी से काम किया हो या जानबूझकर सेवा की हानि, देरी या गलत डिलीवरी की हो।
    - हालाँकि, अधिनियम यह निर्दिष्ट नहीं करता है कि यदि कोई अधिकारी ऐसा कृत्य करता है तो उस पर क्या कार्रवाई होगी।
    - जन विश्वास अधिनियम, 2023 के तहत संशोधन से पहले वर्ष 1898 के तहत इन अपराधों के लिये दो वर्ष तक की क़ैद, जुर्माना या दोनों की सज़ा का प्रावधान था।

आगे की राह:

- **सुदृढ़ प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों को शामिल करना:**
  - इंडिया पोस्ट के माध्यम से प्रेषित वस्तुओं के अवरोधन के लिये स्पष्ट और व्यापक प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय लागू करें।
  - इसमें वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और व्यक्तियों की निजता के अधिकार की रक्षा के लिये निरीक्षण तंत्र, न्यायिक वारंट और संवैधानिक सिद्धांतों का पालन शामिल होना चाहिये।
    - न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) के.एस पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ मामले (2017) में संचार के अधिकार (right to communication) को निजता के अधिकार का एक अंग माना गया है और इस प्रकार इसे संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षित किया गया है।
- **अवरोधन के लिये आधार को परिभाषित करना:**
  - अवरोधन के आधारों को परिष्कृत और स्पष्ट रूप से परिभाषित करें, विशेष रूप से 'आपातकाल' शब्द को, ताकि सुनिश्चित हो कि यह संविधान के तहत युक्तियुक्त निर्बंधों के साथ संरेखित हो।
    - संभावित दुरुपयोग को रोकने और व्यक्तिगत अधिकारों को बनाए रखने के लिये आपातकालीन शक्तियों के प्रयोग को सीमित करें।
  - ज़िला रजिस्ट्रार एवं कलेक्टर, हैदराबाद बनाम केनरा बैंक मामले (2005) में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि ग्राहक द्वारा बैंक के संरक्षण में सौंपे गए गोपनीय दस्तावेजों या सूचना के परिणामस्वरूप निजता के अधिकार का लोप नहीं हो जाता।
    - इसलिये, यदि कुछ व्यक्तिगत वस्तुओं को पत्राचार के लिये डाकघर को सौंपा जाता है तो इसमें व्यक्ति के निजता के अधिकार का लोप नहीं हो जाता।
    - न्यायालय ने कई निर्णयों में यह भी कहा है कि निजता का अधिकार तलाशी और जब्ती से पहले कारणों की लिखित रिकॉर्डिंग की आवश्यकता को लागू करता है।
- **संतुलित दायित्व ढाँचा:**
  - डाकघर की स्वतंत्रता और दक्षता को खतरे में डाले बिना दायित्व के लिये स्पष्ट नियम निर्धारित कर उसकी जवाबदेही सुनिश्चित करें।
  - संभावित दुरुपयोग के बारे में चिंताओं का समाधान करें और हितों के टकराव को, विशेष रूप से विभिन्न सेवा शुल्क निर्धारित करने के संबंध में, रोकें।
  - सक्षम प्राधिकारी को अवरोधन शक्तियों के किसी भी मनमाने दुरुपयोग के लिये जवाबदेह ठहराया जाना चाहिये, जहाँ उनके बचाव के लिये 'गुड फेथ' खंड का प्रयोग नहीं हो।
    - इन विधानों के तहत निजता के अधिकार के उल्लंघन के मामले में, राहत (मुआवजा सहित) केवल संवैधानिक अदालतों से मांगी जा सकती है।
- **अनधिकृत अनावरण के मुद्दे को संबोधित करना:**
  - डाक अधिकारियों द्वारा डाक वस्तुओं के अनधिकृत अनावरण को संबोधित करते हुए, अधिनियम के भीतर विशिष्ट अपराधों और दंडों को पुनः लागू करें।
  - उपभोक्ताओं के निजता के अधिकार की सुरक्षा के लिये एक कानूनी ढाँचा स्थापित करें जो व्यक्तियों को कदाचार, धोखाधड़ी, चोरी और अन्य अपराधों के लिये ज़िम्मेदार ठहराए।
    - नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध 1966 (International Covenant on Civil and Political Rights 1966), जिसमें भारत एक पक्षकार है, का अनुच्छेद 17 कहता है कि "किसी को भी उसकी निजता, परिवार, घर और पत्र-व्यवहार में मनमाने या गैरकानूनी हस्तक्षेप के अधीन नहीं किया जाएगा और न ही उसके सम्मान एवं प्रतिष्ठा पर ग़ैर-कानूनी हमले किये जाएँगे।"

निष्कर्ष:

जबकि विधायी संशोधन समसामयिक चुनौतियों से निपटने के लिये महत्त्वपूर्ण हैं, सुरक्षा अनिवार्यताओं और व्यक्तिगत अधिकारों के बीच संतुलन बनाया जाना चाहिये। उभरते कानूनी परिदृश्य में यह

नोट :

सुनिश्चित करने के लिये सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है कि अवरोधन प्रावधान संवैधानिक सिद्धांतों, अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों और व्यक्तिगत गोपनीयता की सुरक्षा की अनिवार्यता के अनुरूप हों।

भविष्य में संवैधानिक चुनौतियों को रोकने के लिये स्पष्ट प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों, जवाबदेही उपायों और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के पालन सहित विभिन्न अग्रसक्रिय कदम उठाये जाने आवश्यक हैं।

एक राष्ट्र-एक चुनाव का अवलोकन

सितंबर 2023 में केंद्र सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में 'एक राष्ट्र-एक चुनाव' (One Nation, One Election-ONOE) पर एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया। समिति ने राष्ट्रीय एवं राज्यस्तरीय राजनीतिक दलों के साथ परामर्श किया और संभावित अनुशंसाओं के साथ आम लोगो एवं न्यायविदों के विचार आमंत्रित किये। एक राष्ट्र - एक चुनाव का प्रस्ताव भारत के लोकतांत्रिक ढाँचे और संघीय ढाँचे पर इसके प्रभाव के बारे में चिंताएँ उत्पन्न करता है।

'एक राष्ट्र - एक चुनाव' के पीछे केंद्रीय विचार क्या है?

- **परिचय:**
  - यह अवधारणा एक ऐसे परिदृश्य की कल्पना करती है जहाँ प्रत्येक पाँच वर्ष पर सभी राज्यों के चुनाव लोकसभा के आम चुनावों के साथ-साथ संपन्न होंगे।
  - विचार यह है कि चुनावी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया जाए और चुनावों की आवृत्ति को कम किया जाए, जिससे समय और संसाधनों की बचत होगी।
- **पृष्ठभूमि:**
  - यह विचार वर्ष 1983 से ही अस्तित्व में है, जब निर्वाचन आयोग ने पहली बार इसे पेश किया था। हालाँकि वर्ष 1967 तक भारत में एक साथ चुनाव आयोजित कराना एक सामान्य परिदृश्य रहा था।
    - लोकसभा के प्रथम आम चुनाव और सभी राज्य विधानसभाओं के चुनाव 1951-52 में एक साथ आयोजित कराये गए थे।
    - यह अभ्यास वर्ष 1957, 1962 और 1967 में आयोजित अगले तीन आम चुनावों में भी जारी रहा।
  - लेकिन वर्ष 1968 और 1969 में कुछ विधानसभाओं के समय-पूर्व विघटन के कारण यह चक्र बाधित हो गया।
    - वर्ष 1970 में स्वयं लोकसभा का समय-पूर्व विघटन हो गया और वर्ष 1971 में नए चुनाव आयोजित कराये गए। इस प्रकार, वर्ष 1970 तक केवल प्रथम, द्वितीय और तृतीय लोकसभा ने पाँच वर्ष का नियत कार्यकाल पूरा किया।
- **विश्व में अन्य जगहों पर एक साथ चुनाव:**
  - दक्षिण अफ्रीका में राष्ट्रीय और प्रांतीय विधानमंडलों के चुनाव एक साथ प्रत्येक पाँच वर्ष पर आयोजित किये जाते हैं, जबकि नगरनिकाय चुनाव प्रत्येक दो वर्ष पर आयोजित किये जाते हैं।
  - स्वीडन में राष्ट्रीय विधानमंडल (Riksdag), प्रांतीय विधानमंडल/काउंटी कौंसिल (Landsting) और स्थानीय निकायों/नगरनिकाय सभाओं (Kommunful-lmaktige) के चुनाव एक निश्चित तिथि, यानी हर चौथे वर्ष सितंबर के दूसरे रविवार को आयोजित किये जाते हैं।
  - ब्रिटेन में ब्रिटिश संसद और उसके कार्यकाल को स्थिरता एवं पूर्वानुमेयता की भावना प्रदान करने के लिये निश्चित अवधि संसद अधिनियम, 2011 (Fixed-term Parliaments Act, 2011) पारित किया गया था।
    - इसमें प्रावधान किया गया कि प्रथम चुनाव 7 मई 2015 को और उसके बाद हर पाँचवें वर्ष मई माह के पहले गुरुवार को आयोजित किया जाएगा।

एक साथ चुनाव (Simultaneous Elections) या ONOE के विभिन्न लाभ क्या हैं?

- **शासन विकर्षणों को कम करना:**
  - बार-बार चुनाव आयोजित होने से शीर्ष नेताओं से लेकर स्थानीय प्रतिनिधियों तक पूरे देश का ध्यान भटक जाता है, जिससे विभिन्न स्तरों पर प्रशासन एक तरह से पंगु हो जाता है।
  - यह चुनावी व्यस्तता भारत की विकास संभावनाओं पर नकारात्मक प्रभाव डालती है और प्रभावी शासन में बाधा उत्पन्न करती है।
- **आदर्श आचार संहिता का प्रभाव:**
  - चुनावों के दौरान लागू आदर्श आचार संहिता (Model Code of Conduct- MCC) राष्ट्रीय और स्थानीय दोनों स्तरों पर प्रमुख नीतिगत निर्णयों में विलंब का कारण बनती है।
    - यहाँ तक कि चल रही परियोजनाओं में भी बाधा उत्पन्न होती है क्योंकि चुनाव संबंधी कर्तव्यों को प्राथमिकता दी जाती है, जिससे नियमित प्रशासन में सुस्ती आ जाती है।

नोट :

- **राजनीतिक भ्रष्टाचार को संबोधित करना:**
  - बार-बार चुनाव का आयोजन राजनीतिक भ्रष्टाचार में योगदान करते हैं क्योंकि प्रत्येक चुनाव के लिये उल्लेखनीय मात्रा में धन जुटाने की आवश्यकता होती है।
  - एक साथ चुनाव कराने से राजनीतिक दलों के चुनाव खर्च में व्यापक कमी आ सकती है, जिससे बार-बार धन जुटाने की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी।
    - इससे आम लोगों और व्यापारिक समुदाय पर बार-बार चुनावी चंदा देने का दबाव भी कम हो जाएगा।
- लागत बचत और चुनावी अवसंरचना:
  - वर्ष 1951-52 में जब लोकसभा के प्रथम चुनाव आयोजित हुए तो इसमें 53 राजनीतिक दलों और लगभग 1874 प्रत्याशियों ने भाग लिया तथा चुनाव का व्यय 11 करोड़ रुपए रहा।
    - वर्ष 2019 के आम चुनाव में 610 राजनीतिक दलों और लगभग 9,000 उम्मीदवारों ने भागीदारी की। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) के अनुसार लगभग 60,000 करोड़ रुपए के चुनावी खर्च पर राजनीतिक दलों अभी घोषणा किया जाना शेष है।
  - हालाँकि अवसंरचना में आरंभिक निवेश की आवश्यकता होती है, लेकिन सभी चुनावों के लिये समान मतदाता सूची का उपयोग करने से मतदाता सूचियों को अद्यतन करने और बनाए रखने में लगने वाले व्यापक समय एवं धन की बचत हो सकती है।
- **नागरिकों को सुविधा:**
  - एक साथ चुनाव होने से मतदाता सूची से नाम गायब के संबंध में नागरिकों की चिंताएँ कम हो जाएँगी।
  - सभी चुनावों के लिये सुसंगत मतदाता सूची का उपयोग प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करता है, जिससे नागरिकों को अधिक प्रत्यक्ष एवं भरोसेमंद मतदान अनुभव प्राप्त होता है।
- **कानून प्रवर्तन संसाधनों का इष्टतम उपयोग:**
  - चुनावों के दौरान पुलिस और अर्द्धसैनिक बलों की बड़े पैमाने पर बार-बार तैनाती में उल्लेखनीय लागत आती है तथा प्रमुख कानून प्रवर्तन कर्मियों का अत्यंत महत्त्वपूर्ण कार्यों से विचलन होता है।
  - एक साथ चुनाव से बार-बार तैनाती की कमी होगी, संसाधनों का इष्टतम उपयोग होगा और कानून प्रवर्तन दक्षता बढ़ेगी।
- **'हॉर्स-ट्रेडिंग' पर अंकुश:**
  - निश्चित अंतराल पर आयोजित चुनावों से निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा हॉर्स ट्रेडिंग या खरीद-फरोख्त को कम किया जा सकता है।
  - निश्चित अवधियों पर चुनाव कराने से प्रतिनिधियों के लिये व्यक्तिगत लाभ के लिये दल बदलना या गठबंधन बनाना अधिक चुनौतीपूर्ण हो जाएगा, जो मौजूदा दल-बदल विरोधी कानूनों को पूरकता प्रदान करेगा।
- **राज्य सरकारों के लिये वित्तीय स्थिरता:**
  - बार-बार चुनावों के कारण राज्य सरकारें मतदाताओं को लुभाने के लिये मुफ्त सुविधाओं या 'फ्रीबीज़' की घोषणा करती हैं, जिससे प्राय: उनके वित्त पर दबाव पड़ता है।
  - एक साथ चुनाव का आयोजन इस समस्या को कम कर सकता है, राज्य सरकारों पर वित्तीय बोझ घट सकता है और वृहत वित्तीय स्थिरता में योगदान प्राप्त हो सकता है।

ONOE से जुड़ी प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं?

- **संवैधानिक चिंताएँ और मध्य-कार्यकाल पतन:**
  - संविधान के अनुच्छेद 83(2) और 172 में क्रमश: लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिये पाँच वर्ष का कार्यकाल निर्दिष्ट किया गया है, यदि समय-पूर्व उनका विघटन नहीं हो जाए।
  - ONOE की अवधारणा उन परिदृश्यों को प्रश्नगत करती है यदि केंद्र या राज्य सरकार के कार्यकाल का मध्य में ही पतन हो जाए।
    - उस परिदृश्य में प्रत्येक राज्य में पुन: चुनाव कराने या राष्ट्रपति शासन लगाने की दुविधा संवैधानिक ढाँचे को जटिल बनाती है।
- **ONOE को लागू करने में लॉजिस्टिक संबंधी चुनौतियाँ:**
  - ONOE के कार्यान्वयन में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों, कर्मियों और अन्य संसाधनों की उपलब्धता एवं सुरक्षा सहित महत्त्वपूर्ण लॉजिस्टिक संबंधी चुनौतियाँ शामिल हैं।
  - निर्वाचन आयोग को इतने बड़े पैमाने पर चुनावी अभ्यास के प्रबंधन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, जिससे ONOE प्रस्ताव की जटिलता बढ़ जाएगी।
- **संघवाद संबंधी चिंताएँ और विधि आयोग के निष्कर्ष:**
  - ONOE की अवधारणा संघवाद (federalism) की अवधारणा से टकराव रखती है; यह संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को 'राज्यों के संघ' (Union of States) के रूप में देखने के विचार के विपरीत है।
    - एक साथ चुनाव राज्य सरकारों की स्वायत्तता और स्वतंत्रता पर हमला है। इससे न केवल संघीय ढाँचा कमज़ोर हो सकता है बल्कि केंद्र और राज्यों के बीच हितों का टकराव भी बढ़ सकता है।

नोट :

- राज्य सरकारों के कार्यकाल अलग-अलग होते हैं और कुछ राज्यों को संविधान के अनुच्छेद 371 के तहत विशेष उपबंध सौंपे जाते हैं।
- न्यायमूर्ति बी.एस. चौहान की अध्यक्षता वाले विधि आयोग ने बताया कि मौजूदा संवैधानिक ढाँचे के भीतर एक साथ चुनाव संपन्न कराना व्यवहार्य नहीं हैं।
  - इसके लिये संविधान, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 और लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं के प्रक्रिया नियमों में संशोधन की आवश्यकता होगी।

- **चुनावों की पुनरावृत्ति और लोकतांत्रिक लाभ:**
  - बार-बार आयोजित चुनावों की वर्तमान प्रणाली को लोकतंत्र में लाभप्रद माना जाता है, जिससे मतदाताओं को अपनी आवाज़ अधिक बार व्यक्त करने की अनुमति मिलती है।
  - यह व्यवस्था राष्ट्रीय और राज्य चुनावों के बीच मुद्दों के मिश्रण को रोकती है, जिससे अधिक जवाबदेही सुनिश्चित होती है।
  - वर्तमान ढाँचे के तहत प्रत्येक राज्य की विशिष्ट मांगों और आवश्यकताओं को आवाज़ मिलती है।
- **पक्षपातपूर्ण लोकतांत्रिक संरचना:**
  - IDFC इंस्टीट्यूट के वर्ष 2015 के एक अध्ययन में उजागर हुआ कि एक साथ चुनाव से इस बात की 77% संभावना बनती है कि विजयी राजनीतिक दल या गठबंधन को लोकसभा और राज्य विधानसभाओं, दोनों में जीत प्राप्त होगी।
    - हालाँकि, यदि दोनों चुनाव छह माह के अंतराल पर आयोजित हों तो केवल 61% मतदाता ही दोनों चुनावों में एक ही दल को चुनेंगे।
- **लागत निहितार्थ और आर्थिक विचार:**
  - एक साथ चुनाव की लागत के बारे में निर्वाचन आयोग और नीति आयोग के अनुमान परस्पर विरोधी आँकड़े प्रकट करते हैं। हालाँकि दीर्घावधि में सिंक्रनाइज़ेशन से प्रति मतदाता लागत में बचत हो सकती है, लेकिन बड़ी संख्या में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVMs) और वोटर वेरिफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल्स (VVPATs) की तैनाती के लिये लघु-आवधिक खर्च बढ़ सकता है।
    - आर्थिक शोध से पता चलता है कि राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा किया जाने वाला चुनावी व्यय, संभावित लघु-आवधिक लागत में वृद्धि के बावजूद, अंततः अर्थव्यवस्था एवं सरकारी कर राजस्व को लाभ पहुँचाता है।
- **कानूनी चिंताएँ:**
  - एक साझा चुनाव प्रक्रिया की शुरूआत संविधान का उल्लंघन हो सकती है, जैसा कि एस.आर. मामले में प्रकट हुआ था जहाँ सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यों के स्वतंत्र संवैधानिक अस्तित्व पर बल दिया था।
- **परामर्श प्रक्रिया में भाषा पूर्वाग्रह:**
  - उच्चस्तरीय समिति की परामर्श प्रक्रिया (जैसा इसकी वेबसाइट पर प्रकट है) पूर्वाग्रह, अपवर्जन और असमानता के संबंध में चिंताओं को जन्म देती है।
  - सूचना कोष और इंटरैक्शन प्लेटफॉर्म के रूप में उपस्थित वेबसाइट केवल अंग्रेजी एवं हिंदी में उपलब्ध है और भारत की अन्य 22 आधिकारिक भाषाओं की उपेक्षा करती है।
- **निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता:**
  - निर्वाचन आयोग की भूमिका और स्वतंत्रता के बारे में सवाल उठाये गए हैं। इसे 'नोटबंदी' जैसे परिदृश्य से जोड़कर देखा जा रहा है जहाँ भारतीय रिज़र्व बैंक को सूचित नहीं किया गया था।
  - उच्चस्तरीय समिति की प्रक्रिया में निर्वाचन आयोग निष्क्रिय दिखाई देता है, जिससे चुनावों पर स्वतंत्र निर्णय लेने की उसकी स्वायत्तता खतरे में पड़ जाती है।

आगे की राह:

- **आम सहमति का निर्माण करना:**
  - एक साथ चुनाव की व्यवहार्यता के लिये राजनीतिक दलों और राज्यों के बीच आम सहमति बनाना महत्त्वपूर्ण है। चिंताओं को दूर करने और समर्थन हासिल करने के लिये विभिन्न हितधारकों के बीच खुले संवाद, परामर्श और विचार-विमर्श की आवश्यकता है।
- **संवैधानिक संशोधन:**
  - एक साथ चुनाव कराने के लिये संविधान, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 और लोकसभा एवं राज्य विधानसभावों के प्रक्रिया नियमों में संशोधन किया जाना आवश्यक होगा। इस विधिक ढाँचे में समकालिक मतदान की विशिष्ट आवश्यकताओं को समायोजित किया जाना चाहिये।
- **विधानसभा के कार्यकाल को लोकसभा के साथ संरेखित करना:**
  - संवैधानिक संशोधन में विधानसभा के कार्यकाल को लोकसभा के साथ संरेखित करना शामिल हो सकता है। प्रस्ताव के तौर पर, कोई भी विधानसभा जिसका कार्यकाल लोकसभा चुनाव

नोट :

से 6 माह पूर्व या पश्चात समाप्त हो रहा हो, चुनावी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करते हुए अपने चुनावों को लोकसभा चुनावों से संरेखित कर सकती है।

- **अवसंरचना में निवेश:**
  - एक साथ चुनावों के सफल कार्यान्वयन के लिये चुनावी अवसंरचना एवं प्रौद्योगिकी में पर्याप्त निवेश की आवश्यकता होगी। इसमें EVMs, VVPAT मशीन, मतदान केंद्र और प्रशिक्षित सुरक्षा कर्मियों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करना शामिल है।
- **आकस्मिकताओं के लिये विधिक ढाँचा:**
  - अविश्वास प्रस्ताव, समय-पूर्व विधानसभा विघटन या त्रिशंकु संसद जैसी आकस्मिकताओं से निपटने के लिये विधिक ढाँचा स्थापित करना आवश्यक है। इस ढाँचे का उद्देश्य एक साथ चुनाव चक्र के दौरान उत्पन्न होने वाली अप्रत्याशित परिस्थितियों का प्रबंधन करना होगा।
- **जागरूकता और मतदाता शिक्षा:**
  - एक साथ चुनाव के लाभ और चुनौतियों के बारे में मतदाताओं के बीच जागरूकता पैदा करना महत्त्वपूर्ण है। मतदाता शिक्षा कार्यक्रमों को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि नागरिक इस प्रक्रिया को समझें, जिससे वे बिना किसी भ्रम या असुविधा के अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें।

निष्कर्ष:

उच्चस्तरीय समिति की स्थापना यह संकेत देती है कि भारत में एक साथ चुनाव पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। संवैधानिक और विधित सिद्धांतों पर संभावित प्रभाव के बारे में मौजूद चिंताओं के बावजूद, समिति की अनुशंसाओं के लिये एक निश्चित समयरेखा की कमी अनिश्चितता का माहौल बना रही है। कानूनी चिंताएँ, विशेष रूप से राज्य विधानमंडल की अवधि में संभावित परिवर्तन, संवैधानिक चुनौती पेश करती हैं। 'एक राष्ट्र - एक चुनाव' को रोका जा सकता है या नहीं, यह सवाल भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक भूमिका को प्रमुखता से सामने लाता है।

भारत की सेमीकंडक्टर डिज़ाइन योजना को नया रूप देना

डिज़ाइन-लिंक्ड इंसेंटिव (DLI) योजना—जो 'भारत का सेमीकंडक्टर मिशन' (ISM) का एक महत्त्वपूर्ण तत्व है, के मध्यावधि मूल्यांकन का समय निकट आ रहा है। पाँच वर्षों की अवधि में 100 स्टार्ट-अप्स का समर्थन करने के अपने लक्ष्य के बावजूद, केवल 7 को ही मंज़ूरी दी गई है, जिससे योजना के पुनर्मूल्यांकन और संभावित पुनरुद्धार की मांग उठी है।

भारत एक ग्लोबल सेमीकंडक्टर हब बनने की आकांक्षा रखता है, लेकिन सेमीकंडक्टर चिप की कमी ने आपूर्ति श्रृंखला में कमज़ोरियों को रेखांकित किया है, जिससे घरेलू विनिर्माण क्षमता बढ़ाने की तात्कालिकता पर बल पड़ा है।

सेमीकंडक्टर:

- विद्युत चालकता के मामले में कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच स्थित मध्यवर्ती क्रिस्टलीय ठोस पदार्थों का कोई भी वर्ग सेमीकंडक्टर (Semiconductors) के रूप में जाना जाता है।
- सेमीकंडक्टर का उपयोग डायोड, ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट (ICs) सहित विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माण में किया जाता है। ऐसे उपकरणों का उनकी सुदृढ़ता (compactnes), विश्वसनीयता, ऊर्जा दक्षता और कम लागत के कारण व्यापक अनुप्रयोग किया जाता है।
- असतत घटकों के रूप में बिजली उपकरणों, ऑप्टिकल सेंसर और प्रकाश उत्सर्जकों (सॉलिड-स्टेट लेज़र सहित) में इनका उपयोग किया जाता है।
- सेमीकंडक्टर आमतौर पर चार वैलेंस इलेक्ट्रॉनों वाले परमाणुओं से बने क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। सिलिकॉन और जर्मेनियम इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में उपयोग किये जाने वाले दो आम मौलिक सेमीकंडक्टर हैं।

भारत का सेमीकंडक्टर मिशन (ISM):

- **परिचय:**
  - ISM को वर्ष 2021 में इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के तत्वावधान में 76,000 करोड़ रुपए के कुल वित्तीय परिव्यय के साथ लॉन्च किया गया था।
  - यह देश में संवहनीय सेमीकंडक्टर एवं डिस्प्ले पारितंत्र के विकास के लिये एक व्यापक कार्यक्रम का अंग है।
  - कार्यक्रम का उद्देश्य सेमीकंडक्टर, डिस्प्ले विनिर्माण और डिज़ाइन पारितंत्र में निवेश करने वाली कंपनियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
  - परिकल्पना की गई है कि ISM सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले उद्योग के वैश्विक विशेषज्ञों के नेतृत्व में योजनाओं के कुशल, सुसंगत और सुचारू कार्यान्वयन के लिये नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगा।
- **अवयव:**
  - भारत में सेमीकंडक्टर फैब्स स्थापित करने की योजना
  - भारत में डिस्प्ले फैब्स स्थापित करने की योजना

नोट :

- भारत में कंपाउंड सेमीकंडक्टर/सिलिकॉन फोटोनिक्स/सेंसर फैब और सेमीकंडक्टर असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग और पैकेजिंग (ATMP)/OSAT सुविधाओं की स्थापना के लिये योजना

- **डिज़ाइन-लिंक्ड इंसेंटिव (DLI) योजना:**
  - परिचय: यह इंटीग्रेटेड सर्किट (ICs), चिपसेट, सिस्टम ऑन चिप्स (SoCs), सिस्टम एंड आईपी कोर (Systems & IP Cores) के लिये सेमीकंडक्टर डिज़ाइन और अन्य सेमीकंडक्टर-लिंक्ड डिज़ाइन के विकास एवं तैनाती के विभिन्न चरणों में वित्तीय प्रोत्साहन और डिज़ाइन अवसंरचना समर्थन प्रदान करता है।
  - नोडल एजेंसी: MeitY के तहत संचालित एक वैज्ञानिक सोसायटी C-DAC (सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग) DLI योजना के कार्यान्वयन के लिये नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगी।
  - DLI के 3 घटक:
    - चिप डिज़ाइन अवसंरचना समर्थन: इसके तहत, C-DAC अत्याधुनिक डिज़ाइन अवसंरचना (जैसे EDA टूल्स, आईपी कोर और मल्टी प्रोजेक्ट वेफर फैब्रिकेशन/MPW एवं पोस्ट-सिलिकॉन वैलिडेशन) की होस्टिंग के लिये 'इंडिया चिप सेंटर' की स्थापना करेगा और समर्थित कंपनियों तक इसकी पहुँच को सुविधाजनक बनाएगा।
    - प्रोडक्ट डिज़ाइन लिंक्ड प्रोत्साहन (Product Design Linked Incentive): इसके तहत, सेमीकंडक्टर डिज़ाइन से संलग्न अनुमोदित आवेदकों को राजकोषीय सहायता के रूप में प्रति आवेदन 15 करोड़ रुपए की सीमा के अधीन पात्र व्यय के 50% तक की प्रतिपूर्ति प्रदान की जाएगी।
    - डिप्लॉयमेंट लिंक्ड प्रोत्साहन (Deployment Linked Incentive): इसके तहत ऐसे अनुमोदित आवेदकों को प्रति आवेदन 30 करोड़ रुपए की सीमा के अधीन 5 वर्षों में शुद्ध बिक्री कारोबार का 6% से 4% तक प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा जिनके इंटीग्रेटेड सर्किट (ICs), चिपसेट, सिस्टम ऑन चिप्स (SoCs), सिस्टम एंड आईपी कोर (Systems & IP Cores) के सेमीकंडक्टर डिज़ाइन और सेमीकंडक्टर-लिंक्ड डिज़ाइन को इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों में उपयोग किया जाता है।

- **विज़न:**
  - भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण एवं डिज़ाइन के वैश्विक केंद्र के रूप में उभरने में सक्षम बनाने के लिये एक जीवंत सेमीकंडक्टर एवं डिस्प्ले डिज़ाइन और नवाचार पारितंत्र का निर्माण करना।

- **महत्त्व:**
  - सेमीकंडक्टर एवं डिस्प्ले उद्योग को अधिक संरचित, केंद्रित और व्यापक तरीके से बढ़ावा देने के प्रयासों को व्यवस्थित करने के लिये ISM अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।
  - यह देश में सेमीकंडक्टर एवं डिस्प्ले विनिर्माण सुविधाओं और सेमीकंडक्टर डिज़ाइन पारितंत्र के विकास के लिये एक व्यापक दीर्घकालिक रणनीति तैयार करेगा।
  - यह कच्चे माल, विशेष रसायनों, गैसों और विनिर्माण उपकरणों सहित सुरक्षित सेमीकंडक्टर एवं डिस्प्ले आपूर्ति श्रृंखलाओं के माध्यम से विश्वसनीय इलेक्ट्रॉनिकी को अपनाने की सुविधा प्रदान करेगा।
  - यह आरंभिक चरण के स्टार्ट-अप के लिये इलेक्ट्रॉनिक डिज़ाइन ऑटोमेशन (EDA) टूल्स, फाउंड्री सेवाओं और अन्य उपयुक्त तंत्र के रूप में अपेक्षित सहायता प्रदान कर भारतीय सेमीकंडक्टर डिज़ाइन उद्योग की कई गुना वृद्धि को सक्षम करेगा।
  - यह स्वदेशी बौद्धिक संपदा (IP) सृजन को भी बढ़ावा देगा एवं उसे सुविधाजनक बनाएगा और प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण (ToT) को प्रोत्साहित, सक्षम और वित्तीय रूप से प्रोत्साहित करेगा।
  - ISM सहयोगात्मक अनुसंधान, व्यावसायीकरण और कौशल विकास को उत्प्रेरित करने के लिये राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों, उद्योगों और संस्थानों के साथ सहयोग एवं साझेदारी कार्यक्रमों को सक्षम करेगा।

नोट :

Coral Reefs

(Rainforests of the seas)

Drishti IAS

About

- **Large underwater structures** – made of skeletons of **colonial marine invertebrates 'coral'** – individually called **polyp**
- **Symbiotic** Relationship with **algae 'zooxanthellae'** (responsible for beautiful colours of corals)
- Support over 25% of marine biodiversity

Hard Corals vs Soft Corals

- **Hard Corals** - Rigid skeleton **made of $CaCO_3$ - reef-building** corals
- **Soft Corals** - Non reef-building

Great Barrier Reef (Australia)

- Largest Coral Reef in the World
- World Heritage Site (1981)
- Endures Mass Coral Bleaching

Corals in India

- Present in the areas of Gulf of Kutch, Gulf of Mannar, Andaman & Nicobar, Lakshadweep Islands and Malvan

Significance

- Coral reefs **protect coastlines from storms/erosion**, provide jobs, offer opportunities for recreation
- Source of **food/medicines**

Threats

- **Natural:** Temperature, Sediment Deposition, Salinity, pH, etc.
- **Anthropogenic:** Mining, Bottom Fishing, Tourism, pollution, etc.

Coral Bleaching

- Corals under stress - expel algae – thus turning white (bleached)
- Bleached corals - not dead – but, more risk of starvation/disease

Initiatives to Protect Corals

Technology

- Cyromesh: Storage of the coral larvae at (-196°C) - Can be later reintroduced to the wild
- Biorock: Creating artificial reefs on which coral can grow rapidly

Global

- International Coral Reef Initiative
- The Global Coral Reef R&D Accelerator Platform

Indian

National Coastal Mission Programme

नोट :

सेमीकंडक्टर बाज़ार का समग्र परिदृश्य:

- **वैश्विक परिदृश्य:**
  - चिप-मेकिंग उद्योग अत्यधिक संकेंद्रित है, जहाँ ताइवान, दक्षिण कोरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका बड़े खिलाड़ी हैं।
    - वस्तुत: 5 nm के 90% चिप का वृहत उत्पादन ताइवान में ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी (TSMC) द्वारा किया जाता है।
  - चिप की वैश्विक कमी, ताइवान पर अमेरिका-चीन में तनाव और रूस-यूक्रेन संघर्ष के कारण आपूर्ति श्रृंखला में रुकावटों ने प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं को नए सिरे से चिप निर्माण के क्षेत्र में प्रवेश के लिये प्रेरित किया है।
  - वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग का मूल्य वर्तमान में 500-600 बिलियन अमेरिकी डॉलर है और यह वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है जिसका मूल्य वर्तमान में लगभग 3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है।
- **भारतीय परिदृश्य:**
  - भारतीय सेमीकंडक्टर बाज़ार का मूल्य लगभग 23.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर है और इसके 2029 तक 150 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँचने का अनुमान है , जो पूर्वानुमानित अवधि के दौरान 27.10% के CAGR से बढ़ रहा है।
  - सेमीकंडक्टर चिप्स के घरेलू विनिर्माण के लिये भारत ने हाल में कई पहलें शुरू की हैं:
    - भारत में सेमीकंडक्टर अनुसंधान एवं विकास (R&D) का समर्थन करने के लिये MeitY ने ISM में 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश की घोषणा की है।
    - भारत ने इलेक्ट्रॉनिक घटकों और सेमीकंडक्टरों के विनिर्माण संवर्द्धन की योजना (SPECS) शुरू की है।

भारत में सेमीकंडक्टर उद्योग के समक्ष विद्यमान प्रमुख चुनौतियाँ:

- **डेटा लेटेंसी (Data Latency):** वेफर-डाई (wafer-die) की शक्ति, दक्षता और कार्य-आधारित बिनिंग (binning) से एक ही वेफर से विभिन्न सह-उत्पाद बन सकते हैं। अलग-अलग कार्य, जहाँ प्रत्येक कार्य विभिन्न नियोजन मापदंडों का उपयोग करता है, डेटा लेटेंसी की समस्याओं को उत्प्रेरित करता है क्योंकि डेटा कई अलग-अलग प्रणालियों में संग्रहीत होता है।
- **ग्राहक-विशिष्ट आवश्यकताएँ (Customer-Specific Needs):** प्राय: एक ही उत्पाद में विभिन्न सामग्री, साइट, शिपमेंट आकार और गुणवत्ता निर्माण शामिल होता है। ऐसी सभी आवश्यकताएँ अलग-अलग होने की प्रवृत्ति रखती हैं क्योंकि वे ग्राहक की विशिष्ट मांगों पर आधारित होती हैं।
- **फ्रंट-एंड (FE) बिल्ट आउटपुट (Front-end Built Output):** वेफर्स जैसे FE आउटपुट को असेंबलिंग एवं टेस्टिंग के साथ-साथ एक मिश्रित मॉडल जैसे विनिर्माण चरणों की आवश्यकता होती है। इसके परिणामस्वरूप आपूर्ति श्रृंखला में जटिलताएँ पैदा होती हैं, जिससे कुशल क्षमता नियोजन अधिक कठिन हो जाता है।
- **बैक-एंड (BE) चक्र समय का FE से तीव्र होना (Back-End Cycle Times Quicker than FE):** FE चक्र की प्रसंस्करण अवधि आम तौर पर 6-8 सप्ताह होती है, जबकि BE चक्र की अवधि केवल 1-2 सप्ताह की होती है। इसका प्रभावी रूप से अर्थ है अलग-अलग विनिर्माण अवधियों में इन्वेंट्री को स्थगित करना, जिसके लिये अतिरिक्त योजना की आवश्यकता होती है।
- **नियंत्रित एंड-टू-एंड आपूर्ति श्रृंखला दृश्यता और योजना (Restricted End-to-End Supply Chain Visibility and Planning):** विनिर्माण के लिये प्रचुर मात्रा में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सामग्रियों की आवश्यकता और असंबद्ध इन-हाउस एवं अनुबंधित विनिर्माण साइटें एवं वितरण केंद्र, आपूर्ति श्रृंखला की प्रमुखता को कठिन बनाते हैं। ये अतिरिक्त इन्वेंट्री वृद्धि और अकुशल ग्राहक सेवा में भी योगदान करते हैं।
- **अत्यधिक महँगा फैब सेटअप (Extremely Expensive Fab Setup):** एक सेमीकंडक्टर फैब को अपेक्षाकृत छोटे पैमाने पर भी स्थापित करने में कई बिलियन डॉलर की लागत आ सकती है और यह नवीनतम प्रौद्योगिकी से एक या दो पीढ़ी पीछे है।
- **उच्च निवेश की आवश्यकता (High Investments Required):** सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले विनिर्माण एक अत्यंत जटिल एवं प्रौद्योगिकी-गहन क्षेत्र है जिसमें भारी पूंजी निवेश, उच्च जोखिम, सुदीर्घ जेस्टेशन एवं पे-बैक अवधि और प्रौद्योगिकी में तेज़ी से बदलाव जैसे विषय शामिल हैं, जिसके लिये उल्लेखनीय एवं निरंतर निवेश की आवश्यकता होती है।

DLI योजना के कार्यान्वयन से संबद्ध प्रमुख मुद्दे:

- जबकि DLI योजना का लक्ष्य डिज़ाइन अवसंरचना और वित्तीय सब्सिडी तक पहुँच प्रदान करना है, इसके अंगीकरण में कमी नज़र आती है।

नोट :

- स्टार्ट-अप को घरेलू इकाई बने रहने का निर्देश और विदेशी पूंजी को सीमित करना एक महत्त्वपूर्ण बाधा उत्पन्न करता है। भारत में हार्डवेयर उत्पादों के लिये वित्तपोषण परिदृश्य और परिपक्व स्टार्ट-अप पारितंत्र की अनुपस्थिति निवेशकों की जोखिम लेने की क्षमता को कम करती है।

- सेमीकंडक्टर उद्योग अत्यधिक प्रतिस्पर्द्धी है, जहाँ स्थापित हितधारक बाज़ार पर हावी हैं।
  - भारत को अमेरिका, दक्षिण कोरिया, ताइवान और चीन जैसे देशों के साथ प्रतिस्पर्द्धा करनी होगी, जिनके पास सुस्थापित चिप विनिर्माण उद्योग मौजूद हैं।
  - ऐसी प्रतिस्पर्द्धा के समक्ष प्रतिस्पर्द्धात्मक बढ़त हासिल करना और वैश्विक निवेश आकर्षित करना एक प्रमुख चुनौती है।
- सेमीकंडक्टर उद्योग में बौद्धिक संपदा अधिकार और लाइसेंसिंग समझौते महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
  - बौद्धिक संपदा, पेटेंट और लाइसेंस तक पहुँच भारत की चिप निर्माण योजनाओं में बाधक बन सकते हैं।
  - जीडीपी की तुलना में अत्यंत निम्न R&D व्यय को देखते हुए साझेदारी, लाइसेंसिंग समझौते या स्वदेशी बौद्धिक संपदा विकसित करना एक जटिल प्रक्रिया सिद्ध हो सकती है।

ISM और इसकी DLI योजना में किस प्रकार सुधार किया जा सकता है?

- **भारत की सेमीकंडक्टर रणनीति लक्ष्यों को एकीकृत करना:**
  - भारत के 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के 'सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम' का लक्ष्य सेमीकंडक्टर आयात पर निर्भरता कम करना, आपूर्ति शृंखला लचीलेपन का निर्माण करना और चिप डिज़ाइन में इसके तुलनात्मक लाभ का फायदा उठाना है।
  - इसके तीन लक्ष्यों में रणनीतिक क्षेत्र, वैश्विक मूल्य शृंखला एकीकरण और भारत की मौजूदा डिज़ाइन क्षमताओं का लाभ उठाना शामिल है , जिन्हें एकीकृत करने की आवश्यकता है।
- **अधिकतम लाभ के लिये निवेश को प्राथमिकता देना :**
  - सीमित संसाधनों की स्थिति में औद्योगिक नीति प्राथमिकताओं को अधिकतम लाभ पर ध्यान केंद्रित करना चाहिये। डिज़ाइन पारितंत्र को प्रोत्साहित करना फाउंड्री एवं असेंबली चरणों की तुलना में कम पूंजी-गहन है, जो भारत के सेमीकंडक्टर उद्योग के लिये सुदृढ़ फॉरवर्ड लिंकेज का निर्माण करता है।
  - नीति संवीक्षा में DLI योजना और PLI योजनाओं के बीच संशोधन में असमानता के मुद्दे को संबोधित किया जाना चाहिये।
- **स्वामित्व को विकास से अलग करना:**
  - DLI योजना के तहत अपेक्षाकृत मामूली प्रोत्साहन स्वामित्व पर प्रतिबंध का सामना करने वाले स्टार्ट-अप के लिये एक सार्थक समझौता नहीं माना जा सकता है।
  - सेमीकंडक्टर डिज़ाइन विकास से स्वामित्व को अलग करने और अधिकाधिक स्टार्ट-अप-अनुकूल निवेश दिशानिर्देशों को अपनाने से वित्तीय स्थिरता बढ़ सकती है तथा वैश्विक संपर्क प्राप्त हो सकता है।
- **DLI योजना के फोकस का विस्तार करना:**
  - DLI योजना का प्राथमिक उद्देश्य समय के साथ स्वदेशी कंपनियों को बढ़ावा देते हुए भारत में सेमीकंडक्टर डिज़ाइन क्षमताओं को विकसित करना होना चाहिये।
  - DLI योजना को, वित्तीय सहायता में पर्याप्त वृद्धि के साथ, इकाई के पंजीकरण की परवाह किये बिना, देश के भीतर विभिन्न चिप्स के लिये डिज़ाइन क्षमताओं को सुविधाजनक बनाने हेतु अपना ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है।
- **नीति कार्यान्वयन के लिये एक सक्षम संस्थान की स्थापना करना:**
  - एक सक्षम संस्थान के नेतृत्व में चिप डिज़ाइन पर केंद्रित एक पुनर्निर्देशित नीति एक निश्चित विफलता दर को सहन कर सकती है और लाभार्थी स्टार्ट-अप को खोजपूर्ण जोखिमकर्ता वाहनों के रूप में देख सकती है।
  - ISM के तहत एक संशोधित DLI योजना, जो SFAL के दृष्टिकोण से प्रेरित हो, सेमीकंडक्टर डिज़ाइन स्टार्ट-अप की एक विस्तृत शृंखला को आकर्षित कर सकती है और उन्हें आरंभिक बाधाओं से निपटने में मदद कर सकती है।
- **मौजूदा सुविधाओं का उपयोग:**
  - सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स की नींव हैं जो इंडस्ट्री 4.0 के तहत डिजिटल परिवर्तन के अगले चरण को आगे बढ़ा रहे हैं।
  - भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (PSEs), जैसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड या हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड का उपयोग किसी वैश्विक प्रमुख कंपनी की मदद से सेमीकंडक्टर फैब फाउंड्री स्थापित करने के लिये किया जा सकता है।
- **सहयोग स्थापित करना:**
  - हालाँकि भारत ऑटोमोटिव और उपकरण क्षेत्र को आपूर्ति प्रदान करने के लिये आरंभ में 'लैगिंग-एज' टेक्नोलॉजी नोड्स पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, लेकिन वैश्विक मांग पैदा करना

नोट :

कठिन सिद्ध हो सकता है क्योंकि ताइवान जैसे बड़े खिलाड़ी दुनिया भर में व्यवहार्य अत्याधुनिक चिप-तकनीक प्रदान कर रहे हैं।

- भारत को घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और इस क्षेत्र में आयात निर्भरता को कम करने के लिये अमेरिका और जापान के अलावा ताइवान, दक्षिण कोरिया आदि या अन्य तकनीकी रूप से उन्नत मित्र देशों के साथ सहयोग करने के समान अवसर तलाशने चाहिये।

निष्कर्ष:

DLI योजना को प्रतिबंधात्मक स्वामित्व शर्तों, भारी लागत और सीमित प्रोत्साहन जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे सेमीकंडक्टर डिज़ाइन क्षमताओं को विकसित करने की दिशा में ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता महसूस हो रही है। आवश्यक संशोधनों में स्वामित्व को विकास से अलग करना, वित्तीय सहायता बढ़ाना और नोडल एजेंसी की भूमिका पर पुनर्विचार करना शामिल होना चाहिये। एक सक्षम संस्थान के नेतृत्व में एक पुनर्निर्देशित नीति हाई-टेक सेमीकंडक्टर क्षेत्र में भारत की पकड़ स्थापित करते समय कुछ विफलताओं को सहन कर सकने में सक्षम होगी।

ICJ कार्यवाही: दक्षिण अफ्रीका बनाम इज़राइल

मानवाधिकार हनन, नरसंहार (genocide) और युद्ध अपराध (war crimes) अंतर्राष्ट्रीय कानून के व्यापक ढाँचे के भीतर परस्पर-संबद्ध अवधारणाएँ हैं, जो विशेष रूप से संघर्ष या संकट के समय व्यक्तियों एवं समूहों की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करती हैं। मानव अधिकार नरसंहार और युद्ध अपराधों की रोकथाम के लिये आधार के रूप में कार्य करते हैं। ये अधिकार विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संधियों और घोषणाओं में निहित हैं, जैसे कि मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा (Universal Declaration of Human Rights-UDHR)।

दक्षिण अफ्रीका ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (International Court of Justice- ICJ) में इज़राइल के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही शुरू की है। अपने आवेदन में दक्षिण अफ्रीका ने तर्क दिया कि जिस तरह से इज़राइल गाज़ा में अपने सैन्य अभियान चला रहा था, उसने नरसंहार के अपराध की रोकथाम और दंड पर अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन (International Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide), जिसे 'जेनोसाइड कन्वेंशन' के रूप में भी जाना जाता है, का उल्लंघन किया है।

नरसंहार या 'जेनोसाइड' क्या है?

- **परिचय:**
  - संयुक्त राष्ट्र (UN) के अनुसार, नरसंहार किसी विशेष जातीय, नस्लीय, धार्मिक या राष्ट्रीय समूह का मंशापूर्ण और व्यवस्थित तरीके से किया जाने वाला विनाश (destruction) है।
  - यह विनाश विभिन्न तरीकों से हो सकता है, जिसमें सामूहिक हत्या (mass killing), जबरन स्थानांतरण (forced relocation) और कठोर जीवन दशाओं को लागू करना शामिल है, जिसके परिणामस्वरूप व्यापक रूप से मृत्यु होती है।
- **शर्तें:**
  - संयुक्त राष्ट्र के अनुसार नरसंहार के अपराध में दो मुख्य तत्व शामिल हैं:
    - मानसिक तत्व (Mental Element): किसी राष्ट्रीय, जातीय, नस्लीय या धार्मिक समूह को पूर्णत: या आंशिक रूप से नष्ट करने की मंशा।
    - भौतिक तत्व (Physical Element): इसमें निम्नलिखित कृत्य शामिल हैं जिनकी विस्तृत गणना की गई है:
  - किसी समूह के सदस्यों की हत्या करना
  - किसी समूह के सदस्यों को गंभीर शारीरिक या मानसिक क्षति पहुँचाना
  - किसी समूह पर मंशापूर्वक ऐसी जीवन दशाएँ थोपना जिससे उसका संपूर्ण या आंशिक रूप से भौतिक विनाश होता है।

'जेनोसाइड कन्वेंशन' क्या है?

- **परिचय:**
  - 'नरसंहार के अपराध की रोकथाम और दंड पर कन्वेंशन' अंतर्राष्ट्रीय कानून का एक साधन है जिसने पहली बार नरसंहार के अपराध को संहिताबद्ध किया।
    - यह 9 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) द्वारा अंगीकार की गई पहली मानवाधिकार संधि थी।
  - यह द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुए अत्याचारों के बाद 'नेवर अगेन' (never again) की अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
  - इसका अंगीकरण अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारों और अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक कानून के विकास की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।

नोट :

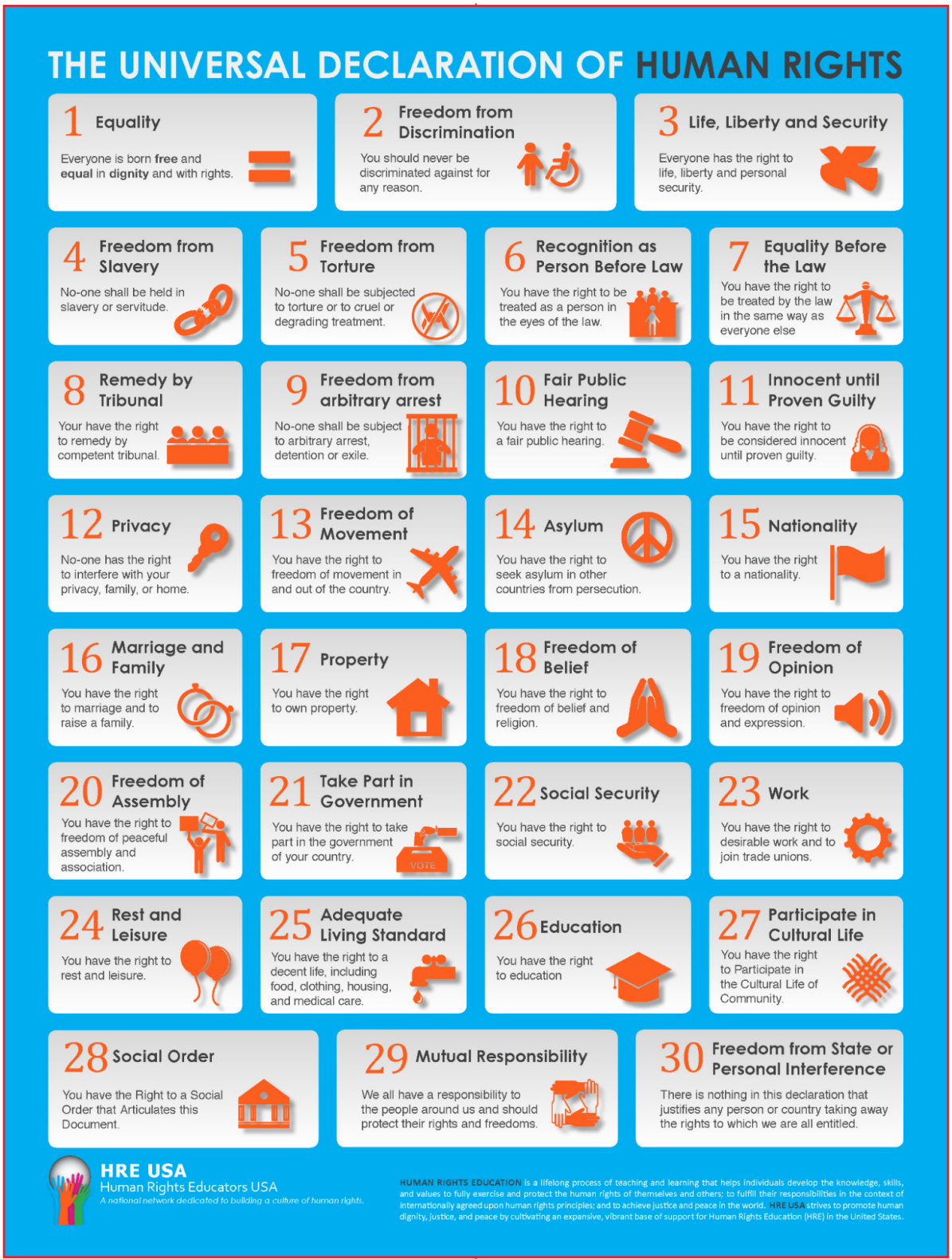
THE UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS
1 Equality
Everyone is born free and equal in dignity and with rights.
2 Freedom from Discrimination
You should never be discriminated against for any reason.
3 Life, Liberty and Security
Everyone has the right to life, liberty and personal security.
4 Freedom from Slavery
No-one shall be held in slavery or servitude.
5 Freedom from Torture
No-one shall be subjected to torture or to cruel or degrading treatment.
6 Recognition as Person Before Law
You have the right to be treated as a person in the eyes of the law.
7 Equality Before the Law
You have the right to be treated by the law in the same way as everyone else
8 Remedy by Tribunal
Your have the right to remedy by competent tribunal.
9 Freedom from arbitrary arrest
No-one shall be subject to arbitrary arrest, detention or exile.
10 Fair Public Hearing
You have the right to a fair public hearing.
11 Innocent until Proven Guilty
You have the right to be considered innocent until proven guilty.
12 Privacy
No-one has the right to interfere with your privacy, family, or home.
13 Freedom of Movement
You have the right to freedom of movement in and out of the country.
14 Asylum
You have the right to seek asylum in other countries from persecution.
15 Nationality
You have the right to a nationality.
16 Marriage and Family
You have the right to marriage and to raise a family.
17 Property
You have the right to own property.
18 Freedom of Belief
You have the right to freedom of belief and religion.
19 Freedom of Opinion
You have the right to freedom of opinion and expression.
20 Freedom of Assembly
You have the right to freedom of peaceful assembly and association.
21 Take Part in Government
You have the right to take part in the government of your country.
VOTE
22 Social Security
You have the right to social security.
23 Work
You have the right to desirable work and to join trade unions.
24 Rest and Leisure
You have the right to rest and leisure.
25 Adequate Living Standard
You have the right to a decent life, including food, clothing, housing, and medical care.
26 Education
You have the right to education
27 Participate in Cultural Life
You have the right to Participate in the Cultural Life of Community.
28 Social Order
You have the Right to a Social Order that Articulates this Document.
29 Mutual Responsibility
We all have a responsibility to the people around us and should protect their rights and freedoms.
30 Freedom from State or Personal Interference
There is nothing in this declaration that justifies any person or country taking away the rights to which we are all entitled.
HRE USA
Human Rights Educators USA
A national network dedicated to building a culture of human rights.
HUMAN RIGHTS EDUCATION is a lifelong process of teaching and learning that helps individuals develop the knowledge, skills, and values to fully exercise and protect the human rights of themselves and others; to fulfill their responsibilities in the context of internationally agreed upon human rights principles; and to achieve justice and peace in the world. HRE USA strives to promote human dignity, justice, and peace by cultivating an expansive, vibrant base of support for Human Rights Education (HRE) in the United States.

नोट :

- **विशेषताएँ:**
  - जेनोसाइड कन्वेंशन के अनुसार, नरसंहार एक अपराध है जो युद्ध और शांति, दोनों स्थितियों में हो सकता है।
    - नरसंहार के अपराध की इस परिभाषा को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर व्यापक रूप से अपनाया गया है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) की वर्ष 1998 की रोम संविधि (Rome Statute) भी शामिल है।
  - उल्लेखनीय है कि यह कन्वेंशन राज्य पक्षकारों पर नरसंहार के अपराध की रोकथाम एवं दंड के लिये उपाय करने का दायित्व स्थापित करता है, जिसमें प्रासंगिक कानून बनाना और अपराधियों को दंडित करना शामिल है, "चाहे वे संवैधानिक रूप से उत्तरदायी शासक, सार्वजनिक अधिकारी या निजी व्यक्ति हों" (अनुच्छेद IV)।
    - इस दायित्व को, नरसंहार के कृत्य की रोकथाम करने के अलावा, अंतर्राष्ट्रीय प्रथागत कानून के मानदंडों के रूप में देखा गया है और इसलिये यह सभी राज्यों पर बाध्यकारी है, चाहे उन्होंने जेनोसाइड कन्वेंशन की पुष्टि की हो या नहीं।
  - भारत ने इस कन्वेंशन की पुष्टि की है।

'दक्षिण अफ्रीका बनाम इज़राइल मामला' क्या है?

- **दक्षिण अफ्रीका के आरोप:**
  - गाज़ा में इज़राइली सेनाओं द्वारा बड़ी संख्या में फिलिस्तीनियों, विशेषकर बच्चों की हत्या, उनके घरों का विनाश, उनका निष्कासन एवं विस्थापन।
  - इसमें गाज़ा पट्टी में भोजन, जल एवं चिकित्सा सहायता पर नाकाबंदी लागू करना, गर्भवती महिलाओं एवं शिशुओं की जीविता के लिये महत्त्वपूर्ण आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं को नष्ट करने के माध्यम से फिलिस्तीनी जन्म को रोकने के उपाय लागू करना भी शामिल है।
- **दक्षिण अफ्रीका की तत्काल मांगें:**
  - दक्षिण अफ्रीका ने अनुरोध किया है कि ICJ 'अनंतिम उपायों' (provisional measures)—यानी अनिवार्य रूप से एक आपातकालीन आदेश जिसे मुख्य मामला/केस शुरू होने से पहले भी लागू किया जा सकता है, का उपयोग कर इज़राइल को गाज़ा पट्टी में आगे और अपराध से रोकने के लिये तत्काल कदम उठाए।
  - उसने तर्क दिया है कि "जेनोसाइड कन्वेंशन के तहत फिलिस्तीनी लोगों के अधिकारों, जिनका दंडमुक्ति (impunity) के साथ उल्लंघन जारी है, को और अधिक गंभीर एवं अपूरणीय क्षति से बचाने के लिये अनंतिम उपाय आवश्यक हैं।"
- **इज़राइल का रुख:**
  - इज़राइल ने ICJ के समक्ष इस मामले को लाने के लिये दक्षिण अफ्रीका को लताड़ लगाते हुए बलपूर्वक कहा है कि वह न्यायालय में अपना बचाव करने के लिये तैयार है। इज़राइली अधिकारियों ने इस मामले/केस को 'बेतुका' (preposterous) बताया है और कहा है कि यह 'ब्लड लाइबेल' (blood libel) जैसा है।
  - इज़राइल का तर्क है कि गाज़ा में 23,000 से अधिक लोगों की हत्या आत्मरक्षा में की गई है और वह अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के अंतर्गत अपने इस सर्वाधिक अंतर्निहित अधिकार के तहत आत्मरक्षा का उपयोग करने के अपने मामले को गर्व से पेश करेगा।
- **अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का रुख:**
  - कई देशों और संगठनों ने दक्षिण अफ्रीका के मुक़दमे का समर्थन किया है। इनमें मलेशिया, तुर्की, जॉर्डन, बोलीविया, मालदीव, नामीबिया, पाकिस्तान, कोलंबिया और इस्लामी देशों के संगठन (IOC) के सदस्य देश शामिल हैं।
  - मामले में यूरोपीय संघ (EU) ने मौन साध रखा है, लेकिन इज़राइल को अपने सबसे बड़े समर्थक एवं हथियार आपूर्तिकर्ता संयुक्त राज्य अमेरिका का समर्थन मिला है, जिसने कहा है कि "यह आरोप कि इज़राइल नरसंहार कर रहा है, निराधार है, लेकिन इज़राइल को नागरिक क्षति को रोकना चाहिये और मानवीय अपराधों के आरोपों की जाँच करनी चाहिये।"
    - ब्रिटेन और फ्राँस ने इस मुक़दमे का विरोध किया है, यहाँ तक कि फ्राँस ने इज़राइल के विरुद्ध जेनोसाइड के निर्णय जारी किये जाने पर इसके गैर-अनुपालन का भी संकेत दिया है।

दक्षिण अफ्रीका बनाम इज़राइल मामले' से संबद्ध विभिन्न चिंताएँ क्या हैं?

- **ICJ एक मंच के रूप में:**
  - इज़राइल पर एकतरफा फोकस को लेकर सवाल उठते हैं, जबकि हमास जैसे गैर-राज्य अभिकर्ताओं को ICJ के समक्ष नहीं लाया जा सकता है।

नोट :

- उल्लेखनीय है कि ICC व्यक्तियों पर सुनवाई करता है और वहाँ इस विषय को अन्वेषण के सुपुर्द किया गया है।

- **वैश्विक विभाजन:**
  - राष्ट्रों के बीच विभाजन, जहाँ औपनिवेशिक एवं गैर-औपनिवेशिक इतिहास की एक भूमिका नज़र आती है, से जटिलता बढ़ती है जहाँ बांग्लादेश एवं जॉर्डन दक्षिण अफ्रीका का समर्थन कर रहे हैं, जबकि जर्मनी इज़राइल का समर्थन कर रहा है।
    - जर्मनी, जो पूर्व में जेनोसाइड कन्वेंशन के व्यापक निर्वचन का समर्थन करता रहा है, दक्षिण अफ्रीका बनाम इज़राइल मामले में इज़राइल के साथ खड़ा है, जो उसके वर्तमान रुख को प्रश्नगत करता है।
  - यह विभाजन अंतर्राष्ट्रीय कानून के निर्माण में ऐतिहासिक शक्ति समीकरण को दर्शाता है।
    - इस कार्यवाही को स्वयं अंतर्राष्ट्रीय कानून की वैधता को चुनौती देने के रूप में देखा जा रहा है। फ्राँस के आक्रामक बयानों से इस धारणा को बल मिला है।

नोट:

- ICJ, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (International Criminal Court- ICC) से अलग है। ICC आपराधिक मामलों में व्यक्तियों पर सुनवाई करता है, जहाँ इज़राइल भी हमास और उसके सदस्यों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई कर सकता है।

ISRAEL'S WAR ON GAZA

Differences between the ICJ and the ICC

The International Court of Justice (ICJ) and the International Criminal Court (ICC) are two courts with different functions within the international legal system.

	ICJ International Court of Justice	ICC International Criminal Court
Established	1945	2002
UN-relationship	Highest court of the UN	Not part of the UN
Location	The Hague, the Netherlands	The Hague, the Netherlands
Jurisdiction	UN member-states	Individuals
Types of cases	Legal disputes between states and requests for advisory opinions on legal questions	Prosecutes individuals for the most serious crimes as per the Rome Statute
Appeals	No	Yes
Enforcement power	None - relies on the UN Security Council to uphold judgements, with permanent members having veto power	None - relies on cooperation from member states to enforce its decisions

नोट :

नरसंहार के विषय में भारत में कौन-से कानून और विनियमन मौजूद हैं?

- **अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन:**
  - भारत के पास नरसंहार पर कोई घरेलू कानून मौजूद नहीं है, हालाँकि इसने नरसंहार पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन की पुष्टि की है।
  - भारत UDHR का हस्ताक्षरकर्ता है और उसने नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध (International Covenant on Civil and Political Rights- ICCPR) और आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights- ICESCR) की पुष्टि कर रखी है।
- **भारतीय दंड संहिता (IPC):**
  - IPC नरसंहार एवं संबंधित अपराधों के लिये दंड का प्रावधान करती है और अन्वेषण, अभियोजन एवं दंड की प्रक्रियाएँ प्रदान करती है।
  - IPC की धारा 153B के तहत नरसंहार को एक अपराध के रूप में परिभाषित किया गया है, जो दंगे भड़काने या हिंसा के कृत्यों को अंजाम देने के इरादे से धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने वाले कृत्यों को अपराध मानता है।
- **संवैधानिक प्रावधान:**
  - भारतीय संविधान अनुच्छेद 15 के माध्यम से धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है।
  - अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता आदि के अधिकार की गारंटी देता है।
- **सांविधिक प्रावधान:**
  - राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) की स्थापना वर्ष 1993 में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम (PHRA),1993 के तहत की गई।
    - यह अधिनियम राज्य मानवाधिकार आयोगों की स्थापना का भी प्रावधान करता है।

नरसंहार और युद्ध अपराधों की रोकथाम के कौन-से उपाय हैं?

नरसंहार कोई ऐसी स्थिति नहीं है जो रातोंरात या बिना किसी चेतावनी के घटित हो जाए। नरसंहार के लिये संगठन की आवश्यकता होती है और यह वास्तव में एक सोची-समझी रणनीति होती है। यह रणनीति प्राय: सरकारों या राज्य तंत्र को नियंत्रित करने वाले समूहों द्वारा अपनाई जाती है। वर्ष 2004 में, रवांडा नरसंहार की दसवीं बरसी पर, तत्कालीन संयुक्त राष्ट्र महासचिव कोफी अन्नान ने नरसंहार को रोकने के लिये पाँच सूत्री कार्ययोजना की रूपरेखा तैयार की थी:

- **सशस्त्र संघर्ष को रोकना:**
  - चूँकि युद्धकाल में नरसंहार की सबसे अधिक संभावना होती है, इसलिये नरसंहार की संभावनाओं को कम करने के सर्वोत्तम उपायों में से एक है हिंसा और संघर्ष के मूल कारणों को संबोधित करना। इसमें घृणा, असहिष्णुता, नस्लवाद, भेदभाव, अत्याचार और अमानवीय सार्वजनिक आख्यान शामिल हैं जो लोगों के पूरे समूह को उनकी गरिमा एवं अधिकार से वंचित करते हैं।
  - संसाधनों तक अभिगम्यता में असमानताओं को संबोधित करना भी एक महत्त्वपूर्ण रोकथाम रणनीति है।
- **नागरिकों की रक्षा करना:**
  - जब संघर्ष को रोकने के प्रयास विफल हो जाएँ तो नागरिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक होनी चाहिये। जहाँ भी नागरिकों को, उनके किसी विशेष समुदाय से संबंधित होने के लिये, जानबूझकर निशाना बनाया जाता है, वहाँ नरसंहार का खतरा उत्पन्न होता है।
  - पिछले दशक में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के कार्यक्षेत्र का बार-बार विस्तार किया है ताकि वे हिंसा का खतरा झेल रहे नागरिकों की भौतिक रूप से रक्षा कर सकें।
- **न्यायिक कार्रवाई के माध्यम से दंडमुक्ति को समाप्त करना:**
  - नरसंहार के अपराधों के लिये उत्तरदायी लोगों को न्याय के कटघरे में लाने की ज़रूरत है ताकि लोगों में भय उत्पन्न कर उन्हें ऐसे अपराधों से विमुख किया जा सके।
  - दंडमुक्ति (impunity) को चुनौती देना और एक विश्वसनीय अपेक्षा स्थापित करना कि नरसंहार एवं संबंधित अपराधों के अपराधियों को जवाबदेह ठहराया जाएगा, इसके प्रभावी रोकथाम की संस्कृति में योगदान दे सकता है।

नोट :

- **विशेष सलाहकारों की नियुक्ति:**
  - 1990 के दशक में रवांडा और बाल्कन की त्रासदियों ने सबसे खराब अनुभवों के साथ प्रदर्शित किया कि संयुक्त राष्ट्र को नरसंहार को रोकने के लिये और अधिक प्रयास करना होगा।
  - इसे ध्यान में रखते हुए, वर्ष 2004 में संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने नरसंहार की रोकथाम पर विशेष सलाहकार की नियुक्ति की।
    - विशेष सलाहकार उन स्थितियों के बारे में सूचनाएँ एकत्र करते हैं जहाँ नरसंहार, युद्ध अपराध, जातीय संहार (ethnic cleansing) और मानवता के विरुद्ध अपराध का खतरा उत्पन्न हो सकता है।
- **त्वरित कार्रवाई, जिसमें सैन्य कार्रवाई भी शामिल है:**
  - नरसंहार या अन्य सामूहिक अत्याचार अपराधों को रोकने या इस पर प्रतिक्रिया देने के लिये घरेलू स्थितियों में कब, कहाँ और कैसे सैन्य हस्तक्षेप करना है, इसका निर्णय संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुसार सुरक्षा परिषद द्वारा किया जाना चाहिये।
  - वर्ष 2005 में संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन में सभी देश औपचारिक रूप से सहमत हुए कि यदि शांतिपूर्ण तरीके अपर्याप्त हैं और यदि राष्ट्रीय सत्ता अपनी आबादी को सामूहिक अत्याचार अपराधों से बचाने में 'स्पष्ट रूप से विफल' हो रही है, तो:
    - विश्व के देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के माध्यम से और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुसार 'समयबद्ध एवं निर्णायक तरीके से' सामूहिक रूप से कार्य करना चाहिये।

निष्कर्ष:

ICJ में इज़राइल के विरुद्ध दक्षिण अफ्रीका द्वारा शुरू की गई कानूनी कार्यवाही ने गहन वैश्विक बहस छेड़ दी है। यह मामला गाज़ा में इज़राइल के सैन्य अभियानों में नरसंहार के आरोपों से संबंधित है, जो एक जटिल कानूनी संदर्भ प्रस्तुत करता है। इसका निर्णय न केवल गाज़ा में संकट को कम करने के लिये बल्कि 'नियम-आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था' (rules-based international order) के लिये एक अत्यंत आवश्यक परीक्षण के रूप में भी महत्त्वपूर्ण है। आगामी माहों में ICJ के निर्णय अंतर्राष्ट्रीय कानूनी ढाँचे की धारणाओं को आकार देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएँगे।

राम मंदिर: रामराज्य का संकल्प

राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह (consecration ceremony) एक महत्त्वपूर्ण मील का पत्थर है जिससे अयोध्या में राम मंदिर स्थापना की 500 वर्ष पुरानी आकांक्षा की पूर्ति की है। प्रधानमंत्री ने इस घटना को एक चिरप्रतीक्षा के अंत के रूप में चिह्नित किया। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि भगवान राम को समर्पित मंदिर का निर्माण—जो न्याय का प्रतीक है, एक उचित एवं निष्पक्ष तरीके से किया गया है। उन्होंने न्याय के सिद्धांतों की रक्षा के लिये भारतीय न्यायपालिका के प्रति आभार व्यक्त किया।

जबकि राम मंदिर अब साकार हो चुका है, सबसे बड़ी चिंता यह है कि भारत में धार्मिक विवादों की पुनरावृत्ति को रोका जाना चाहिये। राम राज्य के सिद्धांतों का पालन करना और 'धर्म' को बनाये रखना सभी के लिये अनिवार्य है।

बाबरी मस्जिद-राम मंदिर विवाद के प्रमुख घटनाक्रम:

- **1529 ई. :** मीर बाक़ी द्वारा बाबरी मस्जिद का निर्माण- बाबरी मस्जिद 16वीं शताब्दी की एक मस्जिद थी जो उत्तर प्रदेश के अयोध्या में स्थित थी। बड़ी संख्या में हिंदू अनुयायियों द्वारा मस्जिद स्थल को भगवान राम का जन्मस्थान (श्री राम जन्मभूमि) माना जाता था।
  - इससे बार-बार यह विवाद होता रहा कि भूमि का स्वामित्व किसके पास है।
- **दिसंबर 1949:** मस्जिद के अंदर राम की मूर्ति का 'प्रकट' होना।
- **तीन प्रमुख वाद:**
  - वर्ष 1959 में निर्मोही अखाड़े ने मालिकाना हक (title suit) का मुक़दमा दायर किया। निर्मोही अखाड़े का दावा था कि वह राम जन्मभूमि का वास्तविक प्रबंधक है।
  - वर्ष 1961 में उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने भी एक मुकदमा दायर किया। यह बोर्ड मस्जिद पर अपने नियंत्रण का दावा कर रहा था।
  - वर्ष 1989 में वरिष्ठ अधिवक्ता देवकी एन. अग्रवाल ने भगवान राम की ओर से इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक मुकदमा दायर किया। इसके बाद पूर्व के सभी मुकदमे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिये गए।
- **25 सितंबर 1990:** रथ यात्रा - लालकृष्ण आडवाणी ने राम जन्मभूमि आंदोलन के लिये समर्थन जुटाने के उद्देश्य से सोमनाथ (गुजरात) से अयोध्या (उत्तर प्रदेश) तक की रथ यात्रा शुरू की।
- **6 दिसंबर 1992:** बाबरी विध्वंस - कारसेवकों की एक हिंसक भीड़ ने बाबरी मस्जिद को ढहा दिया और उसके स्थान पर एक अस्थायी मंदिर (makeshift temple) की स्थापना कर दी।
- **7 जनवरी 1993:** राज्य द्वारा अयोध्या भूमि का अधिग्रहण - सरकार ने 67.7 एकड़ भूमि का अधिग्रहण करने के लिये एक अध्यादेश जारी किया।

नोट :

- **अप्रैल 2002:** इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने अयोध्या स्वामित्व विवाद पर सुनवाई शुरू की।
- **8 जनवरी 2019:** भारत के मुख्य न्यायाधीश ने मामले को 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने के लिये अपनी प्रशासनिक शक्तियों का उपयोग किया।
- **8 मार्च 2019:** सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मध्यस्थता का आदेश - संविधान पीठ ने न्यायालय की निगरानी में मध्यस्थता का आदेश दिया।
- 9 नवंबर 2019- सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मामले पर अंतिम निर्णय-
  - विवादित भूमि रामलला को समर्पित: सर्वोच्च न्यायालय ने एक सर्वसम्मत निर्णय के माध्यम से मामले के तीन दावेदारों में से एक 'रामलला' को समर्पित मंदिर के निर्माण के लिये संपूर्ण 2.77 एकड़ विवादित भूमि सौंपकर विवाद का निपटारा कर दिया।
  - मस्जिद निर्माण के लिये भूमि: मंदिर के लिये विवादित भूमि सौपने के अलावा न्यायालय ने मस्जिद के निर्माण के लिये अयोध्या में ही एक प्रमुख स्थान पर पाँच एकड़ ज़मीन आवंटित करने का निर्णय दिया।

राम मंदिर निर्माण के पक्ष में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का आधार:

- **विवादित स्थल पर प्रतिस्पर्द्धी अधिकार:** विवादित स्थल पर हिंदू और मुस्लिम दोनों का प्रतिस्पर्द्धी अधिकार था। हालाँकि हिंदुओं ने विवादित ढाँचे पर अपनी निरंतर उपासना के बेहतर साक्ष्य प्रस्तुत किये जो न्यायालय के निर्णय में एक महत्त्वपूर्ण कारक रहा।
- **अनन्य मुस्लिम कब्जे का अभाव:** मुस्लिम पक्षों द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया जो यह दर्शाता हो कि विवादित ढाँचे पर उनका अनन्य कब्जा रहा हो और वहाँ नमाज़ पढ़ी जाती हो।
- **बाहरी परिसर पर कब्ज़ा:** न्यायालय ने कहा कि विवादित स्थल के बाहरी परिसर पर मुसलमानों का कभी भी कब्ज़ा नहीं रहा। जबकि आंतरिक प्रांगण परस्पर विरोधी दावों के साथ एक विवादित स्थल था, दिसंबर 1949 तक मुसलमानों द्वारा मस्जिद का परित्याग नहीं किया गया था क्योंकि वहाँ नमाज़ की जाती थी।
- **सुन्नी वक्फ बोर्ड द्वारा स्वामित्व स्थापित करने में विफलता:** सुन्नी वक्फ बोर्ड प्रतिकूल कब्जे या वक्फ (dedication by user) के माध्यम से स्वामित्व स्थापित करने में सफल नहीं हुआ, जो न्यायालय द्वारा विचारित एक अन्य महत्त्वपूर्ण कारक था।
- **मंदिर निर्माण के लिये ट्रस्ट:** सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र को, जिसने विवादित भूमि और आस-पास के क्षेत्रों का अधिग्रहण किया था, मंदिर के निर्माण के लिये एक ट्रस्ट स्थापित करने का निर्देश दिया। यह विवाद को सुलझाने और स्थल पर राम मंदिर के निर्माण को सुविधाजनक बनाने के निर्णय का एक भाग था।
- **ASI रिपोर्ट:** अपने निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि बाबरी मस्जिद, जो वर्ष 1992 में विध्वंस से पहले विवादित स्थल पर खड़ी थी, खाली ज़मीन पर नहीं बनाई गई थी और प्रमाण मिले है कि वहाँ एक मंदिर जैसी संरचना पहले से मौजूद थी।
- **अनिवार्यता का सिद्धांत:** निर्णय सुनाते समय सर्वोच्च न्यायालय ने अनिवार्य धार्मिक प्रथाओं के सिद्धांत (doctrine of essential religious practices) का अनुप्रयोग किया। न्यायालय ने एम. इस्माइल फारूकी बनाम भारत संघ मामले (1994) का हवाला दिया जहाँ सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि "मस्जिद इस्लाम धर्म के आचरण का एक अनिवार्य अंग नहीं है और मुसलमानों द्वारा नमाज़ (प्रार्थना) कहीं भी, यहाँ तक कि खुले में भी की जा सकती है।"

राम मंदिर का निर्माण क्यों महत्त्वपूर्ण है?

- **उल्लास का क्षण:** अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण एक महत्त्वपूर्ण घटना है जो लंबे समय से जारी विवाद के अंत और भारत के इतिहास में एक नए अध्याय के आरंभ का प्रतीक है।
- **धार्मिक महत्त्व:** यह मंदिर हिंदू देवताओं में सबसे लोकप्रिय देवताओं में से एक राम का पवित्र निवास स्थान है, जिनके बारे में हिंदू मानते हैं कि उनका जन्म अयोध्या में ठीक इसी स्थान पर हुआ था।
- **आस्था का प्रतीक:** राम मंदिर उस स्थान पर बनाया जा रहा है जिसे हिंदू राम जन्मभूमि मानते हैं। लाखों हिंदू इस गहन विश्वास के साथ भगवान राम की पूजा करते हैं कि विपत्ति के समय में उनके नाम जाप से शांति एवं समृद्धि प्राप्त होती है और हिंदू धर्म का पालन करने वाले अधिकांश लोग अपने घरों में राम की मूर्तियाँ रखते हैं।
- **मंदिर अर्थव्यवस्था:** इन पहलों से अयोध्या को देश में एक प्रमुख आध्यात्मिक केंद्र में बदलने की उम्मीद है, जो बढ़ी हुई कनेक्टिविटी के कारण व्यापक क्षेत्र में व्यापार एवं आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देगा।
  - तिरूपति मंदिर, जो एक प्रमुख तीर्थ स्थल है, प्रति वर्ष लाखों भक्तों को आकर्षित करता है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को व्यापक रूप से बढ़ावा मिलता है।

नोट :

- **'न्यूक्लियस' संस्थान:** मंदिर एक 'न्यूक्लियस' या नाभिक के रूप में कार्य कर सकता है जिसके चारों ओर स्कूल और अस्पताल जैसे धर्मार्थ संस्थान विकसित किये जा सकते हैं।
- **सामाजिक एकजुटता:** राम मंदिर हिंदू उपासना स्थल होने के प्रतीकवाद से आगे बढ़कर एकजुटता और सांस्कृतिक संश्लेषण के एक बड़े संदेश का संकेत देगा। यह दिव्यता (divinity) के आह्वान के माध्यम से 'सोशल इंजीनियरिंग' है। यह राष्ट्र को जोड़ने वाला सूत्र सिद्ध हो सकता है।
- **सांस्कृतिक कूटनीति:** राम की दिव्यता न केवल भारत में एक प्रमुख धार्मिक प्रभाव के रूप में विद्यमान है, बल्कि थाईलैंड, इंडोनेशिया, म्यांमार और मलेशिया जैसे देशों में भी सांस्कृतिक विरासत का एक अभिन्न अंग है। इससे भारत की सांस्कृतिक कूटनीति भी सुदृढ़ होगी।

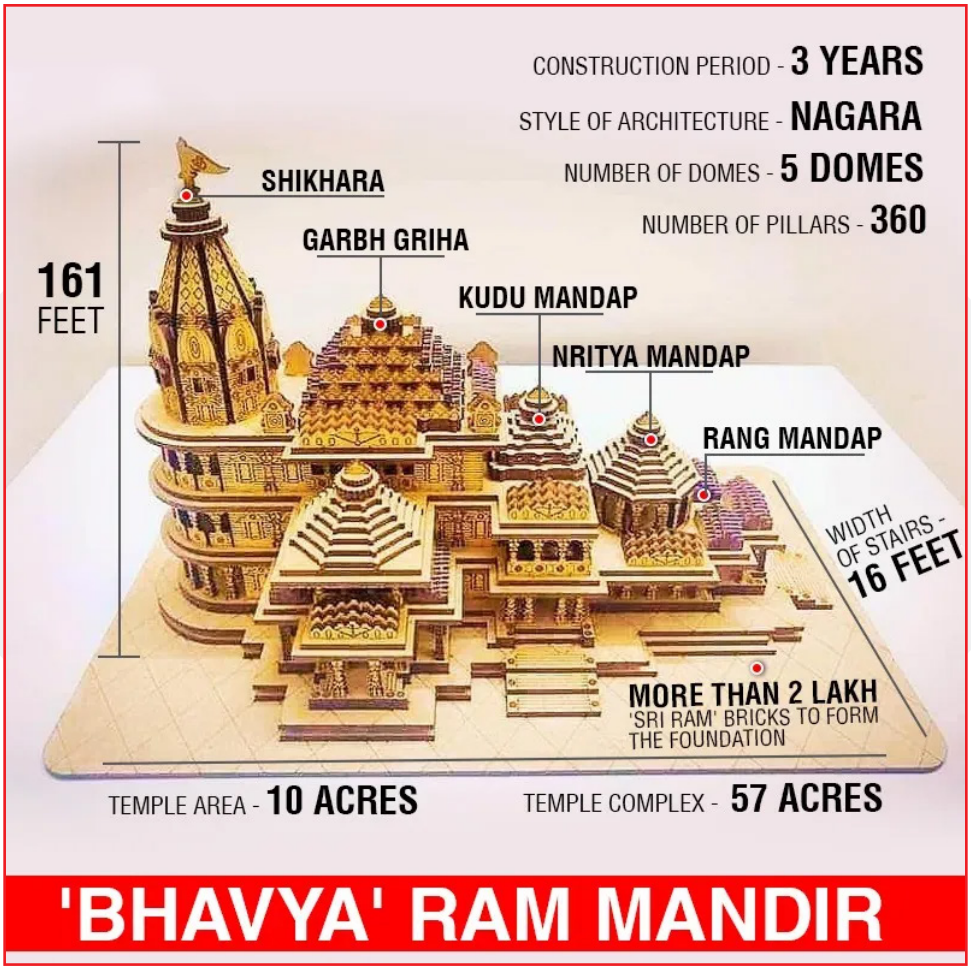

भारत जैसे लोकतंत्र में भगवान राम के मूल्यों को कैसे स्थापित किया जा सकता है?

- **'धर्म' (Righteousness) को बढ़ावा देना:**
  - जीवन के सभी पहलुओं में नैतिक सिद्धांतों को बनाए रखने के लिये नेताओं और नागरिकों को प्रोत्साहित करना चाहिये।
  - व्यक्तिगत और सार्वजनिक व्यवहार में ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और निष्पक्षता के महत्त्व पर बल देना चाहिये।
- **न्याय और निष्पक्षता:**
  - एक मज़बूत एवं निष्पक्ष न्यायिक प्रणाली स्थापित करना आवश्यक है जो सभी नागरिकों के लिये न्याय सुनिश्चित करे, चाहे उनकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो।

नोट :

- जाति, धर्म या सामाजिक-आर्थिक स्थिति पर विचार किये बिना सभी व्यक्तियों के लिये समान अवसर और उचित व्यवहार को बढ़ावा देना चाहिये।

- **समावेशी शासन:**
  - एक समावेशी राजनीतिक व्यवस्था को बढ़ावा दिया जाए जो लोगों के विविध दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करती हो।
  - ऐसी नीतियों को प्रोत्साहित करना चाहिये जो हाशिये पर स्थित समुदायों की आवश्यकताओं की पूर्ति करे और सुनिश्चित करें कि विकास का लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुँचे।
- सेवक दृष्टिकोण का नेतृत्व (Servant Leadership):
  - लोगों की भलाई के साथ विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए नेताओं को सेवक होने के विचार से प्रेरित होना चाहिये।
  - राजनीतिक लोगों के बीच विनम्रता, करुणा और सार्वजनिक सेवा के प्रति प्रतिबद्धता जैसे गुणों को प्रोत्साहित करना चाहिये।
- **सामुदायिक सद्भाव:**
  - सांप्रदायिक सद्भाव और एकता पर बल देने के साथ विभाजनकारी तत्त्वों को हतोत्साहित करना आवश्यक है जो संघर्ष का कारण बन सकते हैं।
  - विभिन्न समुदायों के बीच संवाद एवं समझ को प्रोत्साहित करने के साथ सहिष्णुता एवं सह-अस्तित्व की भावना को बढ़ावा देना चाहिये।

निष्कर्ष:

जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा है, राम और राष्ट्र के बीच की दूरी को केवल शब्दों से नहीं, बल्कि ज़मीनी स्तर पर दूर किया जाएगा। यह अल्पसंख्यक समुदाय तक पहुँच बनाने का आह्वान करेगा, जो मंदिर आंदोलन के अंग नहीं थे। इसके लिये, ध्रुवीकरण के युग में, साझा आधार के कृतसंकल्पित दृष्टिकोण की आवश्यकता होगी।

भारत में कुपोषण

भारत कुपोषण के व्यापक बोझ के साथ एक उल्लेखनीय चुनौती का सामना कर रहा है। यह मुद्दा देश में सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक भिन्नताओं के जटिल मिश्रण से जुड़ा हुआ है। इस व्यापक समस्या की बहुमुखी प्रकृति पोषण संबंधी संकेतकों में आगे और गिरावट को रोकने के लिये तत्काल ध्यान देने और समर्पित संसाधनों का निवेश करने की मांग रखती है।

कुपोषण (Malnutrition):

- **परिचय:**
  - विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, कुपोषण का तात्पर्य किसी व्यक्ति की ऊर्जा एवं पोषक तत्व ग्रहण में कमी, अधिकता या असंतुलन से है।
  - यह ऐसी स्थिति है जो किसी व्यक्ति के आहार में ऐसे महत्त्वपूर्ण पोषक तत्वों के अपर्याप्त सेवन से उत्पन्न होती है जो इष्टतम स्वास्थ्य, वृद्धि एवं विकास के लिये आवश्यक होते हैं।
- **प्रकार:**
  - अल्पपोषण (Undernutrition):
    - वेस्टिंग (Wasting): कद अनुरूप निम्न वजन (Low weight-for-height) को 'वेस्टिंग' के रूप में जाना जाता है। यह तब उत्पन्न होता है जब किसी व्यक्ति के पास खाने के लिये पर्याप्त भोजन नहीं होता है और/या उन्हें कोई संक्रामक बीमारी हो जाती है।
    - स्टंटिंग (Stunting): आयु अनुरूप निम्न कद (Low height-for-age) को 'स्टंटिंग' के रूप में जाना जाता है। यह प्राय: अपर्याप्त कैलोरी ग्रहण के कारण उत्पन्न होता है।
    - अल्प-वजन (Underweight): आयु अनुरूप निम्न वजन (low weight-for-age) को अल्प-वजन के रूप में जाना जाता है। अल्प-वजन से ग्रस्त बच्चे स्टंटिंग और वेस्टिंग या दोनों के शिकार हो सकते हैं।
  - सूक्ष्म पोषक तत्व संबंधी कुपोषण:
    - विटामिन A की कमी: विटामिन A के अपर्याप्त सेवन से दृष्टि दोष, कमज़ोर प्रतिरक्षा (immunity) और अन्य स्वास्थ्य समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं।
    - लौह-तत्व की कमी: लौह-तत्व या आयरन की कमी एनीमिया का कारण बनती है जिससे शरीर की ऑक्सीजन परिवहन क्षमता प्रभावित होती है और इससे थकान एवं कमज़ोरी महसूस होती है।
    - आयोडीन की कमी: इस थायरॉइड से संबंधित विकार उत्पन्न होते हैं जो वृद्धि और संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करते हैं।
  - मोटापा (Obesity): अत्यधिक कैलोरी का सेवन, प्राय: गतिहीन जीवनशैली के साथ मिलकर मोटापे का कारण बन सकता है। यह शरीर में अतिरिक्त वसा के संचय के रूप में प्रकट होता है, जिससे हृदय संबंधी बीमारियाँ और मधुमेह जैसे स्वास्थ्य जोखिम उत्पन्न होते हैं।

नोट :

- वयस्कों में अति-वजन (overweight) को 25 या उससे अधिक के BMI (Body Mass Index), जबकि मोटापे को 30 या उससे अधिक के BMI के रूप में परिभाषित किया गया है।

- आहार-संबंधी गैर-संचारी रोग: इसमें हार्ट अटैक एवं स्ट्रोक जैसे हृदय संबंधी रोग शामिल हैं, जो प्राय: उच्च रक्तचाप से जुड़े होते हैं और जो मुख्यत: अस्वास्थ्यकर आहार एवं अपर्याप्त पोषण से उत्पन्न होते हैं।

- **वैश्विक व्यापकता:**
  - वैश्विक स्तर पर, वर्ष 2022 में 5 वर्ष से कम आयु के 149 मिलियन बच्चों के स्टंटिंग, 45 मिलियन बच्चों के वेस्टिंग और 37 मिलियन बच्चों के अति-वजन या मोटापे का शिकार होने का अनुमान लगाया गया था।
  - 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मौतों के लगभग आधे हिस्से के लिये कुपोषण को ज़िम्मेदार माना जाता है।
  - 1.9 बिलियन वयस्क अति-वजन या मोटापे से ग्रस्त हैं, जबकि 462 मिलियन वयस्क अल्प-वजन के शिकार हैं।

भारत में कुपोषण की गंभीरता (Severity of Malnutrition):

- **राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार:**
  - कुपोषण की व्यापकता:
    - 5 वर्ष से कम आयु के 35.5% बच्चे स्टंटिंग के शिकार हैं
    - 19.3% बच्चे वेस्टिंग के शिकार हैं
    - 32.1% बच्चे अल्प-वजन के शिकार हैं
    - 3% बच्चे अति-वजन के शिकार हैं
    - 15-49 आयु वर्ग की महिलाओं में कुपोषण का स्तर 18.7% है
  - एनीमिया की व्यापकता:
    - पुरुषों में 25.0% (15-49 वर्ष)
    - महिलाओं में 57.0% (15-49 वर्ष)
    - किशोर बालकों में 31.1% (15-19 वर्ष)
    - किशोर बालिकाओं में 59.1% (15-19 वर्ष)
    - गर्भवती महिलाओं में 52.2% (15-49 वर्ष)
    - बच्चों में 67.1% (6-59 माह)
- **विश्व में खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति, 2023:** भारत की लगभग 74% आबादी स्वस्थ आहार ग्रहण करने का सामर्थ्य नहीं रखती, जबकि 39% पर्याप्त पोषक तत्व प्राप्त करने में अक्षम रहते हैं।
- **वैश्विक भुखमरी सूचकांक (GHI) 2023:** भारत का वर्ष 2023 का GHI स्कोर 28.7 है, जो GHI सेवेरिटी ऑफ हंगर स्केल के अनुसार गंभीर स्थिति को प्रकट करता है।
  - भारत में बच्चों की वेस्टिंग दर 18.7 है, जो रिपोर्ट में सर्वाधिक है।

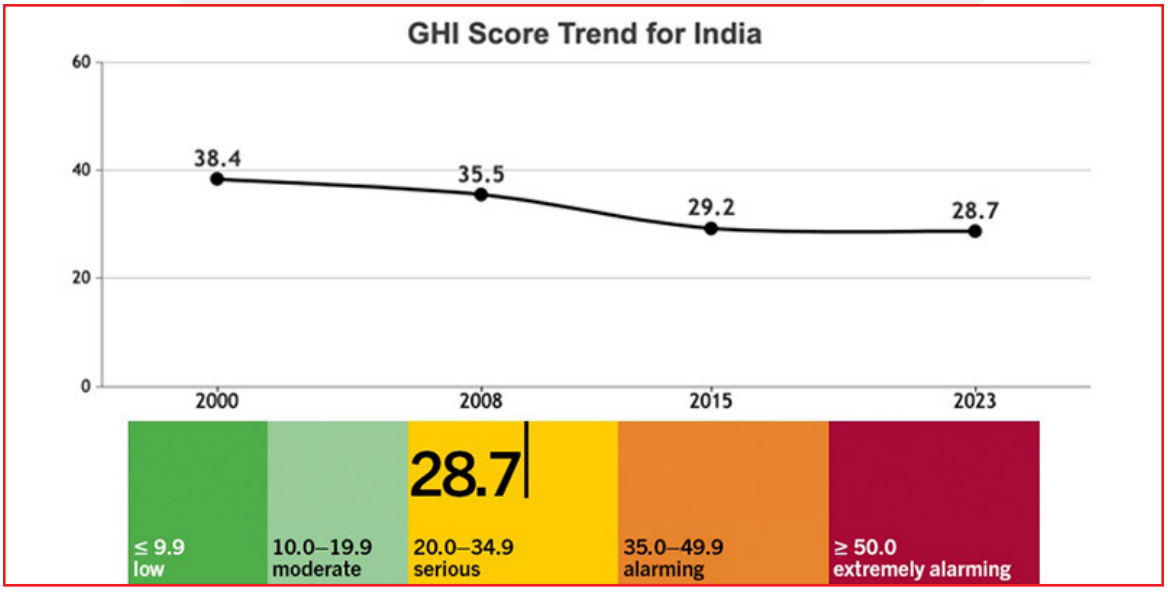

नोट :

भारत में कुपोषण के परिणाम

- **स्वास्थ्य संबंधी निहितार्थ:**
  - अवरूद्ध वृद्धि: कुपोषण, विशेष रूप से बच्चों में, अवरूद्ध वृद्धि का कारण बन सकता है, जिससे शारीरिक और संज्ञानात्मक विकास प्रभावित हो सकता है।
  - कमज़ोर प्रतिरक्षा प्रणाली: कमज़ोर प्रतिरक्षा प्रणाली के कारण कुपोषित व्यक्ति संक्रमण के प्रति अधिक भेद्य/संवेदनशील होते हैं, जिससे रुग्णता और मृत्यु दर में वृद्धि होती है।
  - सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी: सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी वाले भोजन के लगातार सेवन से आयरन, विटामिन A और ज़िंक की कमी हो सकती है, जिससे प्रतिरक्षा तंत्र कमज़ोर हो सकता है।
- **शैक्षिक परिणाम:**
  - संज्ञानात्मक हानि: आरंभिक बाल्यावस्था के दौरान कुपोषण की स्थिति संज्ञानात्मक कार्य को प्रभावित कर सकती है, जो अधिगम/लर्निंग क्षमताओं और शैक्षणिक प्रदर्शन में बाधा उत्पन्न कर सकती है।
  - स्कूल ड्रॉपआउट दर में वृद्धि: कुपोषित बच्चों को नियमित रूप से स्कूल जाने में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और उनके स्कूल छोड़ने की संभावना अधिक होती है, जिससे उनकी समग्र शिक्षा प्रभावित होती है।
- **आर्थिक प्रभाव:**
  - उत्पादकता की हानि: कुपोषण के कारण बाल्यावस्था और वयस्कता दोनों में कार्य उत्पादकता में कमी आ सकती है, जिससे देश का समग्र आर्थिक उत्पादन प्रभावित हो सकता है।
  - स्वास्थ्य देखभाल लागत में वृद्धि: कुपोषण की व्यापकता स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली पर उच्चतर बोझ डालती है, जिससे सरकार और व्यक्तियों के लिये स्वास्थ्य देखभाल लागत में वृद्धि होती है।
- **अंतर-पीढ़ीगत प्रभाव:**
  - मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य: एनीमिया से पीड़ित माताओं में एनीमिया से पीड़ित बच्चों को जन्म देने की संभावना अधिक होती है, जिससे पोषण संबंधी कमियों का चक्र जारी रहता है।
  - दीर्घकालिक स्वास्थ्य प्रभाव: कुपोषित बच्चों द्वारा वयस्कता में स्वास्थ्य चुनौतियों का सामना करने की अधिक संभावना होती है, जिससे आबादी के समग्र स्वास्थ्य एवं सेहत पर असर पड़ता है।
- **सामाजिक परिणाम:**
  - भेद्यता की वृद्धि: कुपोषण प्राय: हाशिए पर स्थित और आर्थिक रूप से वंचित समुदायों को अधिक प्रभावित करता है, जिससे सामाजिक असमानताएँ बढ़ती हैं।
  - कलंक और भेदभाव: कुपोषण का सामना करने वाले व्यक्तियों को सामाजिक कलंक और भेदभाव का सामना करना पड़ सकता है, जिससे उनके मानसिक स्वास्थ्य एवं सेहत पर असर पड़ सकता है।
- **राष्ट्रीय विकास:**
  - मानव पूंजी में कमी: कुपोषण मानव पूंजी के विकास में बाधा उत्पन्न करता है, जिससे आर्थिक और सामाजिक प्रगति की संभावना सीमित हो जाती है।
  - स्वास्थ्य देखभाल बोझ में वृद्धि: कुपोषण की व्यापकता स्वास्थ्य देखभाल संसाधनों पर बढ़ते बोझ में योगदान करती है, जिससे अन्य आवश्यक स्वास्थ्य पहलों से ध्यान एवं संसाधनों के विचलन की स्थिति बनती है।

भारत में कुपोषण से निपटने की राह की प्रमुख चुनौतियाँ:

- **आर्थिक असमानता:** निम्न आर्थिक स्थिति के कारण गरीब लोग प्राय: पौष्टिक भोजन का वहन नहीं कर पाते या उनकी पहुँच सीमित होती है। प्राकृतिक आपदाओं, संघर्षों या कीमतों में उतार-चढ़ाव के कारण भी उन्हें खाद्य असुरक्षा का सामना करना पड़ता है।
  - भारत की लगभग 74% आबादी स्वस्थ आहार का खर्च वहन करने में अक्षम है।
- **अपर्याप्त आहार सेवन और आहार में बदलाव:** आहार पैटर्न विविध और संतुलित विकल्पों से प्रसंस्कृत और शर्करा-युक्त विकल्पों की ओर स्थानांतरित हो गया है। भारत में कुपोषण के लिये आहार विविधता की कमी और निम्न गुणवत्तापूर्ण भोजन का सेवन भी प्रमुख योगदानकर्ता हैं।
  - भारतीय आहार में प्राय: आयरन, विटामिन A और ज़िंक जैसे आवश्यक पोषक तत्वों की कमी होती है।
- **स्वच्छता की खराब स्थिति:** स्वच्छता और साफ-सफाई अभ्यासों की खराब स्थिति रोगजनकों और परजीवियों से संपर्क बढ़ा सकती है जो संक्रमण एवं बीमारियों का कारण बन सकता है। ये सूक्ष्मजीव शरीर में पोषक तत्वों के अवशोषण एवं उपयोग को प्रभावित कर सकते हैं और कुपोषण का कारण बन सकते हैं।
  - NFHS-5 में पाया गया कि केवल 69% घर ही बेहतर स्वच्छता सुविधा का उपयोग करते हैं।

नोट :

- **प्राथमिक स्वास्थ्य अवसंरचना का अभाव:** भारत में बहुत-से लोग टीकाकरण, प्रसवपूर्व देखभाल या संक्रमण के उपचार जैसी बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच का अभाव रखते हैं। इससे बीमारियों और स्वास्थ्य-संबंधी जटिलताओं का खतरा बढ़ जाता है जो कुपोषण की स्थिति को और बदतर बना सकता है।
  - विश्व स्वास्थ्य संगठन प्रति 1000 लोगों की आबादी पर एक चिकित्सक और 3 आदर्श नर्स घनत्व की अनुशंसा है, जबकि भारत में प्रति 1000 लोगों पर 0.73 चिकित्सक और 1.74 नर्स ही उपलब्ध हैं।
- **विलंबित और असंगत आपूर्ति:** कार्यक्रम कार्यान्वयन में देरी और सेवाओं की असंगत आपूर्ति पोषण संबंधी हस्तक्षेपों में अंतराल में योगदान करती है।
  - NFHS-5 के अनुसार, 6 वर्ष से कम आयु के केवल 50.3% बच्चों को ही आंगनवाड़ी से कोई सेवा प्राप्त हुई।
- **अपर्याप्त निगरानी और मूल्यांकन:** कमज़ोर निगरानी और मूल्यांकन तंत्र कार्यक्रम की प्रभावशीलता के आकलन में बाधा डालते हैं।
  - कार्यक्रम के परिणामों पर सटीक डेटा के अभाव में कमियों की पहचान करना और आवश्यक सुधार लागू करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है।

कुपोषण के विरुद्ध भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदम:

- मिशन पोषण 2.0
- एकीकृत बाल विकास सेवा (ICDS) योजना
- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY)
- मध्याह्न भोजन योजना
- किशोर बालिकाओं के लिये योजना (SAG)
- माँ का पूर्ण स्नेह (MAA) कार्यक्रम
- पोषण वाटिकाएँ

भारत में कुपोषण से प्रभावी ढंग से कैसे निपटा जा सकता है?

- **'फूड फोर्टिफिकेशन' को अपनाना:** मुख्य खाद्य पदार्थों के प्रसंस्करण के दौरान आवश्यक पोषक तत्वों को शामिल करना अपेक्षाकृत निम्न लागत वाली विधि है, जो इसे बड़े पैमाने पर कार्यान्वयन के लिये आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाती है।
  - वर्ष 1992 में राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम (National Iodine Deficiency Disorders Control Programme) के तहत आयोडीन युक्त नमक को अपनाने से घेंघा रोग की दर में व्यापक रूप से कमी आई।
- **एक केंद्रित SBCC कार्ययोजना विकसित करना:** सरकार को कुपोषण को संबोधित करने के लिये विशेष रूप से तैयार एक सुसंरचित एवं केंद्रित सामाजिक और व्यवहार परिवर्तन संचार (Social and Behavior Change Communication- SBCC) कार्ययोजना विकसित करने के लिये सहकार्यता स्थापित करनी चाहिये।
  - इस योजना में प्रभावी संचार के लिये उद्देश्यों, लक्षित लोगों, मुख्य संदेशों और रणनीतियों की रूपरेखा होनी चाहिये।
- **स्वास्थ्य देखभाल अवसंरचना को उन्नत बनाना:** सरकार को विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने और कुपोषण का शीघ्र पता लगाने एवं प्रबंधन करने के उपाय करने चाहिये। कुपोषण के निदान एवं उपचार के लिये स्वास्थ्यकर्मियों की क्षमता में सुधार पर और अधिक ध्यान दिया जाना चाहिये।
  - भारत को अपनी आबादी की स्वास्थ्य देखभाल आवश्यकताओं को उपयुक्त रूप से पूरा करने के लिये 3.5 मिलियन अतिरिक्त अस्पताल बिस्तरों की आवश्यकता है।
  - राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति (NHP) ने वर्ष 2025 तक सरकार के स्वास्थ्य व्यय को सकल घरेलू उत्पाद के मौजूदा 1.2% से बढ़ाकर 2.5% करने की अनुशंसा की है।
- **निगरानी और मूल्यांकन:** पोषण संबंधी हस्तक्षेपों के प्रभाव का पता लगाने के लिये व्यापक रूप से सक्षम निगरानी एवं मूल्यांकन प्रणाली स्थापित किये जाएँ।
  - उदाहरण के लिये, 'पोषण ट्रैकर' (Poshan Tracker) प्रत्येक आंगनवाड़ी में कुपोषित और 'गंभीर रूप से कुपोषित' बच्चों पर रियल-टाइम डेटा रिकॉर्ड करता है।
- **स्थानीय रूप से उपलब्ध पौष्टिक भोजन का उपभोग करना:** सरकार को ऐसे स्थानीय रूप से उपलब्ध और पारंपरिक खाद्य पदार्थों के उपभोग को बढ़ावा देना चाहिये जो आवश्यक पोषक तत्वों से भरपूर हों। विभिन्न प्रकार के स्थानीय रूप से उपलब्ध खाद्य पदार्थों के उपभोग को प्रोत्साहित करने से आहार विविधता बढ़ती है।
- **सामुदायिक सशक्तीकरण:** पोषण कार्यक्रमों को अभिकल्पित और कार्यान्वित करने में स्थानीय समुदायों को संलग्न करें। समुदाय-आधारित पहलों से पौष्टिक खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा।

नोट :

- **संचार रणनीतियाँ:** लाभार्थियों के बीच विश्वास निर्माण के लिये सामुदायिक रेडियो, वीडियो जैसे संचार माध्यमों और घर-घर तक पहुँच जैसे उपायों का उपयोग करना आवश्यक है।
  - स्थानीय संदर्भों को संबोधित करते हुए बेहतर समझ और संलग्नता सुनिश्चित करने के लिये संदेशों को स्थानीय भाषाओं में प्रस्तुत किया जाना चाहिये।

निष्कर्ष:

'शून्य भुखमरी' के संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य 2 की प्राप्ति और कुपोषण के उन्मूलन के लिये भारत को अपनी आबादी के स्वास्थ्य एवं सेहत को प्राथमिकता देनी चाहिये तथा इसमें निवेश करना चाहिये। एक व्यापक एवं सहयोगात्मक रणनीति के माध्यम से, भारत कुपोषण को कम करने, अपने लोगों की पूरी क्षमता को उजागर करने और एक स्वस्थ, अधिक समृद्ध भविष्य को बढ़ावा देने की दिशा में सार्थक कार्य कर सकता है।

दृष्टि The Vision

नोट :

दृष्टि एडिटोरियल अभ्यास प्रश्न

1. उभरता हुआ वैश्विक भू-राजनीतिक परिदृश्य भारत-रूस संबंधों की गतिशीलता को कैसे प्रभावित कर रहा है? इन द्विपक्षीय संबंधों के निरंतर सकारात्मक प्रक्षेपपथ को सुनिश्चित करने के लिये उपाय सुझाइये।
2. निकट अतीत में भारतीय बैंकिंग क्षेत्र के सुदृढ़ प्रदर्शन के बावजूद कुछ जोखिम कारक संभावित चुनौतियाँ पैदा कर रहे हैं। विस्तार से चर्चा कीजिये और उचित उपाय सुझाइये।
3. भारत में लोकलुभावनवाद पर अंकुश लगाने में वित्त आयोग की भूमिका की चर्चा कीजिये।
4. क्या आप सहमत हैं कि राज्यपाल का संवैधानिक पद 'केंद्र का एजेंट' होने की ओर झुक गया है? राज्यपाल और राज्य विधायिका के बीच टकराव के प्रमुख बिंदुओं की भी चर्चा कीजिये।
5. भारत के आर्थिक विकास के संदर्भ में विनिर्माण और सेवा क्षेत्र की उभरती गतिशीलता से उत्पन्न चुनौतियों एवं अवसरों का विश्लेषण कीजिये। सतत् और समावेशी विकास हासिल करने में इन क्षेत्रों की भूमिका की भी चर्चा कीजिये।
6. भारत में सार्वजनिक ऋण के संवहनीय प्रबंधन की प्राप्ति की राह में विद्यमान चुनौतियों पर विचार कीजिये और आवश्यक रणनीतियों के प्रस्ताव कीजिये।
7. सतत् विकास, सामाजिक कल्याण और प्रभावी शासन पर बल देते हुए भारत में शहरीकरण से जुड़ी चुनौतियों और आवश्यक समाधानों की चर्चा कीजिये।
8. विधान और वैकल्पिक विवाद समाधान विधियों की भूमिका को रेखांकित करते हुए भारत में दिव्यांग आबादी के समक्ष विद्यमान चुनौतियों की चर्चा कीजिये। समावेशिता को बढ़ावा देने और समान अवसर सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक उपायों के सुझाव भी दीजिये।
9. यूरोपीय संघ का कार्बन सीमा समायोजन तंत्र (CBAM) भारत के विनिर्माण क्षेत्र को किस प्रकार प्रभावित करता है? भारत अपने उद्योगों की सुरक्षा करते हुए वैश्विक पर्यावरण नीतियों के साथ संरेखित होने के लिये कौन-से रणनीतिक उपाय अपना सकता है?
10. भारत की परिहार नीति में पारदर्शिता की कमी और अनियंत्रित विवेक किस प्रकार न्याय के लिये चुनौती पेश करते हैं तथा कौन-से सुधारात्मक उपाय निष्पक्ष एवं सार्थक अनुपालन सुनिश्चित कर सकते हैं?
11. भारत और मालदीव के बीच द्विपक्षीय संबंधों में विद्यमान चुनौतियों पर विचार कीजिये और उन्हें हल करने के उपाय सुझाइये।
12. भारत में राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति 2022 के महत्त्व का विश्लेषण कीजिये। इस नीति के प्रमुख 'बिल्डिंग ब्लॉक्स' कौन-से हैं और वे नीति के लक्ष्यों को किस प्रकार प्राप्त करने पर लक्षित हैं?
13. दूरसंचार अधिनियम, 2023 ने भारत में दूरसंचार क्षेत्र की वृद्धि और गतिशीलता को किस प्रकार प्रभावित किया है? डिजिटल कनेक्टिविटी और तकनीकी नवाचार को आगे बढ़ाने में इसकी भूमिका पर बल देते हुए संबंधित चुनौतियों एवं संभावित परिणामों की चर्चा कीजिये।
14. भारत में ऑनलाइन गेमिंग उद्योग की तेज़ वृद्धि ने किस प्रकार सामाजिक, आर्थिक एवं राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं को संबोधित करने के लिये तत्काल एवं व्यापक नियामक उपायों की आवश्यकता उत्पन्न कर दी है?
15. भारत की सार्वजनिक स्वास्थ्य रणनीति के परिप्रेक्ष्य में सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम में सर्वाइकल कैंसर के टीके को शामिल करने, संबंधित चुनौतियों का समाधान करने के साथ HPV टीकाकरण की भूमिका के महत्त्व की चर्चा कीजिये।
16. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) अधिनियम, 2023 से जुड़ी संवैधानिक जटिलताओं और दिल्ली की निर्वाचित सरकार एवं केंद्र सरकार के बीच संबंधों पर इसके निहितार्थ के बारे में चर्चा कीजिये।
17. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करने वाली हाल की घटनाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए, लाल सागर में भू-राजनीतिक चुनौतियों की जाँच कीजिये। इसके साथ ही समुद्री सुरक्षा और वैश्विक व्यापार की सुरक्षा के लिये रणनीतियाँ बताइये।

नोट :

18. विशेष रूप से रक्षा और समुद्री प्रौद्योगिकी में हाल की प्रगतियों, रणनीतिक अनिवार्यताओं और सहयोगात्मक पहलों पर बल देते हुए भारत-यूके संबंधों की उभरती गतिशीलता की चर्चा कीजिये।
19. भारत में युवाओं के लिये अधिगम परिणामों को संवृद्ध करने में व्याप्त प्राथमिक चुनौतियों की चर्चा कीजिये। इन मुद्दों को प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिये किन उपायों की अनुशंसा की जा सकती है?
20. अवरोधन प्रावधानों में प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों और जवाबदेही उपायों की अनुपस्थिति पर विचार करते हुए व्यक्तिगत निजता/गोपनीयता के लिये डाकघर अधिनियम, 2023 के निहितार्थों का परीक्षण कीजिये।
21. भारतीय संदर्भ में 'एक राष्ट्र - एक चुनाव' के संवैधानिक, विधिक और व्यावहारिक निहितार्थों की चर्चा कीजिये तथा संघवाद, शासन एवं चुनावी प्रक्रियाओं पर इसके प्रभाव का मूल्यांकन कीजिये।
22. डिज़ाइन-लिंक्ड प्रोत्साहन योजना और संभावित सुधारों पर ध्यान केंद्रित करते हुए, भारत के सेमीकंडक्टर उद्योग में विकास को बढ़ावा देने के लिये निहित चुनौतियों और नीतिगत अनुशंसाओं की चर्चा कीजिये।
23. अंतर्राष्ट्रीय कानून में नरसंहार, युद्ध अपराध एवं मानवाधिकारों के बीच अंतर्संबंध की चर्चा कीजिये। इनके मध्य संबंधों एवं संबंधित कानूनी ढाँचों को बताते हुए इस संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) जैसी संस्थाओं की भूमिका पर प्रकाश डालिये।
24. चर्चा कीजिये कि किस प्रकार 'रामराज्य' की प्राप्ति के क्रम में सामाजिक समस्याओं को हल करना तथा सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देना महत्त्वपूर्ण है।
25. भारत में कुपोषण से उत्पन्न चुनौतियों की चर्चा कीजिये। देश में कुपोषण से निपटने के लिये कौन से प्रभावी उपाय लागू किये जा सकते हैं?

The Vision

नोट :